मूल्य : पच्चीस रुपये

प्रथम सस्करण सितम्बर, 1978

प्रकाशक
लिपि प्रकाशन
1, असारी रोड, दरियागज
नई दिल्ली-110002

मुद्रक शान प्रिंटर्स, दिल्ली-32

ACCHI HINDI
by Dr Bhola Nath Tiwari
Rs 25 00

दो शब्द

जिस भाषा का क्षेत्रीय विस्तार जितना ही अधिक होता है, मानक रूप अथवा अशुद्धियो आदि की दृष्टि से उसकी समस्याएँ भी उतनी ही अधिक होती हैं। हिन्दी भी बहुत बडे क्षेत्रीय विस्तारवाली भाषा है, अत ये समस्याएँ उसके सामने भी हैं, और खूब हैं। इस समय हिन्दी की सबसे बडी आवश्यकता यह है कि उसके बहुस्वीकृत प्रयोग और उसमे होने वाली अशुद्धियो का सकेत करते हुए उसके मानक रूप को एक निश्चित स्वरूप मे लेने मे सहायता की जाए। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा मे एक विनम्र प्रयास है।

'अच्छी हिन्दी' नाम से सबसे पहले आदरणीय श्री रामचन्द्र वर्मा ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसके अब तक कई सस्करण निकल चुके हैं। वर्मा जी ने जब पुस्तक लिखी थी, वह बहुत अच्छी थी, किंतु तब से स्थिति काफी बदल चुकी है। एक ओर तो, हिन्दी के बहुत से ऐसे प्रयोग हैं, जो उस समय खटकते थे, किंतु अब मानक हिन्दी के अभिन्न अग बन चुके हैं, इसलिए उनके सबध मे वर्मा जी ने जो बात कही थी, अब विशेष काम की नही रह गई हैं। दूसरे, अनेक कारणो से अब कुछ ऐसी नई समस्याएँ उभर आई हैं, जो उस समय नही थी। स्पष्ट ही इन नई समस्याओ के सबध मे वर्मा जी की 'अच्छी हिन्दी' मे कुछ पाने का प्रश्न ही नही उठता। एक तीसरी बात दृष्टिकोण की भी है। वर्मा जी ने अपनी 'अच्छी हिन्दी' मे अपने को व्याकरणिक प्रयोगो तक सीमित रखा है। मेरे विचार मे किसी भाषा के अच्छेपन के लिए, यदि वह लिखित है तो वर्तनी पर ध्यान देना जितना आवश्यक है, बोलचाल की है तो उतना ही आवश्यक है उच्चारण पर ध्यान देना। वर्मा जी का ध्यान उच्चारण पर नही गया। सच पूछा जाए तो इन्ही सब बातो के कारण मुझे एक नई पुस्तक की आवश्यकता का अनुभव हुआ, और यह पुस्तक उसी का परिणाम है।

अब रहा नाम का प्रश्न। वर्मा जी ने अपनी पुस्तक का नाम 'अच्छी हिन्दी' रखा, जो बहुत ही उपयुक्त है। बाद मे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने 'अच्छी हिन्दी का नमूना' नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमे वर्मा जी की गल-

तियो का सकेत किया । वस्तुत 'भाषा की मानकता का प्रश्न' इतना विवादास्पद है कि उस दृष्टि से किसी भी पुस्तक को लेकर बहुत कुछ कहने की गुजाइश हो सकती है । चाहे वह पुस्तक किसी की भी क्यो न हो । अस्तु । फिर, कुछ दिनो के बाद आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने स्वय भी 'अच्छी हिन्दी' नाम से एक पुस्तक लिखी, जो अपनी कई अच्छाइयो के बावजूद हिन्दी के कुछ थोडे-से आयामो तक ही केन्द्रित होने के कारण हिन्दी की कुछ थोडी-सी समस्याओ के साथ ही न्याय कर सकी । इस बीच 'शुद्ध हिन्दी' तथा 'मानक हिन्दी' आदि एक-दो अन्य नामो से कुछ और पुस्तके भी निकली हैं, किन्तु किसी मे भी वर्मा जी की पुस्तक मे प्राप्त व्यापकता नही है । अपनी पुस्तक के नामकरण मे मैंने श्रद्धेय श्रीवर्मा जी के नामकरण से बेकार मे हटने का यत्न नही किया है । यह नाम मूलत वर्मा जी का है, और उनसे मैं इसे साभार ले रहा हूँ । आखिर आचार्य वाजपेयी ने भी यह नाम उनसे लिया ही है ।

वर्माजी से मेरा बहुत निकट का सबध था, और उनके पत्र मेरे पास प्राय आते थे । उन्होने अपनी कई पुस्तके भी आशीर्वाद-स्वरूप मुझे दी थी । वस्तुत इस दिशा मे जो थोडा-बहुत मैं सोच सका हूँ, उसमे वर्माजी का भी हाथ रहा है । यह दूसरी बात है कि बहुत-सी बातो मे मेरी उनसे विनम्र असहमित रही है तथा इस सबध मे उन्हे मैंने यथासमय लिखा भी था । उदाहरण के लिए वर्मा जी ने 'शब्द-साधना' तथा एक-दो अन्य पुस्तको मे भी नए शब्द गढकर जो पर्यायो मे अर्थ-भेद और प्रयोग-भेद दिखाने का प्रयास किया है उसे मैं ठीक नही मानता । जब तक कोई शब्द भाषा मे चल कर सहज रूप मे अपनी अर्थ-परिधि न बना ले, ज़बरदस्ती उसकी अर्थ-परिधि बनाकर उसे ऐसी पुस्तको मे शामिल करने का अधिकार, मेरे विचार मे प्रयोग-शास्त्री को हरगिज नही है ।

अपनी इस पुस्तक मे, मैंने अनेक नई समस्याओ को लेने के साथ-साथ उन सारी समस्याओ को, तथा कही-कही उदाहरण भी, वर्माजी, वाजपेयी जी तथा कई अन्य गुरुजनो और मित्रो की पुस्तको से ले लिया है, जो आज की हिन्दी की मानकता की दृष्टि मे सार्थक है तथा उनके लिए मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ । हाँ यह अवश्य है कि अनेक स्थलो पर पूर्ववर्ती लेखको से ली गई समस्याओ के प्रति मेरा विवेचन मेरी अपनी दृष्टि से है । अत मतभेद की भी सभावना है ।

हिन्दी को शुद्ध और मानक रूप देने की दिशा मे पहला प्रयास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, उसके बाद गुरु जी ने अपने व्याकरण के द्वारा उसे कुछ आगे बढाया । आगे चलकर वर्मा जी, वाजपेयी जी तथा कुछ अन्य लोगो ने उसे और आगे बढाया । मैंने भी इस पुस्तक मे उस कार्य को थोडा और आगे बढाने का विनम्र प्रयास किया है, किंतु यह पथ इतना लबा है कि इसे आगे बढाने के लिए अभी अनेक लेखको की आवश्यकता है । इधर भाषा के प्रति, हिन्दी मे जागरूकता बढी है, और मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नही जब सभी के सहयोग

से हिन्दी का एक मानक रूप (जैसा कि किसी भी भाषा के लिए सभव है) स्थिर हो जाएगा ।

यह पुस्तक हिन्दी के मानक रूप से सबद्ध है, किंतु असभव नही कि लाख सतर्कता के वावजूद, इस पुस्तक मे प्रयुक्त मेरी अपनी अभिव्यक्ति मे भी कही-कही अमानकता घुस आई हो। वस्तुत हिन्दी की कथाकथित मानकता और क्षेत्रीय प्रभावो के बीच काफी सघर्ष है, और इस सघर्ष मे किसी भी लेखक का मानकता से विचलित हो जाना बहुत सहज है। यो जैसा कि मैं प्रारभिक अध्यायो मे कह चुका हूँ, किसी भाषा के मानक रूप का प्रयोग एक सीमा तक ही सभव है। मानक प्रयोग का प्रयास तो किया जा सकता है, कितु उसमे पूरी तरह सफल नही हुआ जा सकता। कोई नब्बे प्रतिशत सफल होता है तो कोई पच्चानवे प्रतिशत और कोई निन्यानबे प्रतिशत। किंतु शत-प्रति-शत शायद कोई नही, बल्कि कोई नही।

मैंने बार-बार ऐसा कहा है कि 'यह प्रयोग चल तो रहा है किंतु यह मानक नहीं है।' मेरे इस प्रकार के मत से किसी के मतभेद की सभावना से इकार नही किया जा सकता। साथ ही यह भी असभव नही कि भविष्य मे इनमे कुछ या काफी प्रयोग मानक हिन्दी के प्रयोग माने जाने लगें। मैंने केवल यह कहना चाहा है कि मेरे विचार मे अभी तक ये मानक नही हैं।

इन वातो को भूमिका-स्वरूप पाठको के सामने रखते हुए, मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक हिन्दी के वर्तमान रूप को समझने मे उपयोगी सिद्ध होगी।

—भोलानाथ तिवारी

विषय-सूची

1

हिन्दी भाषा

विश्व मे लगभग तीन हज़ार छोटी-वडी भाषाएँ बोली जाती हैं, जिन्हे ध्वनि, व्याकरणिक रचना तथा शब्द-भडार की समानता के आधार पर बारह-तेरह परिवारो मे बाँटा गया है। इन परिवारो मे क्षेत्रफल तथा बोलनेवालो की सख्या की दृष्टि से सबसे वडा भारोपीय परिवार है जिसके अन्तर्गत सस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता आदि प्राचीन भाषाएँ तथा हिन्दी, अग्रेज़ी, फ्रासीसी, जर्मन, रूसी, इतालवी, फारसी, मराठी, वागला आदि आधुनिक भाषाएँ आती हैं।

भारोपीय परिवार प्रारभ मे ही **कॅंतुम** और **सतम** दो शाखाओ मे विभक्त हो गया था। कॅंतुम से ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रासीसी, अग्रेज़ी आदि भाषाओ का विकास हुआ तो सतम से रूसी, अवेस्ता, सस्कृत आदि का। कॅंतुम शाखा के कुछ लोग तो ईरान मे जा वसे जहाँ अवेस्ता, प्राचीन फारसी आदि का विकास हुआ और कुछ लोग लगभग 1500 ई० पू० मे भारत मे प्रविष्ट हुए। उस समय उनकी भाषा सस्कृत का प्राचीन रूप थी। इस प्रकार भारत मे आर्य भाषाओ का इतिहास 1500 ई० पू० के लगभग प्रारभ होता है।

1500 ई० पू० से आज तक के हमारे भाषिक विकास को तीन कालो मे विभक्त करते हैं **प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल।**

प्राचीन भाषाओ मे **वैदिक संस्कृत** (1500 ई० पू० से लगभग 800 ई० पू० तक) तथा **लौकिक सस्कृत** (800 ई० पू० से 500 ई० पू० तक) आती हैं। वैदिक सस्कृत उस काल मे बोलचाल की भाषा थी तथा उसका वैदिक वाङ्मय मे प्रयोग हुआ। उसी से सस्कृत का विकास हुआ जो वोलचाल की भाषा तो प्राय तीन सौ वर्षों तक रही, किन्तु जिसमे साहित्य की रचना उसी काल से अव तक होती आ रही है। इसी सस्कृत को पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी मे विश्लेषित किया तथा वाल्मीकि, कालिदास आदि सस्कृत कवियो ने इसी मे अपनी अमर रचनाएँ की।

वोलचाल की भाषा आगे फिर विकसित हुई जो कालक्रमानुसार **पालि** (500 ई० पूर्व से 1 ई० तक), **प्राकृत** (1 ई० से 500 ई० तक) **अपभ्रंश**

(500 ई० से 1000 ई० तक) कहलाई।

इसी अपभ्रंश से 1000 ई० के आस-पास आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओ का विकास हुआ। हुआ यह कि वैदिक सस्कृत की ही कुछ स्थानीय बोलियाँ थी जो पालि काल मे आकर और भी विकसित हो गईं तथा प्राकृत काल मे उनके व्याकरणिक अतर इतने स्पष्ट हो गए कि उनका नामकरण कर दिया गया—व्राचड, केकय, टक्क, महाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्ध-मागधी तथा मागधी। अपभ्रंश काल मे ये बोलियाँ एक दूसरे से इतनी अलग हो गईं कि एक हजार ई० के लगभग इनका या इनके क्षेत्रीय रूपो का स्वतत्र भाषाओ या उपभाषाओ के रूप मे विकास हो गया

प्राकृत-अपभ्रंश	आधुनिक भारतीय भाषाएँ तथा उपभाषाएँ
(1) व्राचड	सिंधी (भाषा)
(2) केकय	लहँदा (भाषा)
(3) टक्क	पजावी (भापा)
(4) शौरसेनी	गुजराती (भापा)
	राजस्थानी (उपभापा)
	पश्चिमी हिन्दी (उपभाषा)
	पहाडी (उपभाषा)
(5) महाराष्ट्री	मराठी (भाषा)
(6) अर्धमागधी	पूर्वी हिन्दी (उपभाषा)
(7) मागधी	बिहारी (उपभाषा)
	असमी (भाषा)
	बागला (भाषा)
	ओडिया (भाषा)

इनमे राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, पहाडी, पूर्वी हिन्दी तथा बिहारी, हिन्दी भाषा की उपभाषाएँ हैं। पूरी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है

भाषा	उपभाषाएँ	बोलियाँ
हिन्दी	(क) राजस्थानी	(1) पूर्वी राजस्थानी (जयपुरी)
		(2) पश्चिमी राजस्थानी (मारवाडी)
		(3) उत्तरी राजस्थानी (मेवाती)
		(4) दक्षिणी राजस्थानी (मालवी)
	(ख) पहाडी	(1) पश्चिमी पहाडी (हिमाचली)
		(2) मध्यवर्ती पहाडी (कुमाउँनी-गढवाली)

(ग) पश्चिमी हिन्दी	(1) खडीबोली (कौरवी)
	(2) हरियानी
	(3) ब्रजभाषा
	(4) बुदेली
	(5) कनौजी
	(6) ताजुज्बेकी[1]
(घ) पूर्वी हिन्दी	(1) अवधी
	(2) बघेली
	(3) छत्तीसगढी
(ङ) विहारी	(1) भोजपुरी
	(2) मगही
	(3) मैथिली

इनमे जिन्हे उपभाषाएँ कहा गया है, वस्तुत ये 'बोलियो के समूह' के क्षेत्रीय नाम हैं। जहाँ तक वोलियो का सबध है, इनमे कई बोलियाँ (जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि) अव लगभग भाषाएँ बन चुकी हैं। इनके प्रदेशो मे शिक्षा, साहित्य-रचना, राज-काज तथा समाचार-पत्र आदि मे मानक हिन्दी (भाषा) का प्रयोग होने के कारण इन्हे हिन्दी भाषा की वोलियाँ कहते हैं।

इस प्रकार हिन्दी वह भाषा है जो सस्कृत से पालि, अपभ्र श होते विकसित हुई है तथा जो हरियाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तथा विहार के उन लोगो द्वारा व्यवहृत होती है जो अपने घरो मे प्राय हरियानी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि ऊपर सकेतित वोलियाँ बोलते हैं। इनके अतिरिक्त, हिन्दी-क्षेत्र के वाहर कलकत्ता, ववई आदि कई वडे नगरो मे भी हिन्दी के वोलनेवाले काफी वडी सख्या मे रहते है। भारत के वाहर मारिशस, फिजी, दक्षिणी अफ्रीका तथा सूरीनाम आदि कई देशो मे भी हिन्दी-भाषी काफी हैं।

समवेतत हिन्दी वोलनेवालो की सख्या काफी वडी है, लगभग 26 करोड। इसीलिए यह भाषा वोलनेवालो की दृष्टि से विश्व मे तीसरे क्रम पर है। पहले क्रम पर चीनी, दूसरे पर अग्रेजी और तीसरे पर हिन्दी।

हिन्दी का ऐतिहासिक विस्तार भी काफी वडा है। वह लगभग एक हज़ार वर्षों (1000 ई० से 1978 तक) मे फैला है।

यह है सक्षेप मे हिन्दी का परिचय।

1 ताजुज्वेकी वोली सोवियत सघ में ताजिकिस्तान तथा उज्वेकिस्तान की सीमा पर वोली जाती है, जो हिन्दी की ही एक वोली है। विस्तार के लिए देखिए प्रस्तुत पक्तियों के लेखक की पुस्तक 'ताजुज्वेकी' (सोवियत सघ में वोली जाने वाली हिन्दी वोली)।

2

हिन्दी की शैलियाँ तथा उनके विकास की पृष्ठभूमि

यदि किसी भाषा की एक शैली हो तो उसका मानक और अच्छा रूप एक होगा, किंतु यदि उसकी एकाधिक शैलियाँ हो तो उसके मानक और अच्छे रूप भी उतने ही होगे। इसीलिए 'अच्छी हिन्दी' पर विचार करने के पूर्व उसकी शैलियो पर विचार कर लेना आवश्यक है।

हिन्दी भाषा की जितनी शैलियाँ हैं, उस रूप मे, विश्व की शायद किसी भी भाषा की नही होगी। प्रश्न उठता है कि इसका क्या कारण है ? स्पष्ट ही इसका कारण हिन्दी भाषा का अपना इतिहास है। इसीलिए शैलियो पर विचार करने के पूर्व भूमिका स्वरूप सक्षेप मे उसके इतिहास को देख लेना आवश्यक है।

पीछे हम देख चुके है कि हिन्दी की जडे मूलत सस्कृत मे हैं। वही से पालि, प्राकृत, अपभ्र श होते उसका विकास हुआ है। इस प्रकार वह सस्कृत से सवद्ध है। इसके साथ-साथ जिस सास्कृतिक परिवेश मे हिन्दी का निखार-सँवार हुआ है और हो रहा है, उसकी आधार भाषा सस्कृत है। अन्य भारतीय आर्य भाषाओ की तरह ही हिन्दी के लिए भी सस्कृत की स्थिति ठीक वही है जो यूरोपीय भाषाओ के लिए ग्रीक और लैटिन की है। अर्थात् जैसे अग्रेजी, जर्मन आदि यूरोपीय भाषाएँ आवश्यकता पडने पर ग्रीक से शब्द लेती है, अथवा उनकी धातु-प्रत्यय-उपसर्ग की सहायता से नए शब्दो का निर्माण कर लेती है, ठीक वही काम हिन्दी आदि भारतीय आर्य भाषाएँ (और कन्नड, तेलुगु आदि आर्येतर भाषाएँ) भी करती हैं। इस प्रकार सस्कृत के, हिन्दी की दादी की दादी होने के कारण, उसका सस्कृत से रक्त-सबध तो है ही, सस्कृत उसकी स्रोत भाषा भी है। इस दुहरे घनिष्ठ सबध ने हिन्दी की उस शैली को जन्म दिया है जो सस्कृतबहुल है तथा जिसे उर्दू-हिन्दुस्तानी से अलग, 'हिन्दी', 'उच्च हिन्दी' अथवा 'सस्कृत निष्ठ हिन्दी' कहते है। इसमे सस्कृत सज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रियाविशेषण तो प्रयुक्त होते ही है, बहुत से सस्कृत के कारकीय रूप (पदेन, येन-केन-प्रकारेण, मनसा-वाचा-कर्मणा, सामान्यतया,

मुख्यतया, विशेषतया, हठात्, सयोगवशात् आदि) भी हिन्दी के अपने शब्दो की तरह् व्यवहृत होते है।

हिन्दी का जन्म 1000 ई० के लगभग हुआ और उसी समय मुसलमानो का भारत पर आक्रमण वहुत हुआ, और शीघ्र ही उन्होंने हिन्दी प्रदेश मे और फिर धीरे-धीरे पूरे भारत मे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी चरम परिणति मुगल साम्राज्य के रूप मे दिखाई पडती है। यह ध्यान देने की बात है, कि, अपवादो की वात छोड दें, तो इन नवागतुक शासको का केन्द्र हिन्दी प्रदेश मे ही रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनकी राजभाषा फारसी से हिन्दी वहुत अधिक प्रभावित हुई। यह वात चौंका देनेवाली है कि इन मुसलमान शासको के प्रभाव से भारत के दो छोरो पर—सुदूरपूर्व पूर्वी वगाल मे तथा धुर पश्चिम सिंध, उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रात और पश्चिमी पजाव मे—भारत के अन्य क्षेत्रो की तुलना मे ज्यादा लोगो ने इस्लाम धर्म कवूल किया, किंतु वागला, सिंधी, पजाबी या मुल्तानी आदि इन क्षेत्रो की किसी भी भाषा की, उनके प्रभाव मे कोई शैली विकसित नही हुई। इसके विपरीत हिन्दी प्रदेश मे अपेक्षाकृत कम लोगो ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, किंतु यहाँ उनके प्रभाव से हिन्दी की उर्दू शैली जनमी ही नही पल्लवित और पुष्पित भी हुई। आखिर इसका कारण क्या है ? इस प्रश्न की ओर अभी तक कदाचित् किसी का ध्यान नही गया है। मेरे विचार मे इसका उत्तर, मुसलमान शासको का केन्द्र हिन्दी प्रदेश मे होना है। इनकी राजभाषा फारसी थी, अत इस क्षेत्र मे फारसी का प्रचार-प्रसार आर्थिक कारणो (नौकरी पाने के लिए) से अधिक हुआ और इसीलिए हिन्दी फारसी से वहुत अधिक प्रभावित हुई, यह प्रभाव शव्द-भडार के क्षेत्र मे तो पडा ही—और यह प्रभाव तो कम-व-वेश भारत की सभी भाषाओ पर पडा—व्याकरण के क्षेत्र मे पडा और कदाचित् काफी गहरा पडा। व्याकरण के क्षेत्र से मेरा आशय उपसर्ग, प्रत्यय तथा वाक्य-रचना के क्षेत्र से है (विस्तार के लिए देखिए मेरी पुस्तक 'हिन्दी भाषा' का 'हिन्दी भाषा पर अन्य भापाओ का प्रभाव' शीर्षक अध्याय)।

इस प्रकार एक ओर सास्कृतिक परपरा के माध्यम से सस्कृत प्रभाव का दवाव था, तो दूसरी ओर राजनीतिक और आर्थिक कारणो से फारसी का दवाव था, परिणाम यह हुआ कि इन दोनो घनीभूत प्रभावो के टकराव मे तीन शैलियाँ विकसित हुई हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी। हिन्दी सस्कृत की ओर झुकी थी, तो उर्दू फारसी की ओर। किन्तु ये अतिवादी विन्दु सुशिक्षितो के लिए थे, अत स्वभावत दोनो शैलियो के समान तत्त्वो के आधार पर जनता मे सहज रूप से एक तीसरी शैली विकसित हो गई, जिसे आगे चलकर हिन्दुस्तानी कहा गया। वस्तुत हुआ ऐसा कि वगाल, पजाव या सिंध आदि मे स्थानीय भाषाओ ने फारसी प्रभाव के साथ सामजस्य स्थापित करके समन्वित रूप का विकास किया, किन्तु हिन्दी क्षेत्र मे टकरानेवाले दोनो दवाव इतने वलशाली थे कि उस रूप मे समन्वय तक

सीमित रहना सभव नही हुआ, और दो धाराएँ वह निकली (हिन्दी और उर्दू) जिनके अतर और अतिवादी कठिन रूप ने सहज ही जनता मे एक अनतिवादी सरल रूप को जन्म दिया, जो पहले तो प्राय अनामित रही, किन्तु आगे चलकर गाधी जी के सुझाव पर 'हिन्दुस्तानी' कहलाई। इसके पहले 'हिन्दुस्तानी' शब्द का प्रयोग या तो 'उर्दू' के लिए होता था, जैसा कि गार्सा द तासी द्वारा लिखे गए हिन्दी-उर्दू साहित्य के इतिहास के नाम (इस्त्वार द ला लितेरात्यूर ऐंदुई ऐ ऐंदुस्तानी) से -प्रकट होता है, या फिर 'हिन्दी और उर्दू दोनो को समाहित कर लेनेवाले एक समुच्चयी नाम' के रूप मे जैसा कि यूरोपीय विद्वानो द्वारा सपादित कई कोशो तथा व्याकरण ग्रथो के नामो से स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए 1700 ई० से 1900 ई० के बीच तुरोनेसिस, फर्ग्युसन, हैरिस, गिलक्राइस्ट, टेलर तथा शेक्सपियर आदि द्वारा सपादित हिन्दी-उर्दू के दर्जनो कोशो के नाम मे इनके लिए 'हिन्दुस्तानी' नाम आया है। इसी प्रकार डच विद्वान् मिल, या अग्रेज विद्वान् गिलक्राइस्ट, स्टुअर्ट, प्राइस, फ्रोर्ब्स, चेल्टनहम आदि ने अपने हिन्दी-उर्दू व्याकरण को 'हिंदुस्तानी व्याकरण' कहा है।

आजकल हिन्दी भाषा की ये तीन शैलियाँ प्रचलित है

हिन्दुस्तानी—यह हिन्दी प्रदेश मे बोलचाल की भाषा है तथा इसमे हिन्दी-उर्दू मे प्रचलित देशज और सस्कृत विकसित तद्भव शब्द तो सारे-के-सारे प्रयुक्त होते हैं, किंतु सस्कृत या फारसी के केवल वे ही तत्सम शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो जनप्रचलित हैं तथा जिन्हे समझने मे सामान्य जनता को कोई कठिनाई नही होती।

इस प्रसग मे केवल फारसी शब्दो का उल्लेख किया गया। इस दृष्टि से एक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी मे अरबी शब्द भी काफी हैं, उनकी सख्या दो हज़ार से कुछ ऊपर है, किंतु वे सारे-के-सारे फारसी के माध्यम से ही आए हैं, सीधे अरबी से नही। इसीलिए हिन्दी-उर्दू आदि मे उन्हे अरबी शब्द न मानकर फारसी शब्द ही मानना वैज्ञानिक है। हाँ चूँकि तुर्क सीधे भारत आए थे, और हमारे कई बादशाह तुर्क थे, अत तुर्की की स्थिति थोडी भिन्न है। उससे हिन्दी मे लगभग सवा सौ शब्द आए हैं, जो फारसी मे भी प्रचलित है। ऐसी स्थिति मे उन शब्दो को फारसी मे ही समाहित कर सकते है, या फिर उन्हे सीधे तुर्की भाषा से आया भी माना जा सकता है।

हिंदुस्तानी को हिन्दी और उर्दू दोनो का आधार माना जा सकता है।

उर्दू—हिंदुस्तानी पर आधारित वह शैली है, जिसका व्याकरण प्राय पूरा-का-पूरा वही हिंदुस्तानी के समान है। अपवाद केवल तत्पुरुष समास के उल्टे रूप ('रियासत-सदर' के स्थान पर 'सदर-ए-रियासत') या बहुवचन के रूप (हुक्म-अहकाम, शेर-अशआर, गरीब-गुरबा, किताब-कुतुब, मसजिद-मसाजीद, ख्याल-ख्यालात) आदि हैं। हाँ, अपने शब्द-भडार मे उर्दू हिंदुस्तानी मे प्रयुक्त शब्दो के

अतिरिक्त, फारसी (अरबी, तुर्की, पश्तो भी) के उन शब्दो का भी प्रयोग करती हैं जो हिंदुस्तानी तथा हिन्दी मे बिल्कुल प्रचलित नही है, तथा जिन्हे सामान्य जनता नही समझती। जैसे कुद्दूस (पवित्र), चहारशबा (बुधवार), तथा नाफिर (नफरत करनेवाला) आदि। उर्दू अपने पारिभाषिक शब्द प्राय अरबी या फारसी से लेती है।

उर्दू की भी दो-तीन उपशैलियाँ हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली उपशैली मे कहेगे 'खत लिखना है' 'चिट्ठी लिखनी है', किंतु लखनऊ उपशैली मे कहेगे 'खत लिखना है' 'चिट्ठी लिखना है'। ऐसे ही कभी-कभी एक हैदराबादी उपशैली का भी उल्लेख किया जाता है।

हिन्दी—यह वह भाषा है जो व्याकरण के स्तर पर तो हिंदुस्तानी है, किंतु अपने शब्द-भडार मे हिंदुस्तानी मे प्रयुक्त सारे शब्दो के अतिरिक्त बहुत सारे सस्कृत के ऐसे तत्सम शब्दो का भी प्रयोग करती है जो हिंदुस्तानी तथा उर्दू मे नही व्यवहृत होते। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार यह भाषा सस्कृत की धातुओ, उपसर्गों तथा प्रत्ययो की सहायता से अपने लिए नये शब्दो का निर्माण करती है। कहना न होगा कि पारिभाषिक शब्दावली की कमी पूरी करने के लिए हिन्दी ने पिछले तीस वर्षों मे दसियो हज़ार ऐसे शब्द बनाए हैं। यही नही, हिन्दी ने अनेक व्याकरणिक रूप भी सस्कृत से लिए हैं जैसे 'मनसा-वाचा-कर्मणा', 'येन-केन-प्रकारेण', 'सामान्यतया', 'मुख्यतया', 'हठात्', 'सयोगवशात्', 'मम', 'तव' आदि।

हिन्दी की उपर्युक्त तीन मुख्य शैलियाँ हैं, जिन्हे मेरे विचार मे हिंदुस्तानी की तीन शैलियाँ कहना अधिक समीचीन होगा, क्योकि हिंदुस्तानी के व्याकरणिक और कोशीय (शब्द) तत्त्व तीनो शैलियो मे हैं। हिंदुस्तानी मे ही कुछ फारसी तत्त्व (व्याकरणिक और कोशीय) जोडने पर उर्दू बन जाती है, और इसी प्रकार हिंदुस्तानी मे ही कुछ सस्कृत तत्त्व (व्याकरणिक और कोशीय) जोडने पर हिन्दी बन जाती है।

इधर कुछ अपेक्षाकृत नए हिन्दी लेखक, उर्दू और हिन्दी के विशिष्ट तत्त्वो को एक मे मिलाकर एक नई शैली जनमाने का भी यत्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वे एक ही वाक्य या पैराग्राफ मे मतव्यवान, निष्पक्ष, सश्लिष्टता, सस्मरणात्मक स्तर के सस्कृत शब्दो तथा जायज़ा, नज़रिया, मुशियाना, ग़ैरजानिबदारी, स्तर के फारसी शब्दो का साथ-साथ प्रयोग करते हैं। इस गगा-जमुनी शैली का निश्चित रूप से अपना खटमिट्ठा सौंदर्य है।

शैलीय स्तर पर आज भी काफी लोग समस्तरीय शब्दो का प्रयोग शैलीय सौंदर्य मानते हैं। अर्थात् यदि सरल हिंदुस्तानी शब्दो का प्रयोग किया जाए तो आदि से अत तक ऐसा ही करें, यदि फारसी अलफाज का इस्तेमाल हो तो शुरू से आखीर तक हो, और यदि उच्च सस्कृत शब्दावली प्रयुक्त की जाए तो आद्यत। किंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस सामान्य धारणा से अगल हटकर किए जा

रहे प्रयोग भी अग्राह्य नही माने जा सकते। एक उदाहरण पर्याप्त होगा

'अपनी रोमानी दृष्टि की वजह से ही नामवर को राजेन्द्र यादव के यहाँ उनके इस भाषा रुख से शिकायत है कि वे कहानियो मे निबन्धात्मक रवैया अपनाते है, लेकिन नाइत्तिफाकी उन्हे इस सबब भी है कि यादव कथा-गद्य मे काव्य-पक्तियाँ उद्धृत करते है और काव्यात्मक अनुभूतियाँ या अनुभूति-चित्रो का उपयोग करते हैं, यानी यादव अपने अनुभूति-चित्रो से कविता-जैसा प्रभाव जरूरत-मुताबिक कहानी मे पैदा कर ले जाते है, यह शिकायततलब है, और शिकायततलब यह भी है कि यादव की कथा-भाषा निबधात्मक हो उठती है कि बहरहाल इसका उत्तर देना क्या जरूरी है और कि उत्तर भी चाहे जैसा हो, वह शिकायत के लिए गुजाइश नही छोडेगा ? जब तबीयत ही शिकायताना पाई हो तो चीजो का सही-गलत होना कोई माइने नही रखता गोकि ' (नई कहानी प्रकृति और पाठ—श्री सुरेन्द्र, पृ० 20)

इसका प्रारभिक अश सामान्यत 'अपनी रोमानी दृष्टि के कारण' अथवा 'अपने रोमानी नजरिए की वजह से' रूप मे मिलना चाहिए था। किंतु लेखक ने इसमे दोनो शैलियो को मिला दिया है। इस पुस्तक की पूरी भूमिका, जो लगभग सौ पृष्ठो की है, प्राय इसी शैली मे है।

3

अच्छी भाषा के गुण

'अच्छी हिन्दी' पर विचार करने के पूर्व भूमिकास्वरूप यह प्रश्न उठाना अप्रासगिक न होगा कि अच्छी भापा के लिए कौन-कौन से गुण अपेक्षित है। यो तो इस सवध मे काफी मतभेद की गुजाइश है, किंतु मेरे विचार मे अच्छी भापा की मुख्य अपेक्षाएँ तीन हैं शुद्धता, सुवोधता, प्रभाविता। यहाँ इन तीनो पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

भापा की शुद्धता

अच्छी भापा के लिए सवसे आवश्यक है उसका शुद्ध होना। भापा की शुद्धता का अर्थ यह है कि उसमे, उस भाषा के मानक रूप का किसी भी स्तर पर उल्लघन न हो। उसमे निम्नाकित वाते मुख्य रूप से आती हैं

(1) **शुद्ध उच्चारण**—इसका सवध वोलने की भापा से है। इसके अतर्गत मुख्यत इन वातो का ध्यान रखना चाहिए

(क) **स्वर-व्यजन का ठीक उच्चारण**—भापा स्वर और व्यजनो से वनी होती है। उच्चारण के स्तर पर सवसे अधिक महत्व उनका ही होता है। इसमे मूल स्वर, सयुक्त स्वर, मूल व्यजन, सयुक्त व्यजन इन चार का उच्चारण आता है। हिन्दी से उदाहरण लेना चाहे तो 'वस्तु' का 'वस्तू' या 'भक्ति' का 'भक्ती' मूल स्वर विपयक अशुद्धि है तो 'घास' का 'घास' या 'जौ' का 'जौं' मौखिक स्वर को अनुनासिक कर देने की अशुद्धि है। ऐसे ही 'शहर' का 'सहर', या 'विद्यार्थी का 'विद्यार्थी' मूल व्यजन की अशुद्धि है और 'रक्षा' का 'रच्छा' सयुक्त व्यजन की अशुद्धि है।

(ख) **अनुतान और वलाघात का ठीक प्रयोग**—वोलने मे तरह-तरह के वाक्यो का लहजा या अनुतान अलग-अलग होता है 'राम गया।' 'राम गया ?' 'राम गया !' के वोलने के उतार-चढाव का ही अतर है। इसे अनुतान कहते हैं। वोलने मे सुर के इस उतार-चढाव का

ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा सूचना-सूचक वाक्य प्रश्नसूचक हो जाएगा या प्रश्नसूचक आश्चर्यसूचक।

शब्द या वाक्य आदि मे सर्वत्र समान बल नही देते। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी मे present को यदि क्रिया रूप मे प्रयोग करना हो तो sent पर बल दिया जाएगा किंतु यदि सज्ञा रूप मे करना तो pre पर बल होगा। यही बलाघात है। वाक्य के स्तर पर भी बलाघात पर ध्यान देना आवश्यक है। 'मुझे एक खिडकीवाला मकान चाहिए।' वाक्य मे 'एक' पर 'बल देने' और 'न देने' से अर्थ मे अतर पडेगा। बल हो तो अर्थ होगा 'ऐसा मकान जिसमे केवल एक खिडकी हो' बल न हो तो अर्थ होगा 'खिडकीवाला' अर्थात् 'हवादार'। इस तरह शब्द तथा वाक्य दोनो मे बलाघात का ठीक प्रयोग आवश्यक है।

(ग) **बोलते समय शब्दो, पदबधो, उपवाक्यो और वाक्यो के बीच उचित विराम**—यह भी आवश्यक है, अन्यथा 'तुम हारे' 'तुम्हारे' हो जाएगा तो 'समझ आया' 'समझाया', 'जल सा' 'जलसा', 'सरक आया' 'सरकाया' तथा 'निकल आ' 'निकला' आदि।

(2) **शुद्ध लेखन**—इसका सबध लिखित भाषा से है। इसमे दो बातो का ध्यान रखना आवश्यक है

(क) **शुद्ध वर्तनी**—अशुद्ध वर्तनी लिखित भाषा को भ्रष्ट तो करती ही है कभी-कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है जाति—जाती, शेर—सेर, क्षात्र—छात्र, ज़रा—जरा, खाना—खाना।

(ख) **विराम-चिह्नो का ठीक प्रयोग**—ऐसा न करने से कभी तो अर्थ अस्पष्ट हो जाता है 'जाओ मत बैठो।' और कभी अर्थ कुछ का कुछ हो जाता है 'सुदर फूल और पत्ते।'

'जाओ मत बैठो' का कोई अर्थ नही है, अर्थ है तो 'जाओ, मत बैठो' या 'जाओ मत, बैठो' का है। इसी प्रकार 'सुदर फूल, और पत्ते' को यदि 'सुदर फूल और पत्ते' लिखा जाए तो 'सुदर' केवल 'फूल' का विशेषण न रहकर पत्ते का भी विशेषण हो जायगा। ऐसे ही—

मोहन पास हो गया

अस्पष्ट भी है, और उलटे अर्थ का बोधक भी हो सकता है, क्योकि इन तीनो मे अतर है

मोहन पास हो गया।
मोहन पास हो गया?
मोहन पास हो गया!

(3) **व्याकरणिक शुद्धता**—भाषा की व्याकरणिक शुद्धता निम्नाकित बातो पर निर्भर करती है

(क) **शुद्ध शब्द-रचना**—शब्द-रचना की शुद्धता कई दृष्टियो से देखी जाती

चाहिए। पहली बात तो यह है कि शब्द-रचना व्याकरण-सम्भव तत्त्वो के मेल से हुई हो। जैसे कोई व्यक्ति 'सौंदर्यता' शब्द का प्रयोग करे तो यह शब्द शब्द-रचना की दृष्टि से गलत है। 'सुदर' से या तो 'सुदरता' बनेगा या 'सौदर्य', 'सौदर्यता' नही, क्योकि 'ता' और 'य' दोनो प्रत्ययो का प्रयोग एक साथ नही हो सकता। शब्द-रचना सबधी दूसरी बात है शब्द-रचना के दौरान होनेवाले ध्वनि-परिवर्तनो का समुचित ध्यान रखना। उदाहरण के लिए 'अतर्कथा', 'मनोकामना', 'उज्वल', 'अतर्प्रान्तीय' जैसे शब्द अपनी शब्द-रचना मे अशुद्ध है अतस्+कथा, मनस्+कामना, उत+ज्वल, अतस्+प्रातीय की सधि 'अत कथा', 'मन कामना', 'उज्ज्वल', 'अत प्रान्तीय' रूप मे होगी न कि अतर्कथा, मनोकामना, उज्वल, अतर्प्रान्तीय रूप मे। ऐसे ही 'इक' प्रत्यय जोडने पर आदिवृद्धि सस्कृत तथा हिन्दी व्याकरण की दृष्टि से आवश्यक है। इसीलिए 'व्यवहारिक', 'भूगोलिक' 'इतिहासिक' जैसे शब्द अशुद्ध हैं। इन्हे 'व्यावहारिक', 'भौगोलिक' तथा 'ऐतिहासिक' होना चाहिए।

(ख) **शुद्ध रूप-रचना**—रूप-रचना की शुद्धता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए बहुत-से लोगो द्वारा व्यवहृत रूप 'करा', 'भया', 'करिए', 'करिएगा', 'मेरे को', 'तुम्हारे से', 'हमारे पर' अशुद्ध है। हिन्दी मे स्वीकृत मानक रूप क्रमश 'किया', 'हुआ', 'कीजिए', 'कीजिएगा', 'मुझे' या 'मुझको', 'तुम्हे' या 'तुमको' तथा 'हम पर' हैं।

(ग) **शुद्ध वाक्य-रचना**—व्याकरणिक शुद्धता मे सबसे महत्वपूर्ण वाक्य-रचना की शुद्धता है, क्योकि सबसे अधिक अशुद्धियाँ इसी की होती हैं। वाक्य-रचना की अशुद्धियाँ मुख्यत लिंग-वचन के अन्वय, पदक्रम, पदबंध-क्रम, उपवाक्य-क्रम, पुनरावृत्ति अतिरिक्त शब्द-प्रयोग आदि विषयक होती हैं। उदाहरण के लिए—

(i) लिंग— बुद्ध जैसा महान् चरित्र भारत की ही देन थी। (अशुद्ध)
बुद्ध जैसा महान् चरित्र भारत की ही देन था। (शुद्ध)

(ii) वचन—(अ) मेरे अहोभाग्य, आपका दर्शन हुआ। (अशुद्ध)
मेरे अहोभाग्य, आपके दर्शन हुए। (शुद्ध)

(आ) देखते ही देखते उसका प्राण निकल गया। (अशुद्ध)
देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। (शुद्ध)

(iii) क्रम—(अ) प्यास लगी है, एक पानी का गिलास लाइए। (अशुद्ध)
प्यास लगी है, पानी का एक गिलास लाइए। (शुद्ध)
एक फूलो की माला ले आना। (अशुद्ध)

फूलों की एक माला ले आना। (शुद्ध)

(आ) (वह) आदमी, जो कल आया था, आज जा रहा है। (अशुद्ध)

जो आदमी कल आया था, आज जा रहा है। (शुद्ध)

(iv) पुनरावृत्ति—वाक्य में कई प्रकार की पुनरुक्तियाँ हो जाती हैं। उनसे बचना चाहिए। उदाहरणार्थ—

(अ) मेहरबानी करके मेरे यहाँ पधारने की कृपा करें। (अशुद्ध)

मेहरबानी करके मेरे यहाँ पधारें। (शुद्ध)

मेरे यहाँ पधारने की कृपा करें। (शुद्ध)

(आ) केवल पानी ही लूँगा। (अशुद्ध)

केवल पानी लूँगा। (शुद्ध)

पानी ही लूँगा। (शुद्ध)

(इ) वे सदैव ही बीमार रहते हैं। (अशुद्ध)

वे सदैव बीमार रहते हैं। (शुद्ध)

(ई) सारी सामग्री को चार वर्गों में वर्गीकृत करें। (अशुद्ध)

सारी सामग्री के चार वर्ग बनाएँ। (शुद्ध)

(v) अतिरिक्त शब्द-प्रयोग—वाक्य में जितने शब्द आवश्यक हैं, उतने ही आने चाहिए। बहुत से लोग अतिरिक्त शब्दों या भाषिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य में कुछ भोंडापन आ जाता है या वह अमानक बन जाता है। कुछ उदाहरण हैं—

(क) आँखों से देखी एक घटना सुनाता हूँ। (अशुद्ध)

आँखों-देखी एक घटना सुनाता हूँ। (शुद्ध)

(ख) पहले इस काम को कीजिए फिर··· (अशुद्ध)

पहले यह काम कीजिए फिर (शुद्ध)

रोटी को खाना आसान है पर उसे पैदा करना (अशुद्ध)

रोटी खाना आसान है पर उसे पैदा करना (शुद्ध)

(ग) इन दिनों शीला वहाँ नहीं जाती है। (अशुद्ध)

इन दिनों शीला वहाँ नहीं जाती। (शुद्ध)

सुबोधता

बहुत से लोग अपनी शैली को कठिन और दुर्बोध बनाने में अपनी गरिमा समझते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि अच्छी भाषा को दुर्बोध नहीं होना चाहिए। भाषा का चरम लक्ष्य होता है प्रयोक्ता के भावों और विचारों का संप्रेषण।

यदि भाषा दुर्बोध होगी तो निश्चय ही भाषा अपने लक्ष्य तक नही पहुँच पाएगी, ठीक सप्रेषण नही हो सकेगा, और किसी का भी, अपने लक्ष्य तक न पहुँच पाना ही उसकी सबसे बडी असफलता है।

सुबोधता का ध्यान दो धरातलो पर रखा जाना चाहिए शब्द और वाक्य-रचना।

जहाँ तक शब्दो के प्रयोग का प्रश्न है, अच्छा लेखक भरसक सरल शब्दो का प्रयोग करता है। भारतीय काव्यशास्त्र मे 'प्रसाद' का गुणो तथा 'क्लिष्टार्थ' का दोषो मे शामिल किया जाना इस बात का प्रमाण है कि वे प्राचीन आचार्य भी सुबोधता को भाषा का गुण मानते थे। किंतु सरल शब्द के प्रयोग का अर्थ यह नही कि कथ्य या अर्थ का बलिदान करके भी भाषा मे सरलता लाई जाए। इसका अर्थ, मात्र यह है कि जो बात सरल शब्दो मे कही जा सकती है, उसे जान-बूझकर कठिन शब्दो मे कहना गुण नही है।

इस प्रसग मे एक-एक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। शास्त्रो और विज्ञानो की भाषा अपने सहज रूप मे जटिल होती है। उसका मुख्य कारण होता है पारि-भाषिक शब्दो का प्रयोग। उदाहरण के लिए कानून, गणित, तर्कशास्त्र आदि के ग्रथ उस विषय के न जाननेवाले की समझ मे नही आ सकते, किंतु इसे अवगुण नही माना जा सकता। वास्तविकता यह है कि 'भाषा की सुबोधता' सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नही। हर विषय की भाषा की सुबोधता का स्तर अलग-अलग होता है, और उसी परिप्रेक्ष्य मे भाषा के प्रयोक्ता को अपनी भाषा मे सुबोधता लाने का यत्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कहानी की भाषा की सुबोधता एक प्रकार की होगी, तो व्याकरण की भाषा की सुबोधता दूसरे प्रकार की, आलोचना की तीसरे प्रकार की और न्यायशास्त्र आदि अन्य-अन्य विषयो की अन्य-अन्य प्रकार की।

भाषा मे सुबोधता या दुर्बोधता का दूसरा स्तर वाक्य-रचना है। शब्द-दुर्बोधता की तुलना मे यह वाक्य-दुर्बोधता, भाषा के अच्छी होने के रास्ते मे अधिक बडा रोडा अटकाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि पाठक दुर्बोध शब्द का अर्थ तो शब्दकोश मे देख सकता है, किंतु सरल शब्दो से बने दुर्बोध वाक्य का अर्थ समझने मे कोई भी सदर्भ-ग्रथ उसकी सहायता नही कर सकता। वाक्य-दुर्बोधता मुख्यत चार-पांच स्थितियो मे मिलती है।

पहली स्थिति तब होती है जब लेखक के विचार सुलझे नहीं होते। यह प्राय निश्चित है कि उलझे विचारो का लेखक सुबोध और सुलझे वाक्य नहीं लिख पाता। इसीलिए ऐसा भी देखने मे आता है कि किसी विषय मे किसी लेखक के विचार सुलझे हुए हैं तो उस विषय पर लिखते समय उसके वाक्यो मे उलझाव नहीं होता, किन्तु यदि वह किसी ऐसे विषय पर लिख रहा है, जिसमे उसके विचार उलझे है तो उसके वाक्य भी पेचीदे और दुर्बोध हो जाते हैं।

दूसरी स्थिति तब आती है जब लेखक जाने-अनजाने, सबको बताते हुए या सबसे छिपाते हुए किसी अन्य भाषा से अनुवाद कर रहा होता है, और मूल सामग्री पचाए बिना अधकचरे अनुवाद की भाषा मे उसे कहने का प्रयास कर रहा होता है। जो अनुवादक मँजे हुए नही होते, उनकी भाषा मे यह बात प्राय मिलती है। हिन्दी मे भाषाविज्ञान, मनोविज्ञान तथा राजनीतिविज्ञान के कई ऐसे अनुवाद मैंने देखे हैं, जिनको मूल को सामने रखे बिना समझना कठिन ही नही प्राय असभव-सा है।

तीसरी स्थिति तब आती है जब लेखक जानबूझकर अपनी बात को घुमा-फिरा कर कहना चाहता है। अज्ञेय का एक लेख 'नया प्रतीक' (दिसबर 1973 'जो मारे नही गए वे भी चुप हैं') मे प्रकाशित हुआ था, जिसमे दुर्बोधता का यह गुण (?) जान-बूझकर लाया हुआ ज्ञात होता है। उसका एक वाक्य जो लगभग पौने दो सौ शब्दो का है (दे० प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'शैलीविज्ञान' मे पृष्ठ 84 पर) सायास लाई गई दुर्बोधता का स्पष्ट प्रमाण है।

कुछ लोगो का व्यक्तित्व ही उलझाव से भरा होता है, अतः उनके चिंतन मे भी उलझाव होता है। ऐसे लोगो के वाक्यो मे सुबोधता का अभाव उनके उलझे चिंतन का परिणाम होता है। जैनेन्द्र जी मे इस प्रकार के वाक्य प्राय मिलते हैं।

पाँचवी प्रकार की वाक्य-दुर्बोधता इलियट जैसे कवियो या वर्जीनिया वुल्फ जैसे कथाकारो मे मिलती है, जो अपनी वाते तर्कपूर्ण ढग से रखने मे विश्वास नही रखते, वल्कि वे जिस प्रकार अनगढ रूप मे सोचते हैं, ठीक वैसे ही, बिना उसे व्यवस्थित रूप दिए, व्यक्त कर देते है। उनके वाक्य एक प्रकार से भाषा-पूर्व (prespeech) वाक्य होते हैं, असवद्ध, अटपटे और अनगढ।

प्रभाविता

ऐसा हम प्रायः पाते है कि वहुत से लोग अपने लेखन, भाषण या वातचीत मे शुद्ध और सुवोध भापा का प्रयोग तो करते है, किन्तु उनकी भापा प्रभावशाली नही होती। अच्छी भापा के लिए यह वहुत आवश्यक है कि वह प्रभावी भी हो। अपनी भापा को शुद्ध और सुवोध तो काफी लोग बना सकते है, किन्तु उसे प्रभावशाली वनाना सवके वस की वात नही। इसका मुख्य कारण यह है कि भाषा की प्रभाविता केवल भापा-नियमो के अध्ययन, सतर्कता और अभ्यास आदि से नही आती, वह एक सीमा तक व्यक्ति की सहजात वृत्ति से सवद्ध होती है। प्रभावी भापा का सवध सर्जनशील प्रतिभा से होता है, इसीलिए इसका दर्शन कवियो, लेखको और प्रतिभासपन्न वक्ताओ मे ही होता है, सामान्य लोगो मे नही। इसके वावजूद यह भी एक तथ्य है कि प्रभावशाली भाषा के प्रयोक्ताओ की कृतियो के अध्ययन, अभ्यास और प्रयास से एक सीमा तक सभी लोग अपनी भापा मे यह गुण ला सकते हैं।

भापा की प्रभाविता साहित्यिक कृतियो मे अपने चरम रूप मे मिलती है,

जिसके मुख्य आधार है चयन, विचलन, समानातरता, अप्रस्तुतो का प्रयोग तथा इन सभी का सुसमायोजन। सच पूछा जाय तो रोज की सामान्य और सपाट भापा प्रभावशाली नही होती। प्रभावशाली भाषा वह होती है, जिसका निर्माण, उसके प्रयोक्ता द्वारा चयन, विचलन आदि उपर्युक्त साधनो द्वारा किया जाता है। यह भाषा, सामान्य और सपाट भाषा से इस वात मे भिन्न होती है कि उसमे शैलीय तत्त्व आ जाते हैं। इसका आशय यह हुआ कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए शैलीय तत्त्वो को लाना आवश्यक है। जो लेखक, कवि या वक्ता अपनी भापा मे शैलीय तत्त्व जितने अधिक लाता है, तथा उनका जितना अच्छा समायोजन कर पाता है, उसकी भाषा उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती है। यहाँ इन शैलीय तत्त्वो को सक्षेप में देखा जा सकता है

चयन—'चयन' का अर्थ है अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्राप्त पर्याय शब्दो और अभिव्यक्तियो मे उपयुक्त का चयन। चयन के मुख्य आधार तीन हैं (क) **ध्वनि**—यदि अर्थ मे कोई अतर नही है तो शब्द मे प्रयुक्त ध्वनियो पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और विषय तथा सदर्भ के अनुकूल ध्वनिवाले शब्दो का चयन होना चाहिए। भारतीय काव्यशास्त्र मे 'माधुर्य गुण' के लिए मधुर ध्वनिवाले शब्दो का 'चयन' तथा 'ओज गुण' के लिए उसके अनुरूप ध्वनिवाले शब्दो का 'चयन' की वात इसीलिए की गई है। उसका उद्देश्य भाषा की प्रभाविता को वढाना ही है। (ख) **अर्थ**—पर्यायो मे यदि अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म अतर है तो सटीक अर्थवाले शब्द का चयन करना चाहिए। ऐसा न करने से अभिव्यक्ति शिथिल हो जाती है और ठीक अर्थ का सप्रेपण नही कर पाती। (ग) **अल्पप्रयुक्तता**—ध्वनि और अर्थ की दृष्टि से यदि एकाधिक शब्द या अभिव्यक्तियाँ उपयुक्त हो, तो उनमे उसे चुनना चाहिए जा प्रयुक्त होते-होते वहुत घिस-पिट न गई हो। घिसे-पिटे शब्द प्राय प्रभावहीन हो जाते है। सामान्य अभिव्यक्ति की तुलना मे मुहावरे इसीलिए अधिक प्रभावी होते है। 'उन दोनो मे वहुत फर्क है' की तुलना मे 'उन दोनो मे ज़मीन-आसमान का फर्क है' कि प्रभविष्णुता इसी का परिणाम है।

विचलन—'विचलन' का अर्थ है 'चलन' या 'सामान्य भापा के प्रयोगो से हटकर प्रयोग'। भापा को सवसे अधिक प्रभावशाली वनानेवाला तत्त्व यही है। छायावादी काव्य की भापा ने इस साधन का पूरा उपयोग किया है घायल आँसू (प्रसाद, चन्द्रगुप्त), विकल रागिनी (प्रसाद, आंसू), शीतल ज्वाला (प्रसाद, आसू), स्वप्निल मुस्कान (पत, पल्लव), निद्रित स्वप्न (पत, पल्लव), घटा अधीर (महादेवी, दीपशिखा), विखर झर जाने दे प्राचीन (निराला, अनामिका), रजित चितवन (निराला, परिमल), गाती यमुना (निराला, परिमल), नीरव भापा (निराला, परिमल)। विशेपण-विपर्यय तथा मानवीकरण नाम मे अभिहित ये काव्य-सौदर्य तत्त्वत विचलन ही हैं। ये विचलन इस रूप मे है कि सामान्य भापा

मे 'घायल' विशेषण का प्रयोग 'आँसू' के साथ न होकर किसी जीव के साथ होता है। ऐसे ही 'विकल' भी कोई जीव होगा जीवेतर 'रागिनी' नही। अन्यो मे भी यही बात है। किसी भी देश का किसी भी काल का साहित्य क्यो न ले ले, विचलन के उदाहरण अवश्य मिल जाएगे। विचलन प्राय दो प्रकार का होता है विशेषण +विशेष्य का, सज्ञा+क्रिया का। निष्कर्षत भाषा को प्रभावशाली वनाने के लिए 'विचलन' का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए।

समानातरता—दो या अधिक समान या विरोधी वातो को साथ-साथ या समानातर रखना समानातरता है। इससे भी अभिव्यक्ति का आकर्षण वढ जाता है **जीने के** लिए खाओ, खाने के लिए मत **जियो**। अज्ञेय की एक कहानी मे आता है 'ससार की **अपूर्ण विशालता मे विशाल अपूर्णता** मे एक तथ्य मिलता है,' 'उसमे कोई **नूतनता नहीं** है, वह **चिरनूतन** है।' इसका सारा आकर्षण समानातरता मे ही है। ऐसे ही आचार्य रामचद्र शुक्ल अपने प्रसिद्ध निवध 'लोभ और प्रीति' मे लिखते हैं, 'लोभियो, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इद्रिय-निग्रह, तुम्हारी मानापमान-समता, तुम्हारा तप **अनुकरणीय** है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक **विगर्हणीय** है। तुम **धन्य** हो, तुम्हे **धिक्कार** है!' सामान्य वोलचाल मे भी अपनी वात को प्रभावी ढग से प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग लोग खूब करते है, 'वह पढा-लिखा तो है पर उसने पढा-लिखा नही है', 'वह ससार मे रहकर भी ससार मे नही रहता,' 'वह भोगी होकर भी योगी है और योगी होकर भी भोगी है' इत्यादि।

अप्रस्तुतो का प्रयोग—सादृश्यमूलक उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, आदि अलकारो के रूप मे 'उपमान' या 'अप्रस्तुत' का प्रयोग, अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावी वनाने के लिए प्राय किया जाता है 'आज तो वह **शेर की तरह** दहाड रहा है,' 'वस, मुझे देखते ही **भीगी बिल्ली** वन गए।' साहित्य मे भी इसके प्रयोग खूब मिलते हैं—

नयन-गेह से निकले आँसू ऐसे डरे-डरे।
भीड-भरा चौराहा जैसे कोई पार करे। (कुँवर नारायण)

हलकी मीठी चा-सा दिन (शमशेर वहादुर सिंह)

यह उदास दिन
पेंशन पाए चपरासी-सा (केदारनाथ अग्रवाल)

तो ये है भाषा को प्रभावी वनाने के साधन। इनके प्रयोक्ता को इनका प्रयोग करने मे यह सतर्कता भी वरतनी चाहिए कि इन साधनो का आपस मे पूरा सामजस्य हो, इन सवका अच्छी तरह समायोजन हो।

हिन्दी का मानक रूप : कुछ व्यावहारिक समस्याएँ और कठिनाइयाँ

प्रस्तुत पुस्तक का नाम है 'अच्छी हिन्दी'। हम पीछे देख चुके हैं कि 'अच्छी भाषा' की पहली शर्त है उसके शुद्ध मानक रूप का प्रयोग। किंतु दिक्कत यह है कि हिन्दी के शुद्ध मानक रूप का प्रयोग समग्र हिन्दी जनता के लिए बहुत सरल नही है। इसका कारण यह है कि अनेक कारणो से, जिस प्रकार भारतीय संस्कृति मे अनेकरूपताएँ है, उसी प्रकार हिन्दी के व्यवहृत रूप मे भी है। फिर भी जैसा कि हम आगे देखेंगे, अनेकरूपता मे भी एकरूपता को पा और स्थापित कर लेना बहुत कठिन नही है, वैसे ही जैसे भारतीय संस्कृति की अनेकरूपताओ मे भी एकरूपता के सूत्र है और इसीलिए 'भारतीय संस्कृतियाँ' जैसी कोई चीज़ नही है, अपितु भारतीय संस्कृति है।

पहली और सबसे बडी कठिनाई यह है कि मानक हिन्दी किसी की भी सच्चे अर्थो मे मातृभाषा नही है, या यदि कुछ लोगो की हो भी तो ऐसे लोग एक प्रतिशत से भी कम होंगे, अत उनका हिन्दी मातृभाषी होना कोई मायने नही रखता। अधिकाश हिन्दी-भाषी जनता अपने घरो मे व्रज भाषा, कौरवी, हरियानी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि विभिन्न वोलियाँ वोलती हैं, जो हिन्दी प्रदेश मे वोली जाती हैं और हिन्दी की वोलियाँ कही जाती हैं। यह ध्यान देने की वात है कि इन सभी वोलियो की अपनी ध्वनियाँ हैं, अपनी ध्वनि-व्यवस्था है, उनका अपना व्याकरण है, शब्द-भडार है, उनके अपने मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। वचपन मे ही इन अलग-अलग वोलियो के वोलनेवालो के मन-मस्तिष्क मे ये वोलियाँ इतनी रच-पच गई हैं, कि ये लोग जब मानक हिन्दी का प्रयोग करने चलते हैं, तो उनके मन-मस्तिष्क मे रची-पची अपनी-अपनी वोलियो की ध्वनियाँ, व्याकरण, शब्द-भडार आदि व्यवधान रूप मे रास्ते मे आ जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वोलनेवाला अपनी वोली से मिश्रित हिन्दी जो मानक हिन्दी से हटी हुई होती है, वोलने लगता है। मानक भाषा से यह हटाव या विचलन, ध्वनि, रूप, वाक्य, शब्द और अर्थ सभी क्षेत्रो मे होता है। मैं भाषाविज्ञान और व्याकरणशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अत कान आवश्यकता से कुछ अधिक ही खुले रहते हैं। यह बडी स्पष्टता

से मैं कह सकता हूँ कि अभी आज तक पूरब, पश्चिम, दक्खिन और उत्तर कहीं के भी किसी भी हिन्दी विद्वान् को शुद्ध मानक हिन्दी बोलते मैंने नही सुना। शायद शुद्ध मानक हिन्दी बोलना सभव भी नहीं है। उसका मानक रूप मात्र कल्पना है, और मुझे तो लगता है किसी भी भाषा का वास्तविक व्यवहार मे कोई एक मानक रूप नही होता। यदि हर व्यक्ति का नही तो कम-से-कम हर क्षेत्र या बोली-क्षेत्र का अपना मानक रूप होता है, और उन्ही के समन्वय के आधार पर मानक रूप की सकल्पना की जाती है। हिन्दी के विषय मे यही सत्य है।

दूसरी समस्या यह है कि बहुत से हिन्दी बोलनेवाले और हिन्दी साहित्यकार ऐसे भी है जिनकी मातृभाषा पजाबी, गुजराती, मराठी, बागला आदि हिन्दीतर भारतीय भाषाएँ है। जैसा कि स्वाभाविक है इनके द्वारा प्रयुक्त हिन्दी इन भाषाओ से प्रभावित होती है। इतना ही नही, कई हिन्दी-इतर भाषाओ के भाषी, अधिक लोगो द्वारा पढे जाने, अथवा आर्थिक लाभ (हिन्दी मे पुस्तके अन्य अनेक भारतीय भाषाओ की तुलना मे अधिक बिकती है), अथवा हिन्दी से सबद्ध अपने व्यवसाय के कारण हिन्दी मे लिखते है। जैसा कि स्वाभाविक है इनके द्वारा लिखित साहित्य की हिन्दी मानक हिन्दी न होकर किसी-न-किसी रूप मे इनकी अपनी-अपनी भाषाओ से प्रभावित होती है। और इन पुस्तको के पाठको के मन पर हिन्दी का जो सस्कार पडता है, वह उस हिन्दी का नही होता जिसे सच्चे अर्थों मे मानक कहा जाए।

स्वतत्रता-प्राप्ति या भारत-विभाजन के बाद काफी पजाबी, मुल्तानी, सिधी तथा बगाली लोग हिन्दी प्रदेश मे आकर बस गए है, और इनका भी जगह-जगह प्रभाव पडा है। उदाहरण के लिए दिल्ली की हिन्दी पजाबी से बहुत अधिक प्रभावित हुई है, जिसके कारण दिल्ली के नई पीढी के ठेठ हिन्दी भाषी को भी मानक हिन्दी सीखने का उपयुक्त अवसर नही मिला। दिल्ली का हिन्दी-समाज पजाबी प्रभावित हिन्दी को ही मानक हिन्दी समझने लगा है, जिसे लखनऊ या बनारस का हिन्दी-भाषी प्राय गलत मानता है। उदाहरण के लिए दिल्ली की हिन्दी मे 'मोटी आँख', 'रोटी सड (जल) गई', 'मैंने जाना है', जैसे प्रयोग खूब सुनाई पडते हैं, जो पजाबी के प्रभाव से आए है।

एक परेशानी हिन्दी की विशालकायता तथा हिन्दी-भाषी व्यक्तियो की विशाल सख्या की भी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रो के लोगो को मिलने-जुलने का अवसर नही मिलता, अत इतने बडे क्षेत्र मे और इतने अधिक लोगो मे (जिन पर क्षेत्रीय बोलियो तथा पास के हिन्दी प्रभाव का दबाव पडता जा रहा है, बढता जा रहा है) किसी एक मानक रूप का बने रहना असभव-सा है। विस्तार के लिए देखिए इस अध्याय का परिशिष्ट 'एक'।

परपरा, प्रभाव और परिवेश ने एक और प्रकार की परेशानी भी पैदा की है। कुछ लोग सस्कृत परपरा तथा आर्य समाज के प्रति आस्थावान हैं, अत

सामान्य शब्द-प्रयोग, पारिभाषिक शब्द-प्रयोग, उच्चारण (जैसे ज्ञ का ज्य), वर्तनी, शब्द-रचना, सधि आदि मे वे सस्कृत के निकट ही रहना चाहते है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी इसी परपरा मे 'राष्ट्रीय' के स्थान पर 'राष्ट्रिय' तथा 'अतर्राष्ट्रीय' के स्थान पर 'अताराष्ट्रीय' के प्रयोग की सिफारिश करते है। इस परपरा के लोग क, ख, ग, ज़, फ, ऑ के हिन्दी मे प्रयोग को अनावश्यक मानते है। दूसरी परपरा अरवी-फारसी-उर्दू के निकट रहने के पक्ष मे है। ये लोग इस परपरा के शब्द तथा क, ख, ग, ज़, फ, ध्वनियो के समुचित प्रयोग के पक्षधर हैं। तीसरी परपरा अग्रेज़ी-भक्तो की है। ये लोग अधिकाधिक अग्रेज़ी शब्दो के प्रयोग के पक्षधर हैं। ज़, फ, ऑ के समुचित प्रयोग पर भी इनका वल रहता है। इस तरह इन तीन परपराओ के प्रति अधभक्ति भी हिन्दी के मानक तथा एक रूप के निर्धारण तथा उसके प्रयोग मे वाधक वन रही है।

अत मे एक वात और। किसी भी भाषा का मानक रूप सभी प्रकार के प्रयोगो मे एक नही रहता। हर भाषा के प्रयोजन या प्रयोगानुसार अलग-अलग रूप या रूपातर भी होते है। अत मानकता के निर्धारण मे भाषा-विशेष के प्रयोजनमूलक या प्रयोजनी रूपो की अनदेखी नही की जा सकती। (विस्तार के लिए देखिए इस अध्याय का परिशिष्ट 'एक' तथा 'दो')।

परिशिष्ट एक

विश्व मे कोई भी भाषा ऐसी नही होगी जिसका प्रयोग, उसके पूरे क्षेत्र मे, सभी स्तरो पर एक प्रकार का हो। तत्त्वत भाषा की एकरूपता या उसके मानकीकरण अथवा एकरूपीकरण की वात सैद्धान्तिक ही अधिक है, व्यावहारिक नही। वास्तविकता यह है कि एक ही भाषा के स्थान तथा प्रयोग-क्षेत्र आदि के आधार पर अनेकानेक रूप ही नही, अनेकानेक परिनिष्ठित या मानक रूप भी होते हैं। उदाहरण के लिए अग्रेज़ी की ही वात लें। उसका सामान्य मानक रूप इग्लैड, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में एक नही है, और न ही साहित्य, व्यवसाय, विज्ञान, विधि दफ्तर, विज्ञापन मे प्रयुक्त अग्रेज़ी का मानक रूप एक है। व्यक्ति, प्रयोजन आदि के आधार पर भी अतिरिक्त मानक रूपो की सत्ता अस्वीकार नही की जा सकती।

वस्तुत जिस भाषा का क्षेत्र जितना ही विस्तृत होगा उसके रूप या उसकी शैलियाँ भी उतनी ही अधिक होगी। चीनी तथा अग्रेज़ी के वाद हिन्दी इस दृष्टि से विश्व की तीसरी भाषा है। भारत के वाहर, मॉरिशस, फीजी, सूरीनाम आदि मे प्रयुक्त हिन्दी की वात छोड भी दें तो भारत मे ही पजाव का कुछ भाग, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, विहार आदि मिलकर हिन्दी क्षेत्र को काफी वडा विस्तार दे देते हैं। इस क्षेत्र मे हिन्दी की हरियाणवी, पश्चिमी पहाडी, गढवाली, कुमाउँनी, मारवाडी, मेवाती, अहीरवाटी, जयपुरी, मालवी, वुदेली, ब्रजभाषा, खडी वोली, अवधी, छत्तीसगढी, भोजपुरी,

मगही, मैथिली आदि बोलियाँ आती हैं। अपवादों की बात छोड़ दें तो अधिकांश हिन्दीभाषी घर पर अपनी मातृ बोली के रूप में उन्हीं में से कोई-न-कोई बोली बोलते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ये लोग जब हिन्दी के मानक रूप का प्रयोग करते हैं तो मानक हिन्दी का उनके द्वारा प्रयुक्त रूप उनकी अपनी-अपनी बोलियों से व्यतिक्रमित होता है, और ध्वनियों का उच्चारण, शब्दों का प्रयोग वाक्य-रचना आदि में प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत संबद्ध बोलियों से प्रभावित होता है। इस तरह आदर्श रूप में हिन्दी का एक मानक रूप भले ही हो, वास्तविक प्रयोग में उसके उतने ही मानक रूप बन जाते हैं, जितनी कि उसकी मुख्य बोलियाँ हैं। इन्हें हम हिन्दी की क्षेत्रीय शैलियाँ कह सकते हैं।

भाषा का प्रयोग विभिन्न कार्यों में होता है और इन सभी में प्रयुक्त भाषा की अपनी विशेषताएँ होती हैं। उदाहरण के लिए सरकारी कामों में प्रयुक्त हिन्दी एक प्रकार की है, तो बोलचाल की हिन्दी दूसरे प्रकार की, कानून में प्रयुक्त हिन्दी तीसरे प्रकार की है, तो व्यापार में प्रयुक्त हिन्दी चौथे प्रकार की, विज्ञापन में प्रयुक्त हिन्दी पाँचवें प्रकार की तथा साहित्य में प्रयुक्त हिन्दी छठे प्रकार की, आदि।

फिर साहित्य में प्रयुक्त हिन्दी भी, वैयक्तिक विशेषताओं की बात छोड भी दें, तो तीन प्रकार की होती है जिसे प्राय हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी नाम से अभिहित किया जाता है।

उपर्युक्त सभी हिन्दी की शैलियाँ हैं जिन्हें मोटे रूप से **क्षेत्रीय शैलियाँ, प्रयोजनी शैलियाँ** तथा **साहित्यिक शैलियाँ** कहा जा सकता है। इन शैलियों में अंतर समवेतत ध्वनि, शब्द, रूप-रचना, वाक्य-रचना, अर्थ, मुहावरे तथा लोकोक्तियों आदि के स्तर पर होता है। अंतर की इन इकाइयों को परिवर्त (variants) कह सकते हैं। इस प्रकार किसी भी भाषा की शैलियों का अन्तर विभिन्न स्तरों में प्राप्त परिवर्तों से जाना जा सकता है। यों तो इस विषय पर काफी विस्तार से लिखने की गुंजाइश है किंतु यहाँ केवल संक्षेप में ही कुछ बातें ली जा रही हैं।

सबसे पहले 'ध्वनि' या उच्चारण की बात लें। उच्चारण में स्वरों का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण, अनुनासिकता, दीर्घता, अक्षर-विभाजन, बलाघात आदि मुख्य हैं। इनमें कुछ की कुछ बातें क्रमश: ली जा रही हैं।

'अ' का उच्चारण हिन्दी-प्रदेश में दो रूपों में होता है। शब्द के मध्य में 'ह' के पूर्व इसका उच्चारण तब 'ए' से मिलता-जुलता होता है, जब 'ह' के बाद 'अ' (जैसे शहर, नहर) हो, या उच्चारण में कहना, रहना, सहना जैसे शब्दों के ढाँचे में व्यंजन हो, या अंत में कोई व्यंजनादि न हो, (जैसे कह, रह)। अन्य स्थितियों में इसका उच्चारण सामान्य (अर्धविवृत, मध्य स्वर) होता है। किंतु ऐसी स्थिति प्राय केवल पश्चिमी हिन्दी प्रदेश में ही मिलती है। पूर्वी हिन्दी-प्रदेश में सभी स्थितियों में यह सामान्य (अर्धविवृत, मध्य स्वर) उच्चरित होता है, बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली क्षेत्र के 'अ' में ओष्ठ की थोडी वर्तुलता भी जुड जाती

है। (जैसे कँहना, रँह, शँहर)।

हिन्दी मे कुछ स्थितियो मे मध्य 'अ' का उच्चारण नही होता लडका, अपना, कपडा आदि। किन्तु ऐसी स्थितियो मे 'इ' 'उ' के उच्चारण मे पूरे हिन्दी-क्षेत्र मे एकरूपता नही है। कुछ ब्रज तथा बुंदेली क्षेत्रो के हिन्दी-भाषी ऐसी स्थितियो मे 'इ' 'उ' का भी लोप अपने उच्चारण मे कर देते हैं सरिता—सर्ता, कविता—कव्ता, जमुना—जम्ना, सुविधा—सुव्धा। अन्य क्षेत्रो मे अपवाद-स्वरूप कुछ व्यक्तियो तथा शब्दो की बात छोड दें, तो यह प्रवृत्ति नही मिलती।

शब्द के अंत मे इ, उ ध्वनि हिन्दी के अपने शब्दो मे प्राय नही आती। जिन शब्दो मे ये ध्वनियाँ अंत मे हैं, वे हिन्दी मे गृहीत शब्द (लोन वर्ड) हैं कवि, भक्ति, शक्ति, कि, बल्कि, वस्तु, वायु, कटु आदि। यही कारण है कि इस स्थिति मे इनका ठीक उच्चारण कम लोग कर पाते हैं तथा प्राय लोग इन्हे कभी लुप्त कर देते हैं तो कभी दीर्घ। यो सामान्यत हिन्दी प्रदेश के पूर्वी भाग मे सुशिक्षित लोगो के हिन्दी उच्चारण मे इसकी ह्रस्वता इतनी बढ जाती है कि वह लोप के निकट पहुँच जाती है, (जाति—जात) तथा पश्चिमी भाग के उच्चारण मे वह लगभग दीर्घ हो जाती है (भक्ति—भक्ती)। इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र के व्यक्ति को पूर्वी क्षेत्र के ऐसे उच्चारण मे लोप सुनाई पडता है तथा पूर्वी क्षेत्र के व्यक्ति को पश्चिमी क्षेत्र के उच्चारण मे प्राय स्पष्ट दीर्घता सुनाई पडती है।

ऐ, औ पश्चिमी क्षेत्र के मूल स्वर है। अर्थात् इनके उच्चारण मे जीभ एक निश्चित स्थिति मे रहती है। पूर्वी क्षेत्र मे इन दोनो के उच्चारण मे जीभ एक स्वर-स्थिति मे दूसरी स्वर-स्थिति की ओर जाती है। 'ऐ' को प्राय लोग 'अए' अथवा 'अय' बोलते हैं तथा औ को 'अओ' मे अथवा 'अव' संस्कृत परंपरा के लोग दोनो ही क्षेत्रो मे इन्हे क्रमश 'अइ', 'अउ' रूप मे संयुक्त स्वर करके बोलते है। इस प्रकार 'नैतिक' के विभिन्न औच्चारणिक परिवर्त हैं नैतिक (मूल स्वर), नएतिक, नयतिक, नइतिक। इसी प्रकार गौरव के हैं गौरव (मूल स्वर), गओरव, गवरव, गउरव।

हिन्दी मे दस स्वर है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। सामान्यत यह समझा जाता है कि इन दसो के दस अनुनासिक रूप भी प्रयुक्त होते हैं। हसना—हँसना, साम—साँस, विधि—विंधना, ईख—ईंख, कुमार—कुंवर, पूछ—पूंछ, मेल—मे है—हैं, हो—हों, धौंकनी—धौंसा। किन्तु पूरे हिन्दी-प्रदेश मे यह स्थिति नही है। पश्चिमी क्षेत्र मे, मुख्यत ब्रज-क्षेत्र मे आठ ही अनुनासिक स्वर है अँ, आँ, इँ, ईँ, उँ, ऊँ, ऐं, औं। अर्थात् एँ, ओं, नही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रज प्रदेश के अनेक क्षेत्रो मे 'मे' तथा 'मैं' का उच्चारण एक ही प्रकार मे होता है। यही स्थिति 'हो', 'हौं' की भी है। वे दोनो स्थानो पर केवल 'मैं' तथा 'हौं' ही बोलते है। हिन्दी-प्रदेश मे अन्यत्र दसो मौखिक स्वरो के दसो अनुनासिक रूप उपलब्ध हैं।

हिन्दी के कुछ शब्दो मे स्वरो की अनुनासिकता सकारण होती है (जैसे कपन—

काँपना, चद्र—चाँद), किन्तु कुछ शब्दो में वह अकारण होती है (जैसे सर्प—साँप, उष्ट्र—ऊँट, अश्रु—आसू)। इस प्रकार की अकारण या स्वत अनुनासिकता की दृष्टि से भी कुछ शब्दो के क्षेत्रीय परिवर्त उल्लेख्य है। अनेक हिन्दी-क्षेत्रो मे (जैसे दिल्ली मे जामा मस्जिद, भोजपुरी-भाषी क्षेत्र आदि) हाथ को हाँथ, जौ को जौं (यह पजाबी मे भी है), गाय को गाँय, घास को घाँस, कापी को काँपी, आटा को आँटा, आगे को आँगे (बुदेली मे), डाक्टर को डॉक्टर, तथा सोचना को सोंचना कहते है। इस प्रकार के शब्दो की सूची काफी बडी हो सकती है।

पूरे हिन्दी-प्रदेश मे सामान्यत अधिकाश लोग (अनपढ तथा ग्रामीण तो सारे, और काफी पढे-लिखे भी) क़, ख़, ग़, ज़, फ़ के स्थान पर क, ख, ग, ज, फ बोलते हैं। ऐसा प्राय अरबी, फारसी, तुर्की और पश्तो से आए शब्दो के उच्चारण मे होता है। अग्रेज़ी शब्दो के उच्चारण मे केवल फ़ तथा ज़ आते है। जो लोग अग्रेज़ी पढे-लिखे नही है, वे प्राय फ, ज के स्थान पर अग्रेजी शब्दो मे भी फ, ज बोलते है। अग्रेजी पढे-लिखे लोग फ़, ज़ तो ठीक बोलते है, किंतु उर्दू-अरबी-फारसी-दाँ लोगो को छोडकर शेष लोग क़, ख़, ग़ के स्थान पर प्राय क, ख, ग बोलते हैं। इनमें भी ख़, ग़ के स्थान पर ख, ग बोलनेवालो की तुलना मे 'क़' के स्थान पर 'क' बोलनेवालो की सख्या अधिक है। ऐसे ही अग्रेजी शब्दो मे प्रयुक्त ऑ (कॉलेज, डॉक्टर) का भी हिन्दी बोलने मे अधिकाश लोग 'आ' उच्चारण करते हैं।

'इ' के बाद 'आ' आए तो 'य' श्रुति-रूप मे पूरे हिन्दी-प्रदेश में आ जाता है दिया, लिया, जिया, सिया। किंतु 'उ' के बाद 'आ' आए तो प्राय पश्चिमी क्षेत्र मे 'उआ' (हुआ, दुआ, जुआ) रहता है किंतु पूर्वी क्षेत्र मे काफी लोगो के उच्चारण 'उआ'—के स्थान पर 'उवा', (हुवा, दुवा, जुवा) हो जाता है। 'औ' के बाद भी प्राय ऐसी ही स्थिति है। पश्चिमी क्षेत्र मे 'पौआ', 'कौआ', कहेंगे तो पूर्वी मे 'पौवा' 'कौवा', 'झौवा', 'नौवा' आदि।

'ड—र', 'ढ—र्ह', पर आधारित परिवर्त भी हिन्दी मे क्षेत्रीय दृष्टि से एक सीमा तक वर्तमान है। भोजपुरी तथा मगही क्षेत्र मे तो कम किंतु मैथिली क्षेत्र मे प्राय 'ड' के स्थान पर 'र' तथा 'ढ' के स्थान पर 'र्ह' बोला जाता है घोडा—घोरा, लडका—लरका, काढा—कार्हा, गाढा—गार्ह या गार्हा। मिथिला तथा आस-पास के लोग 'ड' को बडा 'र' कहते है, जिसके पीछे भी यही परिवर्त-सबध ज्ञात होता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त व-ब (विद्यार्थी—बिद्यार्थी, व्यापार—ब्यापार, व्यवसाय-ब्यवसाय, व्यर्थ-ब्यर्थ), य-ज (यज्ञ-जग्य, यमुना-जमुना, यश-जश) श-स (शहर-सहर, शादी-सादी, नमस्कार-नमश्कार, दोष-दोश), च्छ-क्ष (स्वच्छ-स्वक्ष), द-ड (दाढी-डाढी), ड-ढ (डडा-ठढा), प-व-म (निपटना-निबटना-निमटना), ड-र (पटडी-पटरी, तिवाडी-तिवारी, कटडा-कटरा, साडी-सारी, कचडा-कचरा) ल-र (मलहज-मरहज) आदि की दृष्टि मे भी काफी अन्य परिवर्त उपलब्ध है,

जिन्हें स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं लिया जा रहा है।

हरियाणा के लोग प्राय 'ल' के स्थान पर 'ळ' का प्रयोग करते हैं काला—काळा, माली—माळी, ताला—ताळा, वाला—वाळा।

'स' से प्रारम्भ होनेवाले सयुक्त व्यजन मे यदि दूसरा सदस्य स्पर्श हो तथा यह सयुक्त व्यजन शब्द की आदि स्थिति मे हो तो काफी लोग (अनपढ या ग्रामीण तो सभी, और पूर्वी क्षेत्र मे अधिकाश सुशिक्षित लोग भी) प्रारभ मे अ अथवा इ स्वर उच्चारित करके इस आदि सयुक्त व्यजन को मध्य सयुक्त व्यजन बना देते हैं स्टेशन—इस्टेशन, स्थान—अस्थान, स्प्रिंग—इस्प्रिंग, स्टूल—इस्टूल, स्नेह—इस्नेह। कभी-कभी तो इसमें अर्थ में भी गडबडी हो जाती है जैसे स्पष्ट के स्थान पर 'अस्पष्ट' बोलने पर। कहना न होगा कि पजाबी लोगो द्वारा प्रयुक्त हिन्दी में इस वर्ग के कुछ शब्दो मे मध्य स्वरागम हो जाता है सटेशन, सपष्ट, सटोर, सकूल, सप्रिंग।

'क्ष' हिन्दी की अपनी प्रकृति का सयुक्त व्यजन नही है। यह केवल सस्कृत से गृहीत कुछ ही शब्दो मे प्रयुक्त होता है। यही कारण है कि हिन्दी की विभिन्न शैलियो मे इसके परिवर्त 'छ' 'च्छ' मिलते हैं। भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, हरियाणवी, छत्तीसगढी आदि अनेक क्षेत्रो के लोग शब्द के आरभ मे इसके स्थान पर छ बोलते हैं क्षत्रिय-छत्रिय, क्षेत्र-छेत्र, क्षमा-छमा आदि। शिवानी की पुस्तक 'करिए छिमा' मे इसका एक और परिवर्त 'छि' आया है। शब्द के बीच या अत मे यह 'च्छ' हो जाता है शिक्षक-सिच्छक-शिच्छक, कक्षा-कच्छा, प्रत्यक्ष-प्रत्यच्छ आदि।

'ज्ञ' भी सस्कृत से गृहीत सयुक्त व्यजन है और केवल सस्कृत से आए तत्सम शब्दो मे ही प्रयुक्त होता है। सामान्यत हिन्दी-प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र मे इसका उच्चारण 'ग्य' होता है, तथा पूर्वी क्षेत्र मे ग्यँ। आर्यसमाजी तथा सस्कृत परपरा के लोग इसके मूल घटको (ज् + ञ) को दृष्टि मे रखते हुए इसका उच्चारण ज्यँ करते हैं। मराठी सीमा के पास के हिन्दी-भाषी इसे 'द्नँ' भी कह लेते हैं। इस तरह 'ज्ञान' शब्द को ग्यान, ग्याँन, ज्याँन, द्नाँन आदि रूपो मे बोला जाता है। यज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, आज्ञा आदि अन्य शब्दो के भी इसी प्रकार के विभिन्न परिवर्त प्राप्त होते हैं।

उच्चारण की दृष्टि से सख्यावाचक शब्दो के अनेक परिवर्त हिन्दी-प्रदेश मे उपलब्ध हैं। ब्रज-क्षेत्र के कई भागो (जैसे अलीगढ, एटा आदि) के निवासी परिनिष्ठित हिन्दी बोलने मे भी नब्बे के स्थान पर 'नब्भे' कहते हैं। कुछ क्षेत्र के लोग नव्वे भी कहते हैं। भोजपुरी क्षेत्र मे परिनिष्ठित हिन्दी मे भी 'छियासठ' या 'छ्यासठ' को छाछठ' या छाछठ' कहते हैं। परिनिष्ठित हिन्दी के उन्नीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस पच्चीस छब्बीस, सत्ताईस अट्ठाईस, उनतीस इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस अड़तीस, उनतालीस, चालीस के उच्चारण मे पूर्वी हिन्दी प्रदेश मे दीर्घ 'ई' के स्थान पर ह्रस्व 'इ' कर देते हैं जैसे उन्निस,

इक्किस, सताइस, अठाइस, इकतिस, छत्तिस आदि। कुछ अन्य परिवर्त एकइस, सताइस, अठाइस आदि भी है। इ-ए (इक्कीस-एकइस, इकसठ-एकसठ, इक्यासी-एकासी, ॰क्यानवे-एकानवे) तथा उ-ओ (उन्नीस-ओनइस, उनतीस-ओनतिस, उनतालीस-ओनतालिस, उनचास-ओनचास, उनसठ-ओनसठ आदि) की दृष्टि से भी पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र मे स्पष्ट अतर है। पूरववाले इ-ओ वाले रूपो को शुद्ध मानते हैं, तो पश्चिमवाले इ-उ वाले रूपो को।

ध्वन्यात्मक अतर अन्य अनेक शब्दो मे भी मिलते हैं। उदाहरणार्थ छीछा-लेदर-छीछालेदार, जूठा-झूटा, धोखा-धोका (उर्दू मे), भूख-भूक (उर्दू मे), गढना-घडना, खीचना-खेंचना आदि।

अक्षर-विभाजन तथा बलाघात की दृष्टि से भी अनेक रूपातर मिलते हैं। कुछ लोग 'आमदनी' को 'आ-मद-नी' कहते है तो कुछ, 'आम-द-नी'। इसी प्रकार 'छिपकली' कुछ लोगो के लिए 'छिप-क-ली' है तो कुछ लोगो के लिए 'छि-पक-ली'। बलाघात के परिवर्त भी पूरे हिन्दी-प्रदेश मे मिलते है। कामताप्रसाद गुरु[1], आर्येन्द्र शर्मा[2], भोलानाथ तिवारी[3] तथा अशोक केलकर[4] के नियमो के अतर मे ये अतर काफी स्पष्ट है।

शब्दो के स्तर पर परिवर्त अगणनीय है। यहाँ उदाहरण के लिए कुछ थोडे लिए जा रहे है।

जहाँ तक हिन्दी की क्षेत्रीय शैलियो मे शब्द-परिवर्त का प्रश्न है, दो बाते मिलती हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं, जिनके अर्थ अलग-अलग क्षेत्रो मे अलग-अलग है, तथा कुछ सकल्पनाएँ ऐसी है जिनके लिए अलग-अलग क्षेत्रो मे अलग-अलग शब्द हैं। यहाँ दोनो ही के थोडे उदाहरणो की बानगी दी जा रही है।

दिल्ली मे तथा आस-पास 'जुराव' शब्द विशेप रूप से चलता है। अब तो नही किंतु 25-30 वर्ष पहले भोजपुरी क्षेत्र मे तथा आस-पास 'जुराव' का अर्थ वह नही था, जो आज दिल्ली मे है, अपितु कपडे के जूते जैसी चीज को कहते थे जो मोजे की रक्षा के लिए मोज़े के ऊपर पहनी जाती है, और इस तरह जो मोजे और जूते के बीच मे रहती है। आज दिल्ली मे प्राय जिस चीज के लिए 'जुराव' शब्द चलता है, उसके लिए पूरब मे 'मोज़ा' चलता है। यो रीतिकाल मे 'मोजा' जूते को कहते थे। भूपण मे आता है—'पग मचकती मोजडी'। अलीगढ ज़िले मे ग्रामीण लोग 'मोज़ा' को 'मोचे' कहते हैं तो पढे-लिखे जोग 'जुराव'।

हिन्दी भाषा के पश्चिमी क्षेत्र मे 'मरम्मत' शब्द का प्रयोग केवल एक अर्थ मे होता है मकान की मरम्मत करवानी है, मरम्मत कर देने पर यह जूता अभी

1 हिन्दी व्याकरण, सशोधित सस्करण, पृ० 52
2 ए बेसिक ग्रामर ग्राफ माडर्न हिन्दी, 1962, पृ० 16
3 हिन्दी भाषा, 1962, पृ० 482
4. स्टडीज़ इन हिन्दी-उर्दू, 1968, पृ० 26

दो-चार महीने चल जाएगा। भोजपुरी आदि पूर्वी क्षेत्रों में इसके अतिरिक्त इसका एक और अर्थ में भी प्रयोग चलता है। जैसे 'इन सामान को सँभालकर रख दो' के लिए 'उस सामान को मरम्मत में रख दो', अर्थात् 'मरम्मत में' का अर्थ हुआ सँभालकर'।

'चलता-पुरज़ा' का प्रयोग पूरे हिन्दी-प्रदेश में चलता है, किंतु पूर्वी क्षेत्र में यह शुद्ध प्रशंसासूचक है तो पश्चिमी क्षेत्र, मुख्यतः दिल्ली के आस-पास प्रशंसा-अप्रशंसा की सीमा-रेखा पर अप्रशंसा की ओर झुका है, और इसमें 'बहुत चालाक' का भाव है। पूरब में यह मात्र व्यवहार-कुशल तथा अपना काम निकालनेवाला आदि ही है। वहाँ इसमें केवल उतनी चालाकी है जो अप्रशंसा की सीमा में नहीं जाती। यों 'चालाक' के पूर्वी तथा पश्चिमी प्रयोग में भी एक सीमा तक प्रायः यही अंतर है।

पूरब में 'कुछ दिन हुए', 'बहुत दिन हुए' के प्रयोग चलते हैं। स्पष्ट ही 'कुछ दिन', 'थोड़े दिन' है तथा 'बहुत दिन' 'ज्यादा दिन'। पश्चिम में 'कई दिन हुए' का प्रयोग अधिक चलता है जो दोनों की सीमारेखा पर है किंतु जो प्रायः दोनों ही सीमाओं में घुस-पैठ करता रहता है। पूरब में 'कई दिन हुए' का प्रयोग प्रायः नहीं चलता।

'उसिनना' पूरब में 'उबालना' का समानार्थी है : 'आलू उसिन दो।' आगरा आदि में इसका अर्थ गूंधना होता है : 'चून उसिन लो'।

भोजपुरी क्षेत्र का हिन्दी-भाषी 'मथनी' या 'मथानी' शब्द का प्रयोग 'दही मथने के डंडे' के लिए करता है। ब्रज-भाषी उसके लिए 'रई' का प्रयोग करता है और 'मथानी' का प्रयोग उस बर्तन के लिए करता है जिसमें दही बिलोया जाता है। ऐसे ही 'पिसान' पूर्वी क्षेत्र में 'पिसा हुआ अन्न' है, तो ब्रज-क्षेत्र में 'पीसने के लिए दिया जाने वाला अन्न' है। पूरब में जिसे 'पिसान' या 'आटा' कहते हैं, उसे ब्रज में 'चून' अथवा 'आटा' कहते हैं।

'कद्दू' पूरब में लौकी अथवा घीया को कहते हैं, किंतु पश्चिम में प्रायः सीताफल, काशीफल या कोहड़ा को कहते हैं।

भोजपुरी क्षेत्र के गाजीपुर जिले में भैंस के बच्चे को 'पाड़ा' कहते हैं तथा बच्ची को 'पाड़ी', तो ब्रज-क्षेत्र के अलीगढ़ जिले में 'पड्डा'—'पड़िया', कन्नौजी के फर्रुखाबाद जिले में 'पड़रा' 'पड़िया', और हरियाणवी के गुड़गावां आदि में 'काटड़ा'—'काटड़ी' तथा बुलन्दशहर में 'कटरा'—'कटिया'। ऐसे ही गाय के बच्चे-बच्ची के लिए 'बाछा-बाछी' (गाजीपुर), 'बछरा-बछिया' (अलीगढ़), 'बछड़ा-बछिया' (फर्रुखाबाद) आदि चलते हैं।

कुछ पूर्वी क्षेत्रों के हिन्दी-भाषी उँगली 'फुटकाते' हैं, परन्तु पश्चिमी क्षेत्र के उँगली 'चटकाते' हैं।

भोजपुरी क्षेत्र में 'नाती' का अर्थ है 'लड़की का लड़का' तथा 'पोता' का अर्थ है 'लड़के का लड़का'। ब्रज-क्षेत्र (आगरा) में नाती तथा पोता दोनों ही का अर्थ है

लडके का लडका, तथा लडकी के लडके को 'धेवता' कहते हैं। मेरठ की खडी बोली मे 'नाती' का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। वहाँ लडकी के लडके के लिए 'धेवता' तथा लडके के लडके के लिए 'पोता' शब्द चलता है। इसके विपरीत लडके के लडके की पत्नी तथा लडकी के लडके की पत्नी दोनो को भोजपुरी-क्षेत्र मे 'नतिन-पतोहू' कहते हैं, किंतु मेरठ मे प्रथम को 'पोत बहू' तथा दूसरे को 'धेवत बहू' कहते है। ब्रज-क्षेत्र मे दोनो को 'नतबउ' कहते है। हिन्दी-प्रदेश मे स्त्रियाँ बाल 'बनाती है', 'सँवारती है', किंतु पश्चिमी क्षेत्र के लोग दो अन्य शब्दो का भी काफी प्रयोग करते हैं जो पूर्वी क्षेत्रो के लोगो के लिए पूर्णत अपरिचित है। ये शब्द है 'बाना' (हरियाणा का पूर्वी भाग, 'दिल्ली तथा मेरठ) तथा 'ऐछना' (आगरा आदि)। बुदेली मे 'बाल खीचना' इसी अर्थ मे चलता है। कदाचित् अन्य क्षेत्रो मे यह प्रयोग बिल्कुल नही चलता। दही मथना के लिए पूरब मे प्राय 'महना' शब्द चलता है जो 'मथना' का ही विकास है, किंतु ब्रज आदि पश्चिमी क्षेत्रो मे 'दही बिलोना' चलता है। यो 'दही मथना' दोनो क्षेत्रो में न्यूनाधिक रूप से चलता है।

पूर्वी क्षेत्र मे चिट्ठी प्राय 'छोडी' और 'छोडवाई' जाती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र मे 'डाली' और 'डलवाई' जाती है। यो हरियाणा मे तथा आस-पास चिट्ठी 'छोडी' नही जाती है, 'डाली' भी कम जाती है, 'गेरी' अधिक जाती है।

स्त्रियो की 'ओढनी' को हरियाणा तथा आस-पास के क्षेत्रो मे 'ओढना' कहते है। भोजपुरी मे 'ओढना' रज़ाई, दुलाई, कबल, चद्दर आदि ओढने की चीजो को कहते है। भोजपुरी मे 'चद्दर' बडी ओढनी को भी कहते है, जिसे हरियाणी मे 'ओढना' कहा जाता है।

पश्चिमी क्षेत्र मे जिस सब्ज़ी को 'तोरी' या 'तोरई' कहते हैं उसे पूरब में 'नेनुवाँ' (गाज़ीपुर, बनारस तथा आस-पास) या घेवडा (बलिया आदि) कहते है।

हिन्दी-प्रदेश मे 'आटा गूँधना' के लिए 'आटा गूँथना', 'आटा सानना', 'आटा माँडना', 'आटा गलाना' आदि कहते है। इनमे अतिम का प्रयोग केवल बुदेलखड के कुछ क्षेत्रो तक ही सीमित है।

हिन्दी की साहित्यिक शैलियो—हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी—मे शब्दो का अन्तर सर्वविदित है शुभनाम, इस्मशरीफ, नाम , शुभ स्थान, दौलतखाना, घर, स्थान, गरीबखाना, घर, तथा पिता, वालिद, बाप आदि।

रूप-रचना के स्तर पर भाषा के विभिन्न रूपो या उसकी शैलियो मे विशेष अन्तर प्राय नही मिलता। हिन्दी भी इस दृष्टि मे अपवाद नही है। कुछ सीमित परिवर्त जो मिलते है, नीचे दिए जा रहे है। आज्ञा के आज के प्रचलित रूप हिन्दी मे छह है तू बैठ, तुम बैठो, आप बैठिए, आप बैठे, तुम बैठना, आप बैठिएगा। अपवादत दिल्ली मे तथा आस-पास कुछ अन्य स्थानो पर भी तुम आइयो, तुम जइयो, जैसे विशिष्ट रूप भी आना, जाना के परिवर्त-रूप मे प्रचलित

है। बिहार मे आदर के लिए 'बैठिए' जैसे रूपों के स्थान पर बैठा जाए, खाया जाए, चला जाए, जैसे प्रयोग है जो रूप-रचना के स्तर के न होकर वाक्य-रचना के स्तर के है। इसी प्रकार बनारस मे तथा कुछ स्थलो पर भी 'तुम जाओ' या 'आप जाइए' न कहकर दोनो को मिलाकर 'आप जाओ', 'आप आना' जैसे प्रयोग चलते है। इनमे कदाचित् एक तरफ 'आप' का आदर और औपचारिकता है तो दूसरी तरफ 'तुम' का नैकट्य। कहना न होगा कि यह भी वाक्य-रचना के स्तर की बात है, केवल आज्ञा से सबद्ध होने के कारण इसे यहाँ ले लिया गया है। 'कर' धातु के भी कुछ रूप दो प्रकार के मिलते हैं। अनेक लोग 'किया' के स्थान पर 'करा' बोलते है, जो अपरिनिष्ठित है, किंतु 'कर' के ही दूसरे रूप 'कीजिए' के स्थान पर अब 'करिए' या 'कीजिएगा' के स्थान पर 'करिएगा रूप भी चल रहे हैं और ये रूप एक सीमा तक परिनिष्ठित प्रयोग के अग भी मान लिए गए हैं।

लिंग की दृष्टि से भी हिन्दी के क्षेत्रीय रूप अलग-अलग हैं। भोजपुरी मे 'हाथी' स्त्रीलिंग है, अत वहाँ के लोग प्राय परिनिष्ठित हिन्दी बोलने मे भी 'हाथी आ रही है' बोल जाते है। वहाँ 'हाथी' का पुंल्लिग 'हत्था' है। इसके विपरीत पश्चिमी क्षेत्र मे तथा हिन्दी के मानक रूप मे 'हाथी' पुंल्लिग है, तथा 'हथिनी' स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार तकिया, रुमाल, तौलिया, दही आदि कई अन्य शब्द भी पूर्वी क्षेत्र मे स्त्रीलिंग है तथा पश्चिमी मे पुंल्लिग। यो 'दही' के बारे मे यह अनियमितता और भी अधिक है। दिल्ली के भी अनेक लोगो को मैंने 'दही' का प्रयोग स्त्रीलिंग मे करते सुना है। इसी तरह दिल्ली मे 'क्लास' स्त्रीलिंग है तो बनारस, इलाहाबाद आदि मे पुंल्लिग। जामुन, जाड़ा, मोती, तकिया, गिलास, तौलिया, दर्द, कलम, शरीर, चादर आदि अन्य अनेक शब्दो के लिंग भी पूरे हिन्दी-प्रदेश मे एक नहीं है।

हिन्दी-उर्दू शैली मे रूप-रचना के स्तर पर बहुवचन के रूपो मे काफी अतर है। उर्दू मे प्राय आन (साहबान मालिकान मेम्बरान) तथा आत (मकानात, कागजात, जवाहरात, ख्यालात, हालात) का प्रयोग होता है तो हिन्दी मे शून्य (वे कागज कहाँ है) अथवा ओ (उन कागजो को मँगाओ) का। ऐसे ही हिन्दीवाले कहेगे 'मैंने बार-बार मना किया' तो उर्दूवाले कहेंगे 'मैंने बारहा मना किया'।

वाक्य-रचना के स्तर पर मुख्य परिवर्तन पद-क्रम, परसर्ग-प्रयोग, सहायक क्रिया-प्रयोग आदि पर आधारित है। हिन्दी का सामान्य प्रयोग है 'जाऊँगा तो, लेकिन आज नहीं'। हरियाणावाले कहते 'जाऊँ तो गा लेकिन आज नहीं'। सामान्य प्रयोग है 'कानपुर ही जाना है,' कुछ क्षेत्र मे प्रयोग है 'कान ही पुर जाना है'। 'मुझे जाना है' या 'मुझको जाना है' के स्थान पर हरियाणा आदि के बोलने मे 'मैंने जाना है'। पंजाबियों के प्रभाव से दिल्ली की नई पीढ़ी मे भी यह प्रवृत्ति मिलती है। मानक हिन्दी मे प्रयोग है 'राम के दो बेटे है', किन्तु पूरब मे कहा जाता है 'राम को दो बेटे है'। हिन्दी का सामान्य प्रयोग है 'मेरे पास पैसे नहीं

है। पंजाबवाले मानक हिन्दी बोलने में भी बोलते हैं 'मुझ पै पैसे नहीं हैं'। पश्चिम-वाले 'लाना' 'मानना' आदि के साथ 'ने' का प्रयोग नहीं करते, किन्तु पूरबवाले सब करते हैं।

हिन्दी का सामान्य प्रयोग है 'मैं आ चुका', दिल्ली में 'मैं आ बैठा' भी सुनाई पड़ जाता है। पूर्वी का सामान्य प्रयोग है 'उसने नहीं बताया', 'उसने बताकर नहीं दिया' पश्चिम में इसी का समानार्थी है। पूरबवालों का यह हास्यास्पद लगेगा।

उर्दू में भी कुछ [illegible] में दो शैलियाँ हैं। लखनऊ शैलीवाले बोलेंगे 'चिट्ठी लिखना है,' 'खत लिखना है' तो दिल्ली शैली में 'चिट्ठी लिखनी है' 'खत लिखना है'। हिन्दी शैली में दिल्लीवाले प्रयोग ही चलते हैं 'चिट्ठी लिखनी है,' 'खत लिखना है'।

प्रयोगों, कहावतों तथा मुहावरों में शैलीगत परिवर्तन बहुत अधिक हैं। हिन्दी में प्रयोग चलता है 'उनका स्वर्गवास हो गया' तो उर्दू में चलता है 'वे स्वर्गवासी हो गए'। हिन्दी का सामान्य प्रयोग है 'बुरा मानना', किन्तु दिल्ली में अनेक लोग (जिनमें पंजाबीभाषी भी शामिल हैं, किन्तु काफी हिन्दीभाषी भी), 'बुरा मानना' के अर्थ में 'बुरा मनाना' कहते हैं। पंजाब व हरियाणा में 'मच्छर लड़ते हैं' जबकि अन्य हिन्दी क्षेत्रों में 'मच्छर काटते हैं'। वहाँ साँप, बिच्छू भी लड़ते हैं, काटते नहीं। राजस्थानी में 'पधारिए' 'आइए' या 'जाइए' के लिए आवश्यकतानुसार प्रयोग होता है पूरब में 'आइए' या 'बैठिए' के लिए। पूरब में चलता है 'कहाँ राजा भोज कहाँ [illegible] तेली' तो पश्चिमी क्षेत्रों में चलता है 'कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू ([illegible]) तेली'। पश्चिमवाले कहते हैं 'कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता' तो पूरबवाले कहते हैं 'कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता'। पूरब में 'किसी पर [illegible]' मुहावरा ही चलता है तो पश्चिम में 'किसी पर जान छिड़कना' भी चल जाता है।

जहाँ तक वाक्य-रचना का प्रश्न है, एक बात जो सबसे मुख्य है वह है इस शैली की भाषा का स्पष्टत: अनुवाद की भाषा होना, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश वाक्य अपनी गठन में हिन्दी की मूल प्रकृति के अनुकूल न होकर उस भाषा की प्रकृति के अनुकूल होते हैं, जिनमें अनुवाद हुआ है। मध्य काल में कचहरियों की भाषा फारसी थी, अत: परंपरागत रूप में कुछ तो उसका प्रभाव है, और इधर कचहरियों की भाषा अंग्रेज़ी रही है अत: उसका प्रभाव है, और यही प्रभाव अधिक है। वाक्य-रचना की एक अन्य विशेषता है वाक्यों का अवैयक्तिक (impersonal) होना। जैसे 'आदेश दिया जाता है' (ऊपर के लोग नीचे के लोगों को लिखेंगे), 'अनुमति दे दी जाए' (नीचे के लोग ऊपर के लोगों को लिखेंगे)। इसी तरह 'ऐसा कर दिया जा सकता है' न कि 'ऐसा करो' या 'ऐसा कीजिए'। साथ ही वाक्य प्राय: छोटे होते हैं, और कभी-कभी तो केवल एक शब्द के, यथा : आवश्यक = यह फाइल आवश्यक है, अत्यावश्यक = यह फाइल अत्यावश्यक है। ऐसे ही अग्रेषित या (अग्रप्रेषित) = फारवर्डेड), सम्तुत, तुरत इत्यादि।

परिशिष्ट दो

भाषा, व्यक्ति के स्तर पर, वाह्यत: मुखोच्चरित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से वह अपने को व्यक्त करता है, अतएव वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से 'वह' सोचता है, और समाज के स्तर पर वह व्यवस्था है, जिससे समाज नियंत्रित होता है। इस प्रकार भाषा विचार-संप्रेषण, चिंतन तथा सामाजिक नियंत्रण का साधन है। यों चिंतन की बात छोड़ दें, तो मूलत: और मुख्यत: भाषिक प्रक्रिया (Linguistic activity) और सामाजिक प्रक्रिया (Social activity) है, क्योंकि व्यक्ति इसका प्रयोग समाज में ही करता है, और ये वैयक्तिक प्रयोग ही अतत: समाज को नियंत्रित करते हैं।

भाषा के दो पक्ष हैं : संरचना-पक्ष, प्रयोग-पक्ष। संरचना से आशय है भाषा की अपनी आंतरिक संरचना जो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ के स्तर पर होती है, और संरचनात्मक भाषाविज्ञान जिसका अध्ययन करता है। प्रयोग से आशय है समाज द्वारा उसका प्रयोग जो विभिन्न सांस्कृतिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा पारिस्थितिक आदि संदर्भों में होता है और जो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ की दृष्टि से भाषा को अनेकानेक रूप प्रदान करता है। भाषा के इस पक्ष का अध्ययन समाजभाषाविज्ञान के क्षेत्र में आता है। यों कुछ लोगों ने मनोभाषाविज्ञान को भी यहाँ तक खींच लाने का यत्न किया है। भाषाविज्ञान अथवा संरचनात्मक भाषाविज्ञान भाषा की व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि भाषा कैसे कार्य करती है, जबकि समाजभाषाविज्ञान भाषा की व्यवस्था का अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि इस व्यवस्था का कैसे प्रयोग किया जाता है—विभिन्न सामाजिक संदर्भों में, अथवा भाषा कैसे समाज के नियंत्रण का साधन है। इस तरह भाषा के

अध्ययन मे समाजभाषाविज्ञान का दृष्टिकोण प्रयोजनमूलक होता है—विभिन्न प्रयोजनो के लिए भाषा का प्रयोग तथा उनसे सबद्ध एव उद्भूत परिवर्तों (Variants) का विश्लेषण और निश्चयन।

पहला प्रश्न यह उठता है कि भापा की प्रयोजनमूलकता से क्या आशय है। वस्तुत, जैसा कि पीछे भी कहा जा चुका है, वास्तविक प्रयोगो से सर्वथा अलग, भापा के किसी एक मानक रूप की सत्ता मात्र मानसिक होती है। वास्तविक रूप मे विभिन्न सदर्भो मे किसी एक मानक रूप का प्रयोग नही किया जा सकता। एक सामाजिक सदर्भ मे एक रूप का प्रयोग होता है तो दूसरे मे दूसरे का, और तीसरे मे तीसरे का । इस तरह भाषा के विभिन्न प्रकार के मानक रूप भाषा की आतरिक सरचना से प्रतिबधित होते है, ठीक उसी प्रकार भाषा विभिन्न सामाजिक प्रयोगो से प्रतिबधित होती है।

भापा का प्रयोग समाज मे होता है, किन्तु समाज के सदर्भ हमेशा एक नही होते। मानसिक, प्रायोजनिक, पारपरिक तथा आभिव्यक्तिक दृष्टि से समाज के भी विभिन्न रूप या परिवर्त होते है। बैंक का समाज एक है, तो किसी प्रशासनिक कार्यालय का समाज दूसरा, किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला का समाज तीसरा, तो किसी विशेप स्थान पर लगे सब्जियो के प्रात कालीन बाजार का समाज चौथा। और इसी प्रकार हर भाषा-भापी वर्ग का, व्यापारिक, साहित्यिक, वकीली, डाक्टरी, इजीनियरी आदि-इत्यादि का अपना सीमित समाज अलग-अलग होता है। समाज के इन परिवर्तो के विपय अलग-अलग होते है, अत इनकी आभिव्यक्तिक आवश्यकताएँ भी अलग-अलग होती हैं। इस अलगाव के लिए विषय के अतिरिक्त लोगो का मानसिक स्तर, उस तरह के समाज की परपरा, मुख्यत आभिव्यक्तिक परपरा, उनका भूगोल, इतिहास, उनकी सभ्यता और सस्कृति आदि अनगिनत वे बाते जिम्मेदार है, जिनसे उस समाज के अपने निजी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वस्तुत जैसे हर व्यक्ति की अपनी भापा होती है, ठीक उसी प्रकार हर विशिष्ट समाज (जो बृहत्तर समाज का किसी स्तर पर एक खड है) की भी 'अपनी भापा' होती है, और इस 'उस सीमित समाज' की 'अपनी भापा' का अपना व्यक्तित्व—उस समाज के व्यक्तित्व के अनुरूप ही—भी अलग होता है। अर्थात् एक बृहत्तर समाज के भीतर विभिन्न प्रयोजनो मे जितने भी विभिन्न छोटे-छोटे समाज गठित होते हैं, उन सबकी अपनी भापा भी एक सीमा तक अलग-अलग होती है, जो प्रयोग के विशिष्ट प्रयोजन के कारण उस भापा के सर्वसामान्य रूप के परिवर्त (Variant) या विभिन्न रूपातर कहे जा सकते है। किसी भी भापा के ये विभिन्न परिवर्त, उस प्रयोजन पर ही आधृत होगे, जिसके लिए उनके विभिन्न प्रयोजनो के लिए गठित समाज-खण्डो के द्वारा अलग-अलग प्रयोग होगे, किसी भापा के ये विभिन्न रूप या परिवर्त ही उस भापा के प्रयोजनमूलक विभिन्न रूप है। दुनिया की हर भापा के इस प्रकार के रूप होते है। यो जो समाज जितना

ही कम विकसित तथा विभिन्न क्षेत्रो मे कम विशेषज्ञीकृत (Specialized) होगा, उसकी भाषा के प्रयोजनमूलक रूप भी उतने ही कम होंगे। इसके विपरीत जो समाज जितना ही अधिक विकसित और विभिन्न क्षेत्रो मे विशेषज्ञीकृत होगा उसकी भाषा के ये प्रयोजनमूलक रूप भी उतने ही अधिक होंगे। इस तरह जीवन के विभिन्न क्षेत्रो मे किसी समाज की विशेषज्ञता जितनी ही बढती जाती है, इन प्रयोजनमूलक भाषारूपो की सख्या भी बढती जाती है।

हिन्दी का जन्म जब 1000 ई० के आसपास हुआ तो वह केवल बोलचाल की भाषा थी। सामान्य जीवन तथा उससे सबद्ध खेती, व्यापार, लुहारी बढईगिरी, कुम्हारी, सिलाईगिरी आदि जीवन के तत्कालीन आवश्यक क्षेत्रो मे इसका प्रयोग होता था और इनसे सबद्ध उसके थोडे-बहुत विशेषीकृत रूप थे। हाँ, हिन्दी के भौगोलिक परिवर्त काफी थे, क्योकि उसका क्षेत्र काफी विस्तृत था और है। धीरे-धीरे हिन्दी जनता जैसे-जैसे धर्म, ज्योतिष, साहित्य आदि अन्य विशिष्ट क्षेत्रो मे अपनी भाषा का प्रयोग करती गई, इसके प्रयोजनमूलक विभिन्न नए रूप भी विकसित होते गए। मध्यकाल मे प्रशासनिक, कलईगिरी, वस्त्र-उद्योग आदि कई दृष्टियो से हिन्दी-भाषी जनता की नई विशेषज्ञताएँ बढी, अत हिन्दी के प्रयोजनमूलक नए रूप भी अस्तित्व मे आए। अग्रेजी शासन मे यूरोपीय सपर्क ने हमारा सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढाँचा काफी बदला, धीरे-धीरे हमारे जीवन मे नई विशेषज्ञताएँ (जैसे पत्रकारिता, इजीनियरी, बैंक आदि) पनपी और तदनुकूल हिन्दी के नए प्रयोजनमूलक भाषिक रूप भी उभरे। स्वतत्रता के बाद हिन्दी भाषा के प्रयोग का क्षेत्र बहुत बढा है, और बढता जा रहा है, और तदनुकूल उसके प्रयोजनमूलक रूप भी बढे है और बढते जा रहे है। भारत के अतिरिक्त मारिशस, सूरीनाम, फिजी, पाकिस्तान (हिन्दी की एक शैली उर्दू) तथा इगलैण्ड (यहाँ भी हिन्दी-उर्दू भाषी काफी है, तथा अब तो उनकी अपनी पत्रिकाएँ भी निकलने लगी है) आदि कई देशो मे भी हिन्दी है अत इन सब मे प्रयुक्त हिन्दी के सहयोग से हिन्दी के एक ऐसे स्वरूप के विकसित होने की सभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे हिन्दी एक देश की सीमा से ऊपर उठकर विश्वजनीन बना जा सके। भारत मे अखिल भारतवर्षीय सपर्क-भाषा के रूप मे हिन्दी के एक स्वरूप के विकास का काम प्रशासनिक तथा अन्य स्तरो पर हो रहा है, जिसकी ओर सकेत, हमारे सविधान की 351वी धारा मे किया गया है। सरकारी या कार्यालयी भाषा के रूप मे हिन्दी का एक रूप स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद से लगभग पच्चीस वर्षो मे काफी कुछ विकसित हुआ है, सविधान की 343वी धारा मे जिसका सकेत है। यो इसमे सदेह नहीं कि इस स्तर पर मानकता का अभी अभाव है, इसी कारण केन्द्रीय सरकार के कार्यालयो मे जिस हिन्दी का धडल्ले से प्रयोग हो रहा है वह पूरी तरह से वही हिन्दी नहीं है जिसका उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि विभिन्न [illegible] मे व्यवहार हो रहा है। [illegible]

नेशन' की आवश्यकता है । कार्यालय भी विभिन्न क्षेत्रो मे और स्तरो पर कई प्रकार के (कचहरी, बैंक, ऊपर से नीचे तक के प्रशासनिक स्तर के कमिश्नरी, कलक्टरी, तहसील, परगना आदि) है, और उन सभी की अपनी अलग-अलग आभिव्यक्तिक आवश्यकताएँ और परपराएँ है, अत इन सभी मे हिन्दी के जो रूप है, और विकसित हो रहे है, किसी-न-किसी रूप मे एक-दूसरे से अलग हैं और ये सभी हिन्दी के प्रयोजनमूलक परिवर्त या उपरूप है। साहित्य और उनमे भी विभिन्न साहित्यिक विधाओ (जैसे काव्य, नाटक, कथा-साहित्य, आलोचना), सगीत, आभूषणो के बाजारो, कपडे के बाज़ारो, विभिन्न प्रकार के सट्टा-बाजारो समाचार-पत्रो, धातुओ आदि के क्रय-विक्रय की दुनिया (जिसकी एक झाँकी किसी भी दैनिक पत्र के सबद्ध पृष्ठ से ली जा सकती है), फिल्मो, चिकित्सा-व्यवसाय, खेतो-खलिहानो, विभिन्न शिल्पो और कलाओ, विभिन्न कसरतो-खेलो—आदि क्षेत्रो मे प्रयुक्त हिन्दी पूर्णत एक नही है । ध्वनि, शब्द, रूप-रचना, वाक्य-रचना, मुहावरो आदि की दृष्टि से उनमे (कभी थोडा, कभी अधिक) स्पष्ट अतर है, और ये सारे हिन्दी के ही अलग-अलग प्रयोजनमूलक रूप हैं।

कुछ उदाहरणो द्वारा उपर्युक्त बात स्पष्ट की जा सकती है। 'शेयरो मे सुधार', 'सटोरियो की पटान', 'सटोरियो की बिकवाली,' 'चीनी मे तेजडियो की पकड ढीली,' 'दस्ती डेलिवरी वायदा शेयर', 'चाँदी मे गिरावट,' 'सोना उछला,' 'स्टैंडर्ड सोना खामोशी के साथ 514 पर खुला, 'दिसावर के मदे समाचारो से चना-चावल नरम', 'चाँदी लुढकी,' जैसे प्रयोगो से युक्त हिन्दी का प्रयोग मडियो और शेयर बाज़ारो मे होता है, तो सामान्य भाषा का प्रयोग 'आप कृपया इसे बैंक मे जमा कर दे,' बैंक के कागजो पर 'जमा कर दे' ही रह जाता है, जिसमे कर्त्ता और कर्म गायब है। बोलचाल की सामान्य हिन्दी कर्त्ता-प्रधान है, किन्तु कार्यालयी हिन्दी मे कर्त्ता का लोप कर दिया जाता है 'अधिकारी आम जनता को सूचित करते है' के स्थान पर 'आम जनता को सूचित किया जाता है' या 'आप वहाँ बिल्डिग बनवा दे' के स्थान पर 'वहाँ बिल्डिग बनवा दी जाए' आदि। वस्तुत वहाँ व्यक्ति शासन-तत्र का अग है, अत आज्ञा या सूचना शासन-तन्त्र की ओर से आती है, व्यक्ति की ओर से नही, इसी कारण वह महत्वपूर्ण नही रह जाता। ऐसे प्रयोगो की जड मे कदाचित् यही मनोविज्ञान है। फाइलो पर 'तुरत', 'आवश्यक,' 'अत्यत आवश्यक' 'अति-तुरत' पूरे वाक्य का अर्थ देते हैं, जैसे—'वह पत्र अत्यत आवश्यक है' का 'अत्यत आवश्यक' आदि। बोलचाल की भाषा, नाटको, कथासाहित्य के कथनोपकथन मे वाक्य मे अनेक शब्दो का लोप करके उसे एक या दो शब्दो का कर लेते है। 'आपका नाम ?' ('आपका नाम क्या है' के स्थान पर) 'तिवारी' ('मेरा नाम तिवारी है' के स्थान पर)। ऐसे ही 'अवश्य', 'जरूर-ज़रूर', 'हाँ', 'हाँ-हाँ', 'बखुशी', 'जहे-किस्मत' 'अहोभाग्य', 'वाह, क्या कहने' आदि। हिंदी मे बोलचाल मे सज्ञा, क्रिया की पुन-रुक्तियो का प्रयोग बहुत अधिक होता है 'कुछ चाय-वाय मँगावो', 'तुम्हे चलना-

चलता तो है नहीं।' किन्तु आलोचना, कविता, या शास्त्रीय विवेचन में यह बात नहीं मिलेगी। ये अंतर मुख्यतः शब्दप्रयोग, सहप्रयोग तथा वाक्य-रचना के स्तर पर मिलते हैं, किन्तु कभी-कभी ध्वनि, रूप-रचना तथा अर्थ के स्तर पर भी अंतर होता है। शब्द-प्रयोग के अंतर से मेरा आशय है, विशिष्ट क्षेत्रों में एक ही अर्थ में विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से। उदाहरण के लिए सामान्य भाषा में जिस चीज के लिए 'नमक' शब्द का प्रयोग होता है, रसायनशास्त्र में उसे 'लवण' कहते हैं। सहप्रयोग से आशय है दो या अधिक शब्दों का साथ-साथ प्रयोग। मंडियों की भाषा में चाँदी और सोना के साथ 'लुढ़कना' और 'उछलना' क्रिया का प्रयोग होता है, किन्तु हिन्दी के अन्य रूपों में इन संज्ञा शब्दों के साथ इन क्रियाओं का सहप्रयोग नहीं मिलेगा क्योंकि ये निर्जीव हैं। वाक्य-रचना विषयक रूपांतर बहुत अधिक मिलते हैं। अर्थ के स्तर पर भी अंतर मिलते हैं। सामान्य भाषा में 'टीका लगाना' तिलक लगाना है, किन्तु चिकित्सा से संबद्ध भाषा में यह 'सुई लगाना' है। काव्यशास्त्र में 'ध्वनि' का एक अर्थ है तो भाषाशास्त्र में दूसरा, संगीत में 'संगत करना' का एक अर्थ है तो सामान्य भाषा में दूसरा। अंतरों की यह सूची काफी बढ़ाई जा सकती है।

उपर्युक्त हिन्दी के मुख्य प्रयोजनमूलक रूप सात हैं। आगे इनके उपरूप भी हो सकते हैं, जिनका संकेत कोष्ठक में है : 1. बोलचालीय हिन्दी, 2. व्यापारी हिन्दी (इसमें भी मंडियों की भाषा, सर्राफे के दलालों की भाषा, सट्टाबाजार की भाषा आदि कई उपरूप हैं), 3. कार्यालयी हिन्दी (कार्यालय भी कई प्रकार के होते हैं, और उनमें भी भाषा के स्तर पर कुछ अंतर हैं), 4. शास्त्रीय हिन्दी (विभिन्न शास्त्रों में प्रयुक्त भाषाएँ शब्द के स्तर पर काफी कुछ अलग हैं जैसे संगीतशास्त्र, काव्यशास्त्र, भाषाशास्त्र, दर्शनशास्त्र, योगशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, विधिशास्त्र आदि की), 5. तकनीकी हिन्दी (इंजीनियरी, बढ़ईगिरी, लुहारी, प्रेस ऑपरेटरी, मिस्त्री आदि की तकनीकी भाषा), 6. समाजी हिन्दी (इसका प्रयोग सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं), तथा 7. साहित्यिक हिन्दी (इसमें कविता, कथासाहित्य, तथा नाटक की भाषा में अंतर होता है)।

इन परिशिष्टों में हमने हिन्दी की मुख्यतः दो प्रकार की बोलियों—क्षेत्रीय, प्रयोजनी—का संक्षेप में जायजा लिया और देखा कि हिन्दी के मानक रूप अनेकानेक हैं, उनके क्षेत्रीय और प्रयोजनीय अनेक परिवर्तन हैं। हिन्दी के अच्छे प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि प्रयोक्ता इन सभी अंतरों और परिवर्तनों को समझे तथा प्रयोग करते समय इनका पूरा ध्यान रखते हुए अपनी भाषा को परिष्कृत बनाना पड़ता है।

5

हिन्दी उच्चारण

भाषा का प्रयोग सबसे अधिक बोलकर किया जाता है, इसीलिए अच्छी भाषा के लिए अच्छा उच्चारण आवश्यक है। यदि किसी वक्ता की भाषा व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक हो, किन्तु उच्चारण भ्रष्ट हो तो उसका श्रोता पर वह प्रभाव नही पडता, जो अच्छे उच्चारण करनेवाले वक्ता का पडता है।

एक बात और। वक्ता कितनी तर्कसम्मत बाते करेगा, इसका पता तो चलता है बाते सुनने के बाद, किन्तु यदि उसका उच्चारण खराब हो तो ज्यो ही वह बोलना शुरू करता है, श्रोता के मन मे धारणा बन जाती है, कि यह आदमी तो यो ही है, जिसे ठीक से उच्चारण करना नही आ रहा है, वह ठीक से बाते क्या करेगा ?

इस प्रकार उच्चारण वह पहली चीज है, जिसके आधार पर श्रोता किसी भी बोलनेवाले के प्रति पहली धारणा बनाते हैं, और यह ध्यान देने की बात कि (फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन) पहली धारणा बडी गहरी होती है, और वह प्राय जल्दी नही बदलती।

इसलिए शुद्ध उच्चारण पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

यहाँ हिन्दी के उच्चारण पर विस्तार के साथ तथा उसके सभी पक्षो को लेते हुए विचार नही किया जा रहा है[1], बल्कि केवल उन बिंदुओ को लिया जा रहा है, जिनसे सबद्ध गलतियाँ लोग प्राय करते हैं।

स्वर

अ—'अ' के उच्चारण से सबद्ध दो प्रकार की गलतियाँ प्राय होती हैं। पहली तो यह कि हिन्दी के मानक उच्चारण मे शब्द के मध्य मे 'अ' स्वर, यदि वह

1 *इस विषय की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की पुस्तक 'हिन्दी ध्वनियाँ और उनका उच्चारण'।*

'ह' व्यंजन के पहले हो तो कुछ-कुछ 'ए' जैसा उच्चरित होता है। जैसे 'कहना' या '[illegible]'। ऐसे ही, जहर, नहर, लहर, सहन, बहन, बहना, रहना, सहना, ढहना आदि में भी। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि 'ह' के बाद या तो अ हो (शहर) या कुछ भी न (कह) हो या अक्षरांत में ह (नहमद) हो। कुछ अन्य उदाहरण हैं जहाँ अ का 'ए' जैसा उच्चारण होता है : तलहटी, महसूल, पहरा, चहल-पहल, महक, तहजीब तथा अहसान, आदि।

'अ' से संबद्ध दूसरी गलती यह होती है कि प्रायः संस्कृतज्ञ हिन्दी भाषी या मराठी, ओड़िया या दक्षिण भारत के लोग, 'अ' का उच्चारण उस स्थिति में भी करते हैं, जहाँ मानक हिन्दी में उसका उच्चारण नहीं होता। इस संबंध में दो-तीन बातें याद रखने की हैं : (क) हिन्दी में कोई भी शब्द अकारांत नहीं है। जो शब्द लेखन में अकारांत हैं, उनका उच्चारण व्यंजनांत होता है। अर्थात् तुम, आप, पाप, राम, जप, सच, ब्रह्म, जग, आज, हाट आदि शब्द वास्तविक उच्चारण में तुम्, आप्, पाप्, राम्, जप्, सच्, ब्रह्म, जग्, आज्, हाट् आदि हैं। (ख) प्रथम अक्षर छोड़कर यदि शब्द के मध्य में किसी व्यंजन के बाद 'अ' हो तथा उसके बाद के व्यंजन के बाद दीर्घ स्वर हो तो भी 'अ' का लोप हो जाता है। जैसे 'चलता' का उच्चारण 'चल्ता' होगा या 'आवश्यकता' का उच्चारण 'आवश्यक्ता' होगा। इसी प्रकार जगती, धरना, अगला, पतली, चलते, कमरा, बनना आदि में भी। (ग) पहले अक्षर के बाद के 'अ' के बाद यदि व्यंजन + ह्रस्व स्वर + व्यंजन का पैटर्न हो तो भी अ लुप्त हो जाएगा : मतलब, खटमल, मखमल, [illegible]।

ऋ

'ऋ' का उच्चारण हिन्दी में 'रि' होता है। बहुत से लोग—प्रायः मेरठ तथा आसपास के पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र के—कृपा को 'क्रपा', 'कृपया' को 'क्रपया', 'कृष्ण' को 'क्रष्ण' अर्थात् 'रि' को 'र' बोलते हैं, जो अशुद्ध है। कभी-कभी इससे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। उदाहरण के लिए गृह को कोई ग्रह कहे तो अर्थ गृह का ग्रह हो जाएगा। पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र के कुछ लोगों को मैंने 'गृहप्रवेश' के स्थान पर 'ग्रहप्रवेश' कहते सुना है। तो यह स्मरण रखने की बात है कि 'ऋ' हिन्दी में सभी स्थितियों में 'रि' ही उच्चरित होती है। 'र्' व्यंजन और 'इ' स्वर का योग।

इसी प्रकार गुजराती, मराठी तथा बहुत से दक्षिण भारत के लोग 'ऋ' का उच्चारण 'रु' करते हैं। यह भी अशुद्ध है। उदाहरण के लिए ये लोग 'कृष्ण' को 'क्रुष्ण' [illegible] 'कृपा' को 'क्रुपा' आदि बोलते हैं।

इस प्रकार 'ऋ' का हिन्दी में मानक उच्चारण न तो 'र' है न 'रु', बल्कि 'रि' है।

ऑ

यह अंग्रेजी से आया हुआ स्वर है तथा अंग्रेजी से हिन्दी मे लिए गए डॉक्टर, आफिस आदि पन्द्रह-सोलह शब्दो मे ही मिलता है। बहुत से लोग इसके स्थान पर 'आ' बोलने की गलती करते है। किंतु इस तरह की गलती से कही-कही अर्थ भी बदल जाता है, अत 'ऑ' को 'ऑ' ही बोलना चाहिए 'आ' नही। उदाहरण के लिए 'काफी' का अर्थ है 'पर्याप्त', किंतु 'कॉफी' एक पेय है। ऐसे ही 'बाल' का अर्थ है 'केश' किंतु 'बॉल' का अर्थ है 'गेंद' अथवा 'हाल' का अर्थ है 'समाचार' तो 'हॉल' का अर्थ है नाटक, भाषण आदि के लिए विशेष प्रकार से बना बहुत बडा कमरा।

हिन्दी मे ऑ-युक्त कुछ बहुप्रचलित शब्द ये है

ऑनरेरी, ऑफिस, ऑमलेट, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, कॉफी, कॉमा, कॉर्नफ्लेक्स, कॉल, कॉलर, कॉलिज, चॉक, चॉकलेट, चॉप, टॉप्स, डॉक्टर, पॉकिट, पॉट, पॉप, (म्युजिक, कार्न), पॉलिश, पॉलिसी, प्लॉट, प्लैटफॉर्म, फॉर्म, फॉल (साडी का), फुटबॉल, बॉण्ड, बॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, मटनचॉप, मनीऑर्डर, यूनिफॉर्म, लॉन, लॉनटेनिस, लॉर्ड, वालीबॉल, हॉकी, हॉटडॉग, हॉल, हैंडबॉल।

इ, उ

ये दोनो स्वर यदि शब्दों के अंत मे आते हैं तो इनके उच्चारण मे प्राय गलती हो जाती है। लोग ह्रस्व 'इ' के स्थान पर दीर्घ 'ई' तथा ह्रस्व 'उ' के स्थान पर दीर्घ 'ऊ' बोल जाते है। जैसे 'कवि' का 'कवी', 'भक्ति' का 'भक्ती' या 'व्यक्ति' या 'व्यक्ती' आदि। इसी प्रकार 'शत्रु' का 'शत्रू', 'वस्तु' का 'वस्तू' तथा 'धातु' का 'धातू' आदि। अर्थात् शब्दात मे आनेवाले 'इ' 'उ' का उच्चारण बहुत सँभलकर करना चाहिए।

ऐ, औ

ये दोनो स्वर मानक हिन्दी के उच्चारण मे मूल स्वर है। अर्थात् इनके उच्चारण मे जीभ अचल रहनी चाहिए। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना नहीं चाहिए। इनके उच्चारण मे प्राय दो प्रकार की गलतियाँ मिलती है। संस्कृत तथा आर्यसमाज परम्परा के बहुत से लोग संस्कृत के उच्चारण के अनुरूप 'ऐ' का उच्चारण 'अइ' करते है। जैसे 'नैतिक' के स्थान पर 'नइतिक', 'पैसा' का 'पइसा' अथवा 'सैनिक' के स्थान पर 'सइनिक' आदि। वस्तुत इसका उच्चारण 'अ' और 'इ' का योग न होकर मूल स्वर 'ऐ' है। दूसरी गलती दिल्ली-हरियाणा तथा आस-पास के लोग करते है। यहाँ नई पीढ़ी के बहुत से लोग 'ऐ' के स्थान पर 'ए' का उच्चारण करते हैं। अर्थात् 'सैनिक' और 'वैदिक' का 'सेनिक', 'वेदिक'।

इसी के अनुरूप 'औ' का उच्चारण संस्कृत और आर्यसमाज परंपरा में 'अउ' मिलता है तो हिन्दी-हरियाणा आदि में 'ऑ'। जैसा 'गौरव' का 'गउरव' तथा 'गॉरव' अथवा 'औरत' का 'अउरत' अथवा 'ऑरत'। निष्कर्षत 'ऐ' के 'अइ' और 'ए' तथा 'औ' के 'अउ' तथा 'ओ' उच्चारण से बचना चाहिए।

हिन्दी-क्षेत्र के पूर्वी भाग में 'ए' तथा 'औ' क्रमश 'अएँ' तथा 'अओ' रूप में संयुक्ताक्षरवत् उच्चरित होते हैं। वहाँ के लोगों के लिए इनका मूल स्वर की तरह उच्चारण करना संभव नहीं है, अत उस क्षेत्र में इसी को मानक रूप माना जा सकता है।

व्यजन

क़, ख़, ग़, ज़, फ़

इनके उच्चारण के संबंध में हिन्दी प्रदेश में पाँच प्रकार के विचार मिलते हैं। काफी लोग तो ऐसे हैं जो इन सभी के स्थान पर क्रमश क, ख, ग, ज, फ, बोलते हैं। ऐसे लोग अधिकांशत अर्धशिक्षित या अशिक्षित वर्ग के हैं। इनका नारा है 'बिंदी हटाओ हिन्दी बचाओ'। दूसरे वर्ग के वे शिक्षित लोग हैं जो ज़, फ़ का तो ठीक उच्चारण करते हैं, किन्तु क़, ख़, ग़ का नहीं। इसका कारण यह है कि ये ध्वनियाँ (गज़ट, मेज़, टेलीफ़ोन) अंग्रेजी के शब्दों में भी आती हैं और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अत इनके बोलने की आदत है। तीसरे वर्ग में वे शिक्षित लोग आते हैं जो शिक्षित हैं, और इन सभी का प्रयोग करना चाहते तो हैं किन्तु उन्हें पता नहीं है कि किस शब्द में कहाँ कौन-सी ध्वनि है। इसका परिणाम यह होता है कि ये लोग कभी तो क़, ख़, ग़, ज़, फ़ के स्थान पर क, ख, ग, ज, फ बोल जाते हैं और कभी क, ख, ग, ज, फ के स्थान पर क़, ख़, ग़, ज़, फ़। उदाहरण के लिए 'गरीब' के लिए 'ग़रीब' और 'अख़बार' के लिए 'अखबार' तो 'सहज' के लिए 'सहज़' और 'फ़ौज' के लिए 'फौज'। अंतिम वर्ग में शिक्षित लोगों में से थोड़े ऐसे लोग आते हैं जो इन सभी का ठीक प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग वे हैं जिनका किसी-न-किसी स्तर पर उर्दू से संबंध रहा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या किया जाना चाहिए। तीन ही रास्ते हैं

(क) इन सबका क्रमश क, ख, ग, ज, फ कर दिया जाए। किन्तु इसमें कई कठिनाइयाँ हैं (अ) [illegible], [illegible], [illegible], खाना-ख़ाना, [illegible], [illegible], [illegible] आदि में अर्थ का अन्तर है अत अर्थ की स्पष्टता के लिए इनमें [illegible] होगा। (आ) सुशिक्षित लोगों द्वारा तथा आकाशवाणी और [illegible] के समाचारों आदि में इनका ठीक उच्चारण किया जाता है। (ख) [illegible] [illegible] इन ध्वनियों के साथ [illegible]। यदि इन ध्वनियों को [illegible] तो उन शब्दों का [illegible] हो जाता है। उदाहरण के लिए [illegible] को [illegible]

बोलना और सुनना दोनो ही अटपटा लगता है। (ई) गालिब, फ़ैज़, ज़ौक, फिराक आदि बहुत से नामो मे ये ध्वनियाँ आती हैं, और इन नामो को बिगाडने का हमे कोई अधिकार नही है। ऐसी स्थिति मे इस रास्ते को नही अपनाया जा सकता।

(ख) दूसरा रास्ता ज, फ को स्वीकार करने तथा क, ख, ग के स्थान पर क, ख, ग का प्रयोग करने का है। ऊपर कही चारो बाते इसके भी विपरीत जाती हैं। अत ऐसा नही कर सकते।

(ग) तीसरा रास्ता है, क, ख, ग, ज, फ को हिन्दी स्वीकार कर लें। ऐसा करने से इससे उपर्युक्त लाभो के अतिरिक्त एक और लाभ यह होगा कि हिन्दी-उर्दू उच्चारण मे एक-दूसरे के बहुत समीप आ जाएँगी, साथ ही भारत के बाहर के उन मुस्लिम देशो के लोगो के लिए, जिनकी भाषाएँ अरबी, फारसी, तुर्की से सबद्ध है, हिन्दी सीखना, बोलना और समझना आसान हो जाएगा।

इन ध्वनियो के ठीक प्रयोग की जानकारी के लिए इस अध्याय के अत मे 'परिशिष्ट एक' मे उन सारे शब्दो की लगभग पूरी सूची दी जा रही है, जो हिन्दी मे प्रयुक्त होते है, तथा जिनमे ये ध्वनियाँ हैं। जो लोग इन ध्वनियो का ठीक प्रयोग करना चाहे, वे इन सूचियो को दो-चार बार पढकर, इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते है कि कहाँ इन ध्वनियो का प्रयोग होता है, और कहाँ नही होता।

ण-न

कौरवी, हरियाणवी, राजस्थानी तथा पजाबी क्षेत्रो के कुछ लोग 'न' का उच्चारण 'ण' करते हैं। जैसे 'रानी' का 'राणी' अथवा 'खाना' का 'खाणा', 'जाना' का 'जाणा' आदि। इसके विपरीत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बहुत-से लोग 'ण' का उच्चारण 'न' करते है। जैसे 'वीणा' का 'वीना', 'प्राण' का 'प्रान', 'गुण' का 'गुन' आदि। इस सबध मे सामान्यत यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 'राणा' को छोडकर किसी भी तद्भव शब्द मे 'ण' का प्रयोग नही होता। ण केवल तत्सम शब्दो मे ही आता है। वक्ता थोडा भी सावधान रहकर इस अशुद्धि से बच सकता है।

व-ब

पूरे हिन्दी प्रदेश मे 'व' के स्थान पर काफी लोग 'ब' बोलते हैं। ब्रज-क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बगाल की हिन्दी मे यह प्रवृत्ति और भी अधिक मिलती है। वश, वक्तव्य, वधिक, वदना, वर्ण, वर्तमान, वस्तु, विद्यार्थी, विश्व, विश्वविद्यालय आदि के उच्चारण मे यह अशुद्धि कही भी सुनी जा सकती है। बहुत से लोग व-ब के अर्थान्तरी भेद का भी ध्यान नही रखते। उदाहरण के लिए 'सेव' तो बेसन से (मीठा या नमकीन) बनाया जाता है, किन्तु 'सेब' फल है। कुछ लोग

दोनों को 'सेव' कहते हैं तो कुछ लोग दोनों को 'सेब'। ब-व के औच्चारणिक अंतर का ध्यान रखा जाना चाहिए।

य-ज

'य' के स्थान पर 'ज' के उच्चारण की गलती पूर्वी क्षेत्रों में विशेष रूप से मिलती है : यश-जश, यथार्थ-जथार्थ, यात्रा-जात्रा, युद्ध-जुद्ध। यह गलती शब्द के आदि में तो प्रायः मिलती है, किन्तु कभी-कभी शब्द के मध्य में (अयोध्या, संयोग, संयोजन, अयोग्य) भी मिलती है। थोड़ी सावधानी से इनसे बचा जा सकता है।

श-स

'श' के 'स' उच्चारण की गलती भी हिन्दी प्रदेश में बहुत व्यापक है : शहर-सहर, शाल-साल, शरीफा-सरीफा आदि। इसके विपरीत कुछ शब्दों में 'स' के स्थान पर 'श'—उच्चारण की अशुद्धि भी मिलती है : सतरंज-शतरंज, प्रसाद-प्रशाद, नमस्कार-नमश्कार। अच्छे उच्चारण के लिए इनका ध्यान रखना भी आवश्यक है।

संयुक्त व्यंजन

क्ष

इसका संस्कृत उच्चारण 'क्‌-ष' था, किन्तु हिन्दी में इसका उच्चारण 'क्श' होता है। बहुत से लोग शब्द के आदि में आने पर 'क्ष' के स्थान पर छ बोलते हैं जैसे 'क्षण' का 'छण', 'क्षति' का 'छति', 'क्षत्रिय' का 'छत्रिय' या 'क्षुद्र' का 'छुद्र' आदि। इसी प्रकार शब्द के मध्य या अंत में आने पर बहुत से लोग इसके स्थान पर च्छ बोलने की अशुद्धि कर जाते हैं। जैसे 'अक्षर' का 'अच्छर', 'दक्षिण' का 'दच्छिन', 'रक्षा' का 'रच्छा' अथवा 'दक्ष' का 'दच्छ', 'वक्ष' का 'वच्छ' आदि। कभी-कभी इससे अर्थभेद भी हो जाता है। कक्षा-कच्छा, क्षार-छार। क्ष-युक्त शब्द केवल तत्सम होते हैं।

ज्ञ

इसका संस्कृत उच्चारण 'ज्‌-ञ' है, किन्तु हिन्दी में अब इसका उच्चारण 'ग्य' (हिन्दी क्षेत्र का पश्चिमी भाग) तथा 'ग्यँ' (हिन्दी क्षेत्र का पूर्वी भाग) हो चला है। [illegible] उच्चारण ज्ञे (ज्ञान-[illegible], [illegible]) [illegible]। महाराष्ट्र तथा भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में 'ज्ञ' का उच्चारण [illegible] होता है। यह ध्यान में रखने की बात है कि हिन्दी में इसका मानक [illegible] [illegible] (पश्चिमी क्षेत्र) ही है, [illegible] या [illegible] नहीं।

[illegible] आदि

[illegible]

भी दूसरा व्यजन हो तो प्राय लोग उस शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। जैसे 'स्टेशन' का 'इस्टेशन', 'अस्टेशन', 'सटेशन' या 'स्टूल' का 'सटूल', 'इस्टूल' आदि। उच्चारण की इस गलती की तीन स्थितियाँ है। कुछ लोग आदि मे एक अतिरिक्त 'इ' बोलते है, तो कुछ लोग एक अतिरिक्त अ। कुछ अन्य लोग मुख्यत पजाब-हरियाणा के लोग मध्य मे एक अतिरिक्त 'अ' जोडकर उच्चारण करते है

शुद्ध उच्चारण	**आदि मे इ**	**आदि मे अ**	**मध्य मे अ**
स्टेशन	इस्टेशन	अस्टेशन	सटेशन
स्केल	इस्केल	अस्केल	सकेल
स्प्रिग	ईस्प्रिग	अस्प्रिग	सप्रिग
स्नेह	इस्नेह	अस्नेह	सनेह
स्लेट	इस्लेट	अस्लेट	सलेट

इस प्रकार आदिस्थानीय स्+य, व—इतर व्यजन के उच्चारण मे इन तीनो प्रकार के आगमो (इ, अ, अ आगम) से बचने का यत्न करना चाहिए।

व्यजन+य, व

यदि शब्द के मध्य मे व्यजन के बाद 'य' अथवा 'व' हो तो उच्चारण वह नही होता, जो वर्तनी मे होता है, बल्कि यदि वह व्यजन अल्पप्राण हो तो द्वित्व हो जाता है

वर्तनी	**मानक उच्चारण**
वाक्याश	वाक्क्याश
राज्याधिकार	राज्ज्याधिकार
अत्यत	अत्त्यत
उपन्यास	उपन्न्यास
अन्वय	अन्न्वय

किन्तु यदि व्यजन महाप्राण हो तो उसके पहले उसका अल्पप्राण रूप आ जाता है

वर्तनी	**मानक उच्चारण**
व्याख्यान	व्याक्ख्यान
तथ्याधारित	तत्थ्याधारित
अध्यापक	अद्ध्यापक
अभ्यास	अब्भ्यास

इन शब्दों को बोलते समय बीच से तोड़ना पड़ता है। तोड़ने में यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यंजन अल्पप्राण हो तो उसके द्वित्व के बीच में तोड़कर बोलना चाहिए। जैसे वाक्-व्यापार, सत्-तत्त्व, अन्-न्वय आदि। इसके विपरीत यदि व्यंजन महाप्राण हो तो उससे पूर्व जो अल्पप्राण व्यंजन आएगा उसके बाद ही शब्द टूटेगा। जैसे अब्-भ्यास, अद्-ध्यापक, व्याघ्-घ्रान।

बलाघात

बलाघात का अर्थ है 'बल' का 'आघात'। बोलने में कुछ अंशों का उच्चारण हम बल के साथ करते हैं। जो अंश बल के साथ उच्चरित होते हैं उनको बलाघातयुक्त कहा जाता है।

हिन्दी में धातु तथा उसका आज्ञा का रूप एक ही होता है। सामान्यतः इनके उच्चारण में अंतर नहीं होता। कोई पूछे अंग्रेजी eat के लिए हिन्दी में कौन-सी धातु है। उत्तर होगा—'खा'। इसी प्रकार कोई पूछे 'खाना' क्रिया का मध्यम पुरुष एकवचन आज्ञार्थ का क्या रूप होगा। उत्तर होगा—'खा'। इन दोनों 'खा' में बलाघात की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। किन्तु यदि वाक्य में प्रयुक्त करें तो आज्ञा का रूप अपेक्षाकृत अधिक बलाघातयुक्त होगा

राम खा रहा है।

तू खाना खा।

वाक्य में बलाघात कारक-चिह्नों आदि व्याकरणिक इकाइयों पर नहीं होता, वह प्रायः आर्थिक इकाइयों पर होता है

दिल्ली तक जाना है।

राम तो आएगा।

'भी' और 'ही' की स्थिति उपर्युक्त व्याकरणिक इकाइयों से थोड़ी भिन्न है। वक्ता अपनी इच्छानुसार कभी तो इन पर बल देता है और कभी नहीं।

1 (क) राम ही आएगा।
(ख) राम ही आएगा।
(ग) राम ही आएगा।

2 (क) राम भी आएगा।
(ख) राम भी आएगा।
(ग) राम भी आएगा।

वाक्य में कभी-कभी स्वाभाविक बलाघात भी होते हैं

— मैं बाजार जाऊँगा लेकिन वह स्कूल जाएगा।

इस वाक्य में 'बाजार' और 'स्कूल' तथा 'जाऊँगा' और 'जाएगा' पर बलाघात होगा। इसी तरह बड़ा भाई छोटे मुन्नू को समझा सकता है

भई मुन्नू, रो नही। शाम होगी, माँ आएगी।
खाना बनाएगी, और तब जाकर खाना मिलेगा।

एकाधिक बलाघातो मे सभी प्राय बराबर नही होते। उनमे प्राय थोडा-बहुत अन्तर होता है।

वाक्य मे कोई प्रश्नवाचक शब्द हो तो सामान्यत सर्वाधिक सशक्त बलाघात उसी पर होता है। कुछ वाक्य है

आजकल क्या कर रहे हो ?
आम कहाँ से आए हैं ?
तुम वहाँ कैसे रहोगे ?
आज कौन आ रहा है ?
छुट्टियाँ कब हो रही है ?
बारात मे कुल कितने लोग है ?
यह किसका घर है ?
किसे पूछ रहे हैं ?

सामान्यत निम्न प्रकार के वाक्यो मे विशेषण पर अपेक्षाकृत कुछ अधिक बलाघात होता है, क्योकि वाक्य की मुख्य सूचना वही मिलती है

राम अच्छा लडका है।
मोहन अमीर है।
उसका साला तो बुद्धू है।
मेरा गला ख़राब है।

इसी तरह निम्नाकित प्रकार के वाक्यो मे क्रियाविशेषण पर बल होता है

राम अच्छा गाता है।
वह घोडा तेज़ दौडता है।
नीलू गंदा लिखता है।

ऐसे ही निम्नाकित प्रकार के वाक्यो मे नकारात्मक अव्यय पर अधिक बल पडता है

मैं नहीं चलने का।
तुम मत बोलो।
आप न उठे।

वाक्य मे शब्द-विशेष पर बलाघात देने से अर्थ मे अन्तर आता है। उदाहरण के लिए

1 (क) उस किराएदार को एक खिडकीवाला मकान चाहिए।
(ख) उस किराएदार को एक खिडकीवाला मकान चाहिए।
(क) जिसमे एक खिडकी हो, (ख) खिडकीयुक्त एक मकान।

2 (क) कम-से-कम इलायची लो।

(ख) कम-से-कम इलायची लो ।

इलायची के स्थान पर पान, पानी, सौंफ, शर्बत, मिठाई आदि अन्य अनेक शब्दों का भी इसी प्रकार प्रयोग हो सकता है ।

3 (क) आज **कम-से-कम** बोलूँगा ।
(ख) आज कम-से-कम बोलूँगा ।

4 (क) दवा खाने के बाद पीना ।
(ख) दवा खाने के बाद पीना ।

5 (क) राम आया और खाना खाकर चला गया ।
(ख) राम आया **और** खाना खाकर चला गया ।

पाँचवें में विशेष बलाघात परिवर्तन में न होकर बलाघात न होने (क) तथा होने (ख) में है । क में 'और' का अर्थ है 'तथा' (and) किन्तु (ख) में 'और' का अर्थ है 'और ज्यादा' (more) अथवा 'दूसरा' ।

6 कभी-कभी बलाघात एक शब्द पर होने पर अनिश्चय (अंग्रेजी a) तथा दूसरे शब्द पर होने पर निश्चय (अंग्रेजी the) का भाव भी आ जाता है

(क) तुमने **पौधे** उखाड़े हैं (plants)
(ख) **तुमने** पौधे उखाड़े हैं । (the plants)

7 (क) वह तो बहुत भद्दा है ।
(ख) वह तो **बहुत** भद्दा है ।
बलाघातयुक्त 'बहुत' = बहुत ही ।
ऐसे ही :
एक आदमी आया है ।
एक आदमी आया है । (एक ही)

8 (क) भारत अभी और उन्नति करेगा ।
(ख) भारत अभी **और** उन्नति करेगा । (और भी)

9 (क) अब तो तुम कभी नहीं आओगे ।
(ख) अब तो तुम **कभी** नहीं आओगे । (कभी भी)

10 (क) मोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता ।
(ख) **मोहन** ऐसा कभी नहीं कर सकता ।
(यहाँ भाव यह है कि चाहे कोई दूसरा ऐसा करे भले ।)

(क) वहाँ समस्या नहीं होगी ।
(ख) वहाँ **समस्या** नहीं होगी ।

(घ) मे भाव यह है कि कोई और होगी।

11 (क) इंजन चला। (मामान्य)

(ख) इजन चला। (आज्ञा)

ऐसे ही 'पानी गिरा'—'पानी गिरा' या 'वच्चा उठा'—'वच्चा उठा' आदि मे भी अतर है।

निष्कर्षत अच्छे उच्चारण के लिए यह आवश्यक है कि वलाघात की इन वारीकियो का ध्यान रखा जाए। यह ध्यान देने की वात है कि वक्ता का कथ्य केवल शब्दो के सामान्य अर्थ से व्यक्त नही होता, वह वलाघात आदि से भी सवद्ध होता है।

हिन्दी उच्चारण मे पाई जानेवाली क्षेत्रीय और प्रदेशोय भूले

हिन्दी भापी प्रदेशो मे हर क्षेत्र मे हिन्दी उच्चारण मे होनेवाली कुछ भूले तो समान रूप से सभी मे पाई जाती हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ के स्थान पर क, ख, ग, ज, फ, अत्य इ, उ के स्थान पर ई, ऊ, श के स्थान पर स, य के स्थान पर ज, तथा व के स्थान पर व आदि, किंतु कुछ भूले ऐसी भी होती है जो केवल कुछ क्षेत्रो मे मिलती हैं तथा कुछ ऐसी भी है जो अत्यत सीमित स्थानो मे ही मिलती हैं। यहा हिन्दी उच्चारण की कुछ मुख्य क्षेत्रीय भूले सक्षेप मे दी जा रही है

कौरवी

अत्य 'इ' का 'ई' (रवि का रवी, पति का पती, गति का गती), अत्य 'उ' का 'ऊ' (भानु का भानू, गुरु का गुरू, शिशु का शिशू), 'इ' तथा 'उ' का 'अ' (खुशबू-खशबू, मन्दिर-मन्दर, तुम-तम, धनुष-धनष, मिठाई-मठाई), 'ऐ' का 'ए' (ऐनक-एनक, ऐसा-एसा), 'औ' का 'ओ' (औरत-ओरत, पौदा-पोदा, और-ओर), प्रारभिक ह्रस्व स्वर का लोप (असाढ-साढ, अगूठा-गूठा, इकट्ठा-कट्ठा, अनाज-नाज, इकत्तीस-कत्तीस, इलाज-लाज, इक्यावन-क्यावन), आदि के अक्षर के दीर्घ स्वर के स्थान पर ह्रस्व स्वर (आनद का अनद, ऐसे ही अश्चर्य, अजन्म, सहित्य, समाजिक), 'ऋ' का 'र' (नृप, ऋपा, ऋष्ण, (गृह का ग्रह), आदीतर महाप्राण व्यजनो की महाप्राणता बहुत कम या नही के बराबर (साँझ-साँज, जीभ-जीव, तुम्हारा-तुमारा, घूंघट-घूंगट, भाभी-भावी, भूख-भूक, धोखा-धोका, झूठ-झूट), 'न' का 'ण' (जाना-जाणा, कौन-कौण, नवमी-णौमी, भगवान-भगवाण), 'व' का 'ब' (बिद्या, ब्यापार), एक व्यजन के स्थान पर द्वित्व, (लोट्टा, गाड्डी, बोल्ला, जाड्डा, बेट्टा, नान्नी, माट्टी, चाच्चा), 'श' का 'स' (अकास, सोर, जोस, होस, साम, सोक), 'व' का 'म' (गँवार-गमार, पाँव-पाम, नीव-नीम, साँवन-सामन, गाँव-गाम), 'न' का 'ल' (मिलट, चिमली, लील), 'क्ष' का आदि मे 'छ' (छत्रिय),

तथा मध्य में ष्ठ ([illegible], [illegible], [illegible]), 'द्य' का 'द्र' (विद्यार्थी-विद्रार्थी, विद्यालय-विद्रालय), संयुक्त ([illegible] संयुक्त) व्यंजनों का स्वरागम के द्वारा सरलीकरण ([illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]), 'य' का आगम ([illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ([illegible] का), [illegible] आदि।

बिहारी

इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार सम्मिलित हैं, अर्थात् भोजपुरी [illegible] मगही, मैथिली क्षेत्र। अतः यहाँ कुछ वृत्तमुखी उच्चारण ([illegible] [illegible], पेंट), [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ([illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]), [illegible] स्वर के स्थान पर अनुनासिक स्वर ([illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]) 'स' से [illegible] कुछ [illegible] व्यंजनों (आदि [illegible]) के पूर्व 'इ' या 'अ' का आगम ([illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]) 'आ' का 'अइ' या 'अर' ([illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]), [illegible] का 'अइ' या 'अय' ([illegible], [illegible]) '[illegible]' का 'र' ([illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]) '[illegible]' का '[illegible]' ([illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]), '[illegible]' का 'र' ([illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]), '[illegible]' का '[illegible]' ([illegible], [illegible] [illegible]), '[illegible]' का [illegible] ([illegible], [illegible], [illegible], [illegible] व्यायाम, [illegible]), [illegible] का [illegible] ([illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]), 'क्ष' का आरम्भ में '[illegible]' ([illegible] [illegible] [illegible]) तथा मध्य में '[illegible]' ([illegible], [illegible], [illegible]) या '[illegible]' ([illegible], [illegible]) संयुक्त व्यंजन [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] देना ([illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]) आदि।

राजस्थानी

अत्य 'इ' का 'ई' , 'उ' का 'ऊ' (कवी, पती, दयालू, कृपालू), 'ऋ' का 'र' (क्रपा, क्रष्ण), 'ऐ' का 'ए' (है-हे, पैर-पेर, जैसा-जेसा), 'औ' का 'ओ' (ओजार, ओलाद, और-ओर), 'श' का 'स' (प्रकास, सक्कर, सुरू, सयम), 'द्य' का 'ध' (विधार्थी, विधालय), 'व' का 'ब' (सबाद, बेद) आदि।

छोटे क्षेत्रो या सीमित स्थानो की भूलें अनेकानेक प्रकार की हो सकती हैं। जैसे ब्रज क्षेत्र के कुछ भागो मे क्यो को च्यो, स्वाति को स्वाँति, कुछ कौरवी क्षेत्रो मे डरपोक को डरपोच, बहुतेरा का भतेरा, बहादुर को भादर, मगही क्षेत्र मे याद को आद, कुछ भोजपुरी क्षेत्रो मे ग्यारह को एगारह, अखबार को अकबार, दरभगा मे नाव का लाव, नदी का लदी, राजस्थान मे कुछ क्षेत्रो मे पीछे को पीच्छे, सिरोही मे शक्कर को चक्कर, छत्तीसगढ मे सीता को छीता या छेना (पनीर) को सेना आदि कहते है। इनका 'स' का 'छ', 'छ' का 'स', 'न' का 'ल', 'क' का 'च' आदि रूपो मे सामान्यीकरण किया जा सकता है।

समवेतत हिन्दी प्रदेश मे उच्चारण-विषयक भूलो मे ह्रस्वीकरण (आ का अ, ई का इ, ऊ का उ, ए का ई, ओ का उ), दीर्घीकरण (अ का आ, इ का ई, उ का ऊ), केन्द्रीकरण (इ,उ का अ), क, ख, ग, ज, फ, का क, ख, ग, ज, फ, श का स, न का ल, ल का न, र का ल, ल का र, व का ब, य का ज, ण का न, क्ष का छ-च्छ, सयुक्त व्यजन का स्वरागम द्वारा सरलीकरण आदि की प्रवत्तियाँ मिलती है। प्राय ऐसा भी होता है कि कुछ शब्द इन तथाकथित अशुद्ध रूपो मे ही विशिष्ट क्षेत्रो मे प्रचलित है, और उस क्षेत्र के लोग जब हिन्दी बोलते हैं, तो हिन्दी के मानक उच्चारण के स्थान पर अपने क्षेत्रीय उच्चारण का ही प्रयोग कर देते हैं, अत गलती हो जाती है।

इसी तरह हिन्दीतर भारतीय तथा अभारतीय लोगो के हिन्दी उच्चारण मे भी भूलें होती है। उदाहरण के लिए जापानी भाषा मे 'र-ल' मे अन्तर नही है। कई शब्दो मे 'र-ल' एक दूसरे के स्थान पर भी आ सकते हैं, अत जापानी जब हिन्दी बोलता है तो 'र' के स्थान पर 'ल' तथा 'ल' के स्थान पर 'र' की गलती वह प्राय कर बैठता है। जापानी भाषा मे महाप्राण व्यजन नही है, अत उनके उच्चारण मे भी उसे कठिनाई होती है, किंतु थोडे परिश्रम तथा अभ्यास के बाद वह उनका ठीक उच्चारण करने लगता है, किंतु 'ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़' के उच्चारण उसके लिए टेढी खीर है। यूरोप की सारी रोमास तथा स्लाव भाषाओ तथा अफ्रीका की कई भाषाओ के लोगो के लिए भी हिन्दी उच्चारण की मुख्य कठिनाइयाँ टवर्ग तथा महाप्राण ही हैं।

हिन्दीतर भारतीय भाषाओ के बोलनेवालो को भी हिन्दी उच्चारण मे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पडता है और उनसे सबद्ध

अलग प्रकार की त्रुटियाँ भी वे करते हैं। उदाहरणार्थ मराठी भाषी हिन्दी बोलते समय भी 'श' का वही उच्चारण करते हैं जो मराठी में होता है (मूर्धन्य सा लगता)। ऐसे ही मराठी में 'च' 'ज' 'झ' दो-दो प्रकार के होते हैं। इनमें एक का सामान्य तालव्य है जैसे हिन्दी में है। किन्तु दूसरे प्रकार के 'च' 'ज' 'झ' सामान्य से पीछे दन्त्य या दन्त्य-वर्त्स्य हैं। मराठी भाषी अनेक हिन्दी शब्दों में (जैसे चमचा, चोर, जगा, जाति, जोगी, जान, चाची, झोपड़ी) इन वर्णों के 'च, ज', झ' का उच्चारण कर देते हैं। ऐसे ही मराठी में 'ळ' ध्वनि भी है। मराठी भाषी हिन्दी बोलने में भी 'ल' के स्थान पर कभी-कभी 'ळ' (गळी, उजळा थाळा) बोल जाते हैं। यह अंतिम अशुद्धि गुजराती भाषियों में भी होती है। ऐसे ही गुजराती भाषी हिन्दी बोलने में भी (गुजराती उच्चारण की तरह) 'ड़' या 'ढ़' के स्थान पर 'ड' (पढ़ि-पडि, बुढ़ापा-बुडापा) उच्चरित कर जाते हैं। द्रविड़ भाषी 'श' या 'ष' बोलते हैं तथा बंगाली 'स्' या 'श' ([illegible]) जबकि हिन्दी बोलते समय 'स' या 'ष' बोलना चाहिए। ऐसे ही तमिल-भाषी महाप्राण व्यंजनों का अल्पप्राण रूप में उच्चरित (खाना-काना, फूल-पूल भार-बार) कर जाते हैं। नीचे बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी भाषियों द्वारा हिन्दी-भाषा के उच्चारण की कुछ मुख्य भूलें अलग-अलग दी जा रही हैं।

बंगाली

व्यजन को सरल बनाने के लिए स्वरागम (रजिन्दर, सुरिन्दर, परसाद, , करम, धरम, सकूल, सटेशन, पुत्तर, शमशान, सप्रिग, परयतन), 'इ', 'उ' का 'अ' (साबुन-सावण, मदिर-मदर, हिसाव-हसाब, भगिन-भगन, त्रिलोक-तरलोक), 'अ' का लोप (प्रमात्मा, प्रन्तु, स्प्ताह) आदि।

कश्मीरो

'ऐ' का 'ए' (पैसा-पेसा, बैठ-बेठ), 'औ' का 'ओ' (औरत-ओरत), 'ख' का क' या 'ख' (मूक, राख, खेत), 'घ' का 'ग' (घोडा-गोडा, घी-गी, घर-गर, घास-गास), 'झ' का 'ज' (झडा-जडा, झुझलाहट, जुजलाहट), 'ढ' का 'ड' (ढूँढना-डूडना, ढकना-डकना), 'ध' का 'द' (धन-दन, धरती-दरती, धृतराष्ट्र-दृतराष्ट्र), 'ण' का 'न' (राणा-राना, कारण-कारन, धारणा-धारना), 'फ' का 'फ' (फल, फूल), 'व' का 'व' (वरसात, वल), 'भ' का 'व' (बाई, वोजन, वेद, वारत, व्रमर, वूतकाल), 'व' का 'ब' (वेश्या, वाहन, बिश्वास, विश्नु), 'य' का 'ज' (जात्रा), द्व' का 'द्य' का 'द्' (विद्दान, विद्दालय, अद्दैत, विद्दार्थी) आदि।

परिशिष्ट

(अ) क-युक्त शब्द

अकीदा, अवदनामा, अक्ल, अक्लमद, अक्लमदी, अर्क, आकवत, आका, आदमकद, आशिक, आशिकमिजाज, आशिकाना, आशिकी, इतकाम, इतकाल, इकवाल, इकवाली, इकरारनामा, इत्तफाक, इत्तफाकन, इत्तफाकिया, इनक्लाव, इनक्लाबी, इलाका, इलाकेदार, इश्क, इश्कवाज़, इश्कवाज़ी, इश्कमजाजी, इश्क-हकीकी, उकाव, कतरा, कता, कतार, कत्ल, कद, कदम, कदमचा, कदमबोसी, कदीम, कदीमी, कद्दावर, कद्र, कद्रदाँ, कद्रदान, कद्रदानी, कनात, कबूल, कब्ज, कब्जा कब्ज़ियत, कब्जी, कब्र, कब्रिस्तान, कब्ल, कमअक्ल, कयाम, कयामत, कयास, करार, करीना, करीव, करीवन, करीवी, कलई, कलईगर, कलईदार, कलम, कलम-दानी, कवायद, कव्वाली, कसवा, कसवी, कसम, कसमिया, कसाई, कसाईखाना, कसीदा, कसूर, कसूरवार, कस्दन, कस्साव, कस्सावखाना, कहकहा, कहत, कहवा, कहवाखाना, काज़ी, कातिल, कानून, कानूनन, कानूनगो, काफिया, काफिला, कावलियत, काविज, काविल, कावू, कायदा, कायम, कायम-मुकाम, कायल, किता, किला, किलावन्दी, किलेदार, किलेदारी, किल्लत, किस्त, किस्त-वार, किस्म, किस्मत, किस्सा, कीमत, कीमती, कीमा, कुदरत, कुदरती, कुरान, कुर्क, कुर्कअमीन, कुर्की, कुर्वान, कुर्वानी, कुसुर, कुसूरमद, कुसूरवार, कै, कैदी, कौम, कौमपरस्त, कौमपरस्ती, कौमियत, कौल, खालिक, गैरकानूनी, गैरमनकूला, चहलकदमी, चाक-चौवट, चाकू, जर्क-वर्क, ज़ायका, ज़ायकेदार, तकदीर, तकदीरी, तकरार, तकरीवन, तकरीर, तकलीफ, तकाज़ा, तनकीद, तपेदिक,

[illegible] [illegible] [illegible], नगीना [illegible] [illegible] नाज़, नाज़ुक, [illegible]- [illegible] [illegible] [illegible] दरियानूर दरियानूरी, दीवानगीपन [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]- [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] पौज, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

इखराजात, इख्तियार, इख्तियारी, इबादतखाना, कबाडखाना, कबूतरखाना, कमखर्च, कमखर्ची, कमख्वाब, कमबख्त, कमबख्ती कसाईखाना, कस्साबखाना, कहवाखाना, कारखाना, कारखानेदार, कूडाखाना, कैदखाना, खच्चर, खच्चरी, खज़ाची, खजाना, खत, खतोकिताबत, खतरनाक, खतरा, खता, खतावार, खत्म, खफगी, खफीफ, खफीफा, खबर, खबरदार, खबरदारी, खबीस, खब्त, खब्ती, खब्तुलहवास, खम, खमदार, खमियाजा, खमीर, खयानत, खरगोश, खरदिमाग, खरदिमागी, खरबूजा, खराद, खरादना, खराब, खराबी, खरामा-खरामा, खराश, खरीता, करीद, खरीदना, खरीदार, खरीदारी, खरीफ, खर्च, खर्चा, खर्चीला, खलल, खलास, खलासी, खलीफा, खल्क, खस, खसम, खसरा, खसखस, खसलत, खसी, खस्ता, खस्ताहाल, खाक, खाकसार, खाका, खाकी, खातिर, खातिरदार, खातिरदारी, खातिरी, खान, खानदान, खानदानी, खानसामा, खाना, खानातलाशी खानाबदोश, खानाबदोशी, खामी, खामोश, खामोशी, खार, खारिज, खारिश, खालसा, खाला, खालिक, खालिस, खाली, खाविद, खास, खासगी, खासियत, खासुलखास, खासा, खासियत, खिज़ा, खिजाब, खिताब, खित्ता, खिदमत, खिदमतगार, खिदमतगारी, खिराज, खिलाफ, खिलाफत, खुद, खुदकाश्त, खुदकुशी, खुदमुख्तार, खुदमुख्तारी, खुदगरज़, खुदगरज़ी, खुदा, खुदाई, खुदापरस्त, खुदापरस्ती, खुदाबन्द, खुदी, खुद्दार, खुद्दारी, खुनकी, खुफिया, खुबानी, खुमार, खुरमा, खुराक, खुराफात, खुराफाती खुर्द, खुर्दबीन, खुलासा, खुश, खुशखत, खुशामदीद, खुशकिस्मत, खुश-किस्मती, खुशखबरी, खुशनसीब, खुशनसीबी, खुशबू, खुशबूदार, खुशमिजाज, खुशहाल, खुशहाली, खुशामद, खुशामदी, खुशी, खुश्क, खुश्की, खुसूसियत, खूँख्वार खून, खूनखराबा, खूनी, खूबसूरत, खूबसूरती, खूबी, खेमा, खैर, खैरख्वाह, खैरसल्ला, खैरात, खैराती, खैरियत, खोजा, खोमचा, खौफ, खौफनाक, ख्याल, ख्याली, ख्वाब, ख्वाबी, ख्वाहमख्वाह, ख्वाहिश, ख्वाहिशमद, 'गमखोर, गमखोरी, गरीबखाना, गर्दखोर, गुसलखाना, गुस्ताख, गुस्ताखी, गोताखोर, गोश्तखोर, घूसखोर, घूसखोरी, चडूखाना, चख, चर्ख, चर्खा, चर्खी, चारखाना, चिडियाखाना, चीख, चीखना, चुगलखोर, चुगलखोरी, छापाखाना, छेडखानी, जखीरा, जखीरेबाज़, जखीरेबाजी, जख्म, जख्मी, जच्चाखाना, जनखा, जनानखाना, जरखेज, जरखेजी, जुआखाना, जेबखर्च, जेलखाना, जोश-व-खरोश, टुकड-खोर, डाकखाना, डाकखर्च, ढलाईखाना, तखमीना, तखलिया, तख्त, तख्तनशीन, तख्तनशीनी, तख्ता, तख्ती, तनख्वाह, तनख्वाहदार, तल्ख, तल्खी, तवारीख, तसल्लीबख्श, तहखाना, तारीख, तारीख-वार, तारीखी, तुख्म, तोपखाना, दखल, दखलकार, दखलकारी, दमखम, दरख्त, दरख्वास्त, दर्जीखाना, दवाखाना, दस्तखत, दस्तखती, दस्तर-ख्वान, दाखिल, दाखिला, दिलखुश, दीवानखाना, दोरुखा, दोजख, दोज़खी,

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], पटाखा पाख़ाना पायख़ाना, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बग़ीचा [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बावर्चीख़ाना, [illegible]-[illegible], [illegible] बुख़ार, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मज़दूर, मज़दूरी, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible],

ग़ैरवाजिब, ग़ैरसरकारी, ग़ैरहाज़िर, ग़ैरहाज़िरी, ग़ैरत, ग़ैरतमंद, गोता, गोताखोर, गोतामार, गौर, चिराग, चुगद, चोगा, तमगा, दगा, दगाबाज़, दगाबाजी, दरोगहल्फी, दारोगा, दाग, दागदार, दागबेल, दागी, दिमाग़, दिमागदार, दिमागदारी, दिमागी, देग, देगची, नगमा, नाबालिग, नाबालिगी, नागा, नाजुकदिमाग, पैगम्बर, पैगाम, फरागत, फारिग, बगल, बगलगीर, बगावत, बग़ैर, बददिमाग, बददिमागी, बलगम, बलगमी, बाग, बागवान, बागबानी, बागी, बागीचा, बालिग, बुगचा, बुगची, बेचिराग, बेदाग, मकता-गजल, मगज, मगजी, मगरिब, मगरबी, मशगूल, मुगल, मुगलई, मुगलिया, मुगालता, मुबलिग, मुर्ग, मुर्गा, मुर्गाबी, मुर्गी, रोगन, रोगनदार, रोगनी, रौगन, रौगनी, लुगत, लुगवी, लुगात, वग़ैरह, शगल, शलगम, शुगल, शुतुरमुर्ग, सरगना, सरगोशी, सागर, सुराग, सौगात, सौगाती।

(ई) ज-युक्त शब्द

अँग्रेज़, अँग्रेजियत, अँग्रेज़ी, अटीबाज़, अदाज, अदाज़न, अदाज़ा, अक्डबाज, अक्डबाजी, अज़दहा, अज़मत, अजान, अजीज़, अटकलबाज़, अटकल-बाज़ी, अदालतबाज़, अदालतबाजी, अमीरजादा, अर्ज़ी, अर्ज़ीदार, अर्ज़ीदावा, अर्ज़ीनवीस, अलगरज, अलगरजी, अलगोजा, आइनासाज़, आगज़नी, आज-माइश, आजमाइशी, आजमाना, आजमूदा, आज़ाद, आजादख्याल, आज़ादी, आजिज़, आजिज़ी, आतिशबाज, आतिशबाज़ी, आदमज़ाद, आवाज़, आशिक-मिजाज, इंतज़ाम, इंतजार, इजहार, इजाज़त, इज़ाफा, इज़ारबंद, इज़्जतदार, इत्रसाज़, इन्फ्लुएंजा, इलज़ाम, इशारेबाज़ी, इश्कबाज़, इश्कबाजी, एकमंज़िला, एतराज़, एवज, एवजी, औज़ार, कज़ा, कनीज़, कबूतरबाज़, कबूतरबाज़ी, कब्ज, कब्ज़ा, कब्ज़ियत, कब्ज़ी, कमज़ोर, कमज़ोरी, कमीज़, कर्ज़, कर्ज़दार, कर्ज़ा, कलाबाज, कलाबाज़ी, कागज़, काबिज, कारगुजारी, कारसाज़, कारसाज़ी, कुदज़ेहन, कूढमग्ज़, कैडाबाज़, कोकीनबाज़, खजांची, खज़ाना, खमियाज़ा, खरबूज़ा, खिज़ा, खिज़ाब, खिल्लीबाज़, खुदगर्ज़, खुदगर्ज़ी, खुदाहाफिज़, खुशज़ायका, खुशमिज़ाज, गज़, गज़क, गज़ट, गजब, गजल, गज़लगो, गपोड-बाज़ी, गरज़, गरज़मद, गरजमदी, गरमबाज़ारी, गरममिज़ाज, गलेबाज़, गलेबाज़ी, गलीज़, गिरहबाज़, गुजर, गुज़र-बसर, गुज़रना, गुज़ारना, गुज़ारा, गुज़ारिश, गुटबाज़, गुटबाजी, गुस्सेबाज़, ग़ैरज़रूरी, गैरजिम्मेदार, गैरहाज़िर, ग़ैरहाज़िरी, गोलदाज़, गोलदाजी, घडीसाज़, घडीसाज़ी, घूँसेबाज़, घूँसेबाज़ी, चदरोज़ा, चकमेबाज़, चकल्लसबाज़ी, चचाज़ाद, चलतापुरज़ा, चालबाज़, चाल-बाज़ी, चिलगोज़ा, चीज़, चुटकुलेबाज़, चुटकुलेबाज़ी, चुहलबाज़ी, चूज़ा, चोचले-बाज, चोचलेबाज़ी, चोरबाजार, चोरबाज़ारिया, चोरबाजारी, चौमंज़िला, छुरेबाज़ी, ज़ंजीर, जईफ, ज़ईफी, ज़खीरा, ज़खीरेबाज़, ज़खीरेबाज़ी, ज़ख्मी,

नीमरजा, नेकजात, नेजा, नोजाबरदार, नौरोज, पटेबाज़, पटेबाज़ी, पतगबाज़, पतगबाजी, पत्थरबाज, पत्थरबाज़ी, पन्नीसाज़, पन्नीसाजी, परहेज़, परीजाद, पाज़ेब, पायदाज, पायजेब, पालिसीबाज, पालिसीबाजी, पुर्जा, पुर्जी, पैंतरेबाज़, पैंतरेबाजी, प्याज़, प्याजी, प्याज़ू, फज्र, फजल, फजूल, फजूलखर्ची, फज्ल, फजीता, फजीहत, फजूलखर्च, फजूलखर्ची, फडबाज, फडबाज़ी, फरजद, फर्ज, फरज़ी, फाजिल, फाटकेबाज, फाटकेबाजी, फालिज़जदा, फासिज्म, फिरोज़ी, फुजूल, फैयाज, फैयाज़ी, बदानिवाज, बदानिवाज़ी, बजरिये, बजाज, बज़ाज़ा, बजुज़, बटेरबाज, बटेरबाजी, बदइतज़ाम, बदइतजामी, बदज़बान, बदज़बानी, बदजात, बदज़ायका, बदतमीज, बदतमीजी, बदतहज़ीब, बदतहज़ीबी, बदनज़र, बदपरहेज, बदपरहेज़ी, बदमजगी, बदमजा, बदमिजाज, बदमिजाजी, बदहज़मी, बमबाज, बमबाजी, बर्कज़दा, बल्लेबाज़, बल्लेबाजी, बहानेबाज़, बहानेबाज़ी, बागरज़, बाज़ाब्ता, बामज़ा, बामजाक, बाज, बाज़ार, बाज़ारी, बाजारू, बाज़ी, बाजीगर, बाजीगरी, बाज़ू, बाजूबद, बिलफर्ज, बुज़दिल, बुज़दिली, बुज़ुर्ग, बुज़ुर्गवार, बुज़ुर्गाना, बुलदआवाज़, बेइज्ज़त, बेइज्जती, बेजबान, बेज़र, बेजार, बेज़ारी, बेनज़ीर, बेनियाज़, बेमजा, बेरोजगार, बेरोज़गारी, बैज़ा, बैठकबाज, बैठकबाज़ी, बैतबाज, बैतबाजी, ब्लाउज़, मजिल, मजूर, मजूरशुदा, मजूरी, मक्खनबाज़, मक्खनबाज़ी, मगज, मगज़चट, मगज़पच्ची, मगजी, मजकूर, मज़दूर, मजदूरी, मज़बूत, मज़बूती, मज़मूआ, मज़मून, मज़हब, मजा, मज़ाक, मज़ाकन, मज़ाकिया, मजाजी, मज़ार, मजेदार, मरकज़, मरीज़, मरीजा, मर्ज, मर्जी, महज़, महफूज़, मादरजाद, मालगुजार, मालगुज़ारी, मिजराब, मिजाज, मिजाजदार, मिजाजपुरसी, मिरजई, मिरजा, मीजान, मीनाबाजार, मुतजिम, मुतजिर, मुँहजबानी, मुँहजोर, मुँहजोरी, मुअज्जम, मुआवजा, मुकदमेबाज, मुकदमेबाजी, मुक्केबाज, मुक्केबाजी, मुजक्कर, मुजायका, मुजिर, मुलजिम, मुलम्मासाज, मुलाजमत, मुलाजिम, मुलाहिजा, मुसीबतजदा, मुस्तकिलमिजाज, मूजी, मेज, मेजपोश, मेजबान, मेहमाननवाज, मेहमाननवाजी, मैगजीन, मोजा, मौजा, रगसाज, रगसाजी, रगरेज, रगरेजिन, रगरेजी, रगामेजी, रगीनमिजाज, रगीनमिजाजी, रडीबाज, रडीबाजी, रईस-जादा, रईसजादी, रजा, रजामद, रजामदी, रजाई, रमजान, राज, राजदाँ, राजी, राजीनामा, राहजन, राहजनी, रिजर्व, रिजर्वेशन, रियाज, रियाजी, रूहअफजा, रेजगारी, रेजकारी, रेजगी, रेजा, रेजर, रोज, रोज़मर्रा, रोजगार, रोजनामचा, रोजा, रोजादार, रोजाना, रोजी, रोजीना, रोडवेज, रौजा, लजीज़, लज्जत, लज्जतदार, लटकेबाज, लटकेबाजी, लट्ठबाज, लट्ठबाजी, लतीफेबाज, लतीफेबाजी, लफगेबाजी, लफ्ज, लफ्जी, लफ्फाज, लफ्फाजी, लबरेज, लबा-जिमात, लाजिम, लाजिमी, लामजहब, लामजहबी, लिहाज, लिहाजा, लेजिम, लेहाजा, लौंडेबाज, लौंडेबाजी, वजन, वजनदार, वजनी, वज़ारत, वजीर,

फजीहत, फज्ल, फतह, फतहयाब, फतेह, फन, फनकार, फना, फर्क, फर्जंद, फरमाइश, फरमाइशी, फरमान, फरमाना, फरमाबरदार, फरमाबरदारी, फर्लांग, फरलो, फरवरी, फरहंग, फरहाद, फराक(ग) त, फरामोश, फरामोशी, फरार, फरारी, फराहम, फरियाद, फरियादी, फरिश्ता, फरीक, फरीकैन, फरेब, फरेबी, फरोश, फर्क, फर्ज, फर्जी, फर्द, फर्दन-फर्दन, फर्नीचर, फर्म, फर्मा, फर्माइश, फर्माना, फर्राश, फर्राशी, फर्लांग, फर्श, फर्शी, फलक, फलसफा, फलां, फलालैन, फव्वारा, फसल, फसली, फसाद, फसादी, फसाना, फसाहत, फसील, फसीह, फस्द, फहम, फाइन, फाइल, फाउंटेनपेन, फाका, फाकाकश, फाकाकशी, फाकामस्त, फाकेमस्त, फाकेमस्ती, फाख्ता, फाख्तई, फाजिल, फाजिल-बाकी, फातिहा, फानी, फानूस, फायदा, फायदेमन्द, फायर-ब्रिगेड, फायर-मैन, फारम, फारस, फारसी, फारसीदाँ, फारिग, फार्नेहाइट, फार्म, फाल, फालतू, फालमर्ई, फालसा, फालिज, फालिजज़दा, फालूदा, फाश, फासला, फासिज्म, फासिला, फासिस्ट, फासिस्टवाद, फाहा, फाहिशा, फिकरा, फिक्र, फिक्रमंद, फिक्रमंदी, फिटन, फिटिन, फिटर, फितना, फितरत, फितरती, फितूर, फिदवी, फिदा, फिनायल, फिरंग, फिरंगी, फिरट, फिरका, फिरकापरस्त, फिरकापरस्ती, फिरकावार, फिरकावाराना, फिरदौस, फिरनी, फिराक, फिरिश्ता, फिर्का, फिलहाल, फिल्म, फिल्मी, फिल्माना. फिहरिश्त, फी, फीसदी, फीता, फीरोजा, फीरोजी, फील, फीलखाना, फीलपांव, फीलवान, फीस, फुजूल, फुट, फुटनोट, फुटवाल, फुतूर, फुरकत, फुर्सत, फुलस्केप, फेल, फेहरिस्त, फैंसी, फैक्टरी, फैयाज़, फैयाज़ी, फैशन, फैशनपरस्त, फैशनपरस्ती, फैशनेवल, फैसला, फोटो, फोटोग्राफ, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर, फोता, फोनोग्राफ, फोरमैन, फौज, फौजदार, फौजदारी, फौजी, फौत, फौतशुदा, फौरन, फौरी, फौलाद, फौलादी, फ्रास, फ्रासीसी, वदफेल, वदफेली, वनफ्शा, वनफ्शई, वर-खिलाफ, वरतरफ, वर्फ, वर्फानी, वर्फिस्तान, वर्फी, वर्फीला, वावफा, वालसफा, विलफर्ज, विलातकल्लुफ, वेइसाफ, वेइसाफी, वेखौफ, वेतकल्लुफ, वेतकल्लुफी, वेफसल, वेफायदा, वेफिक्र, वेफिक्री, वेमसरफ, वेलुत्फ, वेवफा, वेवफाई, मयफरोश, मसरूफ, मसरूफियत, महफिल, महफूज, माफ, माफिक, माफी, माफीदार, माफी-नामा, मारफत, मुसिफ, मुसिफी, मुआफ, मुआफिक, मुखफफ्फ, मुखालफत, मुखालिफ, मुख्तलिफ, मुतफन्नी, मुतफर्रिक, मुतफर्रिकात, मुनाफा, मुनाफाखोर, मुनाफाखोरी, मुफलिस, मुफलिसी, मुफस्सल, मुफस्सिल, मुफीद, मुफ्त, मुफ्तखोर, मुफ्तखोरी, मुफती, मुसन्निफ, मुसाफिर, मुसाफिरखाना, यकतरफा, याफता, यूनिफार्म, रफ, रफा, रफादफा, रफू, रफूगर, रफूगरी, रफूचक्कर, रफ्तार, रफ्तारफ्ता, राइफल, रूहअफजा, लताफत, लतीफा, लतीफेवाज़, लतीफेबाज़ी, लफगा, लफगेवाज़, लफगेबाजी, लफ्ज़, लफ्फाज, लफ्फाज़ी, लिफाफा, लिफा-फिया, लिहाफ, लुत्फ, लेफ्टिनेट, वक्तन-फवक्तन, वक्फ, वज़ीफा, वफा, वफादार, वफादारी, वफात, वाकिफ, वाकिफकार, वाकिफकारी, वाकिफियत, वाटरप्रूफ,

6

वर्तनी

लिखित भाषा को वर्तनी की सहायता लेनी पडती है, इसीलिए अशुद्ध वर्तनी से लिखित भाषा की मानकता भो प्रभावित हुए विना नही रहती।

वर्तनी की समस्या किसी-न-किसी रूप मे प्राय सभी भाषाओ मे होती है। इसका सबसे वडा प्रमाण यह है कि सस्कृत जैसी सुव्यवस्थित तथा पाणिनि द्वारा मानकीकृत भाषा मे भी सभी शब्दो की एक वर्तनी नही है। उदाहरणार्थ कैलाश-कैलास, उषा-ऊषा, कर्म-कर्म्म, ओषधि-औषधि आदि बहुत से शब्दो की दो-दो वर्तनियाँ ठीक मानी जाती हैं। अनेकानेक दृष्टियो से प्रशसित भापा अग्रेजी भी इसका अपवाद नही।

हिन्दी वर्तनी की समस्याओ को यहाँ दो रूपो मे लिया जा रहा है। प्रारभ मे कारणो के अनुसार तथा अत मे मुख्य समस्याओ को अलग-अलग।

(क) शुद्ध उच्चारण के ज्ञान का अभाव

मुख्यत विद्यार्थियो तथा सामान्य लोगो द्वारा होनेवाली वर्तनी की भूलो का यह बहुत वडा कारण है। लोग गलत उच्चारण करते हैं, और अपने उच्चारण के अनुरूप गलत लिखते भी है। इस प्रकार की भूलो मे मुख्य निम्नाकित है

(1) शब्दान्त मे इ के स्थान पर ई—शक्ती, भक्ती, कवी, रवी, शाती।

(2) शब्दान्त मे उ के स्थान पर ऊ—गुरू, मधू, कटू, वस्तू, विन्दू।

(3) क्ष के स्थान पर शब्द के प्रारंभ मे छ तथा शब्द के बीच मे च्छ—छमा, छत्रिय, शिच्छा, परीच्छा, प्रतीच्छा।

(4) श के स्थान पर स—सहर, साम, सव्द, सायद, सोर, सौर्य।

(5) स के स्थान पर श—नमश्कार, प्रशाद।

(6) ड के स्थान पर ड़—रेड़ियो, मोड़ा।

(7) ड़ के स्थान पर ड—घोडा, कडाह, गाडी।

(8) ण के स्थान पर न—गुन, प्रान, वीना, प्रनाम।

(9) न के स्थान पर ण—जाणा, आणा।

(6) ड-ड—कभी-कभी इन दोनो के प्रयोग मे भी गडवडी मिलती है घोडा, पडना, कड्कण, जड्घा ।

(7) र के विभिन्न रूपो के वास्तविक उच्चारण तथा प्रयोग की जानकारी न होने से भी प्राय भूले होती है वर्स्त (वस्त्र), ध्रम (धर्म)। 'र' तथा उसके विभिन्न रूपों के प्रयोग के सवध मे निम्नाकित वाते ध्यान देने की है

्र—ट ड के वाद आता है राष्ट्र, ड्रामा

्र—अन्य सभी व्यजनो के वाद आता है क्रम, ग्रास, त्राण, द्रोह, प्राण आदि ।

र—(i) शब्द के प्रारभ मे स्वर के पहले रत, राम, रीति, रोप,

(ii) शब्द के वीच मे दो स्वरो के वीच मरण, कुरूप, परात, कुरीति,

(iii) शब्द के अन्त मे स्वर के वाद कर, हाट, सिर, शूर, देर, शोर।

र्—व्यजन के पूर्व (धर्म, कार्य, पर्व, शर्त) ।

यदि इन वातो का ध्यान रखे तो 'र'=विपयक भूले नही होगी ।

(8) ं ँ—इनमे अन्तर न जानने से इनका ठीक प्रयोग नही हो पाता। निम्नाकित वाते ध्यान देने की है।

ं—यह (अनुस्वार) व्यजन है। इसका प्रयोग समस्थानीय व्यजन (सयुक्त व्यजन का प्रथम सदस्य, विस्तार के लिए देखिए आगे) रूप मे होता है गगा-गङ्गा, पखा-पङ्खा, चचल-चञ्चल, झझा-झञ्झा, आनद-आनन्द, धधा-धन्धा, पप-पम्प, कुभ-कुम्भ। ऐसे शब्दो मे अनुस्वार या नासिक्य व्यजन, किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। य (सयुक्त), र (सरचना) ल (सलाप), स (ससार) श (सशय), ह (सहार) के पूर्व सयुक्त व्यजन के प्रथम नासिक्य सदस्य के रूप मे यही आता है नास्क्यि व्यजन नही। अर्थात् सन्सार, सन्शय आदि लिखना अशुद्ध है। व के पूर्व म या अनुस्वार मे कोई भी आ सकता है सवाद, सम्वाद, सवेदना-सम्वेदना।

ँ यह (चद्रबिंदु या अनुनासिक) स्वर या व्यजन नही है। यह केवल स्वर को अनुनासिक बना देता है। सभी स्वरो का अनुनासिक रूप बनाने मे यह काम आता है अँ, आँ, इँ, ईँ, उँ, ऊँ, एँ, ऐं, ओ, औं। मात्राओ के साथ—ाँ, िँ, ीं, ुँ, ूँ, ेँ, ैं, ो, ों। प्रयोग मे अव शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो सुविधा के लिए चन्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार ही लिखते है। जैसे ईंट, विधना, मे, मैं, होठ, भी। ऐसे शब्दो मे वस्तुत चन्द्रबिन्दु होना चाहिए, किंतु अनुस्वार लिखा जाता है।

पैंतीस–पयँतिस, छत्तिस–छत्तीस, सयँतिस–सैंतिस–सैंतीस, अठतिस–अगतिस–अडतीस, उनतालिस–गुनतालिस–उन्तालिस–उन्तालीस, चालिस–चालीस, एकतालिस–इकतालिस–इकतालीस, बयालिस–बयालीस, तैतालिस–तेतालिस–तैंतालीस–तिरालिस, चउवालिस–चौवालीस–चौआलीस, पैंतालिस–पैंतालिस–पैंतालीस–पयँतालिस, छियालीस–छयालीस–छियालिस–छयालिस, सैंतालिस–सैंतालीस–सयँतालिस, अरतालिस–अडतालिस–अड़तालीस, उननचास–उनचास–गुनपचास–उनचस, एकावन–इक्यावन, इकावन, तिरपन–तिरेपन–त्रेपन–त्रेप्पन, चउअन–चौअन–चौवन, पचपन–पचावन, सत्तावन–सतावन, अट्ठावन–अठावन–अटावन, ओनसठ–उनसठ, एकसठ–इकसठ, तिरसठ–तिरेसठ–त्रेसठ, पैंसठ–पयँसठ, छाछट–छियाछठ–छ्यासठ, सरसठ–सड़सठ, अरसठ–अडसठ, उनहत्तर–ओनहत्तर–गुनहत्तर, एकहत्तर–इकहत्तर–इकत्तर–इत्तर, तिरहत्तर–तिहत्तर, चउहत्तर–चौहत्तर, पचहत्तर–पिचहत्तर–पछत्तर, सतत्तर–सतहत्तर, उनासी–उन्यासी–गुन्यासी, एकासी–इकासी–इक्यासी, पचासी–पिच्चासी, छियासी–छयासी, सतासी–सत्तासी, अट्ठासी–अठासी, नवे–नब्बे–नब्भे–नभ्भे, पच्चानबे–पचानवे, पिच्चानबे, छानवे–छियानवे, सत्तानवे–सतानवे, अट्ठानबे–अठानवे, निरणवे–निनानवे, निन्नानवे–निन्यानबे।

ऐसे ही अढाई–ढाई, पहिला–पहला। छठाँ–छटा–छवाँ–छौवाँ भी है। स्पष्ट ही ये वर्तनी भेद उच्चारण से बहुत अधिक सम्बद्ध है।

(2) इ-युक्त तथा अ-युक्त रूप पहिला–पहला, सिर–सर, बहन–बहिन, मन्दिर–मन्दर, पडित–पडत, भगिन–भगन, दर्जिन–दर्जन, जमादारिन–जमादारन, महाराजिन–महाराजन, दरिया–दरया।

(3) उ-युक्त तथा अ-युक्त या दोनो से शून्य रूप—साबुन–सावन, मरम्मत–मुरम्मत, यमुना–जमुना–जमना। कुछ के दो मानक रूप है चौधरी–चौधुरी। हिन्दी प्रदेश के पूर्वी भाग मे 'चौधुरी' चलता है तो पश्चिमी मे चौधरी।

(4) स-युक्त रूप तथा श-युक्त रूप वसिष्ठ–वशिष्ठ, नमस्कार–नमश्कार, दोसा–दोशा, प्रसाद–प्रशाद, केशरी–केसरी।

(5) ष-युक्त रूप तथा श-युक्त कोष–कोश। पहले दोनो ही का प्रयोग शब्दकोश तथा खजाना, दोनो के लिए होता था। अब 'कोश' का प्रयोग शब्दकोश के लिए तथा 'कोष' का खजाने के लिए होने लगा है, यद्यपि मूलत ऐसा कोई अन्तर नही है। ऐसे ही सस्कृत मे वेश–वेष दोनो चलते है।

(6) य-युक्त तथा ज-युक्त जमुना-यमुना, यश-जश, जद्यपि–यद्यपि।

(7) व-युक्त–ब-युक्त वन–बन, वाह्य-बाह्य, विन्दु–बिन्दु, वश-बश।

(8) य-युक्त, व-युक्त तथा दोनो से रहित जायेगा–जावेगा–जायगा–जाएगा, जाये–जावे–जाय–जाए, खायेगा–खावेगा–खायगा–खाएगा, पायेगा–पावेगा–पायगा–पाएगा। ऐसे ही अन्य आकारान्त धातुओ के ए-वाले रूप ही

मानक हैं (चलाए, गाए, मिलाए), य, ये, वे-वाले नही।

(9) य-युक्त तथा य-रहित लिए–लिये। कुछ लोगो की मान्यता है कि 'लिए' का प्रयोग क्रिया रूप मे तथा 'लिये' का अव्यय (राम के लिए) रूप मे होना चाहिए। मेरे विचार मे 'लिए' का प्रयोग दोनो के लिए होना चाहिए। इस प्रकार के विशेषण (नई, नए, पराई, पराए) तथा क्रिया (आई, आए, गई, गए) रूपो को भी 'य' के विना ही लिखना चाहिए।

(10) अन्य—कुछ मिश्रित समस्याओ के शब्द भी है, जिनके मानक रूप का सकेत यहां किया जा सकता है खींचना–खेंचना, चाकू–चक्कू, मकोडे–मकौडे, चखना–चाखना, प्रेस–प्रैस, पेन–पैंन, टेलीफोन–टेलीफून, भूकना–भौकना, एतना–इतना, ओतना–उतना, एकलौता–इकलौता, काफी–कॉफी—कौफी, विषण्ण–विषण, अन–अन्न, सन्यास–सन्यास, रखा–रक्खा, चक्खा–चखा, जूठा–झूटा, घडना–गढना, भभ्भड–भब्भड, गठ्ठर–गट्ठर, बद्रीनाथ–बदरीनाथ, बग्घी–बघ्घी, मौलवी–मोलवी, शेख़–शैख, पडोसी—पडौसी, पडोस—पडौस।

(छ) लिपि को अस्पष्टता

वर्तनी की कुछ गलतियाँ लिपि की अस्पष्टता के कारण भी होती हैं। उदाहरण के लिए 'स्त्र' तथा 'स्त्र' मे कम अन्तर है, अत काफी लोग सहस्र को 'सहस्त्र' लिखते तथा बोलते हैं।

'द्य' 'ध' मे अन्तर की कमी के कारण पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र के कुछ लोग विद्यार्थी तथा विद्यालय को 'विधार्थी' और 'विधालय' लिखते भी देखे गए हैं। इस अशुद्ध वर्तनी का प्रभाव उच्चारण पर भी पडता है। कुछ लोग 'विद्धार्थी' तथा 'विद्धालय' भी लिखते और वोलते हैं।

अग्रेजी वर्तनी का प्रभाव

कुछ शव्दो की अग्रेज़ी वर्तनी ने भी हिन्दी वर्तनी को भी प्रभावित किया है। यह प्रभाव सीधे न पडकर उच्चारण के माध्यम से पडा है। उदाहरण के लिए अग्रेजी वर्तनी (Shukla) के कारण 'शुक्ल' का उच्चारण हिन्दी मे 'शुक्ला' हो गया और फिर उसी के प्रभाव से लोग 'शुक्ल' के स्थान पर 'शुक्ला' लिखने भी लगे हैं। कहना न होगा कि हिन्दी मे 'शुक्ला' लिखना अशुद्ध है 'शुक्ल' ही लिखना चाहिए। ऐसे ही गुप्ता, मिश्रा, बुद्धा (दिल्ली का 'बुद्धा गार्डेन'), अशोका (दिल्ली का 'अशोका' होटल) लिखना भी अशुद्ध है। अग्रेज़ी वर्तनी ने कभी-कभी तो नए शव्द को जन्म दे दिया है। उदाहरण के लिए नामो के साथ प्रयुक्त 'सिह' (जैसे मदन मोहन सिह) को अग्रेजी मे Sinha लिखा गया और फिर इसी Sinha को गलती से 'सिनहा' पढ लिया गया। परिणामत दो शव्द वन गए सिह और सिनहा।

वर्तनी सम्बन्धी कुछ बाते ऊपर आ चुकी है। कुछ पूर्ववर्ती तथा कुछ नई समस्याओ को यहा अलग दिया जा रहा है।

(1) पचम नासिक्य व्यजन—अनुस्वार

इनके लेखन के मुख्य नियम ये हैं

अनुस्वार तथा नासिक्य व्यजन में विकल्प	केवल नासिक्य व्यजन	केवल अनुस्वार
ङ्+क, ख, ग, घ (पङ्क अथवा पक या गङ्गा अथवा गगा आदि)	ङ्+म (वाङ्मय, पराङ्मुख)	+ह (सहार)
ञ+च, छ, ज, झ (पच अथवा पञ्च आदि)	×	+य (सयम)
ण+ट, ठ, ड, ढ (पण्डित अथवा पडित या डण्डा अथवा डडा आदि)	+ण (अक्षुण्ण) +म (मृण्मय) +य (पुण्य) +व (कण्व)	×
न+त, थ, द, ध (अन्दर अथवा अदर या अत अथवा अन्त आदि)	+न (अन्न) +म (जन्म) +य (अन्य) +व (अन्वेषण) +ह (कान्ह, किन्हे)	+श (वश) +स (ससार) +र (सरचना) +ल (सलग्न)
म+प, फ, ब, भ, व (दभ अथवा दम्भ या पप अथवा पम्प, सवेदना अथवा सम्वेदना आदि)	+न (निम्न) +म (सम्मान्य) +य (साम्य) +र (विनम्र) +ल (अम्ल) +ह (तुम्हे)	×

(2) अनुनासिक (चद्रबिदु)—अनुस्वार

टाईपिंग मशीन (टकण यत्र) मे अनुनासिक (चद्रबिंदु, ँ), नही होता अत टकित सामग्री मे अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ 'साँस' के लिए 'सास' या 'ऊघना' के लिए 'ऊँघना'। कई पत्र-पत्रिकाओ (जैसे धर्मयुग, सारिका आदि) मे भी प्रेस की सुविधा की दृष्टि से अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। इन्ही सव के प्रभाव-स्वरूप बहुत

गलत है तो 'कृपा' को 'क्रिपा'। ऐसे ही शब्द 'पृष्ठ' है 'प्रिष्ठ' नही, 'ऋण' है 'रिण' नही, 'ऋचा' है 'रिचा' नही। इसी प्रकार दृष्टि, तृपा, तृष्णा, पैत्रिक, तृतीय शुद्ध शब्द है, द्रिष्टि, त्रिषा, त्रिष्णा, पैत्रिक नही। 'मातृक' तथा 'मात्रिक' दोनो शब्द शुद्ध है, किंतु दोनो के अर्थ मे अतर है। 'मातृक' का अर्थ है 'माता-सवधी' जबकि 'मात्रिक' का अर्थ है, 'मात्रा-सवधी' जैसे 'मात्रिक छद'। यो एक सस्कृत शब्द 'मात्रक' भी है जिसका अर्थ 'इकाई' आदि होता है।

छ-क्ष

लेखन तथा उच्चारण दोनो ही मे एक के स्थान पर कुछ लोग दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि क्षण, क्षणिक, क्षत्रिय, क्षमा, क्षय, क्षार, क्षितिज, क्षुद्र, क्षुब्ध, क्षेत्र, क्षेपक, क्षोभ आदि मे 'क्ष' है, 'छ' नही। इसके विपरीत छत्र (राज-चिह्न, छतरी), क्षत्र (क्षत्रिय, तुलनीय-स्त्री० क्षत्राणी), छात्र (विद्यार्थी)—क्षात्र(क्षत्रिय-सबधी) दोनों ही शब्द शुद्ध है, किंतु वर्तनी-भेद से इनके अर्थ बदल जाते हैं।

च्छ-क्ष

शब्द के आदि मे जैसे छ–क्ष की गलती होती है, वैसी ही शब्द के बीच मे च्छ–क्ष की गलती होती है। कुछ लोग 'क्ष' के स्थान पर 'च्छ' का प्रयोग कर जाते हैं शिक्षा—शिच्छा, वक्षस्थल-वच्छस्थल। इसके विपरीत सस्कृत बनाने या शुद्ध बोलने के प्रयास मे कुछ लोग 'इच्छा' के स्थान पर 'इक्षा' या 'स्वच्छ' के स्थान पर 'स्वक्ष' का प्रयोग कर जाते हैं। 'कच्छा' (पहनने का जाघिया) तथा 'कक्षा' (दर्जा) दोनो ही शब्द शुद्ध हैं, किंतु दोनो के अर्थ मे अन्तर है।

ब्द-द्व

'ब्द' मे 'ब' के बाद (ब्+द) द है शब्द, अब्द। 'द्व' मे 'द' के बाद (द्+व) 'व' है द्वादशी, विद्वान्, द्वेप। बहुत से लोग यह क्रम-भेद न समझ पाने के कारण 'द्वादशी' को व्दादशी, 'विद्वान् को विव्दान् आदि लिखते है जो गलत है। नागरी लिपि के सयुक्त व्यजनो से सबद्ध जानकारी न होने से यह गलती हो जाती है।

मिलाना-अलगाना

हिन्दी लेखन मे शिरोरेखा लगाते हैं, अत वर्तनी की यह भी एक समस्या है कि किन शब्दो को मिलाकर लिखें और किन्हे अलगाकर लिखें। उदाहरण के लिए 'रामने' लिखें अथवा 'राम ने', 'राज भवन' लिखे या 'राजभवन'। ऐसे पदो अथवा शब्दो के लेखन मे आज हिन्दी-जगत् मे एकरूपता नही है। इस समस्या को निम्नाकित वर्गों मे रखा जा सकता है

(1) कारक-चिह्न—कारक चिह्नो को लिखने के सबंध मे आजकल तीन पद्धतियाँ प्रचलित हैं (अ) कुछ लोग (मुख्यत बनारस मे, सस्कृत के आधार पर) सज्ञा तथा सर्वनाम, दोनो ही के साथ कारक-चिह्नो को मिलाकर लिखते हैं रामने, मैंने, मोहनको, तुमको, सीतासे, इमसे। (आ) कुछ लोग (किशोरीदास वाजपेयी आदि) दोनो ही स्थितियो मे कारक-चिह्नो को अलग रखते हैं राम ने, मैं ने, मोहन को, तुम को, सीता से, इस से। (इ) सामान्यत लोग सज्ञा के साथ तो इन्हे मिलाकर नही लिखते हैं, किंतु सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखते हैं· राम ने, मैंने, मोहन को, तुमको, सीता से, इससे।

वस्तुत वैज्ञानिक दृष्टि से तो सज्ञा और सर्वनाम दोनो के साथ ने, को, से, का, के, मे को अलग लिखना ठीक है क्योकि ने, को आदि की शब्द के रूप मे स्वतत्र सत्ता है, और स्वतत्र शब्दो से ये विकसित भी हैं, किंतु इन रूपो मे इन्हे अलग लिखनेवाले बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति मे यही उचित है कि इन्हे सज्ञा के साथ अलग तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाए। इसके पक्ष मे कई तर्क दिए जा सकते हैं (क) अधिकाश लोग इसी रूप मे इन्हे लिखते है। (ख) सज्ञा तथा सर्वनाम दोनो के साथ मिलाकर लिखना तो उपर्युक्त तीनो पद्धतियो मे सबमे अवैज्ञानिक है। केवल सस्कृत का अधानुकरण करनेवाले ही ऐसा करते हैं। अत सज्ञा के साथ अलग तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखना कम-से-कम उतना अवैज्ञानिक न होकर मध्यम मार्ग का है। (ग) यदि कई सज्ञा शब्द साथ आएँ तो केवल अतिम के साथ कारक-चिह्न लगता है, अत अलगाकर लिखना आवश्यक हो जाता है (जैसे राम, मोहन और सीता ने) नही तो केवल एक मे कारक-चिह्न लगेगा, इसके विपरीत सर्वनाम मे प्राय सभी के साथ लगता है (जैसे उसने, तुमने और मैंने) अत मिलाकर लिखा जा सकता है। (घ) सज्ञा के साथ कभी-कभी इकहरा अवतरण-चिह्न लगता है अत मिलाकर नही लिखा जा सकता ('अज्ञेय' ने 'हरिऔध'को, 'निराला' मे, 'प्रसाद' से) किंतु सर्वनाम के साथ प्राय ऐसा नही किया जाता अत मिलाकर लिखा जा सकता है। (ङ) सर्वनाम के सयुक्त रूप मिलते हैं (मुझे, हमे, तुम्हें, तुझे, उसे, उन्हे, इसे, इन्हे, जिसे, जिन्हे आदि) अत अन्य रूपो को सयुक्त रखना, इन रूपो के अनुरूप है, किंतु सज्ञा के ऐसे रूप नही मिलते, अत इसके रूपो को असयुक्त रखना इसकी प्रकृति के अनुरूप है। निष्कर्षत इन्हे सज्ञा के साथ अलगाकर तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखना चाहिए।

(2) समस्त पद—समस्त पदो को अलग-अलग लिखना (गृह विज्ञान, देश भक्ति, जन्म दिन) अशुद्ध है, क्योकि ये किसी 'लबी रचना' (गृह का विज्ञान, देश के प्रति भक्ति, जन्म का दिन) के सक्षिप्त होते हैं। सक्षेप होने के कारण या तो लुप्त पद का प्रतीक योजक चिह्न इनके बीच मे दिया जाना चाहिए (गृह-विज्ञान, देश-भक्ति, जन्म-दिन) अथवा मिलाकर लिखना चाहिए (गृहविज्ञान, देशभक्ति, जन्मदिन)। दो से अधिक शब्द हो (तन-मन-धन से) अथवा शब्द बडे हो (राज-

नीति-विज्ञान) तो योजक चिह्न देना ही अधिक उपयुक्त होता है, क्योकि मिलाने से शब्द अधिक बडा (राजनीतिविज्ञान) हो जाता है। सधि करने पर तो स्पष्ट ही शब्दो को मिलाने के अतिरिक्त कोई चारा नही रह जाता है . शिरोरेखा, ज़िलाधीश, ग्रामोन्नति, वियोगावस्था, ग्रीष्मावकाश। दो अपवाद हैं (क) द्वन्द्व समास मे केवल योजक चिह्न ही देना चाहिए। (माता-पिता, भाई-बहिन, हँसी-मज़ाक, हाथ-पैर) उन्हे मिलाना (मातापिता) नही चाहिए। (ख) मिलाने से यदि अर्थ मे भ्रम की गुजाइश हो तो भी नही मिलाना चाहिए। उदाहरण के लिए 'भू-तत्व' और 'भूतत्व' मे अतर करने के लिए 'भू-तत्व' रूप मे लिखना ही उचित है।

(3) **भी, तो, तक, भर, श्री, श्रीमती, जी**—ये सभी विना मिलाए अलग लिखे जाने चाहिए राम भी, रोटी तो, पानी तक नही दिया, सेर भर आटा, श्री गुप्त, गाधी जी।

(4) *ही*—इसे सज्ञा के साथ अलग (राम ही, सीता ही) किंतु सर्वनाम के साथ कुछ शब्दो के साथ मिलाकर (हमी, मुझी, तुझी, तुम्ही, उसी, उन्ही, इसी, इन्ही, जिसी, जिन्ही, किसी, किन्ही आदि) तथा कुछ के साथ अलग (मे ही, हम ही, वे ही, ये ही, जो ही) आदि लिखते हैं।

(5) **कर, के**—पूर्वकालिक क्रिया मे 'कर' अथवा 'के' को मिलाकर लिखना चाहिए मैं **खाकर** आया हूँ, **रोकर, चलकर**, काम करके आएगा। यदि 'कर' तथा 'के' दोनो हो तो 'कर' मिलाकर लिखा जाएगा, तथा 'के' को अलग—मैं **खाकर** के आऊँगा। यदि दो क्रिया रूप हो तो दोनो के बीच मे योजक चिह्न होगा और 'कर' अथवा 'के' अतिम के साथ मिलाया जाएगा . **खा-पीकर** आना, **रो-धोके** थक गया।

(6) **योजक चिह्न**—इसका प्रयोग निम्नाकित स्थितियो मे होता है

(1) द्वन्द्व समास मे—रात-दिन, हवा-पानी, माँ-बाप। (2) अन्य समासो मे विकल्प से—देशभक्ति अथवा देश-भक्ति। (3) सा, से, सी, जैसा, जैसे, जैसी के साथ—फूल-सा लडका, ज़रा-सी जान, थोडे-से लोग, तुम-जैसा धूर्त, उस-जैसा नेता, दुग्ध-सा श्वेत। यह ध्यान देने की बात है कि यह 'से' करण तथा सप्रदान कारक के चिह्न 'से' से भिन्न है। कारक-चिह्न 'से' मे वचन-लिंग के कारण परिवर्तन नही होता, किंतु इसके सा-से-सी रूप बनते हैं। (4) जहाँ सधि करने से अर्थ-परिवर्तित हो जाए वहाँ भी योजक-चिह्न लगाना चाहिए—सह-अनुभूति, सहानुभूति। (5) जहाँ सधि करने से शब्द उच्चारण की दृष्टि से अटपटा, बडा अथवा अस्पष्ट हो जाए वहाँ भी अल्प-सख्यक और बहु-अल्पसख्यक, उनकी अति-आदर्शवादिता। (6) 'न' के साथ—कभी-न-कभी, कही-न-कही, किसी-न-किसी।

लेखन मे अकों का प्रयोग

प्रस्तुत प्रकरण को वहुत वैज्ञानिक दृष्टि से वर्तनी के अन्तर्गत तो नही रखना चाहिए, किन्तु किसी अन्य अध्याय के अन्तर्गत सुविधापूर्वक न रख पाने तथा लेखन से सम्बद्ध होने के कारण, इसे यही रखा जा रहा है। इस सम्वन्ध मे कई वातें ध्यान मे रखने की हैं (1) वहुत मे लोग धीरे-धीरे, चलते-चलते, अपनी-अपनी जैसे द्विरुक्तियो को 'धीरे-2' या 'धीरे 2' रूप मे लिखते हैं, किंतु 2 की सहायता मे यह लेखन-पद्धति हिन्दी के मानक लेखन मे स्वीकृत नही है। इसे धीरे-धीरे, चलते-चलते या अपनी-अपनी रूप मे ही योजक चिह्न देते हुए दो वार लिखना चाहिए। (2) सामान्यत वाक्य मे यदि कोई सख्या आए तो उसे अक्षरो मे लिखना चाहिए (एक आदमी जा रहा था, दो घोडे मर गए, एक सौ लोग दव गए, तीन हज़ार रुपए खर्च हो गए आदि) अको मे (1 आदमी जा रहा था, 3 हजार रुपए खर्च हो गए आदि) नही। गणित के वाक्य अपवाद हैं। (3) ' से तक' रूप मे दो सख्याएँ आने पर कुछ लोग '2 से चार तक' या 'दस से 20 तक' रूप मे लिखते हैं जो अमानक है। इन्हे 'दो से चार तक' या 'दस से वीस तक' रूप मे लिखना चाहिए। ऐसे नही कि एक सख्या अक्षर मे लिखे तथा दूसरी सख्या अक मे। हाँ दोनो को ही अको मे भी लिखा जा सकता है 10 से 20 तक, 1000 से 10000 तक। (4) सख्याओ के लेखन मे कभी-कभी अस्पष्टता या द्वि-अर्थकता भी आ जाती है, जिससे वचना चाहिए। उदाहरण के लिए '5 से 20 हजार' तक के दो अर्थ निकल सकते हैं 5 हजार से 20 हजार तक या 5 से 20,000 तक। इस प्रकार के द्वि-अर्थक लेखन से वचना चाहिए। अच्छा हो कि यदि पहली सख्या भी दूसरी की तरह 'सौ', 'हजार', 'लाख' या 'करोड' आदि है तो दोनो के साथ 'सौ' आदि का प्रयोग करना चाहिए (10 हजार से 20 हजार तक), किंतु यदि ऐसा नही तो अको मे (10 से 20,000 तक) लिखना चाहिए। (5) मानक लेखन मे सौ, हजार, लाख, करोड का समुचित प्रयोग करना चाहिए। अग्रेजी के प्रभाव से कुछ लोग एक लाख तिरपन हजार या 1 लाख 53 हजार के स्थान पर 153 हजार या 4 करोड 80 लाख के स्थान पर 480 लाख जैसे प्रयोग करते हैं, जो मानक नही हैं। (6) सवा, डेढ, पौने का भी समुचित प्रयोग मानक हिन्दी का आवश्यक अग है। जैसे सवा सौ, डेढ लाख, पौने दो करोड आदि। इन्हे 1 सौ 25, 150 हजार, $1\frac{3}{4}$ करोड आदि लिखना-कहना अमानक है। हाँ 1 लाख 50 हजार या 1 करोड 75 लाख जैसे प्रयोग भी चल पडे हैं।

7

संज्ञा

सज्ञा नाम को कहते हैं। नाम प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव (जैसे सौदर्य) या क्रिया (जैसे चलना), किसी का भी हो सकता है। सज्ञाएँ तीन प्रकार की होती हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक।

सज्ञाओं के बहुवचन

सामान्यत व्यक्तिवाचक सज्ञाओ के वहुवचन के रूप नही बनते। ये एकवचन मे ही प्रयुक्त होती हैं। किंतु यदि वह नाम कई व्यक्तियो का हो तो बहुवचन के रूप वन सकते हैं। उदाहरण के लिए 'राम' व्यक्तिवाचक सज्ञा है अत इसका प्रयोग 'राम' रूप मे ही होता है, इसमे रूपातर नही होते। किंतु हम जानते है कि भारतीय पुराणो मे तीन राम हैं कृष्ण के भाई बलराम, जमदग्नि के पुत्र परशुराम और सीता के पति राम। हम कह सकते है—भारतीय पुराणो के तीनो रामो की कथाएँ मैंने पढी है। ऐसे ही जव कोई व्यक्तिवाचक सज्ञा किसी गुण या विशेषता का प्रतीक वन जाती है तो वह जातिवाचक सज्ञा वन जाती है। वैसी स्थिति मे उस सज्ञा का भी वहुवचन मे प्रयोग होता है घर-घर मे सीता-सावित्रियाँ नही होती। आज का समाज तो त्रिशंकुग्रों का है। जयचदो के कारण हमारा स्वतत्रता आदोलन सफल नही हो पाता था। ऐसे ही विभीपण (घर का भेदी, देशद्रोही), द्रौपदी (एकाधिक पतियोवाली), हरिश्चद, युधिष्ठिर, रावण, कस, हिटलर तथा नादिरशाह आदि के भी वहुवचन के रूप आवश्यकतानुसार प्रयुक्त हो सकते हैं।

जातिवाचक सज्ञाएँ सामान्यत तो जाति का वोध कराती हैं, किंतु यदि उस नाम से कोई व्यक्ति वहुत प्रसिद्ध हो गया हो तो वे व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसी गांधी, नेहरू, मालवीय जी, पटेल। इसी प्रकार 'पुरी' का अर्थ तो पुर या शहर है किंतु इसका प्रयोग 'जगन्नाथपुरी' के लिए भी होता है।

भाववाचक सज्ञाओ के सामान्यत वहुवचन के रूप नही होते, किंतु वे अलग-अलग इकाइयो को व्यक्त करे तो उनके भी वहुवचन के रूप होते हैं मैं इन तरह-तरह के सुखो से ऊव गया हूँ। रोज़-रोज की इन चढाइयो ने मुझे वहुत दुखी

कर रखा है। अभी तो उस दर्जी को कई सिलाइयो के पैसे देने है।

वस्तुत किसी सज्ञा के वहुवचन का रूप वना सकते हैं या नही, यह जानने के लिए यह देख लेना चाहिए कि वह सज्ञा उस प्रसग मे गणनीय है या नही। यदि गणनीय नही है तो वहुवचन का रूप नही वनेगा। यह तो कहा जा सकता है कि 'गर्मियो मे मैं वहुत ज्यादा पानी से नहाता हूँ', किंतु यह नही कहा जा मकता कि 'गर्मियो मे मैं वहुत ज्यादा पानियो से नहाता हूँ।' इसके विपरीत यदि पानी गणनीय है तो वहुवचन का रूप वनेगा—'उस जादूगर ने अलग-अलग गिलासो मे अलग-अलग रगो के पानी भरे फिर उन सभी पानियों को एक मे मिला दिया। लोगो ने आश्चर्य से देखा वह मिश्रित पानी सफेद था। ऐसे ही 'राजकुमार को उन सभी पानियो (अलग-अलग नदियो के) से अभिषेक कराया गया।'

यह ध्यान देने की वात है कि गणनीय सज्ञा के साथ ही सख्यावाचक विशेषण (एक घोडा, दो आदमी, सौ पेड) आते हैं, अगणनीय के साथ (एक घी, दो तेल) नही।

सज्ञाओ के कारकीय रूप

यो तो हिन्दी सज्ञाओ के सभी कारको में रूप वनते हैं किंतु उनमे काफी रूप पूर्णत अलग न होकर केवल कारक-चिह्नो के कारण अलग होते है। जैसे घोडो ने (कर्ता), घोडो को (कर्म-सप्रदान), घोडो से (करण-अपादान), घोडो का (सवध), घोडो पर (अधिकरण)। ध्यान देने की वात है कि इन सभी कारको मे एक ही रूप 'घोडो' आया है, इसीलिए हिन्दी कारकीय रूपो को हर कारक के अलग-अलग रूप मे न देखकर केवल तीन रूपो मे देखना सुविधाजनक होगा

(क) मूल रूप—जिस रूप के साथ कोई भी कारक-चिह्न न आए लडका गया। घोडे दौडे। मैंने तीन चीते देखे।

(ख) विकृत रूप—जिस रूप के साथ कारक-चिह्न अवश्य आए लडके ने खाना खाया, घोडो ने पानी पिया, चीतो से सभी डरते हैं।

(ग) सबोधन रूप—जिसका प्रयोग केवल सबोधन के लिए हो ओ लडके, ऐ वच्चो।

इस दृष्टि से हिन्दी सज्ञा शब्दो को चार वर्गो मे रखा जा सकता है, जिनके रूप निम्नांकित प्रकार से वनते हैं

(1) आकारात पुल्लिग—जैसे लडका, घोडा, वच्चा

	एक०	बहु०
मूल रूप	लडका	लडके
विकृत रूप	लडके	लडको

	एक०	बहु०
मूल	पुस्तक	पुस्तकें
विकृत	पुस्तक	पुस्तकों
संबोधन	पुस्तक	पुस्तको

इनमें प्रत्यय हैं

	एक०	बहु०
मूल	शून्य	एँ
विकृत	शून्य	ओं
संबोधन	शून्य	ओ

अन्यों के बहुवचन के रूप भी इसी प्रकार एँ, ओं, ओ जोड़कर बनाए जाते हैं माताएँ, माताओं, माताओ, बहुएँ, बहुओं, बहुओ आदि।

संज्ञा शब्दों के कारकीय रूपों की रचना के संबंध में निम्नांकित बातें ध्यान देने की हैं

(क) इन प्रत्ययों के जोड़ने पर निम्नांकित परिवर्तन होते हैं (अ) आकारांत पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर 'आ' का लोप हो जाता है घोड़ा+ए= घोड़+ए=घोड़े, घोड़ा+ओं=घोड़+ओं=घोड़ों, घोड़ा+ओ=घोड़ो। (आ) ईकारांत, ऊकारांत के बाद आँ, ओं, ओ, प्रत्यय जोड़ें तो ई का इ और ऊ का उ हो जाता है दवाई+आँ=दवाइयाँ, बहू+ओं=बहुओं। जो लोग इसका ध्यान नहीं रखते वे दवाईयों, साधूओं, डाकूओं जैसे गलत रूपों का प्रयोग कर जाते हैं। (इ) इ के बाद आँ, ओं, ओ आएँ तो य का आगम हो जाता है जाति+आँ=जातियाँ, कवि+ओं=कवियों, लड़की+आँ=लड़कियाँ, कवि+ओ=कवियो। (ई) इयांत स्त्री० संज्ञा में आँ, ओं, ओ जोड़ें तो 'या' का लोप हो जाता है गुड़िया+आँ=गुड़ि+आँ—गुड़ि+य+आँ=गुड़ियाँ, चिड़िया+ओं= चिड़ि+ओं=चिड़ि+य+ओं=चिड़ियों।

(ख) आकारांत पुल्लिंग के सामान्य रूप ऊपर दिए गए हैं। कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएँ अपवाद हैं (1) संस्कृत आकारांत—पिता, विधाता, नेता, विजेता, संवाददाता, विक्रेता, अभिनेता, राजा, कर्ता, आदि, (2) द्विरुक्तिवाले शब्द—काका, मामा चाचा, लाला, बाबा, पापा, दादा, (3) मुखिया, अगुआ, सूरमा, रनिया, (4) दारोगा, अब्बा। इन सभी के ए-वाले रूप (लड़के, घोड़े की तरह) नहीं बनते। वहाँ या तो शून्य आता है या 'गण', 'लोग' आदि। अर्थात् 'वे राजे गए' न होकर 'वे राजा गए' या 'वे राजा लोग गए'। इन अपवाद शब्दों के ओं, ओ वाले रूप 'आ' हटाकर नहीं बनते बल्कि वैसे ही बनते (राजाओं, न कि राजों, महाराजाओं, न कि महाराजों, सूरमाओं, विजेताओं, संवाददाताओं) हैं या

फिर लोग (राजा लोगो, लाला लोगो) मे ओ तथा ओ (ऐ राजाओ, हे विजेताओ) जोडकर ।

(ग) आकारात पु० स्थान नामो के वाद कारक-चिह्न आए तो आ का ए हो जाता है पटने से, आगरे का, कलकत्ते मे । 'मथुरा' का 'मथुरे' नही होता क्योकि 'मथुरा' स्त्री० है । आ के ए होने के दो अपवाद हैं (1) 'आ' के पूर्व यदि य, व हो तो प्राय ए नही होता गया से, गोवा का न कि 'गये से', 'गोवे का' । कभी-कभी 'गए से', 'गोवे से' जैसे प्रयोग मिलते हैं, किंतु वहुत कम । (2) विदेशी स्थान नामो मे प्राय 'आ' का 'ए' नही होता अमरीका से, कनाडा मे, अर्जेन्टाइना का न कि 'अमरीके से' आदि । यह ध्यातव्य है कि 'पटना' तथा 'अर्जेन्टाइना' दोनो के अत मे 'ना' है किंतु पहले मे 'ए' होता है, दूसरे मे नही ।

(घ) एक बात विशेप ध्यान देने की है । वहुत लोग प्रयुक्त करते हैं ऐ विद्यार्थियो, हे देशवासियो, ओ नेताओ । ये रूप गलत है । विकृत वहुवचन रूप मे 'ओ' लगता है, किंतु सवोधन वहुवचन मे 'ओ' । अर्थात्, होना चाहिए ऐ विद्यार्थियो, हे देशवासियो, ओ नेताओ ।

(ङ) कुछ लोग 'चाचा' आदि का 'चाचाओ' तथा चाची आदि का, चाचियाँ और 'चाचियो' न बनाकर 'चाचा' और 'चाची' का ही सर्वत्र प्रयोग करते है, किंतु ऐसे प्रयोग अपवाद हैं । सामान्यत चाचाओ, चाचियाँ तथा चाचियो का प्रयोग होता है ।

निम्नाकित वाक्यो को पढिए और वतलाइए कि उनके कौन-से रूप अशुद्ध है, और कौन-से शुद्ध

1. (क) भारत मे अव **राजे** और नवाब नही रहे ।
   (ख) भारत मे अब **राजा** और नवाब नही रहे ।
2 (क) हर **दफा** तुम यही वात कहते हो ।
   (ख) हर **दफे** तुम यही बात कहते हो ।
3 (क) तुम **गदहा** हो ।
   (ख) तुम **गदहे** हो ।
4 (क) मैं तुम्हे बहुत चाहता हूँ, किंतु इसके **उलटा** तुम मुझसे नफरत करते हो ।
   (ख) मैं तुम्हे बहुत चाहता हूँ, किंतु इसके **उलटे** तुम मुझसे नफरत करते हो ।
5 (क) उसके **मामा** के घर शादी है ।
   (ख) उसके **मामे** के घर शादी है ।
6. (क) वे **अमरीके** से आए है ।
   (ख) वे **अमरीका** से आए हैं ।
7 (क) **लाला** के घर चोरी हो गई ।

(ख) लाले के घर चोरी हो गई।

8 (क) गुप्ता ने बहुत पैसा कमाया।

(ख) गुप्ते ने बहुत पैसा कमाया।

9 (क) आगरा का पेठा अच्छा होता है।

(ख) आगरे का पेठा अच्छा होता है।

10 (क) मथुरा मे पेडा लाना।

(ख) मथुरे से पेडा लाना।

11 (क) वह घोडा पर बैठा है।

(ख) वह घोडे पर बैठा है।

उपर्युक्त मे 1–क, 5–क, 6–ख, 7–क, 8–ख, 10 क,–11–ख, ठीक हैं। इन्हे ऊपर लिया जा चुका है। शेप की समस्या नई है। 2 मे 'क' तथा 'ख' दोनो का प्रयोग खूब हो रहा है। पुरानी पीढी के तथा उर्दू वाले 'दफा' का ही प्रयोग करते है, उसमे 'दफे' नही बनाते किंतु अन्य लोग 'दफे' बनाते है। इस प्रकार किसी को भी अमानक कहना कठिन है। यो मूलत यह शब्द 'दफअ' है, अत इसका दफे बनना नही चाहिए। इस प्रकार वास्तविक रूप मे 'दफा' को अपरिवर्तित रूप मे ही प्रयोग होना चाहिए। 4 मे ख ठीक है। मानक प्रयोग 'इस के उलटे', 'इसके बदले' आदि का ही है। 3 के विपय मे यह जानने की बात है कि कर्ता के बाद के आकारात पूरक (विशेपण या सज्ञा) एकारात हो जाते है 'तुम बच्चे/लडके/गदहे/अच्छे भले/बुरे हो' क्रियाविशेपण तो एकारात होगा ही 'वह किनारे/आगे/पीछे है। इस तरह 3 ख ठीक है।

8

लिग

विश्व मे दो प्रकार की भाषाएँ होती हैं (क) जिनमे लिग नही होता। जैसे फ़ारसी, तान्त्रिक, इस्तोनियन, उजबेक आदि, (ख) जिनमे लिग होता है। जैसे हिन्दी, सस्कृत आदि। लिगवाली भाषाएँ भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे हिन्दी आदि दो लिगवाली, सस्कृत, अग्रेजी आदि तीन लिगोवाली तथा चेचेन आदि तीन से अधिक लिगोवाली।

हिन्दी मे लिग दो प्रकार के हैं: प्राकृतिक, व्याकरणिक। प्राकृतिक लिग नर-मादा मे होते है। जैसे पिता, चाचा, घोडा, ऊँट आदि पुल्लिग तो माता, चाची, घोडी, ऊँटनी आदि स्त्रीलिग। व्याकरणिक लिग निर्जीव पदार्थों के नामो मे माने जाते है। जैसे हिन्दी मे दरवाजा, पानी, घर, पेड आदि का प्रकृतित कोई लिग नहीं हैं, किंतु ये पुल्लिग है। इसके विपरीत खिडकी, मिट्टी, इमारत, लता आदि का भी प्रकृतित कोई लिग नही है, किंतु ये स्त्रीलिग हैं।

कुछ वस्तुएँ ऐसी भी है जिनका एक नाम पुल्लिग है तो दूसरा नाम स्त्रीलिग। जैसे भवन-इमारत, स्टूल-तिपाई, पत्ता-पत्ती, काठ-लकडी आदि।

हिन्दी मे इस समय लिग की दृष्टि से तीन प्रकार के शब्द है

(1) **पुंल्लिग**—इनमे सजीव मे नर (जैसे मर्द, बैल, शेर, घोडा आदि) तथा निर्जीव मे, हिन्दी मे परम्परागत रूप से स्वीकृत पुल्लिग शब्द (जैसे मकान, पेड, नल आदि) आते है।

(2) **स्त्रीलिग**—इनमे सजीव मे मादा (जैसे औरत, गाय, शेरनी, घोडी) तथा निर्जीव मे, हिन्दी मे परपरागत रूप से स्वीकृत स्त्रीलिग शब्द (जैसे इमारत, लता, कुर्सी, पुस्तक आदि) आते है।

(3) **द्विलिगी शब्द**—इस वर्ग मे वे शब्द आते हैं, जो पुरुष के लिए प्रयुक्त होने पर पुल्लिग रूप मे प्रयुक्त होते हैं, तथा स्त्री के लिए प्रयुक्त होने पर स्त्रीलिग रूप मे। इस वर्ग मे उन सभी पदो के नाम आते है, जिन पर पहले प्राय पुरुष नियुक्त होते थे, किंतु अब स्त्रियाँ भी नियुक्त होती हैं प्रधानमत्री (इदिरा गाधी) आ रही हैं—प्रधान मत्री (मोरार जी देसाई) आ रहे है। इस प्रकार के कुछ अन्य

शब्द हैं : राज्यपाल, कमिश्नर, कलक्टर, मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, प्रोफेसर, रीडर, डाक्टर, निदेशक, राजदूत, मंत्री, सचिव आदि। कभी 'डाक्टर' का प्रयोग पुरुष डाक्टर के लिए तथा 'महिला डाक्टर' या 'डाक्टरनी' आदि का प्रयोग स्त्री डाक्टर के लिए होता था, किंतु अब ऐसा नहीं होता। ऐसे ही 'मंत्री' का स्त्रीलिंग 'मंत्राणी' है किंतु महिला मंत्री' को भी 'मंत्री' ही कहते हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री (श्रीमती सत्पथी) हो या सामान्य मंत्री। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे पदों के लिए स्त्रीलिंग रूप बनाकर प्रयोग करने की परम्परा अब हिन्दी में नहीं है। इसीलिए मानक हिन्दी में अब निदेशिका, निर्देशिका, अध्यक्षा जैसे स्त्रीलिंग रूपों का प्रयोग प्रायः कम हो रहा है। हां, व्यवस्थापक-व्यवस्थापिका, संपादक-संपादिका, संयोजक-संयोजिका, संरक्षक-संरक्षिका अब भी चल रहे हैं।

पुरुष-स्त्री, नर-मादा

कुछ लोग कभी-कभी पुरुष-स्त्री का प्रयोग नर-मादा के अर्थ में करते हैं, किंतु ऐसा करना गलत है। पुरुष-स्त्री का प्रयोग मानव तक सीमित है, तथा नर-मादा का प्रयोग मानवेतर जीवों अर्थात् पशु-पक्षियों, कीड़ों-मकोड़ों के लिए होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 'नर गीदड़' तथा 'मादा गीदड़'-जैसे प्रयोग तो ठीक हैं, किंतु 'पुरुष गीदड़' 'स्त्री गीदड़' जैसे प्रयोग गलत हैं।

स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग

प्यार में प्रायः बहुत से पिता अपनी 'बेटी' को 'बेटा' कहकर संबोधित करते हैं। इसका सामाजिक कारण है। पहले समाज में पुत्र का पैदा होना कई स्पष्ट कारणों से अच्छा माना जाता था, तथा पुत्री का पैदा होना बुरा। यहां तक कि कई स्थानों पर पुत्र के पैदा होने पर लोग बधाइयां देते थे, गीत गाए जाते थे, खुशियां मनाई जाती थीं, किंतु लड़की के पैदा होने पर एक प्रकार से मातम छा जाता था। इस प्रकार 'बेटा' शब्द 'बेटी' की तुलना में 'प्रिय' और 'महत्त्ववाला' माना जाता था। उसी प्यार और महत्त्व की अभिव्यक्ति के लिए अब बहुत से लोग 'बेटी' को 'बेटा' रूप में संबोधित करते हैं। इसका प्रयोग अब इतना बढ़ गया है कि इसे अमानक करार देना उपयुक्त नहीं है।

लिंग की अशुद्धि

हिन्दी बोलने और लिखने में बहुत से लोग लिंग की गलती करते हैं। ये गलतियां पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र (पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार) में ज्यादा होती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बंगला-असमी आदि पूर्वी भाषाओं में लिंग-चेतना हिन्दी की तुलना में कम है। लगता है कि मागधी प्राकृत और अपभ्रंश से ही यह विशेषता चली आ रही है। भोजपुरी, मगही, मैथिली भी इसी

परपरा मे है, अत परपरा तथा पास की इन पूर्वी भाषाओ के सपर्क और प्रभाव के कारण पूर्वी क्षेत्र के हिन्दी भाषी लोगो मे पश्चिमी क्षेत्र की तुलना मे भाषिक लिंग की चेतना बहुत कम है। साथ ही हिन्दी-क्षेत्र बहुत बडा है, अत बहुत से शब्द पूर्वी क्षेत्र मे एक लिंग के माने जाते है तो पश्चिमी क्षेत्र मे दूसरे लिंग के। ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणो से पश्चिमी क्षेत्र की मान्यताएँ ही प्राय मानक हिन्दी मानी जाती है, अत पूर्वी क्षेत्र की मान्यताएँ अमानक करार दे दी गई है। उदाहरण के लिए पश्चिम मे 'हाथी' पुल्लिग है और 'हथिनी' स्त्रीलिग तो पूर्वी क्षेत्र मे 'हाथी' स्त्रीलिग है तो हत्था पुल्लिग। इसका परिणाम यह हुआ है कि पश्चिम का व्यक्ति कहेगा 'हाथी खाता है' तो पूरब का कहेगा 'हाथी खाती है,' और स्वभावत पूरब का यह प्रयोग अमानक कहलाएगा। रूमाल, दर्द, तकिया, गिलास, कोट, तौलिया, बटन, कालर, पेन आदि काफी शब्द ऐसे है जिन्हे पूरब के लोग स्त्रीलिग रूप मे बोलते है, किंतु मानक हिन्दी मे जो पुल्लिग है। इसके विपरीत पतलून, पैंट, प्लेट, गिरगिट, फुटबाल, सलाद, सिगरेट आदि पूर्वी क्षेत्र मे पुल्लिग है तो पश्चिमी मे स्त्रीलिग है। दही शब्द मानक हिन्दी मे तो पुल्लिग माना जाता है किंतु हिन्दी की प्राय सभी वोलियो (पूर्वी, पश्चिमी) मे वास्तविक प्रयोग मे यह स्त्रीलिग है। यहाँ तक कि दिल्ली की ठेठ हिन्दी मे भी। इसीलिए उसके प्रयोग मे दोनो ही क्षेत्रो के लोग गलती कर जाते है।

हिन्दी बोलने तथा लिखने मे लिंग को इस प्रकार की गलतियाँ क्षेत्रीय प्रभाव से होती है। इसी प्रकार की गलतियाँ सस्कृत-प्रभाव से भी कभी-कभी हो जाती है। उदाहरण के लिए 'व्यक्ति' शब्द हिन्दी मे पुल्लिग है किंतु सस्कृत मे स्त्रीलिंग है। परिणामत सस्कृत परपरा के लोग बोलते है 'गाधी जी अच्छी व्यक्ति थे' जब कि हिन्दी मे होना चाहिए 'गाधी जी अच्छे व्यक्ति थे। ऐसे ही 'उपनिषद्' सस्कृत मे स्त्रीलिंग है, किंतु हिन्दी मे पुल्लिग है, अत 'वृहदारण्यक बहुत बडी उपनिषद् है' जैसे वाक्य जो सस्कृत परपरावालो के मुह से सुनाई पडते है, अशुद्ध है। व्याकरण सस्कृत मे पुल्लिग न होकर नपुसक लिग है, और सस्कृत परपरा के लोग इसे हिन्दी मे स्त्रीलिंग मे प्रयोग करते है, किंतु हिन्दी मे 'व्याकरण' शब्द पुल्लिग है। इसी प्रकार आर्यसमाजी लोग प्राय 'आर्यसमाज' शब्द का प्रयोग (कदाचित् 'सभा' या 'सोसाइटी' के प्रभाव से) स्त्रीलिंग मे करते है किंतु मानक हिन्दी मे वह पुल्लिग है। 'आत्मा' सस्कृत मे पुल्लिग है, तो हिन्दी मे स्त्रीलिंग।

इस तरह पूर्वी क्षेत्रो के हिन्दी-वासी, सस्कृत से प्रभावित किसी भी क्षेत्र के हिन्दी भाषी तथा अहिन्दी-भाषियो को लिंग-विषयक अशुद्धियो मे विशेष सावधान रहना चाहिए और सदेह होने पर कोश मे देखना चाहिए।

एक व्याकरणिक लिंग मे दोनों प्राकृतिक लिंग

जीवो के बहुत से ऐसे नाम है जो स्त्रीलिंग या पुल्लिग मे प्रयुक्त होते है,

किंतु स्त्रीलिंग मे पुल्लिंग तथा पुल्लिंग मे स्त्रीलिंग भी समाहित होता है। उदाहरण के लिए गिलहरी, छिपकली, चींटी, बुलबुल आदि स्त्रीलिंग हैं किंतु इनमे उनके नर भी समाहित हैं। ठीक इसके उलटे कौवा, तोता, चीता, भेडिया, बारहसिंहा, हिरन आदि पुल्लिंग हैं, किंतु इनमे इनकी मादा भी समाहित हैं।

एक बात उल्लेख्य है कि मधुर स्वर मे मादा कोयल नही गाती, बल्कि नर कोयल गाता (ती) है, किंतु हिन्दी मे सुकंठी कोयल मादा ही मानी गई है।

पुल्लिंग-स्त्रीलिंग मे अन्य अंतर

कुछ पुल्लिंग-स्त्रीलिंग शब्दो मे अन्य प्रकार के भी अंतर होते हैं। उदाहरणार्थ

(क) 'घडा' पुल्लिंग है और 'घडी' स्त्रीलिंग है, किंतु दोनो के दो अर्थ हैं, तथा दोनो मे कोई संबंध नही। कभी था, यह और बात है। कोडा–कोडी, छडा–छडी, बाला–बाली मे भी यही बात है।

(ख) 'पपीता' पुल्लिंग शब्द है किंतु यह मादा है। इसी पर फल लगता है। 'पपीती' स्त्रीलिंग शब्द है, किंतु यह नर है। यही पराग-सेचन करता है।

(ग) नाना–नानी, चाचा–चाची, मामा–मामी, दादा–दादी आदि तो पति–पत्नी हैं, किंतु साला–साली, माला–माली, चींटा–चींटी, तोता–तूती, नही।

(घ) कुछ पुल्लिंग–स्त्रीलिंग शब्दो मे बडे-छोटे का अंतर होता है नद–नदी, लोटा–लुटिया, नाला–नाली।

हिन्दी भाषा मे लिंग-प्रयोग की परिधि

हिन्दी मे लिंग-प्रयोग की परिधि सभी वाग्भागो (पार्ट्स आफ स्पीच) तथा प्रत्यय तक फैली हुई है

संज्ञा चाचा–चाची, दरवाजा–खिडकी, नाला–नाली, लोटा–लुटिया

सर्वनाम मेरा–मेरी इसका–इसकी, अपना–अपनी। ये रूप तत्वत सार्वनामिक विशेषण हैं। ऐसा-ऐसी, इतना-इतनी आदि भी यही हैं।

विशेषण अच्छा-अच्छी, बडा-बडी, चौडा-चौडी, माननीय-माननीया।

क्रिया आता है-आती है गया-गई, जाएगा-जाएगी।

क्रियाविशेषण राम सोता आया-सीता सोती आई।

प्रत्यय वाला-वाली, वान-वती, आ-ई।

सर्वनाम

हिन्दी के सभी सर्वनाम (मैं, तुम, वह जो, कौन, कोई आदि) दोनो लिंगों के लिए प्रयुक्त होते हैं। केवल उनके संबंध के रूप (मेरा, उसका, अपना) ही दोनो

लिंगो मे अलग-अलग होते है।

पुल्लिंग क्रियारूपो मे स्त्रीलिंग भी समाहित

कुछ पुल्लिंग क्रियाओ मे स्त्रीलिंग भी समाहित होता है। दूर कोई आता दीख रहा है, और यह स्पष्ट नही है कि पुरुष है अथवा स्त्री, लडका है या लडकी, या किसी के पैरो की चाप मात्र सुनाई पड रही है और यह ज्ञात नही है कि आने-वाला किस लिंग का है तो कहेगे—कोई आ रहा है। ऐसे ही 'कौन कहता है कि ' मे 'कौन कहता है' मे 'कौन कहती है' भी सम्मिलित है। इसी प्रकार 'कोई आया क्या' 'कौन-कौन चलेंगे?' 'कौन चलेगा' 'कोई मिला तो पूछ लूंगा' मे भी पुल्लिंग मे स्त्रीलिंग भी समाहित है।

लिंगीय प्रत्यय

हिन्दी के लिंगीय प्रत्यय तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनो है। इनके प्रयोग मे सतर्कता अपेक्षित है, नही तो गलती हो जाती है। वैसे तो नी, इन, आनी, इया, आदि कई स्त्री-प्रत्यय हिन्दी मे आते है। किंतु गलती मुख्यत. आ और ई के प्रयोग मे होती है। पहले 'आ' की बात ले। इसका प्रयोग या तो तत्सम शब्दो के साथ (श्रद्धेया, आदरणीया, माननीया, सुता, प्रिया) करना चाहिए या फिर अरबी शब्दो (मासूका, मुहतरमा, मलिका, मरहूमा) के साथ। अन्य प्रकार के शब्दो (तद्भव, देशज) के साथ इसका प्रयोग नही होना चाहिए। जहां तक 'ई' का प्रश्न है यह हिन्दी का सबसे अधिक प्रयुक्त स्त्री-प्रत्यय है, इसीलिए इसके प्रयोग मे गलती भी खूब होती है। उदाहरण के लिए 'ताजी खबर' प्रयोग गलत है। प्रसिद्ध फिल्मी गीत है 'आज की ताजा खबर'। अर्थात् 'ताजा' का 'ताजी' नही बनना चाहिए। यह दूसरी बात है कि लोग यह भूल गए है और 'ताजी सब्जी', 'ताजा खाना', 'ताजे फल' जैसे प्रयोग खूब चल रहे है। तत्वत 'ताजा सब्जी', 'ताजा खाना', 'ताजाफल' प्रयोग ही ठीक है। इसी प्रकार फारसी का एक प्रत्यय है 'आन' जिसका विकास हिन्दी मे 'आना' (साल+ आना=सालाना) रूप मे हुआ है। इसमे स्त्रीलिंग का ई प्रत्यय नही लगता। दोनो लिंगो मे यह 'आना' ही रहता है सालाना जलसा, सालाना आमदनी। गैर जिम्मेदाराना हरकते, कातिलाना नजरे, बह-शियाना हरकते मे भी यही बात है। यही 'आना' मस्ताना, मर्दाना मे भी है, अत प्रयोग होना चाहिए 'मस्ताना चाल', न कि 'मस्तानी चाल', 'मर्दाना औरत' न कि मर्दानी औरत'। सुभद्राकुमारी चौहान की प्रसिद्ध पक्ति है 'खूब लडी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी' मे 'ई' के प्रयोग की यह गलती अमर हो गई है। ऐसे ही 'जनाना सवारी' न कि 'जनानी सवारी।' हिन्दी के कई अन्य विशेषणो मे भी 'ई' जोडने की गलती लोग कर जाते है 'लडाका औरत' न कि 'लडाकी औरत' 'जिद्दा नार' न कि 'जिद्दी नार', 'दुलत्ता मार' न कि 'दुलत्ती मार', 'ताजा

खवर' न कि 'ताज़ी खवर।' ('आज की ताज़ा खवर 'फिल्म' का प्रसिद्ध गाना है 'आज की ताज़ा खवर') । ऐसे ही ताज़ी सब्ज़ी, ताज़ी रोटी जैसे प्रयोग गलत हैं। ठीक है ताज़ा सब्ज़ी, ताज़ा रोटी। कुछ दिन पहले रक्षा मत्री ने कहा था 'हमारी मेना चौकन्नी है' । यह प्रयोग गलत है। होना चाहिए 'हमारी मेना चौकन्ना है।'

हिन्दी मे पुल्लिग का प्रसिद्ध प्रत्यय है 'आ' । इसका भी ग़लत प्रयोग लोग कर जाते हैं। पजावी लोग वोलते है 'भारा वदन' । होना चाहिए 'भारी वदन' । हिन्दी का 'खारी' शव्द भी ठीक ऐसे ही है। आचार्य रामचद्र शुक्ल और प्रेमचद मे प्रयोग आते हैं 'खारी पानी' । वस्तुत 'खार' मे विशेषण का प्रत्यय 'ई' मिलने से 'खारी' शव्द वना है जिसका अर्थ है 'खार' (स० क्षार) वाला' । यह 'ई' अच्छी, वडी आदि की 'ई' की तरह यदि लिग का प्रत्यय होता तो अच्छा, वडा आदि की तरह 'खारा' वनता। किंतु ऐसा है नही। यह विशेषण प्रत्यय है। इसीलिए जैसे 'भारी' (भार+ई) का 'भारा' रूप गलत है, वैसे ही 'खारी (खार+ई) का खारा भी शुद्ध नही है। यह वात दूसरी है कि 'खारा' शव्द अव वहुत चल पडा है। 'सुनहरी, शव्द भी मूलत इसी श्रेणी का है। उर्दू मे अव भी प्रयोग है 'सुनहरी मौका' । हिंदी मे भी पहले यही चलता था। किंतु इधर 'काला-काली' 'पीला-पीली' के सादृश्य पर इसके सुनहरा-सुनहरी रूप प्रयुक्त होने लगे हैं।

द्विलिगी शव्द

हिन्दी मे रिक्शा, टिकट आदि कुछ द्विलिगी शव्द भी हैं जिनका प्रयोग दोनो लिगो मे खूव हो रहा है। अच्छा हो कि एकरूपता की दृष्टि से ऐसे शव्दो का एक लिग निर्धारित कर दिया जाए और सभी लोग उसी लिग मे उसका प्रयोग करें।

9

वचन

हिन्दी मे दो वचन हैं एकवचन, बहुवचन। एकवचन के रूप, आधार हैं और प्राय उन्ही से बहुवचन के रूप बनते है।

बहुवचन बनाने के नियम

हिन्दी मे शब्दो के बहुवचन के रूप चार बातो पर निर्भर करते है

1. शब्द पुल्लिग है या स्त्रीलिंग,
2 शब्द के अन्त मे कौन-सी ध्वनि या ध्वनियाँ हैं,
3. शब्द का बहुवचन सबोधन है या किसी अन्य कारक का रूप,
4 यदि अन्य कारक रूप है तो वह वाक्य मे कारक-चिह्न के साथ प्रयुक्त हो रहा है या बिना कारक-चिह्न के।

उपर्युक्त बातो को दृष्टि मे रखते हुए हिन्दी के सज्ञा शब्दो को पहले पुल्लिग-स्त्रीलिंग दो वर्गों मे रखा जा रहा है। फिर अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से उनके उपवर्ग बनाए जा रहे हैं

पुल्लिग सज्ञा शब्द

हिन्दी मे पुल्लिग सज्ञा शब्द अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से छह प्रकार के होते हैं:

(क) व्यजनात—जैसे मित्र, बालक, मकान आदि।
(ख) आकारात—जैसे लडका, घोडा, भतीजा आदि।
(ग) इकारात—जैसे मुनि, कवि आदि।
(घ) ईकारात—जैसे हाथी, विद्यार्थी, भाई आदि।
(ड) उकारात—जैसे गुरु, साधु आदि।
(च) ऊकारात—जैसे भालू, डाकू आदि।

स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द

स्त्रीलिंग सज्ञा शब्द अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से आठ प्रकार के होते हैं·

(क) व्यजनात—जैसे किताब, रात, आंख आदि।

(ख) आकारात—जैसे लता, कथा, माता, कामना आदि।

(ग) इकारात—जैसे तिथि, रीति, जाति आदि।

(घ) ईकारात—जैसे लडकी, गाडी, नदी आदि।

(ङ) उकारात—जैसे वस्तु।

(च) ऊकारात—जैसे बहू।

(छ) औकारात—जैसे गौ।

(ज) इयात—जैसे गुडिया, चिडिया आदि।

हिन्दी मे अकारात शब्द (स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिग) नही है। लिखने मे जो अकारात है, वस्तुत वे व्यजनात है। अर्थात् बालक, मकान, किताब, रात आदि वस्तुत बालक्, मकान्, किताब्, रात् है।

उपर्युक्त पुल्लिग-स्त्रीलिंग शब्दो के बहुवचन बनाने के नियम निम्नाकित है

(1) आकारात पुल्लिग सज्ञा शब्द यदि वाक्य मे बिना कारक चिह्न के आ रहा है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए अन्तिम 'आ' को 'ए' कर देते है

एकवचन	बहुवचन
लडका दौड रहा है।	लडके दौड रहे है।
घोडा घास चर रहा है।	घोडे घास चर रहे है।

अपवाद

चार प्रकार के शब्द इस आकारात पुल्लिग के अपवाद है

(1) आकारात सस्कृत शब्द—राजा, योद्धा, नेता, सखा, पिता, कर्ता, दाता, देवता, भ्राता, अभिनेता, क्रेता, विक्रेता, विजेता, सवाददाता आदि।

(2) द्विरुक्तिवाले शब्द—चाचा, काका, बाबा, नाना, मामा, दादा, लाला, पापा आदि।

(3) फूफा, ताया, मुखिया, अगुआ, सूरमा आदि द्विरुक्तिरहित तद्भव शब्द।

(5) अरबी-फारसी के शब्द—दारोगा, अब्बा। इनके अत्य 'आ' का 'ए' नही होता।

(2) अन्य सारे पुल्लिग शब्द (अर्थात् व्यजनात, इकारात, ईकारान्त, उकारात, ऊकारात) कारक-चिह्न रहित होने पर बहुवचन मे भी ज्यो-के-त्यो रहते है। उनमे कोई भी परिवर्तन नही होता। अर्थात् दोनो वचनो मे समान रहते है

एकवचन	बहुवचन
यहाँ एक मकान है।	यहाँ बहुत-से मकान है।
यहाँ एक मुनि है।	यहाँ बहुत-से मुनि है।
यहाँ एक विद्यार्थी पढता है।	यहा बहुत-से विद्यार्थी पढते है।

वहाँ एक साधु है। वहाँ बहुत-से साधु हैं।
वहाँ एक डाकू है। वहाँ बहुत-से डाकू है।

(3) स्त्रीलिंग इकारात, ईकारात, इयात शब्दो का कारक-चिह्न-रहित बहुवचन बनाने के लिए 'इ', 'ई', 'इया' के स्थान पर 'इयाँ' जोड देते हैं

एकवचन	बहुवचन
विधि	विधियाँ
जाति	जातियाँ
गुडिया	गुडियाँ
गाडी	गाडियाँ
लडकी	लडकियाँ
चिडिया	चिडियाँ

(4) सभी प्रकार के पुल्लिग और स्त्रीलिंग शब्दो का ऐसा बहुवचन बनाने के लिए जिनका प्रयोग कारक-चिह्न के साथ होता है, 'ओ' जोडते है। इसके मुख्य नियम ये है

(क) व्यजनात, ह्रस्व उकारात तथा ओकारान्त शब्दो मे बिना किसी परिवर्तन के 'ओ' जोडते है—घर+ओ=घरो, मित्र+ओ=मित्रो, आँख+ओ=आँखो, साधु+ओ=साधुओ, वस्तु+ओ=वस्तुओ, गौ+ओ=गौओ।

(ख) आकारात पुल्लिग मे तथा इयात पुल्लिग और स्त्रीलिंग शब्दो मे यह 'ओ' 'आ' के स्थान पर आता है, अर्थात् 'आ' हट जाता है।

घोडा+ओ=घोडो लडका+ओ=लडको
गुडिया+ओ=गुडियो मुखिया+ओ=मुखियो

(ग) ईकारात, इकारात शब्दो मे शब्द और ओ के बीच 'य' आ जाता है, और दीर्घ ई का ह्रस्व इ कर देते हैं

कवि+ओ=कवियो हाथी+ओ=हाथियो
लडकी+ओ=लडकियो तिथि+ओ=तिथियो

(घ) ऊकारात शब्दो मे अन्तिम ऊ को ह्रस्व 'उ' कर देते हैं

डाकू+ओ=डाकुओ बहू+ओ=बहुओ

बहुवचन के कारक-चिह्न के साथ कुछ प्रयोग है

मित्रो ने बुलाया है।
लडको के लिए पुस्तके खरीदी गई है।
कवियो से कविताएँ सुननी है।
हाथियो को रोटी दो।
साधुग्रो को बुलाओ।

पुलिस डाकुओं पर गोलियाँ बरसाने लगी।
आँखों में दर्द है।
इन लताओं का अपना अलग सौन्दर्य है।
इन तिथियों को मैं बाहर रहूँगा।
लड़कियों ने गीत गाए।
इन वस्तुओं को छोड़ दो।
इन गुड़ियों में बीचवाली सबसे सुन्दर है।

(5) स्त्रीलिंग-पुल्लिंग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों का सम्बोधन बहुवचन बनाने के लिए सभी शब्दों में 'ओ' जोड़ते हैं। नियम वही है जो पीछे 'ओं' जोड़ने के लिए बताया गया है। अर्थात् कारक-चिह्न-सहित बहुवचन के रूपों में 'ओं' के स्थान पर 'ओ' कर देने से (दूसरे शब्दों में अनुनासिकता हटा देने से) सम्बोधन बहुवचन के रूप बन जाते हैं

मित्रो! तुम कहाँ जा रहे हो?
लड़को! यहाँ आओ।
लड़कियो! बैठो।

इसी तरह कवियो, साथियो, साधुओ, डाकुओ तथा गाँओ आदि।

अपवाद

(1) कभी-कभी गण, वृन्द, जन, लोग जोड़कर भी बहुवचन के रूप बनाए जाते हैं

कारक-चिह्न-रहित-गुरु—गुरुजन, राजा—राजा लोग, मन्त्री—मन्त्रिगण, कवि—कविवृन्द।
कारक-चिह्न-सहित—गुरुजनों, राजा लोगों, मन्त्रिगण, कविवृन्द।
संबोधन —गुरुजनो, राजाओ अथवा राजा लोगो, मन्त्रिगण, कविवृन्द।

(2) कभी-कभी पुनरुक्ति द्वारा भी बहुवचन की अभिव्यक्ति की जाती है
सिपाहियों ने गाँव का कोना-कोना छान मारा।
वे अपना प्रचार करने गाँव-गाँव जाते हैं।
मैं यहाँ का घर-घर जानता हूँ।

(3) कुछ विदेशी शब्दों के बहुवचन अरबी-फारसी के आत और आन प्रत्यय जोड़कर बनते हैं नजरान, अफसरान [illegible], मालिकान, साहबान, जवाहरात, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

(4) पीछे आकारान्त पुल्लिंग शब्दों में कुछ अपवाद दिए गए हैं जिनके बहु-

वचन ए लगाकर (जैसे 'घोडा' से 'घोडे') नही बनते। उनमे कुछ मुख्य शब्दो के बहुवचन हैं

शब्द	कारक-चिह्न-रहित	कारक-चिह्न-सहित
राजा	राजा, राजा लोग	राजाओ, राजा लोगो
नेता	नेता, नेता गण, नेता लोग	नेताओ, नेता लोगो
अभिनेता	अभिनेता, अभिनेता गण	अभिनेताओ
मुखिया	मुखिया, मुखिया लोग	मुखिया लोगो
देवता	देवता	देवताओ

(5) अँग्रेजी आदि कुछ भाषाओ मे एक सज्ञा का एक ही बहुवचन का रूप होता है। हिन्दी मे हर सज्ञा शब्द के तीन बहुवचन के रूप होते है

(क) कारक-चिह्न-रहित (जैसे साथी—मेरे सभी साथी आ रहे हैं।)

(ख) कारक-चिह्न-सहित (जैसे साथियो—मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ दिया।)

(ग) सबोधन (जैसे साथियो—मेरे साथियो, यहाँ आओ।)

इसीलिए अँग्रेज़ी आदि भाषाओ के अनुकरण पर हिन्दी मे केवल एक बहुवचन रूप बताना अशुद्ध है।

(6) इन्द्रिय के बहुवचन रूपो 'इन्द्रियाँ,' 'इन्द्रियो,' 'इन्द्रियो' मे प्रथम रूप अपवाद है। इसे नियमानुसार 'इन्द्रियें' होना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग प्रयोग करते भी है, किन्तु शुद्ध रूप 'इन्द्रियाँ' है। जो 'इन्द्री' से बना है। हिन्दी मे अब 'इन्द्री' का प्रयोग नही होता। उसके स्थान पर 'इन्द्रिय' ही चलता है।

एकवचन मे प्रयोग नही

हिन्दी मे कुछ शब्द (जैसे 'दर्शन') ऐसे भी हैं जिनका प्राय बहुवचन मे ही प्रयोग होता है, अत उनका एकवचन मे प्रयोग अमानक है

अशुद्ध—भला आपका दर्शन हुआ।

शुद्ध—भला आपके दर्शन हुए।

लोग कहते हैं, वह चोर है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार मे बहुत से लोग कहते हैं

लोग कहता है, तो कहने दो।

किंतु ऐसे प्रयोग अमानक है। 'लोग' का प्रयोग हमेशा बहुवचन मे ही होना चाहिए। इन वाक्यो को ध्यान से पढिए और बतलाइए कि कौन-से वाक्य शुद्ध हैं और कौन-से अशुद्ध

1. (क) मैंने हस्ताक्षर कर दिए।

(ख) मैंने हस्ताक्षर कर दिया।

2 (क) देखते ही देखते महात्मा जी के प्राण-पखेरू उड़ गए।
(ख) देखते-ही-देखते महात्मा जी का प्राण-पखेरू उड़ गया।
3 (क) क्यों आँसू बह रहा है?
(ख) क्यों आँसू बह रहे है?
4 (क) उन्होंने प्राण त्याग दिया।
(ख) उन्होंने प्राण त्याग दिये।

इनमें 1–क, 2–क, 3–ख, 4–ख शुद्ध है क्योंकि हस्ताक्षर, प्राणपखेरू, आँसू तथा प्राण का प्रयोग हिन्दी में बहुवचन में ही होता है।

बहुवचन नहीं

सभी शब्दों का बहुवचन नहीं बनता। पीछे 'संज्ञा' प्रकरण में कहा जा चुका है कि सामान्यत भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन के रूप नहीं बनते। इस दृष्टि से संज्ञाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है 'गणनीय संज्ञा', 'अगणनीय संज्ञा'। बहुवचन केवल गणनीय संज्ञाओं का बनता है, अगणनीय (जैसे पानी, घी, चीनी, आटा, सुन्दरता आदि) का नहीं।

'अनेक' स्वय ही बहुवचन है, अत उसका भी बहुवचन नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए

अध्यापक ने अनेकों प्रश्न पूछे।

वाक्य ठीक नहीं है। होना चाहिए

अध्यापक ने अनेक प्रश्न पूछे।

निम्नांकित वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि कौन अशुद्ध और कौन शुद्ध है

1 (क) यह जवाहरात की दूकान है।
(ख) यह जवाहरातों की दूकान है।
2. (क) इन कागजातों को सँभाल कर रख दो।
(ख) इन कागजात को सँभालकर रख दो।
(ग) इन कागजों को सँभालकर रख दो।
3 (क) आप साहबानों से मेरी एक अर्ज है।
(ख) आप साहबान से मेरी एक अर्ज है।

इनमें 1–क, 2–ख, ग, और 3–ख शुद्ध हैं शेष अशुद्ध हैं।

वस्तुत आत (ख्यालात, वाक़ात, मकानात, देहात) तथा आन (देहकान, बागान, मालिकान, अफ़गान) फारसी के बहुवचन के प्रत्यय हैं, अत जिन शब्दों में ये लगे हों, उनमें फिर से बहुवचन प्रत्यय 'ओं' लगाना अशुद्ध है। उदाहरणों की स्थिति यहाँ भी विचित्र है। अरबी 'जौहर' का बहुवचन 'जवाहर', 'जवाहर' का बहुवचन 'जवाहरात' और 'जवाहरात' का बहुवचन 'जवाहरातों'। हिन्दी

मे एकवचन मे 'जवाहर' और वहुवचन मे 'जवाहरात' का प्रयोग ही चलता है।

'देहात' शब्द फारसी 'देह' (गाँव) का वहुवचन है, किंतु इसका प्रयोग सामान्यत एकवचन मे ही होता है

देहात की स्थिति वडी खराव है।

वहाँ का सारा देहात मेरा देखा हुआ है।

वस्तुत विदेशी भापाओ से शब्द तो अन्य भापाएँ प्राय लेती हैं, किंतु वहुवचन के प्रत्यय आदि व्याकरणिक तत्त्व नही। हिन्दी पर फारसी का प्रभाव इस दृष्टि से काफी असामान्य है। हिन्दी ने फारसी से वहुत सारे उपसर्ग तथा प्रत्यय ग्रहण कर लिए हैं, और उनमे से काफी को पूरी तरह आत्मसात कर दिया है।

अंग्रेजी बहुवचन रूपो का प्रयोग अनुचित

अँग्रेजी भाषा से हिन्दी ने शब्द तो लिए है, किंतु वहुवचन के प्रत्यय नही। इसीलिए

साँप तीन **फीट** लवा है।

कहना गलत है। कहना चाहिए

साँप तीन फुट लवा है।

अशुद्ध—मेरी **टाइज़** कहाँ हैं ?

शुद्ध—मेरी **टाइयाँ** कहाँ है ?

अशुद्ध—मेरे **कोट्स** धुला दो।

शुद्ध—मेरे **कोट** धुला दो।

अशुद्ध—क्या तुम्हारे सभी **ड्राइवर्ज** ने छुट्टी ले रखी है ?

शुद्ध—क्या तुम्हारे सभी **ड्राइवरो** ने छुट्टी ले रखी है ?

अर्थात् अग्रेजी शब्दो मे आवश्यकतानुसार हिन्दी के ही बहुवचन के प्रत्यय लगने चाहिए।

ऊपर फुट-फीट की वात की गई। कुछ लोग 'फुट' के स्थान पर भी 'फीट' का ही प्रयोग करते हैं। वे भूल जाते है 'फीट' बहुवचन है। अर्थात् यह कहना ग़लत है

वह पौधा एक **फीट** का हो गया है।

कहना चाहिए

वह पौधा एक **फुट** का हो गया है।

'जनता' मे एक से अधिक व्यक्ति का भाव है किंतु उसका प्रयोग एकवचन मे ही होता है

जनता नेहरू को बहुत चाहती थी।

जनता उन्हे बचाने को दौडी।

इस प्रकार 'लोग' और 'जनता' दोनो एक सीमा तक समानार्थी है किंतु 'लोगो' का प्रयोग बहुवचन मे होता है तो जनता का एकवचन मे।

आदर के लिए बहुवचन

हिन्दी मे आदर के लिए एकवचन की सज्ञा के साथ भी बहुवचन सर्वनाम, बहुवचन विशेषण, बहुवचन क्रिया तथा बहुवचन क्रियाविशेषण का प्रयोग होता है

राम ने कहा कि वे वन को जाएँगे।

यह कहना ग़लत है

राम ने कहा कि वह वन को जाएगा।

इसी कारण छोटे पदो (उदाहरणार्थ 'चपरासी') पर काम करनेवालो को हम कहेगे

वह आ रहा है।

किंतु, बडे पदो (उदाहरणार्थ 'कुलपति') पर काम करनेवालो को हम कहेगे

वे आ रहे हैं।

ऐसे ही

नया चपरासी अच्छा है।
नए कुलपति अच्छे हैं।

पूर्ववर्ती तथा परवर्ती दोनो ही विशेषण दूसरे वाक्य मे बहुवचन मे हैं। क्रियाविशेषण भी

नौकर ट्रेन मे सोता आया है।
पिताजी ट्रेन मे सोते आए हैं।

आदरार्थ एकवचन के साथ बहुवचन की क्रिया उपर्युक्त वाक्यो मे है। जहाँ तक सज्ञा का प्रश्न है वह भी एकवचन की होते हुए भी एकवचन की न रहकर बहुवचन की हो जाती है

महात्मा जी के छोटे लडके गए।

हिन्दी मे यह परपरा फारसी से आई है (दे० हिन्दी भाषा—भोलानाथ तिवारी—मे 'हिन्दी भाषा पर अन्य भाषाओ का प्रभाव' शीर्षक अध्याय) सस्कृत मे कहने के लिए 'आदरार्थे बहुवचने' तथा 'पूजनार्थे बहुवचनम् स्यात्' का सकेत है किंतु वास्तविक प्रयोग मे आदर के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन कम ही मिलता है, इसी लिए सस्कृत परपरा के लोगो की ज़बान पर ऐसे प्रयोग चढे नही हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि वे लोग 'पाणिनि लिखता है', 'कालिदास कहता है', 'शेक्सपियर इसे मानता है' जैसे प्रयोग करते हैं जो हिन्दी मे मानक नही है। हर आदरणीय के लिए बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए।

एकाधिक के प्रतिनिधि के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन

लेखक, नेता, राष्ट्रपति, सपादक आदि अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते है। ग्रथकार द्वारा अपने लिए वहुवचन का प्रयोग भारतीय परपरा मे बहुत प्राचीन है। इसके लिए कारण-स्वरूप यह कहा गया है कि जहाँ वक्ता या ग्रथकार अपनी व्यक्तिगत राय न व्यक्त कर के अपने जैसे अनेक लोगो की राय व्यक्त कर रहा होता है, सहज ही वहाँ, वह बहुवचन का प्रयोग करता है। सपादक के बारे मे भी यह ठीक है। जहाँ तक नेता, राष्ट्रपति या राष्ट्र का कोई भी प्रतिनिधि बोलता या लिखता है जव वह राष्ट्र की ओर से बोलता है तो उत्तम पुरुप वहुवचन (हम, हमे, हमारा आदि) का प्रयोग करता है तथा जब उसे अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करनी होती है तो एकवचन का। हाँ विना किसी ऐसे कारण के कुछ लोग 'मैं' के स्थान पर 'हम' या 'मेरा' के स्थान पर 'हमारा' का प्रयोग करते है, वह गलत है। उदाहरण के लिए

किसी ने पूछा

आपका नाम क्या है ?

आपने जवाव दिया

'हमारा नाम रमानाथ है।'

तो यहाँ 'हमारा' का प्रयोग गलत है। 'मेरा' का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे ही आप अपने अकेले के लिए कहे

'हम कल काशी जा रहे है।'

तो आप गलत वोल रहे है। आपको कहना चाहिए

मैं कल काशी जा रहा हूँ।

किंतु 'भारत हमारा देश है', 'गाधी जी हमारे नेता थे' जैसे प्रयोग ही ठीक है 'गाधी जी मेरे नेता थे' जैसे नही। इस प्रकार उत्तम पुरुप के इन प्रयोगो से सतर्क रहना चाहिए।

अन्य सर्वनाम एकवचन, बहुवचन

जहाँ तक मध्यम पुरुप के सर्वनामो का प्रश्न है, प्रयोग, व्याकरणिक स्थिति से थोडा हटकर होता है। व्याकरणिक दृष्टि से 'तू' एकवचन, 'तुम' वहुवचन है, किंतु प्रयोग मे अनौपचारिक रूप से छोटे के लिए तथा माँ और भगवान के लिए एकवचन 'तू' का प्रयोग होता है, छोटे और वरावर के लिए एकवचन मे 'तुम' का, तथा छोटो या वरावर के लिए वहुवचन मे 'तुम लोग' 'तुम लोगो' का। आदर के लिए दूसरा रूप 'आप' आता है जिसका वहुवचन 'आप लोग', तथा 'आप लोगो' होता है। अन्य पुरुप मे ये, इन, वे, उन, जिन, किन आदिका प्रयोग आदर के

लिए एकवचन मे होता है तो 'ये लोग', 'इन लोगो', 'वे लोग', 'उन लोगो', 'जिन लोगो' आदि का वहुवचन मे।

वहुवचन के लिए एकवचन का प्रयोग

कभी-कभी वहुवचन के लिए भी एकवचन का प्रयोग होता है

पजावी परिश्रमी होता है।

हिन्दुस्तानी सकोची होता है।

अग्रेज़ समय का पावद होता है।

वगाली कला-प्रेमी होता है।

कुत्ता वफ़ादार होता है।

कौआ चालाक होता है।

गुलाव का फूल सुन्दर होता है।

मोटे टाइप के सभी पद या पदवध एकवचन होते हुए भी वहुवचन की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ न तो 'पजावी' का अर्थ 'एक पजावी' है और न 'गुलाव का फूल' का अर्थ 'गुलाव का एक फूल।'

वचन सवधी कुछ अन्य अशुद्धियाँ

हिन्दी वोलने तथा लिखने मे और भी तरह-तरह की वचन सवधी गलतियाँ हो जाती है। कुछ लोग वोलते हैं

मुझे **एक फूल** की माला चाहिए।

क्या 'एक फूल' की माला सभव है ? नही। वस्तुत यह अशुद्धि 'गलत क्रम' तथा 'फूलो' के स्थान पर 'फूल' के प्रयोग का परिणाम है। होना चाहिए

मुझे **फूलो की एक** माला चाहिए।

ऐसे ही

यह करिश्मा देखकर सवने दांत तले उँगली दवा ली।

उँगली 'दांतो' तले दवाई जा सकती है, 'दांत' तले नही। नीचे के दोनो वाक्यो को पढिए और देखिए क्या अतर है

आप लोगो की नाक कट गई।

आप लोगो की नाकें कट गई।

ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि पहले मे 'नाक कटना' मुहावरा है किंतु 'नाकें कटना' मुहावरा नहीं है, अत दूसरे वाक्य का प्रयोग केवल तव ही किया जा सकता है, जव सचमुच ही नाकें कट गई हो। वहुत से लोग गलती मे पहले वाक्य के स्थान पर दूसरे का तथा दूसरे के स्थान पर पहले का प्रयोग कर जाते हैं। ऐसे ही

हमारे मुँह पर कालिख लग गई। (मुहावरा)
हमारे मुँहो पर कालिख लग गई। (सामान्य)
उनका सिर नीचा हो गया। (मुहावरा)
उनके सिर नीचे हो गए। (सामान्य)

इसके उलटे कुछ मुहावरे बहुवचन मे होते हैं, एकवचन मे नही

मेरे तो हाथ कट गए। (मुहावरा)
मेरा तो हाथ कट गया। (सामान्य)

बहुत से लोग बोलते है

तुम्हारे पास **दो रुपया** है क्या ?
उसे दस **रुपया** चाहिए।

होना चाहिए 'दो रुपए हैं क्या' तथा 'दस रुपए चाहिए'। ऐसे ही

कुछ **पैसा** मुझे भी दो।
उसके पास बहुत **पैसा** है।

भी गलत है। होना चाहिए 'कुछ पैसे' तथा 'बहुत पैसे' है।

ये वाक्य ठीक हैं

सभी पार्टियो के लोग वहाँ थे।
सभी दलो के लोग उन्हे चाहते है।

किंतु काफी लोग बोलते है

सभी **श्रेणी** के लोग सभा मे थे।
सभी **वर्ग** के लोग वहाँ आएँगे।
सभी **स्तर** के व्यक्ति इसे पसद करते है।
सभी **मत** के लोग उन्हे वोट देंगे।

ऊपर के दोनो वाक्यो मे प्रयुक्त पार्टियो तथा दलो से तुलना करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि परवर्ती चारो वाक्यो मे 'श्रेणी', 'वर्ग', 'स्तर' तथा 'मत' का प्रयोग गलत है। होना चाहिए 'श्रेणियो', 'वर्गों', 'स्तरो', तथा 'मतो'। निम्नाकित वाक्यो को पढिए .

बीमार को मौसमी अनार और अगूर का रस दो।
बीमार को मौसमी, अनार और अगूर के रस दो।

प्राय लोग दोनो का बिना ठीक से अर्थ समझे प्रयोग करते है। यदि 'मौसमी अनार और अगूर' का मिश्रित रस देना हो तो पहले वाक्य का प्रयोग होता, किंतु यदि तीनो के अलग-अलग रस देने की बात हो तो दूसरे वाक्य का प्रयोग होगा।

नीचे कुछ वाक्य लिए जा रहे है

1. मैं इस आफिस मे चार **वर्ष/वर्षों** से काम कर रहा हूँ।
2 सात-आठ **महीने/महीनो** से बेकार हूँ।

3 दो सप्ताह/सप्ताहों मे उसे वापस बुला लूंगा।

4 दो हफ्ते/हफ्तों मे उसे वापस बुला लूंगा।

5 दो घटे/घटो मे तुम क्या-क्या कर लोगे ?

6 दो मिनट/मिनटों मे आता हूँ।

7 दस सेकड/सेकडो मे मैंने वह दूरी तय कर ली।

इन सभी मे -ओ वाले वहुवचन के रूपो का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से ठीक है, क्योकि कारक-चिह्न के पूर्व विकृत रूप (यहाँ वहुवचन) ही आना चाहिए, किंतु प्राय लोग एकवचन के रूपो का ही प्रयोग करते है। मुख्यत 6, 7 मे तो एकवचन का प्रयोग इतना प्रचलित है, कि शुद्ध वहुवचन का प्रयोग अटपटा लगता है। लगता है कि हिन्दी-भाषी जनता के मन मे एकवचन मे प्रयुक्त होने-वाली ये वहुवचन की इकाइयाँ 'एक परिमाण' का विंव वनाती हैं, और इसीलिए इनका एकवचन मे प्रयोग वढ रहा है।

1 आठ-दस इच के लेस से काम चल जाएगा।

2 दो-तीन फुट से क्या होगा ?

3 साढे तीन गज के टुकडे मे कमीज़ वन जाएगी।

4 दोनो परदो के लिए पाँच मीटर से कम कपडा नही चाहिए।

5 चार रत्ती/माशे/तोले मे क्या होगा ?

6 दो छटाक/पाव/सेर/कीलो/मन/टन/क्विटल से वात नही वनेगी।

यो इसमे सदेह नही कि वहुवचनवाले-ओ युक्त रूप ही मानक हैं, अत उन्ही के प्रयोग का यत्न होना चाहिए, किंतु ये एकवचनीय प्रयोग इतने प्रचलित हो गए हैं कि उन्हे अमानक मानना कठिन है। लगता है कि वक्ता के मस्तिष्क मे इनकी भी एक सामूहिक इकाई (एकवचन) का विंव वनने लगा, वहुत (वहुवचन) का नही।

10

कारक

हिन्दी मे ने, को, से, का (की, के), मे, पर आदि मुख्य कारक-चिह्न या परसर्ग हैं। कारक-चिह्नो के प्रयोग मे तीन प्रकार की भूले प्राय होती है (क) जहाँ किसी कारक-चिह्न का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ उसे छोड जाना। जैसे 'राम रोटी खाया और चला गया।' होना चाहिए 'राम ने रोटी खाई और चला गया।' (ख) जहाँ किसी कारक-चिह्न का प्रयोग नही होना चाहिए, वहाँ उसका प्रयोग कर जाना। जैसे 'विद्यार्थी को इस कविता को समझा दो।' होना चाहिए 'विद्यार्थी को यह कविता समझा दो।' यहाँ 'को' अनावश्यक है। (ग) एक कारक-चिह्न के स्थान पर दूसरे कारक-चिह्न का प्रयोग कर जाना। जैसे 'से' के स्थान पर 'को'—राम को पूछो, क्या वह चलेगा। होना चाहिए—राम से पूछो कि क्या वह चलेगा।

यहाँ कारक-चिह्नो तथा सबद्ध समस्याओ को अलग-अलग लिया जा रहा है।

'ने' का प्रयोग

कर्त्ता कारक मे 'ने' का प्रयोग सामान्यत केवल सकर्मक धातुओ से बने भूत-कालिक कृदत लिखा, पढा, किया, दिया, लिखे, पढे, किए, दिए, लिखी, पढी, की, दी, लिखी, पढी, की, दी, आदि) से बनी क्रियाओ के साथ होता है राम ने रोटी खाई, मोहन ने पत्र लिखा है, सीता ने आम खरीदे थे। इन वाक्यो मे खाई, लिखा, खरीदे सकर्मक धातु खाना, लिखना, खरीदना के भूतकालिक कृदत है, अत इनके कर्ता के साथ 'ने' लगा है। अकर्मक धातुओ से बने क्रिया-रूपो के साथ 'ने' का प्रयोग नही होता राम गया, मोहन बहुत चिल्लाया, सीता खूब सोई।

कुछ अपवाद है

(क) बोलना, भूलना, लाना सकर्मक क्रियाएँ है किन्तु इनसे बने भूतकालिक रूपो के साथ ने का प्रयोग नही होता (अ) किसान बोला। (आ) तुम भूल गए हो। (इ) मोहन मिठाई लाया।

(ख) नहाना, छीकना, खाँसना, अकर्मक क्रियाएँ हैं किन्तु इनसे बने भूत-कालिक कृदन्तो के साथ ने का प्रयोग होता है (अ) राम ने नहाया (कुछ लोग

'राम नहाया' भी बोलते है।) (आ) मोहन ने छीका। (ई) सीता ने खाँसा।

(ग) लगना, सकना, जाना, चुकना, पाना, रहना, उठना, बैठना, पडना, सहायक क्रियाएँ लगने पर सकर्मक धातुओ के साथ भी 'ने' का प्रयोग नही होता (अ) सीता रोटी खाने लगी। (आ) राजीव सारा खाना खा गया। (इ) मोहन पत्र नही लिख सका। (ई) हीरा अपना काम कर चुका।

(घ) कुछ लोग तो बकना, जानना आदि के साथ 'ने' का प्रयोग करते हैं, किन्तु कुछ लोग नही करते।

'ने' के प्रयोग के सबध मे एक बात ध्यान देने की है कि जिस वाक्य मे 'ने' का प्रयोग होता है, क्रिया, लिंग-वचन मे कर्त्ता के अनुरूप नहीं होती। यदि कर्म के साथ कोई भी कारक-चिह्न न हो तो क्रिया कर्म का अनुसरण करती है

राम ने रोटी खाई।

सीता ने ग्राम खाया।

मोहन ने चावल खाए।

किन्तु यदि कर्म के साथ कारक-चिह्न हो तो क्रिया सर्वदा पुल्लिग-एकवचन होती है, न तो वह कर्त्ता का अनुसरण करती है, और न कर्म का

लडकी ने लडकियो को **पीटा**।

लडकियो ने लडकी को **पीटा**।

लडके ने लडकी को **पीटा**।

लडकी ने लडके को **पीटा**।

'ने' के प्रयोग-विषयक मुख्य अशुद्धियाँ तीन-चार प्रकार की होती हैं

'ने' का प्रयोग न करना—अवधी, बघेली, छत्तीसगढी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बोलियो तथा अहिन्दी-भाषियो से यह गलती प्राय हो जाती है, क्योकि इन बोलियो तथा भाषाओ मे 'ने' के समकक्ष कोई कारक-चिह्न नही है। इन क्षेत्रो मे प्राय सुनाई पडता है

मै उसको देखा हूँ।

होना चाहिए

मैंने उसको देखा है।

ने का अनावश्यक प्रयोग—उपर्युक्त क्षेत्रो के ही लोग अतिरिक्त सावधानी के कारण कभी-कभी यह गलती कर जाते हैं

मैंने जा रहा हूँ।

होना चाहिए

मैं जा रहा हूँ।

इससे बचने के लिए भी ऊपर सकेतित नियमो पर ध्यान देना चाहिए।

को, ए, एँ के स्थान पर ने का प्रयोग—यह गलती प्राय पश्चिमी पजाब, हरियाना तथा इन्ही के प्रभाव से दिल्ली और आस-पास के लोगो मे हो जाती हैं

राम ने जाना है।

होना चाहिए

राम को जाना है।

उसने काम करना है।

ठीक होगा :

उसे काम करना है।

ऐसे ही

उन्होने आपसे कुछ पूछना है।

ठीक है

उन्हे आपसे कुछ पूछना है।

गलत क्रम—ने के प्रयोग के सबध मे यह ध्यान रखना पर्याप्त नही है कि कब उसका प्रयोग करे और कब न करे, बल्कि यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि वाक्य मे उसका क्रम क्या हो। कौन-सा क्रम गलत है, और किस क्रम का विशिष्ट अर्थ है। तीन वाक्य है

(क) वे लोग जो कल आए थे, ने बडी शैतानी की।

(ख) उन लोगो ने बडी शैतानी की, जो कल आए थे।

(ग) जो लोग कल आए थे, उन्होंने बडी शैतानी की।

इनमे क गलत (वे लोग ने) तथा अटपटा है। 'ख' 'ग' मे बल आ अतर है। यो विशिष्ट सदर्भ मे इसे यो भी रखा जा सकता है

(घ) कल आनेवालो ने बडी शैतानी की।

'को'

'ने' की तरह 'को' का सबध केवल कर्त्ता कारक से न होकर कई कारको से है

कर्त्ता—**राम को** जाना चाहिए।

कर्म—मैंने भी उस **शेर को** देखा।

सप्रदान—लडके को दो।

अधिकरण—वह **रात को** आता है।

जहाँ तक कर्म का सबध है सामान्यत 'को' का प्रयोग निर्जीव के साथ नही होता

मैंने **रोटी** खाई।

तुमने **दिल्ली** देखी है क्या ?

डाकिया **चिट्ठियाँ** बाँटता है।

बढई **मेज़** बनाता है।

यो जातिवाचक सजीव का प्रयोग भी बिना 'को' के होता है

तुम आदमी नही पहचानते।

मैं अभी कोई डाक्टर बुलाता हूँ।

यदि इनके स्थान पर व्यक्तिवाचक सज्ञा रख दी जाए तो

तुम मोहन को नही पहचानते।

मैं अभी डाक्टर वर्मा को बुलाता हूँ।

'मैं अभी किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ' मैं 'को' जोडना तथा उसके अनुरूप 'कोई' को 'किसी' करना अनावश्यक है। बहुत-सी जातिवाचक सजीव सज्ञाओ के साथ 'को' लगाया भी जाता है, नही भी, किन्तु दोनो के अर्थ मे अतर है। यदि किसी निश्चित (definite) की बात की जा रही हो तो 'को' लगता है नही तो नही

मैंने साँप को देखा।

(I saw the snake)

मैंने साँप देखा।

(I saw a snake)

ऐसे ही

मैंने जगल मे शेर को देखा।

मैंने जगल मे शेर देखा।

स्पष्ट ही 'साँप को' तथा 'शेर को' का मतलब है 'कोई खास साँप' तथा 'कोई खास शेर' तथा केवल 'साँप' और 'शेर' का मतलब है 'कोई भी।'

'को' का सीधा सबध क्रिया से होता है। इस आधार पर धातुओ के दो भेद किए जा सकते हैं को—ग्राही धातुएँ, अन्य धातुएँ। प्रथम मे वे धातुएँ आती हैं जिनके साथ को आ सकता है, जैसे देखना, दूसरे मे वे धातुएँ हैं जिनके साथ 'को' नही आ सकता। इसमे प्राय अकर्मक धातुएँ आती हैं। जैसे बैठना, सोना आदि।

कुछ धातुएँ द्विकर्मक होती हैं। ऐसी धातुओ के साथ गौण कर्म के साथ 'को' आता है

मैंने श्याम को पत्र लिखा।

उसने बच्चे को कहानी सुनाई।

ना-अत्य क्रिया-रूप के कर्त्ता के साथ 'को' लगता है

बच्चे को जाना है।

शीला को पत्र लिखना था।

(इसमे 'शीला को' द्वि-अर्थी है कर्त्ता शीला, शीला के लिए)।

मोहन को अभी बहुत काम करना है।

राजीव को त्यागपत्र देना पडेगा।

'को' का प्रयोग कभी-कभी 'के लिए' के अर्थ मे भी होता है

कहने को तो तुम भी आदमी हो।

करने को तो मैं भी यह कर सकता हूँ।

मुझे देखते ही वह मारने को दौड़ा।

वह भी चलने को तैयार है।

क्रोध, सतोप, भूख, प्यास, घृणा के प्रसग मे आधार के साथ को, ए, एँ का प्रयोग होता है

उस अध्यापक को बहुत क्रोध आता है।

उसे मेरी बात सुनकर सतोष हो गया।

नौकर को भूख लगी है।

उन्हे प्यास लगी होगी।

शीला को उस व्यक्ति से घृणा हो गई है।

'को' के प्रयोग-विषयक गलतियाँ मुख्यत निम्नाकित प्रकार की होती हैं

'को' का अनावश्यक प्रयोग—बहुत से वाक्यो मे लोग 'को' का अनावश्यक प्रयोग करते है

इस छद को समझाइए।

इसका ठीक रूप होगा

यह छद समझाइए।

ऐसे ही

वह रोटी को खा चुका, अब चावल खा रहा है।

ठीक रूप

वह रोटी खा चुका, अब चावल खा रहा है।

'को' के अनावश्यक प्रयोग से बचने के लिए चाहिए कि वाक्य मे 'को' का प्रयोग करते समय यह देख ले कि बिना उसके, अर्थ मे परिवर्तन आए बिना वाक्य बन सकता है या नही। यदि बन सकता हो तो, उसी का प्रयोग करे।

'से' के स्थान पर को का प्रयोग—बहुत से लोग यह गलती भी करते है

(क) राम को पूछो। (अशुद्ध)
राम से पूछो। (शुद्ध)

(ख) उनको मिलो, और उन्हे समझाओ। (अशुद्ध)
उनसे मिलो और उन्हे समझाओ। (शुद्ध)

(ग) मोहन को बोलो कि मुझसे मिल ले। (अशुद्ध)
मोहन से कहो कि मुझसे मिल ले। (शुद्ध)

'के/रे' के स्थान पर 'को' का प्रयोग—पूर्वी क्षेत्रो के बहुत से लोग यह गलती करते हैं

(क) अरुण को तीन बेटे है। (अशुद्ध)
अरुण के तीन बेटे है। (शुद्ध)

(ख) मोहन को दो बेटियाँ हैं। (अशुद्ध)
मोहन के दो बेटियाँ हैं। (शुद्ध)

(ग) श्याम को कोई भी सतान नही है। (अशुद्ध)
श्याम के कोई भी सतान नही है। (शुद्ध)
(घ) इन महिलाओ को कोई भी नही है। (अशुद्ध)
इन महिलाओ के कोई भी नही है। (शुद्ध)
(ङ) उस अहीर को चार भैंसें और दो गाएँ हैं। (अशुद्ध)
उस अहीर के चार भैंसें और दो गाएँ हैं। (शुद्ध)
(च) तुमको भी तो एक बेटी है। (अशुद्ध)
तुम्हारे भी तो एक बेटी है। (शुद्ध)

क्रम की अशुद्धि—बहुत से लोग वाक्य मे 'को' को गलत स्थान पर प्रयुक्त करते हैं

मोहन, जो आगरे का रहनेवाला है, को प्रथम पुरस्कार मिला है।

इस वाक्य का मानक रूप

(क) आगरे के मोहन को प्रथम पुरस्कार मिला है। या,
(ख) आगरे के निवासी मोहन को प्रथम पुरस्कार मिला है। या,
(ग) मोहन को, जो आगरे का है, प्रथम पुरस्कार मिला है।

'से'

इसका प्रयोग निम्नाकित कारको मे होता है

कर्ता—मोहन से चला नही जाता। (असमर्थता)
राम से रहा नही गया। (बाध्यता)
मैं ड्राइवर से गाडी चलवाता हूँ। (प्रेरित कर्ता)

कर्म—कुछ क्रियाओ के वाक्यो मे गौण कर्म के साथ
मैंने राम से कहा।
मोहन ने प्राध्यापक से प्रार्थना की।

करण—हत्यारे को बदूक से मारो।

अपादान—पेड से पत्ता गिरा।

'से' का प्रयोग सामान्यत ठीक होता है। कुछ लोग निम्नाकित गलतियाँ करते हैं

'से' के स्थान पर 'के द्वारा' का प्रयोग—वाक्य मे जहाँ 'से' का प्रयोग उपर्युक्त है, 'के द्वारा' का प्रयोग नही किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ये वाक्य ग़लत है

मैंने यह बात उसके द्वारा सुनी थी।
वह लकडी कुल्हाडी के द्वारा काट रहा है।
यह पत्र किसके द्वारा टाइप करवाया है।

इन सभी मे 'के द्वारा' के स्थान पर 'से' का प्रयोग करना चाहिए।

'से' का अनावश्यक प्रयोग—आँख, कान, हाथ आदि के साथ 'से' के प्रयोग की सर्वदा अपेक्षा नही होती

यह आँखो-देखी घटना है।
वह कानो-सुनी बात थी।
किसके हाथ भेजूँ ?

ऐसे स्थानो पर 'से' का प्रयोग हिन्दी मे अनावश्यक है।

क्रम की अशुद्धि—वाक्य मे 'से' को कभी-कभी लोग गलत जगह रख जाते हैं ·

रामनगर, जो गगा के तट पर है, से थोडी ही दूरी पर वह गाँव है।

होना चाहिए

रामनगर से, जो गगा के तट पर है, थोडी ही दूरी पर वह गाँव है।

अथवा

गगा तट पर बसे रामनगर से थोडी ही दूरी पर वह गाँव है।

'के लिए'

इससे सवद्ध गलतियाँ मुख्यत दो-तीन प्रकार की होती हैं

'के' हेतु का प्रयोग—कुछ लोग सस्कृतनिष्ठ हिन्दी लिखने-बोलने के प्रयास मे 'के लिए' के स्थान पर 'हेतु' का प्रयोग करके हिन्दी को अनावश्यक रूप से वोझिल वना देते हैं ·

प्रवेश (के) हेतु वहाँ जाइए।
बेकारो के हेतु एक सूचना।

को का प्रयोग—कुछ लोग 'के लिए' के स्थान पर 'को' का प्रयोग कर जाते हैं, जो अशुद्ध है ·

चलने को सवारी कहाँ है ?
खर्च करने को रुपए चाहिए।
काटने को कुल्हाडी दो।

गलत क्रम

ऐसे लोगो के, जो वाहर से आते है, लिए वहाँ धर्मशालाएँ है।

होना चाहिए

ऐसे लोगो के लिए, जो वाहर से आते है, वहाँ धर्मशालाएँ हैं।

अथवा

वाहर से आनेवालो के लिए वहाँ धर्मशालाएँ हैं।

पर

हिन्दी मे 'पर' कई हैं (क) पर (पख), (ख) पर (लेकिन), (ग) पर (के वाद,

जैसे 'उस पर भी तुर्रा यह कि ')। यहाँ 'पर' अधिकरण कारक का कारक-चिह्न है, जो प्राय 'ऊपर' का अर्थ देता है

सवार घोडे पर है।

किंतु सर्वदा नही

वह घर पर है।

यहाँ 'के ऊपर' का भाव नही है, बल्कि 'घर पर मौजूद' होने का भाव है। वह व्यक्ति घर के भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है या आस-पास भी हो सकता है।

'पर' के प्रयोग से सबद्ध मुख्य अशुद्धियाँ निम्नांकित है

'पै' उच्चारण—ब्रज-क्षेत्र के लोग प्राय पर के स्थान पर 'पै' बोलते है। यह औच्चारणिक गलती है वह घोडे पै आ रहा है।

'के पास' के स्थान पर (पै) का प्रयोग—यह अशुद्धि भी ब्रज-प्रदेश के लोग ही करते है

मुझ पै (पर) पैसे नही है।
इतिहास की कापियाँ तो डा० शर्मा पै (पर) है।
आलोचना किस पै (पर) है ?
(आलोचना कौन पढाता है ?)

'से' के स्थान पर 'पर'—यह गलती भी ब्रज-प्रदेश मे ही मिलती है। लोग प्राय बोलते है

उन पै (पर) तो चला नही जाता।

पर का अनावश्यक प्रयोग—कुछ लोग 'पर' का अनावश्यक प्रयोग करते हैं

वह कहाँ पर है ?

वस्तुत 'कहाँ' पर्याप्त है, 'कहाँ पर' की आवश्यकता नही। ऐसे ही यद्यपि 'स्थान' और 'जगह' पर्याय है किंतु कई प्रयोगो मे 'स्थान' के साथ 'पर' लगता है, किंतु 'जगह' के साथ नही

लडका किस स्थान पर है ?
लडका किस जगह है ?

'जगह' के साथ 'स्थान' के सादृश्य पर 'पर' का प्रयोग अनावश्यक है

लडका किस जगह पर है ?

पर का लोप—कभी-कभी लोग 'पर' का व्यर्थ मे लोप कर देते है। प्रयोग चलते हैं

मोहन घर मे है। (घर के भीतर)
मोहन घर पर है। (घर पर उपस्थित, भीतर या बाहर या आसपास)
मोहन घर है।

यह तीसरा प्रयोग अमानक है। मोहन कहाँ है' प्रश्न के उत्तर मे लोग प्राय

ऐसा कह जाते हैं। मानक रूप होगा—मोहन घर पर है।

क्रम की अशुद्धि—तुम्हारी छन जो चू रही है, पर सीमेट लगाने की जरूरत है। होना चाहिए—तुम्हारी छत पर, जो चू रही है, सीमेट लगाने की जरूरत है।

'मे'

'मे' के प्रयोग मे प्राय गलती कम ही होती है। कुछ मुख्य गलतियो की ओर यहाँ सकेत किया जा रहा है।

'मे' तथा 'पर' का भेद—'मे' तथा 'पर' के अर्थ मे अतर है, अत उनके अतर को समझते हुए प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए 'मन मे' तथा 'मन पर' दोनो अपने स्थान पर ठीक हैं किंतु दोनो का प्रयोग एक स्थान पर नही हो सकता। 'मन मे एक बात है' तो 'मन पर बोझ है'। ऐसे ही 'वह घर मे है' और 'वह घर पर है' एक नही है।

'मे' का अनावश्यक प्रयोग—कुछ लोग 'मे' का अनावश्यक प्रयोग भी करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं—भारत मे तो नही किंतु बाहर मे ऐसा होता है। यहाँ या तो 'बाहर' का प्रयोग होना चाहिए या फिर 'बाहर के देशो मे' का। ऐसे ही 'दरअसल मे' तथा 'दर हकीकत मे' मे भी 'मे' अनावश्यक है। 'दर' का भी अर्थ 'मे' है, अत 'दर' और 'मे' का एक साथ प्रयोग नही हो सकता। या तो 'दर-असल' या 'असल मे' या फिर 'दर हकीकत' या 'हकीकत मे'। 'कालान्तर मे' के सबध मे विवाद है। कुछ लोग मात्र 'कालातर' का प्रयोग करना सगत मानते हैं, तो कुछ लोग 'कालातर मे' का। मैं 'कालातर मे' मे 'मे' को अनावश्यक मानता हूँ।

क्रम-दोष—वाक्य मे, 'मे' के क्रम की भी गलती प्राय लोग करते हैं।

उदाहरण के लिए—'दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, मे सडक-दुर्घनाएँ बहुत होती हैं।' मे 'मे' का क्रम ठीक नही है। अधिक अच्छा होगा—'दिल्ली मे, जो भारत की राजधानी है, सडक दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं।' 'भारत की राजधानी दिल्ली मे सडक-दुर्घनाएँ बहुत होती है।' और अच्छा होगा।

कारक-चिह्नो के प्रयोग मे मुख्यत इसी प्रकार की गलतियाँ होती है। वाक्य मे कारक-चिह्नो के स्थान के बारे मे यह ध्यान रखना चाहिए कि वे उसी शब्द के साथ आते है, जिनसे उनका सबध होता है, उससे अलग नही। पीछे, ने, को, से, पर, मे आदि के उदाहरण दिए गए है। यो अच्छे लेखको को कारक-चिह्न मात्र पास रख देने से सतोष नही होता। कुछ उदाहरण है।

किंतु कभी-कभी कारक-चिह्न पास रख देने से भी वाक्य का अपेक्षित स्वरूप नही बन पाता।

1. (क) उसके घर, जो काफी पुराना है, मे बहुत सीलन है।
   (ख) उसके घर मे, जो काफी पुराना है, बहुत सीलन है।

(ग) उसका घर काफी पुराना है, और उसमे वहुत सीलन है।

2 (क) हमारी नई अर्थनीति, जो इस वर्ष से लागू हो रही है का आधार वहुत स्पष्ट नही है।

(ख) हमारी नई अर्थनीति का आधार, जो इस वर्ष से लागू हो रही है, वहुत स्पष्ट नही है।

(ग) इस वर्ष से लागू हो रही, हमारी नई अर्थनीति का आधार वहुत स्पष्ट नही है।

(घ) हमारी नई अर्थनीति का, जो इस वर्ष से लागू हो रही है, आधार वहुत स्पष्ट नही है।

3 (क) उसी गाँव, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, के वाहर उनका स्मारक वनेगा।

(ख) उसी गाँव के वाहर, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, उनका स्मारक वनेगा।

(ग) जो गाँव उनकी कर्मभूमि रहा है, उसी के वाहर उनका स्मारक वनेगा।

(घ) उनका स्मारक उसी गाँव के वाहर वनेगा जो उनकी कर्मभूमि रहा है।

इन तीनो ही वाक्यो के 'क' तो विल्कुल अटपटे है। 'ख', 'क' से अच्छे होते हुए भी वहुत अच्छे नही माने जाते। पहले मे 'ख' की तुलना मे 'ग' हिन्दी की प्रकृति के अधिक अनुरूप है। दूसरे मे 'ग' अच्छा है, यो कुछ लोग 'घ' भी पसद करते हैं। तीसरे मे भी 'ग' 'ख' से अच्छा है।

11

सर्वनाम

'सर्वनाम' के प्रयोग से वाक्य सुदर वन जाते है। यदि सर्वनाम न होते तो 'राम ने राम के पिताजी को राम के छात्रावास मे बुलाया' जैसे भोडे वाक्य प्रयुक्त करने पडते। हर भाषा मे सर्वनामो के प्रयोग से सबधित विशेष नियम होते है। जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ हिन्दी सर्वनामो के प्रयोग सबधी केवल उन बातो को लिया जा रहा है जिनकी गलती प्राय हो जाती है।

हिन्दी के मुख्य सर्वनामो के एकवचन-बहुवचन के रूप ये है

	एकवचन	बहुवचन (स०)[1]	बहुवचन (वि०)[2]
उत्तम पुरुष	मैं	हम	हम लोग, हम सब
	मुझ	हम	हम लोगो, हम सबो
	मेरा	हमारा	हम लोगो का, हम सबो का
मध्यम पुरुष	तू	तुम	तुम लोग, तुम सब
	तुझ	तुम, तुम्ह	तुम लोगो, तुम सबो
	तेरा	तुम्हारा	तुम लोगो का, तुम सबो का
अन्य पुरुष	वह	वे	वे लोग, वे सब
	उस	उन, उन्हो, उन्ह	उन लोगो, उन सबो
निश्चयवाचक	यह	ये	ये लोग, ये सब
(निकटवर्ती)	इस	इन, इन्ह, इन्हो	इन लोगो, इन सबो
सबधवाचक	जो	×	जो लोग, जो-जो, जो-जो

1 स०—सयोगात्मक

2 वि०—वियोगात्मक। 'हम' सयोगात्मक रूप है तो 'हम लोग' वियोगात्मक, क्योकि इसमे बहुवचनद्योतक 'लोग' अलग से जोडा गया है।

			लोग, जो-जो चीजें
	जिस	जिन, जिन्ह, जिन्हो	जिन-जिन लोगो, जिस-जिस जिन-जिन चीज़ो
प्रश्नवाचक	कौन, क्या	×	कौन लोग, कौन-कौन, कौन-कौन लोग, कौन-कौन चीज़े
	किस	किन, किन्ह, किन्हो	किन लोगो किन-किन, किन-किन लोगो, किन-किन चीज़ो, किस-किस
अनिश्चयवाचक	कोई, कुछ	×	कोई-कोई, कोई-कोई लोग, कुछ चीज़े
	किसी	किन्ही	किन्ही, किन्ही लोगो, किन्ही-किन्ही चीज़ो, किसी-किसी
आदरसूचक	आप	×	आप लोग
	आप	×	आप लोगो
निजवाचक	आप	×	आप सब, आप लोग, आप-लोगो
	आप-से-आप	×	×
	अपने आप	×	×

हिन्दी सर्वनामो मे प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार के बहुवचन के रूप हैं। बहु० (स०)—बहुवचन के सयोगात्मक रूप हैं जिनका सस्कृत आदि से विकास हुआ है, किंतु बहु० (वि०)—हिन्दी ने अपनी आवश्यकता की दृष्टि से बना लिए हैं। ये वियोगात्मक रूप हैं। इन दोनो के प्रयोग के सबध मे ये बातें ध्यान देने की हैं

(क) उत्तम पुरुष के 'हम', 'हमारा' तथा इनसे बननेवाले हम को, हमें हमसे, हममे, हम पर, हमारी आदि बहु० (स०) रूप, बहुवचन होने के बावजूद अब प्राय बहुवचन के लिए नही आते। लोग मैं, मुझ, मेरा के स्थान पर इनका प्रयोग करते है। जैसे मैं जा रहा हू—हम जा रहे हैं, मुझे दो रुपये दे दो—हमे दो रुपये दे दो, मुझसे यह नही होने का—हमसे यह नही होने का, मेरा घर गांव मे है—हमारा घर गांव मे है आदि। यद्यपि यह ध्यान रखने योग्य है कि 'मैं', 'मुझ', 'मेरा' के स्थान पर इस प्रकार 'हम', 'हमारा' का प्रयोग व्याकरण-सम्मत प्रयोग नहीं माना जा सकता, इसीलिए इनसे भरसक बचना चाहिए (दे० पीछे 'वचन' शीर्षक अध्याय) जब बहुवचन के इन रूपो का प्रयोग एकवचन मे होने लगा, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है—हिन्दी मे लोग, 'सब', 'लोगो', 'सबो' लगाकर बहुवचन के रूप बनाए जाने लगे। अब उत्तम पुरुष के बहुप्रयुक्त तथा मानक बहुवचन रूप हम लोग, हम सब, हम लोगो आदि ही हैं हम लोग जा रहे हैं, हम लोगो को दूर जाना है, हम लोगो का उद्देश्य समाज सेवा है, हम

सबो को भला कौन पूछता है ?

(ख) मध्यम पुरुष के बहु० (स०) रूपो (तुम, तुम्हारा आदि) का विकास तो सस्कृत के बहुवचन के रूपो से हुआ है, और व्याकरणिक दृष्टि मे ये बहुवचन के रूप है, किंतु इनका प्रयोग पूरी तरह एकवचन के रूप मे ही होता है। यदि आदरसूचक 'आप' को भी मिला ले तो एकवचन के प्रयोग की स्थिति यह है

(1)	(2)	(3)
तू	तुम	आप

'तू' छोटो (नौकर, बच्चा), माँ आदि अत्यत निकट के बडो (माँ, तू कहाँ जा रही है) तथा भगवान (हे भगवान् तू बडा दयालु है) के लिए प्रयुक्त होता है। यह पूर्णत अनौपचारिक है। 'तुम' छोटो (नौकर, छोटा भाई आदि) के लिए तथा बराबरवालो (जैसे मित्र) के लिए आता है। यह भी अनौपचारिक है। 'आप' औपचारिक है। इसके प्रयोग मे निकटता की वह गध नही है जो 'तू', 'तुम' मे है। इसका प्रयोग उनके लिए होता है जो रिश्ता, पद, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर आदि की दृष्टि से बडे है तथा जिनसे 'तू'-'तुम'-स्तर की निकटता नही है। मध्यम पुरुष मे 'तू', 'तुम' दोनो के बहुवचन के रूप 'तुम लोग', 'तुम सब' तथा 'तुम लोगो' 'तुम सबो' है तुम लोग क्या करते हो ? तुम लोगो को यह काम करना है। तुम लोगो का इरादा क्या है ? तुम सबो ने समझ क्या रखा है ? ऐसे ही 'आप' का बहुवचन 'आप लोग', 'आप सब', 'आप लोगो' है . आप लोग क्या करते हैं ? आप लोगो को सज़ा मिलेगी, आप सबको जाना पडेगा।

(ग) अन्य पुरुष तथा निश्चयवाचक निकटवर्ती सर्वनाम की स्थिति उपर्युक्त से भिन्न है और एक तीसरे प्रकार की है। इन दोनो के एक० के रूपो का प्रयोग प्राय अनादर और नैकट्यसूचक एक० के लिए होता है। बहु० (सयोगात्मक) के रूपो का प्रयोग प्राय आदरसूचक एक० के लिए होता है 'पिता जी गए किंतु वे कल आ जाएँगे। उन्हे मेरे साथ चलना है, ऐसा उन्होंने मुझसे कह रखा है।' 'ये तुम्हारे पिताजी हैं क्या ? इन्होने यह सिर पर क्या लगा रखा है ?' बहु० (वियोगात्मक) का प्रयोग आदरसूचक तथा अनादरसूचक दोनो प्रकार के बहु० के लिए होता है 'वहाँ कई मज़दूर काम कर रहे है, उन लोगो के लिए खाना भेजना है।' 'आज तो तुम्हारे कई अध्यापक वहाँ बैठे है। उन लोगो को भी यही बुला लूँ क्या ?' 'उन लोगो', 'इन लोगो' का प्रयोग आदरसूचक रूप मे तथा 'उन सबो', 'इन सबो' का प्रयोग अनादरसूचक अर्थ मे करते है।

(घ) सबधवाचक, प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक कई दृष्टियो से एक वर्ग के है। (अ) इनके मूल रूप (जिनके साथ कारक-चिह्न नही लगते) बहु० के सयोगात्मक रूप नही होते किंतु वियोगात्मक बहुवचन मे होते हैं। (आ) इनमे कुछ लोग अपने वैयक्तिक प्रयोगो मे आदर के लिए सज्जन (जो आया था, जो आए थे, जो

सज्जन आए थे, जिन्होंने, जिन लोगो ने, जिन सज्जनो ने) जोड लेते हैं। (इ) बहु० (वियोगात्मक) के रूप पुनरुक्ति मे भी बन जाते हैं जो-जो, जो-जो सज्जन/लोग। चीजें, जिन-जिन, जिस-जिस, कौन-कौन, किन-किन, कोई-कोई, किसी-किसी।

'जिन्होंने' का प्रयोग अब कम होने लगा है। उसके स्थान पर प्राय 'जिन लोगो ने' जिन सज्जनो ने', 'जिन-जिन ने' के प्रयोग होते हैं। 'किन्होंने' का प्रयोग तो अब बिल्कुल नहीं होता। इसके स्थान पर 'किन लोगो ने', 'किन सज्जनो ने', 'किन-किन ने' चलते हैं।

'कौन' का प्रयोग व्यक्ति के लिए और 'क्या' का प्रयोग वस्तु (क्या लोगे?) और 'मानवेतर जीव' (इस झाडी मे क्या बोल रहा है) के लिए होता है। हाँ 'सा' लगाने पर 'कौन' सभी के लिए आ सकता है कौन-सा आदमी, कौन-सी औरत, कौन-सा जानवर/कीडा/कपडा/पदार्थ। 'क्या' का प्रयोग अपवादत हो आदमी के लिए होता है 'वह भी क्या आदमी है', किंतु तब यह सर्वनाम न होकर केवल प्रश्नसूचक अव्यय हो जाता है।

(ड) निजवाचक सर्वनाम 'आप' के 'आप' (तुम आप चले जाओ) 'अपना' (तुम अपना काम करो), 'अपने-आप' (वे अपना काम अपने-आप कर लेंगे) 'आप-से-आप (फोडा आप-से-आप/अपने-आप बह गया) रूप होते हैं।

ऊपर सर्वनाम के रूपो मे अंतर तथा प्रयोग-विषयक मुख्य बातो का उल्लेख सक्षेप मे किया गया। यो तो इनका ध्यान न रखने पर प्राय अशुद्धि हो जाती है, किंतु इनके अतिरिक्त कुछ और प्रकार की भूले भी हो जाती हैं

(1) उत्तम पुरुष

	मानक रूप	अमानक रूप
एक०	मुझे, मुझको	मेरे को
	मुझ से	मेरे से
	मुझ मे, मुझ पर	मेरे मे, मेरे पर
बहु०	हममे, हमको	हमारे को
	हमसे	हमारे से
	हममे, हम पर	हमारे पर

(2) मध्यम पुरुष

	मानक रूप	अमानक रूप
एक०	तुझे, तुझको	तेरे को
	तुझ से	तेरे से
	तुझ मे, तुझ पर	तेरे मे, तेरे पर

सबो को भला कौन पूछता है ?

(ख) मध्यम पुरुष के बहु० (स०) रूपो (तुम, तुम्हारा आदि) का विकास तो सस्कृत के बहुवचन के रूपो से हुआ है, और व्याकरणिक दृष्टि से ये बहुवचन के रूप हैं, किंतु इनका प्रयोग पूरी तरह एकवचन के रूप मे ही होता है। यदि आदरसूचक 'आप' को भी मिला ले तो एकवचन के प्रयोग की स्थिति यह है

(1)	(2)	(3)
तू	तुम	आप

'तू' छोटो (नौकर, बच्चा), माँ आदि अत्यत निकट के बडो (माँ, तू कहाँ जा रही है) तथा भगवान (हे भगवान् तू बडा दयालु है) के लिए प्रयुक्त होता है। यह पूर्णत अनौपचारिक है। 'तुम' छोटो (नौकर, छोटा भाई आदि) के लिए तथा बराबरवालो (जैसे मित्र) के लिए आता है। यह भी अनौपचारिक है। 'आप' औपचारिक है। इसके प्रयोग मे निकटता की वह गध नही है जो 'तू', 'तुम' मे है। इसका प्रयोग उनके लिए होता है जो रिश्ता, पद, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर आदि की दृष्टि से बडे है तथा जिनसे 'तू'-'तुम'-स्तर की निकटता नही है। मध्यम पुरुष मे 'तू', 'तुम' दोनो के बहुवचन के रूप 'तुम लोग', 'तुम सब' तथा 'तुम लोगो' 'तुम सबो' है तुम लोग क्या करते हो ? तुम लोगो को यह काम करना है। तुम लोगो का इरादा क्या है ? तुम सबो ने समझ क्या रखा है ? ऐसे ही 'आप' का बहुवचन 'आप लोग', 'आप सब', 'आप लोगो' है . आप लोग क्या करते हैं ? आप लोगो को सजा मिलेगी, आप सबको जाना पडेगा।

(ग) अन्य पुरुष तथा निश्चयवाचक निकटवर्ती सर्वनाम की स्थिति उपर्युक्त से भिन्न है और एक तीसरे प्रकार की है। इन दोनो के एक० के रूपो का प्रयोग प्राय अनादर और नैकट्यसूचक एक० के लिए होता है। बहु० (सयोगात्मक) के रूपो का प्रयोग प्राय आदरसूचक एक० के लिए होता है 'पिता जी गए किंतु वे कल आ जाएँगे। उन्हे मेरे साथ चलना है, ऐसा उन्होंने मुझसे कह रखा है।' 'ये तुम्हारे पिताजी है क्या ? इन्होंने यह सिर पर क्या लगा रखा है ?' बहु० (वियोगात्मक) का प्रयोग आदरसूचक तथा अनादरसूचक दोनो प्रकार के बहु० के लिए होता है 'वहाँ कई मज़दूर काम कर रहे हैं, उन लोगो के लिए खाना भेजना है।' 'आज तो तुम्हारे कई अध्यापक वहाँ बैठे है। उन लोगो को भी यही बुला लूँ क्या ?' 'उन लोगो', 'इन लोगो' का प्रयोग आदरसूचक रूप मे तथा 'उन सबो', 'इन सबो' का प्रयोग अनादरसूचक अर्थ मे करते है।

(घ) सबधवाचक, प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक कई दृष्टियो से एक वर्ग के है। (अ) इनके मूल रूप (जिनके साथ कारक-चिह्न नही लगते) बहु० के सयोगात्मक रूप नही होते किंतु वियोगात्मक बहुवचन मे होते हैं। (आ) इनमे कुछ लोग अपने वैयक्तिक प्रयोगो मे आदर के लिए सज्जन (जो आया था, जो आए थे, जो

सज्जन आए थे, जिन्होंने, जिन लोगों ने, जिन सज्जनों ने) जोड लेते हैं। (इ) बहु० (वियोगात्मक) के रूप पुनरुक्ति से भी बन जाते हैं जो-जो, जो-जो सज्जन/लोग। चीजें, जिन-जिन, जिस-जिस, कौन-कौन, किन-किन, कोई-कोई, किसी-किसी।

'जिन्होंने' का प्रयोग अब कम होने लगा है। उसके स्थान पर प्राय 'जिन लोगो ने' जिन सज्जनो ने', 'जिन-जिन ने' के प्रयोग होते हैं। 'किन्होंने' का प्रयोग तो अब बिल्कुल नहीं होता। इसके स्थान पर 'किन लोगो ने', 'किन सज्जनो ने', 'किन-किन ने' चलते हैं।

'कौन' का प्रयोग व्यक्ति के लिए और 'क्या' का प्रयोग वस्तु (क्या लोगे ?) और 'मानवेतर जीव' (इस झाडी मे क्या बोल रहा है) के लिए होता है। हाँ 'सा' लगाने पर 'कौन' सभी के लिए आ सकता है कौन-सा आदमी, कौन-सी औरत, कौन-सा जानवर/कीडा/कपडा/पदार्थ। 'क्या' का प्रयोग अपवादत हो आदमी के लिए होता है 'वह भी क्या आदमी है', किंतु तब यह सर्वनाम न होकर केवल प्रश्नसूचक अव्यय को जाता है।

(ङ) निजवाचक सर्वनाम 'आप' के 'आप' (तुम आप चले जाओ) 'अपना' (तुम अपना काम करो), 'अपने-आप' (वे अपना काम अपने-आप कर लेंगे) 'आप-से-आप (फोडा आप-से-आप/अपने-आप बह गया) रूप होते है।

ऊपर सर्वनाम के रूपो मे अतर तथा प्रयोग-विषयक मुख्य बातो का उल्लेख सक्षेप मे किया गया। यो तो इनका ध्यान न रखने पर प्राय अशुद्धि हो जाती है, किंतु इनके अतिरिक्त कुछ और प्रकार की भूलें भी हो जाती हैं

(1) उत्तम पुरुष

	मानक रूप	अमानक रूप
एक०	मुझे, मुझको	मेरे को
	मुझ से	मेरे से
	मुझ मे, मुझ पर	मेरे मे, मेरे पर
बहु०	हमने, हमको	हमारे को
	हमसे	हमारे से
	हममे, हम पर	हमारे पर

(2) मध्यम पुरुष

	मानक रूप	अमानक रूप
एक०	तुझे, तुझको	तेरे को
	तुझ से	तेरे से
	तुझ में, तुझ पर	तेरे से, तेरे पर

बहु०	तुम्हे, तुम को	तुम्हारे को
	तुमसे	तुम्हारे से
	तुमसे, तुम पर	तुम्हारे मे, तुम्हारे पर

आजकल पूरे हिन्दी प्रदेश मे ये अमानक रूप वहुत प्रचलित है। इनके स्थान पर मानक रूपो का प्रयोग होना चाहिए।

(2) मानक रूप	अमानक रूप
मुझे, मुझको	मैंने
(मुझे जाना है)	(मैंने जाना है)
तुम्हे, तुमको	तुमने
(तुम्हे जाना है)	(तुमने जाना है)
उसे, उसको	उसने
जिसे, जिसको	जिसने
किसे, किसको	किसने

अर्थात् 'ए' और 'को' से वननेवाले रूपो के स्थान पर 'ने' के रूपो का प्रयोग। यह गलती पजाव तथा हरियाना के लोगो मे प्राय मिलती है।

(3) 'अपना' के स्थान पर 'मेरा' और 'हमारा' का प्रयोग-विपयक अशुद्धि भी काफी मिलती है

(क) मेरी (अपनी) परीक्षा समाप्त होने के वाद मैं तुम्हारे घर चलूंगा।

(ख) हमारा (अपना) तो लक्ष्य है अपने देश की उन्नति करना।

(ग) उस समय मेरी निगाह मेरे (अपने) मित्र की ओर थी।

(4) यह वात सभी लोग जानते हैं कि सर्वनाम सज्ञा के स्थान पर आते है, इसीलिए लेखन मे सज्ञा पहले आनी चाहिए तथा सर्वनाम वाद मे। यदि ऐसा न करके सर्वनाम का पहले प्रयोग किया जाए तो पाठक प्रारभ मे यह नही समझ पाएगा कि वह सर्वनाम किसके लिए आ रहा है। यह वात रचना, परिच्छेद, अनुच्छेद तथा एक सीमा तक वाक्य के लिए भी ठीक है। उदाहरण के लिए 'अपनी बात मनवाने के लिए मोहन जिद करने लगा' वाक्य को 'मोहन अपनी वात मनवाने के लिए जिद करने लगा' कहना अधिक उपयुक्त होगा।

जहाँ तक वाक्य मे सज्ञा के पहले और सर्वनाम के वाद मे प्रयोग का प्रश्न है, कुछ अपवाद भी है। उदाहरण के लिए सर्जनात्मक साहित्य में उत्सुकता जगाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग कभी-कभी पहले करते है। ऐसे ही कथा साहित्य मे, यदि प्रसग मे सज्ञा का स्पष्ट सकेत है तो आवश्यक नही कि सज्ञा का प्रयोग पहले किया जाए। वल्कि वह एक प्रकार से दोष है। उदाहरण के लिए 'मोहन राम को बेत से मारने लगा, और मारते-मारते उसने उसकी चमडी उधेड दी। राम चिडचिडा रहा था, किंतु मोहन ने उसकी एक न सुनी।' अब यहाँ कोई यह कहे कि 'मारते-मारते

मोहन ने राम की चमडी उधेड दी' तो इस प्रसग मे सर्वनाम को छोडकर सज्ञा का यह प्रयोग अटपटा लगेगा।

(5) सामान्य भाषा तो सर्वनाम के प्रयोग सबधी सामान्य मानक नियमो का प्रयोग करती है, किंतु सर्जनात्मक भाषा, जैसा कि इस पुस्तक मे अन्यत्र भी कहा जा चुका है, विशेष सौंदर्य की सृष्टि करती है। उदाहरण के लिए पहले सज्ञा का प्रयोग करके फिर सर्वनाम के प्रयोग की बात ऊपर कही गई, किंतु साथ ही यह भी कहा गया कि पाठक मे उत्सुकता जगाने के लिए प्रारभ मे कुछ दूर तक केवल सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सर्जनात्मक भाषा मे जोर देने के लिए ऐसे स्थानो पर भी सज्ञा का प्रयोग करते हैं, जहाँ सामान्यत सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए

(क) यदि भारत उसकी सस्कृति, तथा उसकी जनता को जानना चाहते हो तो उसका भ्रमण करो।

(ख) यदि भारत, भारत की सस्कृति, तथा भारत की जनता को जानना चाहते हो भारत का भ्रमण करो।

'क' मानक वाक्य है। 'ख' उसका विचलित रूप है, जिसमे बल देने के लिए सारे सर्वनामो को हटाकर एक ही सज्ञा का बार-बार प्रयोग किया गया है। यह 'ख' वाक्य सामान्य भाषा की दृष्टि से गलत है, क्योकि सर्वनाम का प्रयोग न करके एक ही सज्ञा का बार-बार प्रयोग किया गया है, किन्तु सामान्य नियमो का उल्लघन करके, इसे जो रूप दिया गया है, वह अधिक सशक्त तथा प्रभावी है।

(6) ऊपर आदर-अनादर, औपचारिकता-अनौपचारिकता तथा निकटता-अनिकटता आदि सामाजिक सबधो की बात की जा चुकी है। सर्वनामो के प्रयोग मे इन सबधो का पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए। सच पूछा जाए तो सर्वनामो के प्रयोग मे सामाजिक सबधो की घुस-पैठ जितनी हिन्दी मे है विश्व की कम भाषाओ मे होगी।

(7) हिन्दी सर्वनामो मे अग्रेज़ी आदि (ही, शी, इट) की तरह लिंग-भेद नहीं हैं। केवल सबध के रूपो (तुम्हारा-तुम्हारी, उसका-उसकी, अपना-अपनी) मे ही इसका सकेत है उसके लडके, उसकी लडकियाँ।

(8) वचन की चर्चा ऊपर की जा चुकी है, और हमने देखा, कि, व्याकरण की पुस्तको मे न मिलने पर भी, कुछ सर्वनामो के, वास्तविक प्रयोग मे दो बहुवचन हैं। इनका पूरा ध्यान न रखने पर भ्रम की गुजाइश रहती है। उदाहरण के लिए व्याकरणिक दृष्टि से 'तुम' बहुवचन है, किंतु 'तुम खाना खा लो' मे 'तुम' एकवचन है। ऐसे ही 'वे आ रहे है' मे 'वे' बहुवचन है किंतु आदरार्थ मे यह एकवचन है। इस प्रकार के भ्रम से पाठक और श्रोता को बचाने के लिए बहुवचन की अभिव्यक्ति के लिए 'लोग' (हम लोग, वे लोग, जो लोग) या 'सब' (हम सब, तुम सब, वे सब) का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रसग मे यह ध्यान रखना चाहिए कि 'हम' के साथ

'लोग' का प्रयोग सामान्य बहुवचन की अभिव्यक्ति करता है, किंतु 'सब' का प्रयोग यह कहता है कि 'हम सब' मे जो लोग शामिल है, आपस मे काफी निकट के है। तुम, वे, ये के साथ 'लोग' का प्रयोग सामान्य बहुवचन का द्योतक है, किंतु 'सब' के प्रयोग मे सामाजिक दृष्टि से कुछ अनादर या छोटे का भाव है। उदाहरण के लिए 'ये सब बैठे' का प्रयोग नौकरो, मज़दूरो, बच्चो, बहुत निकट के मित्रो आदि के लिए ही किया जा सकता है, बडो आदि के लिए नही।

(9) सर्वनामो के प्रयोग मे एकरूपता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग 'यह' या इसके किसी रूप से किसी बात का प्रारभ करते है, किंतु आगे चलकर 'वह' या उसके रूपो का प्रयोग करने लगते हैं। उदाहरणार्थ 'वह आदमी आया है, इससे तो बात करना भी मुझे पसद नही, ऐसा अदमी तो मैंने देखा ही नही। मेरे मित्रो की भी उसके बारे मे यही धारणा है।' यह ध्यान मे रखने की बात है कि 'यह' तथा इसके रूपो का प्रयोग 'काल' या 'स्थान' की दृष्टि से निकट के लिए होता है 'यह घटना, उस घटना से अधिक दुखद है', 'यह उससे अच्छा है।' ऐसे ही कभी 'आप' के प्रयोग तथा कभी 'तुम' के प्रयोग की अशुद्धि भी मिलती है। अर्थात् एक ही व्यक्ति के लिए एक ही परिच्छेद मे कभी 'आप' और कभी 'तुम' का प्रयोग।

(10) सर्वनाम अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते है किंतु सज्ञा के साथ आने पर वे विशेषण हो जाते हैं यह लडका, वह आदमी, जो घर। सर्वनाम के सबध कारकीय रूप (मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, अपना आदि) विशेषण ही होते हैं।

(11) 'आप' के प्रयोग के विषय मे निम्नाकित बाते ध्यान देने की है (क) इसका प्रयोग प्राय मध्यम पुरुष मे आदरार्थ होता है आप बैठिए। (ख) यदि अन्य पुरुष आदरणीय है तथा निकट है तो उसके लिए भी 'आप' का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई वक्ता मच पर बैठा है और कोई खडे होकर श्रोताओ को उनका परिचय दे रहा है। ऐसी स्थिति मे 'ये' का प्रयोग न करके 'आप' का प्रयोग करना चाहिए 'आप अर्थशास्त्र के बहुत बडे विद्वान है। इस विषय पर आप विदेशो मे भी कई भाषण दे चुके है। पजाबी तथा उनसे प्रभावित लोग प्राय ऐसे स्थानो पर 'मे' 'इन' का प्रयोग करते हैं जो हिन्दी के मानक रूप मे स्वीकृत नही है। (ग) कुछ लोग आप के साथ बैठो, उठो, लिखो, पढो, आदि उन क्रिया रूपो का प्रयोग करते है जो 'तुम' के साथ आते हैं आप बैठो, आप उठो। ऐसे प्रयोग अमानक हैं, हालाकि अब इनका प्रयोग बढता जा रहा है, और ऐसा कदाचित सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से हो रहा है :

तुम बैठो (अनौपचारिक, निकटता)
आप बैठिए (औपचारिकता, अनिकटता)

अब यदि व्यक्ति आदर भी व्यक्त करना चाहे तथा अनौपचारिकता मे बचते हुए निकटता भी व्यक्त करना चाहे तो सिवा इसके कि सर्वनाम आदरसूचक ले ले

तथा क्रिया अनौपचारिकता तथा निकटतासूचक, और कथा कर सकता है। किंतु इनका अर्थ यह नहीं कि ऐसे प्रयोग मानक हैं, यद्यपि धूमिल तथा कुछ अन्य साहित्यकारों ने इस प्रकार के प्रयोग किए हैं। ऐसे ही 'आप चलोगे तो मैं भी चलूंगा' या 'क्या आप चलोगे?' जैसे वाक्य भी सुनने में आते हैं, जो अमानक हैं।

(12) पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र (मुख्यत ब्रज क्षेत्र के) लोगों के मुँह से मैंने संबंध के 'र' वाले रूपों में भी 'का' आदि जोड़कर संबंध के दो प्रत्ययवाले संबंध कारकीय रूपों का प्रयोग सुना है। ऐसा प्रयोग पुरानी पीढ़ी के लोग भी कभी-कभी करते पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ

(क) उसका क्या नाम है?

(ख) किसका?

(ग) बहन का तेरी का?

मेरी का' 'हमारी का' 'तुम्हारी का' जैसे प्रयोग भी मिलते हैं। ये प्रयोग निश्चित रूप 'तेरी बहन का' जैसी अभिव्यक्तियों के संक्षिप्त रूप हैं। ऐसे प्रयोगों से बचना चाहिए तथा 'बहन का तेरी का' के स्थान पर 'तेरी बहन का' जैसे प्रयोग ही करने चाहिए। यों इसका यह अर्थ नहीं कि दुहरे संबंध रूप कभी प्रयुक्त ही नहीं होते। अंग्रेजी के It is my own house जैसे प्रयोगों के आधार पर हिन्दी में भी 'यह मेरा अपना मकान है' जैसे प्रयोग चलते हैं, और इन्हें मानक मान लिया गया है।

12

विशेषण

विशेपण किसी सज्ञा की विशेपता वतलाता है। साथ ही यदि विना विशेपण के किसी सज्ञा को देखे तो वह काफी व्यापक होती है, विशेपण उसकी व्यापकता को सीमित कर देता है। उदाहरण के लिए 'घोडा' सज्ञा की व्याप्ति वहुत व्यापक है। उसकी तुलना मे 'काला घोडा' की व्याप्ति कम व्यापक है। व्यापकता का यह परिसीमन 'काला' विशेपण के कारण सभव हुआ है। किंतु इसके आधार पर यह सामान्य नियम वनाना भ्रामक है कि विशेपण सज्ञा की व्यप्ति को सीमित करता है। वास्तविकता यह है कि विशेषण केवल जातिवाचक (काला घोडा, लवा आदमी, छोटा फूल) तथा भाववाचक (क्षणिक क्रोध, विराट् व्यक्तित्व) सज्ञाओ की व्याप्ति को ही सीमित करता है, व्यक्तिवाचक सज्ञा (दयालु अकवर, क्रूर नादिरशाह, दानी कर्ण) की व्याप्ति को नही। उसकी तो वह मात्र विशेपता वतलाता है।

विशेषण शब्द भी हो सकता है (**भारतीय** व्यक्ति), **पदवध** (एक से अधिक पदो का समूह) भी हो सकता है (**भारत मे रहनेवाला** व्यक्ति) तथा **उपवाक्य** भी (व्यक्ति, **जो भारत मे रहता है**), और ये तीनो ही जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक किसी भी प्रकार की सज्ञा के विशेषण हो सकते है।

विशेषण शब्द या पद मुख्यत निम्नाकित प्रकार के होते हैं

1 **सामान्य शब्द**—जिनमे गुणवाचक, सख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेपण आते है **काला** कपडा, **एक** कमरा, **बहुत** पानी।

2 **सबंधकार के रूप**—**मेरा** घर, **राम** का वेटा, **तुम्हारा** नाम, **अपना** काम, **उसका** कपडा।

3 **विशेषणवत् प्रयुक्त सर्वनाम**—**वह** लडका, **यह** मकान।

4 **सार्वनामिक विशेषण**—अर्थात् जो विशेषण सर्वनामो के आधार पर वने होते हैं। जैसे 'यह' मे 'ऐसा' (ऐसा लडका), 'इतना' (इतने लोग), 'कौन' से 'कैसा' 'कितना' तथा जो से 'जैसा' 'जितना' आदि।

5 **प्रविशेषण**—अर्थात् वे शब्द अथवा विशेषण जो विशेषण की विशेषता वतलाते है। हिन्दी मे कुछ विशेषण तो केवल प्रविशेषण होते है जैसे निहायत

किन्तु इसके विपरीत काफी हिन्दी-भाषी अन्य आकारांत शब्दों की तरह इसमें भी परिवर्तन करने लगे हैं।

4 ईकारांत विशेषणों में तीन-चार विचारणीय हैं 'भारी' की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। जैसा कि पीछे कहा गया है पंजाबी-भाषी तथा उनके प्रभाव में कुछ अन्य लोग भी 'भारा बदन' जैसा प्रयोग करते सुने जाते हैं जो गलत है। 'भारी' परिवर्तनीय नहीं है। खारी 'क्षारीय' से विकसित है और इसका (खार+ई) भी 'ई' 'भारी' की 'ई' की तरह विशेषण प्रत्यय है, अतः खारी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसीलिए 'खारी पानी' बोलने की परंपरा रही है। इधर अन्य आकारांत शब्दों के समान इसके भी खारा-खारी-खारे प्रयोग चलने लगे हैं, किंतु इसका व्याकरण-सम्मत प्रयोग 'खारी' रूप में ही है। ऐसे ही सामान्य प्रयोग सुनहरा, सुनहरी, सुनहरे चलता है, किंतु कुछ लोग 'सुनहरी' रूप में इसका अपरिवर्तित प्रयोग ही करते हैं। दिल्ली में एक सड़क का नाम है 'सुनहरी बाग रोड'। उर्दू-वाले 'सुनहरी मौका' का ही प्रयोग करते हैं। 'सुनहरा मौका' नहीं। यों हिन्दी में ये शब्द (सुनहरा, खारा) परिवर्तनीय विशेषण के रूप में इतने चल पड़े हैं कि उनकी परिवर्तनीयता को रोक पाना संभव नहीं लगता। चौथा विशेषण 'गपोड़ी' है। स्त्री-पुरुष दोनों के लिए इसी का प्रयोग होना चाहिए। 'गपोड़ा' मानक रूप नहीं है।

तुलना

हिन्दी में तुलनात्मक विशेषणों की अभिव्यक्ति निम्नांकित प्रकारों से होती है

(क) संस्कृत के तत्सम प्रत्यय तर-तम लगाकर सुन्दर-सुन्दरतर-सुन्दरतम-उच्च-उच्चतर-उच्चतम। संस्कृत के 'इष्ठ' प्रत्ययवाले तमार्थी शब्द (श्रेष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ, घनिष्ठ) भी हिन्दी में चलते हैं, किंतु उनमें अब सामान्य विशेषण का ही भाव रह गया है। इसीलिए तमार्थी रूप में उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। संस्कृत परंपरा के बहुत से लोग इनका तमार्थी प्रयोग करते हैं, किंतु मानक हिन्दी उन्हें इस रूप में नहीं स्वीकारती। हिन्दी में 'वह श्रेष्ठ है' का अर्थ प्रायः लोग 'वह सबसे अच्छा है' नहीं लेते बल्कि केवल 'वह अच्छा है' लेते हैं, इसीलिए 'सर्वश्रेष्ठ' या 'श्रेष्ठतर' 'श्रेष्ठतम' जैसे प्रयोग चलते हैं। लगता है कि यह परंपरा काफी पुरानी है। महाभारत में 'सर्वश्रेष्ठ' का प्रयोग है। ऐसी स्थिति में घनिष्ठ, बलिष्ठ, गरिष्ठ जैसे शब्दों का प्रयोग सामान्य विशेषण के रूप में करना ही उपयुक्त है। तमार्थी विशेषण के रूप में नहीं। इसीलिए श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ अब अशुद्ध नहीं माने जा सकते।

(ख) फारसी शब्दों में तर तरीन लगता है बेहतर, बेहतरीन, बदतर, बदतरीन, ज्यादातर। यों इन प्रत्ययों से युक्त विशेषण हिन्दी में गिने-चुने ही हैं।

(ग) उपर्युक्त दोनों परंपराएँ हिन्दी ने क्रमशः संस्कृत और फारसी से ली हैं। हिन्दी की अपनी पद्धति में तुलना के लिए से (राम मोहन से अच्छा है) 'सबसे'

ज़िन्दा, ज्यादा, ढलवाँ, आवारा, इकट्ठा, काइयाँ, शर्तिया, चचिया, ममिया, फुफिया, दुतरफा, बबइया, कलकतिया, पुरबिया, कनपुरिया, बेमहारा, मरखनिया, मज़ाकिया, मौजूदा, मौकिया, तनहा, पोगा, आगबबूला, बचकाना, बकाया, निठल्ला, नाकारा, बेहूदा, रजीदा, पोशीदा, बहुरूपिया आदि । इनमे से कुछ विशेषणो (बेहूदी बात, उमदे अमरूद, पेचीदी बात, जिन्दो औरत, जिन्दे कीडे, दुतरफी बात, ताजी सब्जी, ताजे फूल, निठल्ली औरत, पोगी औरत, बचकानी बात, बकायी रकम आदि) मे लोग परिवर्तन कर देते है, किन्तु ऐसा करना गलत है ।

विशेषणो मे परिवर्तन करने-न-करने के सबध मे निम्नाकित बाते ध्यान देने की है

1 'सुदर' जैसे कुछ सस्कृत शब्द हिन्दी मे सामान्यत अपरिवर्तित है (सुदर लडका, सुदर लडकी), किन्तु सस्कृत का अनुसरण करते हुए कुछ लोग इनमे परिवर्तन करते भी है सुदर पुरुष, सुदरी स्त्री । ऐसे ही बुद्धिमान-बुद्धिमती, तपस्वी-तपस्विनी, शक्तिशाली-शक्तिशालिनी, सौभाग्यशाली-सौभाग्यशालिनी, कुरूप-कुरूपा, विवाहित-विवाहिता, अविवाहित-अविवाहिता, श्रद्धेय-श्रद्धेया, सुशील-सुशीला, आदरणीय-आदरणीया, माननीय-माननीया आदि । वस्तुत जहाँ सस्कृत-निष्ठ हिन्दी हो वहाँ तो इस प्रकार के लिंगीय परिवर्तन ठीक लगते हैं किन्तु 'उसकी लडकी तो बहुत 'सुशील है' जैसे वाक्यो मे 'सुशीला' जैसे शब्दो का प्रयोग अनावश्यक-सा है । कुछ लोग एक कदम और आगे बढकर नवल-नवला, धवल-धवला, विपुल-विपुला, विजयी-विजयिनी-जैसे प्रयोग भी करते है, किन्तु ये हिन्दी की प्रकृति से बिलकुल भी मेल नही खाते, अत अनावश्यक हैं ।

2 'भारी' और 'बडी' जैसे शब्दो को लेकर कुछ लोगो को भ्रम होता है कि दोनो ईकारात है अत समान । किन्तु वास्तविकता यह नही है । 'भारी' शब्द अपरिवर्तित रहता है जबकि 'बडी' के बडा, बडे रूप बनते हैं । वस्तुत देखने की बात यह है कि 'इ' स्त्रीलिंग का प्रत्यय है या विशेषण का । यदि स्त्रीलिग का प्रत्यय है तो उसमे आ, ए जैसे परिवर्तन होते है (जैसे बडी-बडा-बडे, अच्छी-अच्छा-अच्छे, कडी-कडा-कडे आदि), किन्तु यदि 'ई' विशेषण का प्रत्यय (सज्ञा 'भार' + विशेषण प्रत्यय 'ई' = भारी) है तो वह परिवर्तित नही होता । जापानी, बनारसी, रेशमी, ऊनी, सूती आदि के 'ई' ऐसे ही विशेषण के प्रत्यय हैं अत ये विशेषण अपरिवर्तित रहते हैं । निष्कर्षत 'भारी' का 'भारा' बनाना गलत है और पजाबियो आदि द्वारा प्रयुक्त 'भारा बदन' जैसी अभिव्यक्तियाँ शुद्ध नही कही जा सकती ।

3 मैंने 'ताजा' को भी अपवादो मे शामिल किया है । उर्दूवाले तथा सुशिक्षित हिन्दीवाले जो भाषा-प्रयोग मे पर्याप्त सतर्कता बरतते हैं, 'ताजा' मे परिवर्तन नही करते ताज़ा खबर, ताज़ा मक्खन, ताज़ा आमो की टोकरी, ताज़ा सब्ज़ियो की दुकान । एक प्रसिद्ध फिल्म और उसका गीत भी है 'आज की ताज़ा खबर ।

किन्तु उसके विपरीत काफी हिन्दी-भाषी अन्य आकारान्त शब्दों की तरह इसमें भी परिवर्तन करने लगे हैं।

4 ईकारान्त विशेषणों में तीन-चार विचारणीय हैं 'भारी' की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। जैसा कि पीछे कहा गया है पंजाबी-भाषी तथा उनके प्रभाव में कुछ अन्य लोग भी 'भारा बदन' जैसा प्रयोग करते सुने जाते हैं जो गलत है। 'खारी' परिवर्तनीय नहीं है। खारी 'क्षारीय' से विकसित है और इसका (खार+ई) भी 'ई' 'भारी' की 'ई' की तरह विशेषण प्रत्यय है, अतः खारी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसीलिए 'खारी पानी' बोलने की परंपरा रही है। इधर अन्य आकारांत शब्दों के समान इसके भी खारा-खारी-खारे प्रयोग चलने लगे हैं, किंतु इसका व्याकरण-सम्मत प्रयोग 'खारी' रूप में ही है। ऐसे ही सामान्य प्रयोग सुनहरा, सुनहरी, सुनहरे चलता है, किंतु कुछ लोग 'सुनहरी' रूप में इसका अपरिवर्तित प्रयोग ही करते हैं। दिल्ली में एक सड़क का नाम है 'सुनहरी बाग रोड'। उर्दू-वाले 'सुनहरी मौका' का ही प्रयोग करते हैं। 'सुनहरा मौका' नहीं। यों हिन्दी में ये शब्द (सुनहरा, खारा) परिवर्तनीय विशेषण के रूप में इतने चल पड़े हैं कि उनकी परिवर्तनीयता को रोक पाना संभव नहीं लगता। चौथा विशेषण 'गपोड़ी' है। स्त्री-पुरुष दोनों के लिए इसी का प्रयोग होना चाहिए। 'गपोड़ा' मानक रूप नहीं है।

तुलना

हिन्दी में तुलनात्मक विशेषणों की अभिव्यक्ति निम्नांकित प्रकारों से होती है

(क) संस्कृत के तत्सम प्रत्यय तर-तम लगाकर सुन्दर-सुन्दरतर-सुन्दरतम-उच्च-उच्चतर-उच्चतम। संस्कृत के 'इष्ठ' प्रत्ययवाले तमार्थी शब्द (श्रेष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ, घनिष्ठ) भी हिन्दी में चलते हैं, किंतु उनमें अब सामान्य विशेषण का ही भाव रह गया है। इसीलिए तमार्थी रूप में उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। संस्कृत परंपरा के प्रभाव में लोग उनका तमार्थी प्रयोग करते हैं, किंतु मानक हिन्दी उन्हें इस रूप में नहीं स्वीकारती। हिन्दी में 'वह श्रेष्ठ है' का अर्थ प्रायः लोग 'वह सबसे अच्छा है' नहीं लेते बल्कि केवल 'वह अच्छा है' लेते हैं, इसीलिए 'सर्वश्रेष्ठ' या 'श्रेष्ठतर' 'श्रेष्ठतम' जैसे प्रयोग चलते हैं। लगता है कि यह परंपरा काफी पुरानी है। महाभारत में 'सर्वश्रेष्ठ' का प्रयोग है। ऐसी स्थिति में घनिष्ठ, बलिष्ठ, गरिष्ठ जैसे शब्दों का प्रयोग सामान्य विशेषण के रूप में करना ही उपयुक्त है। तमार्थी विशेषण के रूप में नहीं। इसीलिए श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ अब अशुद्ध नहीं माने जा सकते।

(ख) फारसी शब्दों से तर तरीन लगाकर बेहतर बेहतरीन, बदतर, बदतरीन, ज्यादातर। यों इन प्रत्ययों से युक्त विशेषण हिन्दी में गिने-चुने ही हैं।

(ग) उपर्युक्त दोनों परंपराएँ हिन्दी में क्रमशः संस्कृत और फारसी से आई हैं। हिन्दी की अपनी पद्धति में तुलना के लिए से (राम मोहन से अच्छा है) 'सबसे'

(राम सबसे अच्छा है), 'सबमे' (वह सबमे छोटा है), 'की बनिस्बत', 'की तुलना मे', 'की अपेक्षा' आदि का प्रयोग होता है।

अनावश्यक विशेषण

एक बार एक मित्र ने धीरे से मेरे कान मे कहा 'तुम्हे एक गुप्त रहस्य बतलाऊँ।' मैंने ज़ोर से कहा 'रहस्य' बतलाना काफी है। 'रहस्य' तो गुप्त होता ह है, फिर उसके साथ 'गुप्त' विशेषण की क्या आवश्यकता ? इसी प्रकार 'कही से **खूब ठंडा** बर्फ लाओ', '**गरम** आग किसी को भी जला सकती है, 'यह **महँकती** खुशबू कितनी मादक है ?' अथवा 'वह ज़िदा था तो कुछ कर नही सका, अब तो **मुर्दा** लाश है, क्या कर लेगा ?' जैसे प्रयोगो मे भी विशेषण (मोटे टाइप मे) अनावश्यक है। इनके प्रयोग से बचना चाहिए। हिन्दी मे प्रयोग चलते हैं 'बहुत ज्यादा, 'बहुत अधिक, 'अत्यधिक' 'बहुत ही अधिक' इन्ही के सादृश्य पर कभी-कभी लोग 'बहुत पर्याप्त' या 'बहुत काफी' का प्रयोग कर जाते हैं। वस्तुत 'पर्याप्त' या 'काफी' अपने आप मे पर्याप्त हैं, अत उनके साथ 'बहुत' अनावश्यक है। ऐसे ही अँग्रेजी के प्रभाव से बहुत से लोग 'एक' का अनावश्यक प्रयोग करते हैं 'वे एक अच्छे आदमी हैं' (He is a good man) हिन्दी का मानक वाक्य है 'वे अच्छे आदमी है।'

तो प्रयोक्ता को विशेषण का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि वह अनावश्यक तो नही है।

गलत विशेषण

शोकसभाओ मे लोग प्राय कहते है 'भगवान् मृत आत्मा या दिवगत आत्मा को शाति प्रदान करे।' प्रश्न यह है कि 'व्यक्ति' मृत या दिवगत होता है अथवा 'आत्मा'। 'आत्मा' के विषय मे सामान्य मान्यता है कि वह मरती नही। इसीलिए 'भगवान् दिवगत या मृत नेता की आत्मा को शाति प्रदान करे' प्रयोग तो ठीक है किंतु 'मृत या दिवगत आत्मा को शाति प्रदान करें', गलत है। ऐसे ही बहुत से लोग कहते है 'यह बेफुजूल काम क्यो कर रहे हो ?' फुजूल' तो ठीक है, 'बेफुजूल' का तो अर्थ है जो, 'फुजूल नही' अर्थात् 'करणीय' हो।

इसी प्रकार यदि विशेषण प्रसगानुसार न हो तो भी वह गलत ही माना जाएगा। उदाहरण के लिए कोई कहे 'हे ज्ञान के सागर भगवान् मेरी निर्धनता दूर कीजिए' तो इस वाक्य मे 'ज्ञान के सागर' विशेषण अनुपयुक्त है। 'ज्ञानी से धन माँगने का क्या औचित्य है ? प्रसिद्ध प्रार्थना की एक पक्ति मे भी यही अशुद्धि है

हे प्रभो आनददाता ज्ञान हमको दीजिए।

स्पष्ट है कि ज्ञान माँगने के प्रसग से 'प्रभु' को 'आनददाता' कहने का क्या तुक ? अर्थात्, विशेषणो का प्रयोग करते समय उनकी प्रसगानुकूलता पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए।

विशेषण की प्रयोग-सीमा

हर विशेषण की अपनी प्रयोग-सीमा होती है। मानक भाषा इसी का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए स्वादिष्ट, लजीज, सुस्वादु का प्रयोग भोजन आदि के लिए ही हो सकता है, दृश्य या गंध आदि के लिए नहीं। ऐसे ही खूंखार पशु या आदमी हो सकता है, पर्वत, जंगल, कीड़ा या कपड़ा नहीं। विशेषण का प्रयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सर्जनात्मक साहित्य में इसका उल्लंघन मिलता है। उदाहरण के लिए छायावादी कविता में 'शीतल ज्वाला', 'पावन आँसू,' 'अपलक डर' जैसे प्रयोग इसी श्रेणी के हैं। किंतु सामान्यतः ऐसे प्रयोग नहीं किए जा सकते।

विशेषणों की पुनरुक्ति

अकेले विशेषण तथा पुनरुक्तियुक्त विशेषण के अर्थ एक नहीं होते। प्रयोक्ता का ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए 'मैंने बड़े लोगों को देखा है' तथा 'मैंने बड़े-बड़े लोगों को देखा है' में अंतर है। 'बड़े' की व्याप्ति 'बड़े-बड़े' से सीमित है। ऐसे ही 'छोटी बातों पर मत लड़ो' और 'छोटी-छोटी बातों पर मत लड़ो', भी एक नहीं हैं और न 'बुरे काम' और 'बुरे-बुरे काम' ही। आशय यह है कि पुनरुक्त विशेषण अपुनरुक्त की तुलना में अधिक व्यापक होता है।

विशेषणों का चयन

विशेषणों में चयन मुख्यतः तीन दृष्टियों से किया जाता है : अर्थ, सहप्रयोग तथा ध्वनि।

अर्थ की दृष्टि से 'चयन' पर विचार 'पर्यायों में अर्थ-भेद' शीर्षक अध्याय के अंतर्गत अलग से किया गया है। यहाँ केवल एक-दो उदाहरण लिए जा रहे हैं। क्रुद्ध-क्रोधी—'क्रुद्ध' का अर्थ है किसी विशेष क्षण या समय में 'गुस्से में'। जैसे, 'वे इस समय क्रुद्ध हैं, कुछ न कहो' किंतु 'वे स्वभाव से क्रुद्ध हैं' या 'वे क्रुद्ध स्वभाव के हैं' कहना गलत है। यहाँ दूसरा शब्द 'क्रोधी' आएगा जिसका अर्थ है, 'क्रोध जिसके स्वभाव में हो'। 'क्रोधित' क्रुद्ध का ही समानार्थी है। इस तरह इस अर्थभेद का विचार करके ही 'क्रुद्ध' या 'क्रोधित' तथा 'क्रोधी' का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही 'चिंतनीय' और 'चिंताजनक' हैं। पहले का अर्थ है 'मनन-चिंतन के योग्य', तो दूसरे का अर्थ है 'जो चिंता का कारण बने'।

सहप्रयोग की दृष्टि से चयन का अर्थ है जिस शब्द के साथ प्रयोग के लिए जिस विशेषण का चयन करें। उदाहरण के लिए 'बनैला' का अर्थ जंगली है, किंतु हिन्दी में इसका प्रयोग प्रायः 'सूअर' के साथ ही होता है भैंसा, घोड़ा, हाथी के साथ नहीं। यद्यपि ये सब भी 'बनैले' अर्थात् 'जंगली' होते हैं। हाँ आल-

कारिक दृष्टि से या लक्षणा के रूप मे 'बनैला आदमी' जैसे प्रयोग की बात और है। ऐसे ही प्राय सभी ठोस चीजो की मोटाई होती है किंतु 'मोटा' का प्रयोग 'आदमी', 'कपडा', 'रोटी', 'पेड', 'चावल' तथा 'लोहा' आदि के लिए तो हो सकता है, किंतु 'कुर्सी', 'आम', 'मेज़', 'फूल', तथा 'नाखून' आदि के लिए नहीं। यो कभी-कभी ऐसी सज्ञाओ के साथ भी 'मोटा' विशेपण आता है जिनमे मोटाई नही होती मोटी बुद्धि, मोटी अक्ल। किंतु ऐसी सभी चीजो के साथ इसका प्रयोग नही कर सकते जिनमे मोटाई नही होती। उदाहरण के लिए 'मोटी कल्पना', 'मोटा स्नेह', 'मोटी मूर्खता' आदि नही कह सकते। अव 'मोटा' के विलोम शब्दो को लीजिए पतला, झीना, महीन, वारीक। इनका भी प्रयोग मनमाने ढग से नही कर सकते। 'पतला' कपडा, आदमी, रोटी, आदि के लिए आ सकता है, 'झीना' केवल कपडा के लिए, तथा 'महीन' कपडा, नक्काशी, लिखावट आदि के लिए तो 'बारीक' कपडा, वात, चावल आदि के लिए। थोडी और गहराई मे उतरे तो 'पतला दूध' तो कहेगे किंतु इसका उलटे 'मोटा दूध' न कहकर 'गाढा दूध' कहेगे। चावरा 'मोटा' हो सकता है और विरोधी अर्थ मे 'महीन' या 'बारीक' भी पर 'झीना' और 'पतला' नही। 'दाल' के प्रसग मे 'वडी' (हिन्दी का मानक रूप) तथा 'मोटी' (मात्र पश्चिमी हिन्दी मे) का प्रयोग चलता है, किन्तु 'पतली' का प्रयोग करते ही दाल 'सूखी' न न होकर 'वनाई हुई' हो जाती है और उसमे 'पतला' का अर्थ 'पतला कपड़ा' वाले अर्थ से वदलकर 'अधिक पानीयुक्त' हो जाता है तथा इसके उलटे अर्थ मे 'गाढा' का प्रयोग होता है। अर्थात् द्रव (दूध, दाल, कढी, शोरबा, शीरा) पतले और गाढे होंगे, महीन वारीक, झीने या मोटे नही।

विशेपणो का यह सहप्रयोगीय चयन भाषा-विशेष मे प्रयोग की परपरा पर निर्भर करता है। हिन्दी का मानक प्रयोग है 'बडी आँख' तो हरियानी तथा पजाबी का है 'मोटी आँख', गुजराती मे है 'मोटा भाई' तो हिन्दी मे 'बडा भाई' इस प्रकार हिन्दी मे 'मोटी आँख' या 'मोटा भाई' कहना गलत है।

चयन का सवध अर्थ से तो होता ही है किंतु केवल शब्द से भी होता है। हम 'काला वाजार' तो कह सकते है किंतु 'काला हाट' नही, 'काला धन' तो कह सकते है 'काली सपत्ति' नही। ऐसे ही 'गोल-मोल' बात हो सकती है, किंतु 'गोल-मोल वार्ता' नही। 'वडे आदमी' तो कह सकते है 'वडे मनुष्य' या 'वडे मानव' नही।

अव ध्वनि के आधार पर विशेपण के चयन की वात ले। ध्वन्यात्मक सौंदर्य भी भापा के सौंदर्य को वढा देता है। यह सौंदर्य जिन अनेक बातो पर निर्भर करता है, उनमें प्रमुख विशेष्य और विशेपण तथा विशेपण और विशेपण मे ध्वन्यात्मक तालमेल है। पहले विशेष्य और विशेपण की वात ले। 'अप्रतिम सौंदर्य' और 'लाजवाव खूवसूरती' तथा 'लाजवाव सौंदर्य' तथा 'अप्रतिम खूवसूरती' की तुलना करें तो प्रथम मे यह सौंदर्य अधिक है। 'मधुर स्मृति' मे जो वात है, वह 'मीठी स्मृति' मे नहीं है। या 'वेहद परेशानी' मे जो सौंदर्य है वह 'अत्यत परेशानी' मे

नहीं। यहाँ समस्वरीय शब्दों के आधार पर ध्वन्यात्मक तालमेल की बात की गई। तुकानता तथा समध्वनीयता भी इनके अच्छे आधार हैं। इस बात को विशेषण और विशेषण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। दो वाक्य लें—

शर्माजी केवल धनवान ही नहीं विद्वान् भी हैं।

शर्माजी केवल धनी ही नहीं विद्वान् भी हैं।

स्पष्ट है कि धनवान-विद्वान के कारण जो ध्वन्यात्मक सौंदर्य पहले वाक्य में है, वह धनी-विद्वान् के कारण दूसरे में नहीं आ सका है। ऐसे ही 'मीठी और बड़ी' में जो बात है वह 'मधुर और बड़ी' में नहीं है। कुछ और उदाहरण हैं :

बड़ा और मीठा	—बड़ा और मधुर
छोटा और मीठा	—लघु और मीठा
गजेड़ी और भंगेड़ी	—गजेड़ी और भांग पीनेवाला

इस प्रकार उपर्युक्त सभी बातों पर ध्यान रखते हुए विशेषण का चयन करना चाहिए।

13

क्रिया

'क्रिया' भाषा का आधार है, क्योकि भाषा वाक्यो से बनती है, और हर वाक्य मे प्रत्यक्षत अथवा परोक्षत क्रिया का भाव अवश्य रहता है। हिन्दी मे क्रिया के प्रयोग मे गलतियाँ रूप-रचना, मानकता, सूक्ष्म क्रियार्थ-भेद तथा सहप्रयोग आदि की दृष्टि से होती है। यहाँ सक्षेप मे कुछ मुख्य बातो को लिया जा रहा है।

कर, किया-करा, कीजिए-करिए, की जिएगा-करिएगा

'कर' धातु के रूपो मे लोग प्राय गलती करते है। यह ध्यान देने की बात है कि पुल्लिग मे 'किया' तथा स्त्रीलिंग मे 'की' शुद्ध रूप है, करा-करी अशुद्ध रूप हैं ऐसे ही शुद्ध रूप 'कीजिए' और 'कीजिएगा' है, 'करिए' और 'करिएगा' नही। इस प्रकार 'करा', 'करिए' 'करिएगा' का प्रयोग नही किया जाना चाहिए। यह गलती सामान्य धातुओ के रूपो (जैसे पढा, पढिए आदि) से सादृश्य के कारण होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि 'कर' धातु सामान्य नही अपवाद है, और उसके रूप भी अपवाद ही होते हैं।

जाए-जाएगा, जाये-जायेगा, जावे-जावेगा, जाय-जायगा

इनमे 'जाए' तथा 'जाएगा' ही शुद्ध है, क्योकि 'जा' धातु के बाद 'ए' (चले, करे, पढे की तरह) और फिर 'गा' जुडने से यही बनेगा। शेप 'जाये-जायेगा,' 'जावे-जावेगा,' 'जाय-जायगा' रूप अशुद्ध है। आ (आए-आएगा), पा (पाए-पाएगा), खा (खाए-खाएगा)) ला (लाए-लाएगा), गा (गाए-गाएगा), मिला (मिलाए-मिलाएगा), चला, कमा, गला, बना, बुला, जला, हरा आदि अन्य आकारात धातुओं पर भी यही नियम लागू होता है।

होगा-होवेगा, होएगा-होयगा

एक ही अर्थ मे बोलने तथा लिखने मे 'हो' धातु के भविष्य के इतने रूप मेरे देखने मे आए हैं। इसमे कोई सदेह नही कि मूल रूप 'होएगा' (चलेगा, खाएगा

आदि की तरह) ही है किंतु वह 'ए' के लोप के बाद मानक हिन्दी में अब 'होगा' हो गया है, अतः शेष 'होवेगा', 'होएगा' अशुद्ध हैं।

देगा, देवेगा

मूल रूप में 'देएगा' (पढ़ेगा, लिखेगा आदि की तरह) रहा होगा, किंतु अब 'ए' के लोप से विकसित मानक रूप 'देगा' है। 'देवेगा' सर्वथा अशुद्ध है।

दो-दओ-द्यो, लो-लेओ-ल्यो

आज्ञा के ये सभी रूप न्यूनाधिक रूप में प्रयुक्त होते हैं। मूल रूप 'देओ', 'लेओ' (पढ़ो, लिखो आदि की तरह) थे, जिनसे 'ए+ओ' के मिलने से विकसित हुए 'द्यो', 'ल्यो'। अब 'य' के लोप से 'दो' और 'लो' विकसित हो गए हैं, और ये ही मानक रूप हैं, अतः इन्हीं का प्रयोग होना चाहिए।

आज्ञा के रूप

विश्व में कम भाषाएँ होंगी, जिनमें आज्ञा के रूप इतने अधिक होंगे। उदाहरणार्थ 'चल्' धातु से तो इसके चल (तू), चलो (तुम) चलिए (आप), चलें (आप), चलना (तुम), चलिएगा (आप)—ये छः रूप बनते हैं। अर्थात् आज्ञा के लिए धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय क्रमशः शून्य (चल), ओ (चलो), इए (चलिए) एँ (चलें) ना (चलना) इएगा (चलिएगा) हैं जो सामान्य धातुओं में जुड़ते हैं। अपवाद हैं, निम्नांकित धातुएँ, जिनके रूप कुछ भिन्न होते हैं :

धातु	विशेष रूप					
	(तू)	(तुम)	(आप)	(आप)	(तुम)	(आप)
कर	कर	करो	कीजिए	करें	करना	कीजिएगा
छू	छू	छुओ	छूइए	छुएँ	छूना	छुइएगा
जी	जी	जियो		जिएँ	जीना	×
पी	पी	पियो	पीजिए	पिएँ	पीना	पीजिएगा
दे	दे	दो	दीजिए	दें	देना	दीजिएगा
ले	ले	लो	लीजिए	लें	लेना	लीजिएगा

इन रूपों के प्रयोग सामान्यतः ठीक ही किए जाते हैं। हाँ, दो-तीन बातें ध्यान देने की हैं :

(क) [illegible]

[illegible]।

[illegible] चाहिए।

(ख) कुछ लोग 'आप' सर्वनाम के साथ 'तुम' के लिए प्रयुक्त रूपों का प्रयोग

13

क्रिया

'क्रिया' भाषा का आधार है, क्योकि भाषा वाक्यो से बनती है, और हर वाक्य मे प्रत्यक्षत अथवा परोक्षत क्रिया का भाव अवश्य रहता है । हिन्दी मे क्रिया के प्रयोग मे गलतियाँ रूप-रचना, मानकता, सूक्ष्म क्रियार्थ-भेद तथा सहप्रयोग आदि की दृष्टि से होती है । यहाँ सक्षेप मे कुछ मुख्य बातो को लिया जा रहा है ।

कर, किया-करा, कीजिए-करिए, कीजिएगा-करिएगा

'कर' धातु के रूपो मे लोग प्राय गलती करते है । यह ध्यान देने की बात है कि पुल्लिग मे 'किया' तथा स्त्रीलिग मे 'की' शुद्ध रूप है, करा-करी अशुद्ध रूप हैं ऐसे ही शुद्ध रूप 'कीजिए' और 'कीजिएगा' है, 'करिए' और 'करिएगा' नही । इस प्रकार 'करा', 'करिए' 'करिएगा' का प्रयोग नही किया जाना चाहिए । यह गलती सामान्य धातुओ के रूपो (जैसे पढा, पढिए आदि) से सादृश्य के कारण होती है । यह स्मरण रखना चाहिए कि 'कर' धातु सामान्य नही अपवाद है, और उसके रूप भी अपवाद ही होते है ।

जाए-जाएगा, जाये-जायेगा, जावे-जावेगा, जाय-जायगा

इनमे 'जाए' तथा 'जाएगा' ही शुद्ध है, क्योकि 'जा' धातु के बाद 'ए' (चले, करे, पढे की तरह) और फिर 'गा' जुडने से यही बनेगा । शेष 'जाये-जायेगा,' 'जावे-जावेगा,' 'जाय-जायगा' रूप अशुद्ध है । आ (आए-आएगा), पा (पाए-पाएगा), खा (खाए-खाएगा)) ला (लाए-लाएगा), गा (गाए-गाएगा), मिला (मिलाए-मिलाएगा), चला, कमा, गला, बना, बुला, जला, हरा आदि अन्य आकारात धातुओ पर भी यही नियम लागू होता है ।

होगा-होवेगा, होएगा-होयगा

एक ही अर्थ मे बोलने तथा लिखने मे 'हो' धातु के भविष्य के इतने रूप मेरे देखने मे आए हैं । इनमे कोई सदेह नही कि मूल रूप 'होएगा' (चलेगा, खाएगा

कोशिश कर रहा था, आज बड़ी मुश्किल से टला है।' प्रयोग होना चाहिए 'पड़ा' है। पंजाबी लोग हिन्दी बोलते समय 'मानना' के स्थान पर 'मनाना' का प्रयोग करते हैं 'उन्होंने मेरी बात का बुरा मनाया' यह प्रयोग भी असमानक है। कहना चाहिए '... बुरा माना।'

नकारात्मक क्रिया में 'है' का लोप

हिन्दी में पहले सामान्य वर्तमान, अपूर्ण (या सातत्य) वर्तमान, पूर्ण वर्तमान तथा पूर्ण सातत्य वर्तमान के सकारात्मक एवं नकारात्मक मानक रूप ये थे

लड़का पढ़ता है—लड़का नहीं पढ़ता है।

लड़का जा रहा है—लड़का नहीं जा रहा है।

लड़का गया है—लड़का नहीं गया है।

लड़का इन दिनों जाता रहा है—लड़का इन दिनों नहीं जाता रहा है।

किंतु आज की मानक हिन्दी में सामान्य और अपूर्ण वर्तमान के स्वीकृत नकारात्मक रूप ये हैं

लड़का नहीं पढ़ता।

लड़का नहीं जा रहा।

अर्थात् सामान्य और अपूर्ण वर्तमान को नकारात्मक बनाने पर 'है' का लोप कर दिया जाता है।

यों कुछ लोग शेष दो में भी नकारात्मक रूप में 'है' का लोप कर देते हैं

लड़का नहीं गया।

लड़का इन दिनों नहीं जाता रहा।

किंतु ऐसे प्रयोग गलत हैं। वस्तुतः ये 'लड़का गया' तथा 'लड़का इन दिनों जाता रहा' के नकारात्मक रूप हैं, अतः 'है' वाले रूपों के नकारात्मक रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

एक बात और। इनके सादृश्य पर भूतकाल के रूपों में सहायक क्रिया (था आदि) का लोप वर्जित है। अर्थात्

लड़का पढ़ता था।

लड़का जा रहा था।

इनके नकारात्मक रूप होंगे

लड़का नहीं पढ़ता था।

लड़का नहीं जा रहा था।

यदि इनमें 'था' का लोप कर दें तो वर्तमान तथा भूत के नकारात्मक रूप एक समान हो जाएँगे

लड़का पढ़ता है }
लड़का पढ़ता था } —लड़का नहीं पढ़ता

करते है। ऐसे प्रयोग गलत है . आप बैठो, आप चलो, आप लिखो।

(ग) 'चल, चलो, चलिए, चले' रूपो का प्रयोग प्राय 'तुरत' या 'निकट भविष्य' के लिए होता है, किंतु 'चलना', 'चलिएगा' का प्रयोग भविष्य के लिए होता है। चाहे वह निकटवर्ती हो या दूरवर्ती।

दिल्ली मे तथा कुछ अन्य स्थानो पर भी 'आना' के स्थान पर 'अइयो' अर्थात् 'ना'- अत्य आज्ञा रूप के स्थान पर 'इयो-अत्य रूप का प्रयोग लोग बोलचाल मे करते है। बोलचाल के प्रभाव से ऐसे रूप लेखन मे भी कभी दीख जाते है, किंतु स्मरण रखना चाहिए कि ये मानक रूप नही है। 'मोहन कल तुम चलियो' तथा 'श्याम शाम को तुम अइयो' आदि के स्थान पर 'मोहन कल तुम चलना' तथा 'श्याम शाम को तुम आना' आदि का प्रयोग होना चाहिए।

चाहिए-चाहिएँ

बहुत-से लोग एकवचन मे 'चाहिए' (मुझे एक चीज़ चाहिए) तथा बहुवचन मे 'चाहिएँ' (मुझे बहुत-सी चीजें चाहिएँ) का प्रयोग करते है, किंतु यह अशुद्ध है। हिन्दी के मानक रूप मे एकवचन तथा बहुवचन दोनो ही मे 'चाहिए' का प्रयोग होता है : मुझे बहुत सी चीजे चाहिए, तुम्हे ये सारे काम करने चाहिए।

वस्तुत 'चाहिए' आज्ञा के रूपो चलिए, दीजिए, लीजिए आदि की तरह है, जिनमे वचन-लिंग के परिवर्तन नही होते

पिता जी आप चलिए।

माता जी, बहिन जी और चाची जी, आप सभी लोग चलिए।

अमानक धातुएँ

हिन्दी मे क्रिया-धातुएँ दो प्रकार की है। एक तो वे है जो मानक है, और जिनका प्रयोग पूरे हिन्दी क्षेत्र मे होता है। परिनिष्ठित या मानक हिन्दी मे इन्ही धातुओ का प्रयोग होना चाहिए। दूसरी धातुएँ वे हैं जो क्षेत्रीय बोलियो मे प्रयुक्त होती हैं। कभी-कभी सबद्ध क्षेत्रो के लोग मानक हिन्दी मे इन क्षेत्रीय धातुओ के प्रयोग की गलती कर जाते है। उदाहरण के लिए भोजपुरी क्षेत्र के लोग कभी-कभी 'दिखना' या 'दिखाई पडना' के स्थान पर 'लौकना' का प्रयोग कर जाते है उनका मकान वह सामने लौकता है। मुस्क्याना (मुस्कुराना), चिचियाना (चिल्लाना), हतना (मारना), खुनसाना (नाराज़ होना), बस्साना (बदबू करना), खनना (खोदना), चाखना (चखना), चहुंपना (पहुँचना), डकराना (चिल्लाना), आटा गलाना (गूधना) आदि इस प्रकार की सैंकडो धातुएँ खोजी जा सकती है। कुछ सकर्मक क्रियाओ की अमानक अकर्मक क्रियाओ का प्रयोग भी कुछ लोग करते है। उदाहरण के लिए 'डालना' का मानक अकर्मक रूप 'डलना' नही, बल्कि 'पडना' है, किंतु दिल्ली मे तथा आस-पास बोला जाता है 'कल से ही उसमे उमे डालने की

योगिक पर रहा था आज बड़ी मुश्किल से टला है।' प्रयोग होना चाहिए 'पड़ा' है। पंजाबी लोग हिन्दी बोलते समय 'मानना' के स्थान पर 'मनाना' का प्रयोग करते हैं 'उन्होंने मेरी बात का बुरा मनाया' यह प्रयोग भी अमानक है। कहना चाहिए 'बुरा माना।'

नकारात्मक क्रिया में 'है' का लोप

हिन्दी में पहले सामान्य वर्तमान, अपूर्ण (या सातत्य) वर्तमान, पूर्ण वर्तमान तथा पूर्ण सातत्य वर्तमान के सकारात्मक एवं नकारात्मक मानक रूप ये थे

लड़का पढ़ता है—लड़का नहीं पढ़ता है।
लड़का जा रहा है—लड़का नहीं जा रहा है।
लड़का गया है—लड़का नहीं गया है।
लड़का इन दिनों जाता रहा है—लड़का इन दिनों नहीं जाता रहा है।

किंतु आज भी मानक हिन्दी में सामान्य और अपूर्ण वर्तमान के स्वीकृत नकारात्मक रूप ये हैं

लड़का नहीं पढ़ता।
लड़का नहीं जा रहा।

अर्थात् सामान्य और अपूर्ण वर्तमान को नकारात्मक बनाने पर 'है' का लोप कर दिया जाता है।

कुछ लोग शेष दो में भी नकारात्मक रूप में 'है' का लोप कर देते हैं

लड़का नहीं गया।
लड़का इन दिनों नहीं जाता रहा।

किंतु ये प्रयोग गलत हैं। वस्तुतः ये 'लड़का गया' तथा 'लड़का इन दिनों जाता रहा' के नकारात्मक रूप हैं, अतः 'है' वाले रूपों के नकारात्मक रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

एक बात और। इनके सादृश्य पर भूतकाल के रूपों में सहायक क्रिया (था आदि) का लोप वर्जित है। अर्थात्

लड़का पढ़ता था।
लड़का जा रहा था।

इनके नकारात्मक रूप होंगे

लड़का नहीं पढ़ता था।
लड़का नहीं जा रहा था।

यदि इनमें 'था' का लोप कर दें तो वर्तमान तथा भूत के नकारात्मक रूप एक समान हो जाएँगे

लड़का पढ़ता है }
लड़का पढ़ता था } —लड़का नहीं पढ़ता

डाँटना, चटकना-टपकना, छिलना-रगड़ना, हँसना-मुस्कुराना, खाना-निगलना घबराना-डाँटना, मथना-गूँधना, खाना-भकोसना, पीना-गुटकना, खाना-पीना-चाटना, कूटना-पीटना आदि में अर्थ का अंतर है।

सहप्रयोग—अर्थात् संज्ञा-विशेष के साथ विशेष क्रिया का चयन। जैसे 'खाना' के साथ हिन्दी में 'खाना' क्रिया (खाना खाना) का चयन होगा तो 'भोजन' संज्ञा के साथ 'करना' क्रिया (भोजन करना) का। ऐसे ही कविता सुनाते हैं बोलते नहीं। यद्यपि पंजाबी-भाषी हिन्दी बोलते समय प्राय कह जाते हैं—वे अब एक कविता बोलेंगे, कहना चाहिए—एक कविता सुनाएँगे। फाँसी पर लटकाते हैं, सूली पर चढ़ाते हैं तथा सलीब पर टाँगते हैं। धन्यवाद देते हैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और शुक्रगुज़ार होते हैं। प्रश्न करते या पूछते हैं तथा भाषण करते हैं या देते हैं।

आदर-अनादर—इस दृष्टि से भी धातु का चयन होना चाहिए। उदाहरण

सयुक्त क्रियाएँ

मुख्य क्रिया के साथ पड, उठ, जा, दे, ले आदि सहायक क्रियाओ (जिन्हे रजक क्रिया भी कहते हैं) के प्रयोग से जो क्रिया वनती है, उसे सयुक्त क्रिया कहते है। जैसे वोल पडना, कह उठना, वैठ जाना, कह देना, लिख लेना, आदि। हिन्दी मे सयुक्त क्रियाओ का वहुत अधिक प्रयोग होता है। इनके प्रयोग मे प्राय दो प्रकार की गलतियाँ होती हैं जिनसे वचने का यत्न करना चाहिए (क) कभी-कभी सामान्य क्रिया तथा उसी से वनी सयुक्त क्रिया मे वहुत अधिक अर्थ-भेद होता है। साथ ही एक ही क्रिया से वनी सयुक्त क्रियाए भी अर्थ के स्तर पर एक नही होती। उदाहरणार्थ 'मारना' और 'मार डालगा' एक नही है। 'उसने लडके को मारा' और 'उसने लडके को मार डाला' मे स्पष्ट अतर है। ऐसे ही देना—दे देना-दे डालना-दे मारना, वोलना-वोल जाना-वोल उठना-वोल पडना, जा पडना-जा मरना तथा बुला लेना-बुला देना-वुला भेजना एक नही है। अर्थात् सयुक्त क्रियाओ का प्रयोग करते समय उसके अर्थ पर पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए अन्यथा गलती हो जाती है। (ख) दूसरी वात है मानक प्रयोग। अर्थात् इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि मानक हिन्दी मे किस मुख्य क्रिया के साथ किस-किस सहायक क्रिया का प्रयोग मान्य है। इस बात का ध्यान न रखने पर भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे खा उठना (अब तो मैं खा उठा हूँ, तुम्हे अकेले खाना पडेगा), ला डालना (यह सामान भी ला डालो), जा रहना (तुम तो ऐसे जा रहे कि कुछ पता ही नही चला) आदि। पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र मे बहुत से लोग वोलते हैं, मैंने सिपाही से रास्ता पूछा था, पर उसने वता के नही दिया।' असल मे 'बता देना' सयुक्त क्रिया का यह निषेधात्मक प्रयोग है कितु मानक हिन्दी मे मान्य नही है। प्रयोग होना चाहिए 'उसने नही बताया।' यह स्मरण रखने योग्य है कि सयुक्त क्रियाए वाक्य मे नकारात्मक शब्द आने पर प्राय सामान्य क्रिया मे परिवर्तित हो जाती है

मैंने उसे बता दिया—मैंने उसे नही वताया।
उसे बुला लेना—उसे मत बुलाना।
उसे मार डालिए—उसे न मारिए।
राम गिर पडा—राम नही गिरा।

ऐसे ही लगना, जाना, चुकना, पाना, रहना, उठना, बैठना, पडना से युक्त सयक्त क्रियाओ के साथ 'ने' का प्रयोग नही होता

राम ने खाया—राम खाने लगा।

इस प्रकार सयुक्त क्रिया-विषयक गलतियो से बचने के लिए सूक्ष्म अर्थभेद, मानक प्रयोग, नकारात्मक वाक्य मे इनके प्रयोग न करने तथा कुछ सयुक्त क्रियाओ के कर्ता के साथ 'ने' न लगाने का ध्यान रखना चाहिए।

14

अव्यय

अव्यय में क्रियाविशेषण, संबंधसूचक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयादिबोधक माने जाते हैं। इनकी तथा इनके प्रयोगों की ठीक जानकारी किसी भी अच्छे व्याकरण से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ केवल उन मुख्य अशुद्धियों को लिया जा रहा है, जो अव्ययों के प्रयोग में प्रायः हो जाती हैं।

क्रियाविशेषणों में लिंग-वचन-परिवर्तन

सयुक्त क्रियाएँ

मुख्य क्रिया के साथ पड, उठ, जा, दे, ले आदि सहायक क्रियाओ (जिन्हे रजक क्रिया भी कहते है) के प्रयोग से जो क्रिया बनती है, उसे सयुक्त क्रिया कहते है। जैसे वोल पडना, कह उठना, बैठ जाना, कह देना, लिख लेना, आदि। हिन्दी मे सयुक्त क्रियाओ का बहुत अधिक प्रयोग होता है। इनके प्रयोग मे प्राय दो प्रकार की गलतियाँ होती है जिनसे वचने का यत्न करना चाहिए (क) कभी-कभी सामान्य क्रिया तथा उसी से बनी सयुक्त क्रिया मे बहुत अधिक अर्थ-भेद होता है। साथ ही एक ही क्रिया से बनी सयुक्त क्रियाए भी अर्थ के स्तर पर एक नही होती। उदाहरणार्थ 'मारना' और 'मार डालगा' एक नही है। 'उसने लडके को मारा' और 'उसने लडके को मार डाला' मे स्पष्ट अतर है। ऐसे ही देना–दे देना-दे डालना-दे मारना, वोलना-बोल जाना-बोल उठना-बोल पडना, जा पडना-जा मरना तथा बुला लेना-बुला देना-बुला भेजना एक नही है। अर्थात् सयुक्त क्रियाओ का प्रयोग करते समय उसके अर्थ पर पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए अन्यथा गलती हो जाती है। (ख) दूसरी बात है मानक प्रयोग। अर्थात् इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि मानक हिन्दी मे किस मुख्य क्रिया के साथ किस-किस सहायक क्रिया का प्रयोग मान्य है। इस बात का ध्यान न रखने पर भी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे खा उठना (अब तो मैं खा उठा हूँ, तुम्हे अकेले खाना पडेगा), ला डालना (यह सामान भी ला डालो), जा रहना (तुम तो ऐसे जा रहे कि कुछ पता ही नही चला) आदि। पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र मे वहुत से लोग वोलते हैं, मैंने सिपाही से रास्ता पूछा था, पर उसने वता के नही दिया।' असल मे 'वता देना' सयुक्त क्रिया का यह निषेधात्मक प्रयोग है कितु मानक हिन्दी मे मान्य नही है। प्रयोग होना चाहिए 'उसने नही वताया।' यह स्मरण रखने योग्य है कि सयुक्त क्रियाए वाक्य मे नकारात्मक शब्द आने पर प्राय सामान्य क्रिया मे परिवर्तित हो जाती है

मैंने उसे वता दिया—मैंने उसे नही वताया।

उसे वुला लेना—उसे मत वुलाना।

उसे मार डालिए—उसे न मारिए।

राम गिर पडा—राम नही गिरा।

ऐसे ही लगना, जाना, चुकना, पाना, रहना, उठना, वैठना, पडना मे युक्त सयुक्त क्रियाओ के साथ 'ने' का प्रयोग नही होता

राम ने खाया—राम खाने लगा।

इस प्रकार सयुक्त क्रिया-विपयक गलतियो मे वचने के लिए सूक्ष्म अर्थभेद, मानक प्रयोग, नकारात्मक वाक्य मे इनके प्रयोग न करने तथा कुछ सयुक्त क्रियाओ के कर्ता के साथ 'ने' न लगाने का ध्यान रखना चाहिए।

अव्यय

अव्यय में क्रियाविशेषण, संबंधसूचक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयादिबोधक माने जाते हैं। इनकी तथा इनके प्रयोगों की ठीक जानकारी किसी भी अच्छे व्याकरण से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ केवल उन मुख्य अशुद्धियों को लिया जा रहा है, जो अव्ययों के प्रयोग में प्रायः हो जाती हैं।

क्रियाविशेषणों में लिंग-वचन-परिवर्तन

'अव्यय' उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग-वचन के परिवर्तन न हों, और 'क्रियाविशेषण' अव्यय का ही एक प्रकार है, अतः यह प्रायः समझा जाता है कि हिन्दी क्रियाविशेषण अपरिवर्तित रहते हैं, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। जो कृदंती क्रियाविशेषण होते हैं, उनमें लिंग-वचन के अनुसार परिवर्तन होते हैं:

राम **दौड़ता** आया है। राम **दौड़ा** आएगा।
सीता **दौड़ती** आई है। सीता **दौड़ी** आएगी।
वे लोग **दौड़ते** आए हैं। वे लोग **दौड़े** आएँगे।

इन रीतिबोधक क्रियाविशेषणों में लिंग-वचन-परिवर्तन की बात स्पष्ट है। इन क्रियाविशेषणों के बाद हुआ, हुई, हुए भी जोड़े जा सकते हैं।

किंतु ऐसे लिंग-वचन के परिवर्तन सभी प्रकार के क्रियाविशेषणों में नहीं होते। बहुत से लोग इन्हीं के सादृश्य पर निम्नांकित प्रकार के प्रयोग भी कर जाते हैं:

राम **अच्छा** गाता है।
सीता **अच्छी** गाती है।
वे लोग **अच्छे** गाते हैं।

यह स्पष्ट है, कि यहाँ 'अच्छा' 'गाता है' क्रिया का क्रियाविशेषण है, किंतु ऐसे गुणवाचक विशेषण जो विशेषणवत् प्रयुक्त होने पर लिंग-वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं (अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के) क्रियाविशेषणवत् प्रयुक्त होने पर परिवर्तित नहीं होते अर्थात् उपर्युक्त वाक्य गलत हैं। ठीक वाक्य होंगे:

राम **अच्छा** गाता है।

सीता अच्छा गाती है ।
वे लोग अच्छा गाते है ।

बुरा, गदा, सीधा, टेढा, ऊँचा आदि इस वर्ग के अन्य शब्दो के प्रयोगो मे भी यह बात ध्यान मे रखने की है ।

विशेषणो का क्रियाविशेषणवत् प्रयोग

गंदा लडका	राम गंदा लिखता है ।
गदी लडकी	सीता गदा लिखती है ।
गदे लडके	वे लोग गदा लिखते हैं ।

सुदर लिखना, तेज चलना तथा बहुत बोलना आदि मे भी वही बात है । किंतु इसका यह अर्थ नही कि सभी विशेषण क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं । उदाहरण के लिए 'वे स्नेहपूर्ण बोलते हैं' कहना गलत है । होना चाहिए 'वे स्नेह-पूर्वक बोलते हैं ।'-'पूर्ण' विशेषण होते हैं तो '-पूर्वक' क्रियाविशेषण 'विद्वत्ता-पूर्ण' और 'विद्वत्तापूर्वक' । यह ध्यान मे रखने की बात है कि जिन शब्दो के विशेषण तथा क्रियाविशेषण के रूप अलग-अलग होते है, उनके विशेषण रूप का प्रयोग क्रियाविशेषण के स्थान पर नही होता। इसीलिए 'यह लेख विद्वत्तापूर्ण लिखा गया है' अशुद्ध है । होना चाहिए 'विद्वतापूर्वक लिखा गया है ।'

जैसा-जैसे

'जैसा' विशेषण है, किंतु 'जैसे' क्रियाविशेषण है। दोनो के प्रयोग मे सावधानी बरतनी चाहिए क्योकि दोनो के अर्थ दो है । सामान्यत लोग समझते हैं कि 'जैसा आपका बेटा वैसा मेरा बेटा' तथा 'जैसे आपका बेटा वैसे मेरा बेटा'—इन दोनो का एक ही अर्थ है, किंतु वास्तविकता यह नही है । 'जैसा ' वाक्य का अर्थ यह है कि दोनो ही बेटे गुणावगुण या विशेषताओ आदि मे एक-जैसे हैं, किंतु 'जैसे ' वाक्य का अर्थ है 'आपका अपने बेटे पर जितना स्नेह है, उस पर उतना की स्नेह मेरा भी है, क्योकि वह आपका बेटा है, तो मेरा भी बेटा ही है ।'

तब-जब, तभी-जभी

बहुत से लोग 'तब' के स्थान पर 'जब' तथा 'तभी' के स्थान पर 'जभी' का प्रयोग करते हैं, जो गलत है

(क) **जब** तो कहता था कि मै भी चलूंगा, और अब चलने का नाम ही नही लेता ।

(ख) तुम जब चाहो, **जब** आ जाना ।

(ग) तुम्हे जरूरत होगी **जभी** आ जाऊँगी ।

(घ) तुम पिछले महीने जब आए थे, **जभी** वह भी आया था ।

'ग' में 'जब' के स्थान पर 'तब' होना चाहिए। 'ख' वाक्य में भी मोटे टाइप के 'जब' का प्रयोग उचित नहीं है। इस वाक्य के शुद्ध रूप दो हो सकते हैं

तुम जब चाहो आ जाना।

तुम जब चाहो तब आ जाना।

'ग' तथा 'घ' वाक्यों में मोटे टाइप के 'जभी' भी यहाँ ठीक नहीं हैं। दोनों ही के स्थान पर 'तभी' का प्रयोग होना चाहिए।

द्विस्थानीय अव्यय

कुछ अव्यय द्विस्थानीय होते हैं जब ... तब, जब-जब ... तब-तब, से ... तब, जब तक के लिए जब ... तभी, न ... न, जहाँ ... वहाँ, जहाँ ... वहीं, या ... नहीं तो, या तो ... या, जिस प्रकार ... उसी प्रकार, यदि ... तो, यद्यपि ... तो भी, यद्यपि ... तथापि, जिस प्रकार ... उसी प्रकार, चाहे ... पर, परन्तु, किन्तु, लेकिन, जितना ... उतना, जब ... तो, जितना ... उतना, जैसे ... वैसे, ज्यों ... त्यों। ये अव्यय सदा दो स्थानों पर आते हैं। इनके प्रयोग में विशेष सावधानी करनी चाहिए, नहीं तो वाक्य सुगठित नहीं रह पाता और अटपटा हो जाता है। उदाहरण के लिए 'जैसा असावधान यह है, वैसे ही वह भी' में 'वैसे' के स्थान पर 'वैसा' होना चाहिए। 'जितना' के साथ कुछ लोग 'तितना' का प्रयोग

अधिक शब्दो का प्रयोग बिना 'और' या उसके किसी पर्याय के नही किया जाना चाहिए। अर्थात् इस प्रकार के प्रयोग वर्जित है

राम, मोहन गए।

मै बाजार आलू, टमाटर, बैंगन लाऊँगा।

ना

बहुत से लोग 'ना' का प्रयोग करते हैं। हिन्दी मे मानक निषेधबोधक अव्यय न, नही, मत ही है। अर्थात् 'ना' मानक नही है। इसीलिए 'न तो राम जाएगा और नाही मोहन' जैसे प्रयोग अमानक है। होना चाहिए 'न तो राम जाएगा और न मोहन।' पजाब के एक अच्छे साहित्यकार के एक लेख मे पढा था 'ये कृतियाँ अभी तक प्रकाशित नही हो सकी है, और ना ही प्राप्य हैं।' होना चाहिए 'ये कृतियाँ अभी तक प्रकाशित नही हो सकी हैं, और न प्राप्य ही हैं'। ऐसे ही 'क्या तुम घर जाओगे ?' जैसे प्रश्नो के उत्तर मे कुछ लोग उत्तर देते है 'ना'। यह प्रयोग भी मानक नही है। उत्तर होना चाहिए 'नही' अथवा 'जी नही'।

'कि' का निरर्थक प्रयोग

बहुत से लोग 'कि' का निरर्थक प्रयोग करते हैं 'श्याम या कि मोहन, कोई भी चला जाएगा।' इसमे 'कि' की कोई आवश्यकता नही। अज्ञेय जी की शैली की यह एक मुख्य विशेषता है। कुछ दिन पूर्व दूरदर्शन पर 'पत्रिका' कार्यक्रम मे उनसे एक भेंटवार्ता आई थी, जिसमे निरर्थक 'कि' का प्रयोग उन्होने दसियो बार किया। उनका एक वाक्य मुझे अब भी याद है 'यह उसका गुण है या कि दोष, जो चाहे कह सकते है।' वस्तुतः वाक्य मे प्रयोग करते समय यह देखना चाहिए कि बिना 'कि' के काम चल सकता है क्या ? यदि ऐसा सभव हो तो 'कि' का प्रयोग नही करना चाहिए। बहुत से लोग इसका ध्यान न रखने के कारण 'कि' के अनावश्यक प्रयोग की गलती कर जाते है।

अव्यय पर्याय

यदि एक ही वाक्य मे या पास-पास के वाक्यो मे किसी एक अव्यय का प्रयोग एकाधिक बार करना पडे तो पुनरुक्ति-दोष से बचने के लिए उसके पर्याय का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए 'और' आ चुका है तो 'तथा' का, या 'पर' आ चुका है तो 'परतु', 'किंतु' 'लेकिन' आदि का। उदाहरण के लिए 'राम, मोहन **और** श्याम आएँगे **तथा** एक दिन रुक कर चले जाएँगे।' इस वाक्य मे यदि कोई 'तथा' के स्थान पर भी 'और' का प्रयोग करे या दोनो स्थानो पर 'तथा' का प्रयोग करे तो वाक्य मे वह सुदरता नही आएगी, जो पुनरुक्ति बचाने पर आ गई है। ऐसे ही 'मैं गया तो था **पर** रुका नही, **लेकिन** रुककर भी क्या करता, वे मिल तो सकते नही थे।' इस तरह अच्छी भाषा के लिए अव्यय-पर्यायो के समुचित प्रयोग के प्रति सजग रहना चाहिए।

वाक्य

वाक्य भाषा की मूलभूत सहज इकाई है। मनुष्य वाक्य में ही सोचता है और वाक्य में ही अपने को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार भाषा में वाक्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

पीछे के अध्यायों में जो कुछ भी कहा गया है वह सब अंततः वाक्य का ही अंग है और इस प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष वाक्य के संबंध में काफी कुछ कहा जा चुका है। यहाँ संक्षेप में वाक्य-रचना से प्रत्यक्षतः संबद्ध कुछ प्रमुख बातें की जा रही हैं।

अच्छा वाक्य

इस वाक्य के दो अर्थ हैं (1) राम भाग रहा था और भागते हुए, उसने साँप को मारा, (2) साँप भाग रहा था और उस भागते साँप को राम ने मारा। मान लीजिए किसी ने इस वाक्य का प्रयोग किया। पाठक या श्रोता इसका क्या अर्थ ले ? पहला या दूसरा ? इसका आशय यह हुआ कि इस प्रकार की बहु-अर्थता काव्य में श्लेष रूप में गुण हो सकती है, किंतु सामान्य भाषा में यह दोष है, क्योंकि ऐसे प्रयोगों में यह भी संभावना हो सकती है कि वक्ता कह एक बात रहा है, और श्रोता समझ दूसरी बात रहा है।

बहुत से लोग ऐसे वाक्य लिखते हैं जो सुव्यवस्थित नहीं होते, अतः उन्हें समझने में कठिनाई होती है। अज्ञेय ने अपने कई लेखों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया है, जिन्हें समझना कभी तो कठिन और कभी असंभव है। उदाहरण के लिए उनका एक वाक्य लगभग पौने दो सौ शब्दों का है जिसे इन पंक्तियों के लेखक ने अपनी पुस्तक 'शैलीविज्ञान' (पृ० 84) में उद्धृत किया है। कई बार पढ़ने पर भी उस वाक्य को समझ पाना काफी कठिन है। और यही नहीं, उस लेख के कई अन्य वाक्य भी उसी प्रकार के हैं।

वस्तुतः अज्ञेय जी के उस वाक्य की एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह बहुत बड़ा है—लगभग आधे पृष्ठ 'नया प्रतीक' पत्रिका का) से भी अधिक का। अच्छा हो कि वाक्य को भरसक छोटा रखा जाए। यदि एक वाक्य में एक ही विचार हो तो और भी अच्छा, लंबा वाक्य यों भी दुरूह होता है, किंतु उसकी दुरूहता तब और भी बढ़ जाती है, जब उसका लेखक उसके विभिन्न अवयवों को ठीक से जोड़ न पाए। इसका आशय यह हुआ कि सरल वाक्यों के प्रयोक्ता से तो ऐसी गलतियाँ नहीं होतीं, किंतु जो संयुक्त या मिश्रित बड़े वाक्यों का प्रयोग अधिक करते हैं, उनसे ऐसी गलतियों के होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इससे बचने का एक-मात्र तरीका यह है कि जिसे मिश्र, संयुक्त, जटिल और लंबे वाक्यों के प्रयोग की ही आदत हो, उसे वाक्य-संरचना में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए।

बहुत से लोगों के वाक्य पुनरुक्ति दोष से युक्त होते हैं—(क) कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। (ख) वे आज वापिस लौट रहे हैं। (ग) इसका स्पष्टीकरण करने के लिए आपको आना पड़ेगा। ऐसी पुनरुक्तियों से भी बचना चाहिए।

अपनी वाक्य-रचना को सुधारने का एक अच्छा तरीका यह है कि लेखक लिखने के बाद अपने लेखादि को कई बार अच्छी तरह से दुहराए और यह देखे कि उसकी रचना में कहीं कोई अटपटापन तो नहीं है। उसमें कोई शब्द अनिश्चित या कम तो नहीं है, जो शब्द हैं, वे अपने उपयुक्त स्थान पर तो हैं न, तथा कोई अभिव्यक्ति या कोई बात व्यर्थ में दो बार तो नहीं आ गई है। बार-बार दुहराने तथा ठीक करते रहने से कुछ दिनों बाद प्रायः लेखन में सभी दृष्टियों से काफी सुधार आ जाता है। कहा जाता है कि टालस्टाय अपने उपन्यासों को छपने से पहले तक दस-दस बार दुहराते रहते थे जब तक कि उन्हें पूरी तसल्ली न हो जाती थी। 'युद्ध और

इस वाक्य के दो अर्थ हैं (1) राम भाग रहा था और भागते हुए, उसने साँप को मारा, (2) साँप भाग रहा था और उस भागते साँप को राम ने मारा। मान लीजिए किसी ने इस वाक्य का प्रयोग किया। पाठक या श्रोता इसका क्या अर्थ ले? पहला या दूसरा? इसका आशय यह हुआ कि इस प्रकार की बहु-अर्थता काव्य में श्लेष रूप में गुण हो सकती है, किंतु सामान्य भाषा में यह दोष है, क्योंकि ऐसे प्रयोगों में यह भी संभावना हो सकती है कि वक्ता कह एक बात रहा है, और श्रोता समझ दूसरी बात रहा है।

बहुत से लोग ऐसे वाक्य लिखते हैं जो सुव्यवस्थित नहीं होते, अतः उन्हें समझने में कठिनाई होती है। अज्ञेय ने अपने कई लेखों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया है, जिन्हें समझना कभी तो कठिन और कभी असंभव है। उदाहरण के लिए उनका एक वाक्य लगभग पौने दो सौ शब्दों का है जिसे इन पंक्तियों के लेखक ने अपनी पुस्तक 'शैलीविज्ञान' (पृ० 84) में उद्धृत किया है। कई बार पढ़ने पर भी उस वाक्य को समझ पाना काफी कठिन है। और यही नहीं, उस लेख के कई अन्य वाक्य भी इसी प्रकार के हैं।

वस्तुतः अज्ञेय जी के उस वाक्य की एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह बहुत बड़ा है—लगभग आधे पृष्ठ 'नया प्रतीक' पत्रिका का) से भी अधिक का। अच्छा हो कि वाक्य को भरसक छोटा रखा जाए। यदि एक वाक्य में एक ही विचार हो तो और भी अच्छा, लंबा वाक्य यों भी दुरूह होता है, किंतु उसकी दुरूहता तब और भी बढ़ जाती है, जब उसका लेखक उसके विभिन्न अवयवों को ठीक से जोड़ न पाए। इसका आशय यह हुआ कि सरल वाक्यों के प्रयोक्ता से तो ऐसी गलतियाँ नहीं होतीं, किंतु जो संयुक्त या मिश्रित बड़े वाक्यों का प्रयोग अधिक करते हैं, उनसे ऐसी गलतियों के होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इससे बचने का एक-मात्र तरीका यह है कि जिसे मिश्र, संयुक्त, जटिल और लंबे वाक्यों के प्रयोग की ही आदत हो, उसे वाक्य-संरचना में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए।

बहुत से लोगों के वाक्य पुनरुक्ति दोष से युक्त होते हैं—(क) कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। (ख) वे आज वापिस लौट रहे हैं। (ग) इसका स्पष्टीकरण करने के लिए आपको आना पड़ेगा। ऐसी पुनरुक्तियों से भी बचना चाहिए।

अपनी वाक्य-रचना को सुधारने का एक अच्छा तरीका यह है कि लेखक लिखने के बाद अपने लेखादि को कई बार अच्छी तरह से दुहराए और यह देखे कि वाक्यों में कहीं कोई अस्पष्टता तो नहीं है, उनमें कोई शब्द अनिश्चित या कम तो नहीं है, और जो शब्द हैं, वे अपने उपयुक्त स्थान पर तो हैं न, तथा कोई अभिव्यक्ति या कोई बात व्यर्थ में दो बार तो नहीं आ गई है। बार-बार दुहराने तथा ठीक-ठाक करने से कुछ दिनों बाद प्रायः लेखन में सभी दृष्टियों से काफी सुधार हो जाता है। कहा जाता है कि टॉलस्टाय अपने उपन्यासों को छपने से पहले तब तक दुहराया करते थे जब तक कि उन्हें पूर्ण तसल्ली न हो जाती थी। 'युद्ध और

शांति' उपन्यास को तो उन्होंने सौ से भी अधिक बार दुहराया था ।

अन्वय

व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य मे अन्वय का होना बहुत आवश्यक है । 'अन्वय' का अर्थ है सबद्ध शब्दो मे लिंग, वचन या पुरुष की एकरूपता ।

पहले लिंग और वचन की बात ले । विशेषण-विशेष्य, कर्त्ता-क्रिया, कर्म-क्रिया-क्रिया विशेषण मे लिंग की एकरूपता अपेक्षित होती है । उदाहरण के लिए, जैसा कि विशेषण के अध्याय मे दिया गया है, आकारात विशेषण (अपवादो को छोडकर, अपवादो के लिए देखिए 'विशेषण' शीर्षक अध्याय) विशेष्य के अनुसार होता है अच्छा लडका, अच्छी लडकी, अच्छे लडके । कुछ आकारातेतर तत्सम विशेषण भी विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं श्रद्धेय पिताजी, श्रद्धेया माता जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्षा महोदया, सौभाग्यशाली-सौभाग्य शालिनी, आदरणीय-आदरणीया, सुदर-सुदरी आदि । यदि कई विशेष्य साथ हो और उनके पूर्व कोई विकारी विशेषण हो तो वह विशेषण पहले विशेष्य के अनुरूप होता है लबा लडका और लडकी आ रहे है, लबी लडकी और लडका आ रहे हैं । किंतु इसमे इस भ्रम की भी गुजाइश होती है कि विशेषण कही उस विशेष्य के लिए ही तो नही है, जिसके अनुरूप है । इसीलिए ऐसे प्रयोग अधिक अच्छे होते है लबा लडका और लबी लडकी आ रहे हैं, लबी लडकी और लबा लडका आ रहे है । ऐसे ही 'छोटा फूल और छोटी पत्ती' आदि ।

जहाँ तक क्रिया के अन्वय का प्रश्न है इस सबध मे निम्नाकित नियम ध्यान मे रखने के हैं (1) यदि कर्त्ता के बाद 'ने' न हो तो, कर्म हो (राम रोटी खाता है) या न हो (राम दौडता है), क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, (2) यदि कर्ता के बाद 'ने' हो और कर्म के बाद को (लडकी को), ए (उसे) या एँ (इन्हे) न हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है : राम ने रोटी खाई, राम ने रोटियाँ खाई, उन लडकियो ने एक तरबूज खाया, उस लडकी ने चावल खाए, (3) यदि कर्ताके साथ ने तथा कर्म के बाद को, ए या एँ हो तो क्रिया किसी का भी अनुसरण नही करती तथा हमेशा पुल्लिग एकवचन रहती है लडकी ने लडके को मारा, लडको ने लडकियो को मारा, लडकी ने लडके को मारा, लडकियो ने लडको को मारा ।

कभी-कभी एकाधिक कर्ता होते हैं । पहले नियम यह था कि कई कर्ता हो तो प्राय क्रिया अपने लिंग-वचन मे अतिम कर्ता के अनुरूप होती है राजा और रानी गई, राजा, राजकुमार और रानी गई, मालिक, मालकिन और नौकर गया । अब प्रयोग मे प्राय ऐसा नही है । यदि कर्ता पुल्लिग और स्त्रीलिंग हो तो क्रिया पुल्लिग बहुवचन होगी, क्रम चाहे कोई भी क्यो न हो

देखि रूप मोहे नर-नारी—तुलसी
सबै ग्वाल गोपी मुरझाएँ—सूर

इस वाक्य के दो अर्थ है (1) राम भाग रहा था और भागते हुए, उसने साँप को मारा, (2) साँप भाग रहा था और उस भागते साँप को राम ने मारा। मान लीजिए किसी ने इस वाक्य का प्रयोग किया। पाठक या श्रोता इसका क्या अर्थ ले ? पहला या दूसरा ? इसका आशय यह हुआ कि इस प्रकार की बहु-अर्थता काव्य मे श्लेष रूप मे गुण हो सकती है, किंतु सामान्य भाषा मे यह दोष है, क्योकि ऐसे प्रयोगो मे यह भी सभावना हो सकती है कि वक्ता कह एक बात रहा है, और श्रोता समझ दूसरी बात रहा है।

बहुत से लोग ऐसे वाक्य लिखते है जो सुव्यवस्थित नही होते, अत उन्हे समझने मे कठिनाई होती है। अज्ञेय ने अपने कई लेखो मे ऐसे वाक्यो का प्रयोग किया है, जिन्हे समझना कभी तो कठिन और कभी असंभव है। उदाहरण के लिए उनका एक वाक्य लगभग पौने दो सौ शब्दो का है जिसे इन पक्तियो के लेखक ने अपनी पुस्तक 'शैलीविज्ञान' (पृ० 84) मे उद्धृत किया है। कई बार पढने पर भी इस वाक्य को समझ पाना काफी कठिन है। और यही नही, उस लेख के कई अन्य वाक्य भी इसी प्रकार के है।

वस्तुत अज्ञेय जी के उस वाक्य की एक सबसे बडी परेशानी यह है कि वह बहुत बडा है—लगभग आधे पृष्ठ 'नया प्रतीक' पत्रिका का) से भी अधिक का। अच्छा हो कि वाक्य को भरसक छोटा रखा जाए। यदि एक वाक्य मे एक ही विचार हो तो और भी अच्छा, लबा वाक्य यो भी दुरूह होता है, किंतु उसकी दुरूहता तब और भी बढ जाती है, जब उसका लेखक उसके विभिन्न अवयवो को ठीक से जोड न पाए। इसका आशय यह हुआ कि सरल वाक्यो के प्रयोक्ता से तो ऐसी गलतियाँ नही होती, किंतु जो सयुक्त या मिश्रित बडे वाक्यो का प्रयोग अधिक करते है, उनमे ऐसी गलतियो के होने की सभावना बहुत अधिक होती है। इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि जिसे मिश्र, सयुक्त, जटिल और लबे वाक्यो के प्रयोग की ही आदत हो, उसे वाक्य-सरचना मे बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए।

बहुत से लोगो के वाक्य पुनरुक्ति दोष से युक्त होते है—(क) कृपया मेरे घर आने की कृपा करे। (ख) वे आज **वापिस लौट** रहे है। (ग) इसका स्पष्टीकरण करने के लिए आपको आना पडेगा। ऐसी पुनरुक्तियो से भी बचना चाहिए।

अपनी वाक्य-रचना को सुधारने का एक अच्छा तरीका यह है कि लेखक लिखने के बाद अपने लेखादि को कई बार अच्छी तरह से दुहराए और यह देखे कि वाक्यो मे कही कोई अटपटापन तो नही है, उनमे कोई शब्द अतिरिक्त या कम तो नही है, और जो शब्द है, वे अपने उपयुक्त स्थान पर तो है न, तथा कोई अभिव्यक्ति या कोई बात व्यर्थ मे दो बार तो नही आ गई है। बार-बार दुहराने तथा ठीक करते रहने से कुछ दिनो बाद प्राय लेखन मे सभी दृष्टियो से काफी सुधार आ जाता है। कहा जाता है कि टाल्स्टाय अपने उपन्यासो को छपने के पहले तब तक दुहराते रहते थे, जब तक कि उन्हे पूरी तसल्ली न हो जाती थी। 'युद्ध और

मुझे एक चिट्ठी लिखना है।

मुझे कई पत्र लिखना है।

हिन्दी मे लिखना, लिखनी, लिखने-वाले प्रयोग ही ठीक हैं, न कि सर्वत्र 'लिखना'-वाले।

बहुवचन क्रिया-रूपो का एक प्रमुख चिह्न 'अनुनासिकता' है। यह याद रखने की बात है कि यह अनुनासिकता क्रिया मे केवल एक स्थान पर ही आ सकती है

(क) उन्होंने कमीजें सिली।

उन्होंने कमीजें सिली हैं। ('सिली हैं' अशुद्ध है)

(ख) लडकियाँ गईं।

लडकियाँ गई थी। ('गईं थी' अशुद्ध है)

यह भी याद रखने योग्य है कि 'चाहिए' का बहुवचन मे 'चाहिएँ' नही बनता। एकवचन तथा बहुवचन दोनो ही मे 'चाहिए' का ही प्रयोग होना चाहिए। अर्थात् 'मुझे दस रुपये **चाहिएँ**।' वाक्य गलत है। शुद्ध है 'मुझे दस रुपये **चाहिए**।'

क्रियाविशेषण को 'अव्यय' अर्थात् अपरिवर्तनीय समझा जाता है, किंतु हिन्दी मे हमेशा ऐसा नही होगा। यदि कोई कृदत क्रियाविशेषण का काम कर रहा है तो इसमे परिवर्तन होता है

राम **दौडा** (या **दौडता**) आया।

सीता **दौडी** (या **दौडती**) आई।

लडके **दौडे** (या **दौडते**) आए।

(अन्वय सबधी सामान्य नियमो के लिए देखिए लेखक भी पुस्तक 'सामान्य हिन्दी'।)

पदक्रम

'पदक्रम' या शब्दक्रम' वाक्य मे पदो या शब्दो के क्रम को कहते है। पदक्रम की दृष्टि से भाषाएँ दो प्रकार की होती है।

(क) वे भाषाएँ जिनमे 'पदक्रम' का विशेष महत्व नही होता,

(ख) वे भाषाएँ जिनमे 'पदक्रम' का विशेष महत्व है।

हिन्दी उन भाषाओ मे है जिनमे पदक्रम बहुत महत्वपूर्ण है

राम, मोहन कहता है।

मोहन, राम कहता है।

स्पष्ट है कि पहले वाक्य मे 'राम'-कर्ता है तो दूसरे मे 'मोहन'।

हिन्दी मे निम्नाकित प्रकार के वाक्यो मे पदक्रम से निश्चय (the) या अनिश्चय (a) का भाव व्यक्त किया जाता है

साँप कमरे मे है।

इस वाक्य मे 'साँप' का अर्थ है 'कोई निश्चित साँप' (the snake), किंतु

कमरे मे साँप है।

मे 'साँप' का अर्थ है 'कोई साँप' (a snake) अर्थात् 'कोई अनिश्चित साँप'। इसका आशय यह है कि ऐसे वाक्यो मे प्रारभ मे आने पर कर्ता निश्चयवाचक होता है, तो बीच मे आने पर अनिश्चयवाचक। इस बात का ठीक से ध्यान न रखने पर निश्चय-अनिश्चय की दृष्टि से गलती हो जाने की प्राय सभावना रहती है। 'स्कूल आगे है,' तथा 'आगे स्कूल है' मे भी यह अतर स्पष्ट है।

यदि एक ही शब्द मे विशेपण तथा क्रियाविशेषण दोनो की क्षमता हो तो वाक्य मे उसके स्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा वक्ता उसे विशेषण रूप मे प्रयुक्त करला चाहता है तो वह क्रियाविशेषण हो जाता है, तथा क्रिया-विशेषण रूप मे प्रयुक्त करना चाहता है तो वह विशेषण हो जाता है

तेज घोडा दौड रहा है,

घोडा **तेज** दौड रहा है।

खम्भे **टेढ़े** गडे हैं।

टेढे खम्भे गडे है।

कभी-कभी शब्द विशेषण ही रहता है किंतु एक के स्थान पर दूसरे विशेष्य का विशेषण बन जाता है

गंदा आदमी काम कर रहा है।

आदमी **गदा** काम कर रहा है।

गलत क्रम से कभी-कभी वाक्य हास्यास्पद भी हो जाता है

यह इस **सर्वोत्कृष्ट रोग** की चिकित्सा है।

(यह इस रोग की **सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा** है)

एक रुई का तकिया दिखाओ।

(रुई का **एक तकिया** दिखाओ)

कलेक्टर द्वारा भगाई गई लडकियो के प्रति व्यक्त सहानुभूति।

(**भगाई गई लडकियो** के प्रति कलेक्टर द्वारा व्यक्त सहानुभूति)

मुझे **गर्म गाय** का दूध चाहिए।

(मुझे गाय का **गर्म दूध** चाहिए)

एक पानी का **गिलास** लाओ।

(पानी का **एक गिलास** लाओ)

विदेशी सिलाई के धागे।

(सिलाई के **विदेशी धागे**)

उसने **आयातित कमीज़** का कपडा दिया।

(उसने कमीज का **आयातित कपड़ा** दिया)

मत्स्यरूपधारी दानवो के शत्रु विष्णु ने
(दानवो के शत्रु **मत्स्यरूपधारी** विष्णु ने)
पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ।
(चोरी का माल **पुलिस द्वारा** बरामद हुआ)
इस प्रारूप बनाने की **क्रिया** को प्रारूपण कहते हैं।
(प्रारूप बनाने की इस **क्रिया** को प्रारूपण कहते हैं)
जीवविज्ञान की हिन्दी मे प्रकाशित होने वाली पत्रिका।
(हिन्दी मे प्रकाशित होने वाली **जीवविज्ञान** की पत्रिका)
उसकी **कुछ समझ** मे न आया।
(उसकी **समझ मे कुछ** न आया)
हम **निम्नांकित** दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र।
(हम दिल्ली विश्वविद्यालय के **निम्नांकित** छात्र)
एक उत्तर प्रदेश का आदमी।
(उत्तर प्रदेश का **एक** आदमी)
मोहन नामक फाँसी की सज़ा पानेवाला आदमी ।
फाँसी की सज़ा पानेवाला **मोहन नामक** आदमी)

कभी-कभी व्याकरण की अशुद्धि भी हो जाती है

एक फूलो की माला
(फूलो की **एक माला**)
प्रधानमंत्री ने **एक छात्रों** की सभा मे भाषण दिया ।
(प्रधानमंत्री ने छात्रो की **एक सभा मे** भाषण दिया)
कई मिल के मज़दूर
(मिल के **कई मजदूर**)

क्रम के कारण कभी-कभी अर्थ मे भी परिवर्तन हो जाता है, अत पदक्रम को कथ्य के अनुरूप रखने का ध्यान रखना चाहिए

(क) तरह-तरह के पौदो की पत्तियाँ
पौदो की तरह-तरह की पत्तियाँ
(ख) तरह-तरह के जादू के खेल
जादू के तरह-तरह के खेल
(ग) तरह-तरह के चमडे के जूते
चमडे के तरह-तरह के जूते
(घ) यह भोजन बनाने की प्रक्रिया
भोजन बनाने की यह प्रक्रिया
(ङ) एक चीनी नस्ल का कुत्ता
चीनी नस्ल का एक कुत्ता

(च) हिन्दी का व्यावहारिकस्वरूप
व्यावहारिक हिन्दी का स्वरूप
(छ) व्यावहारिक जीवन की समस्याएँ
जीवन की व्यावहारिक समस्याएं

कुछ वाक्य हिन्दी मे ऐसे भी होते है जिनमे क्रम बदलने मे भी दो अर्थ बने रहते है। ऐसे वाक्यो का अर्थ समझने मे सावधान रहना चाहिए। जैसे

(क) मैने दौडते हुए सांप को मारा।
मैने साँप को दौडते हुए मारा।
(ख) मै जाते हुए हिरन को देखता रहा हूँ।
मैं हिरन को जाते हुए देखता रहा हूँ।

क्रम की अशुद्धि के कुछ और उदाहरण भी यहां लिए जा रहे है। बहुत पहले कही एक वाक्य मिला था. 'भवन-निर्माण मे सहायता करनेवालो के नामो का शिला लेख दीवाल मे खुदवाकर लगाया गया।' यहां 'दीवाल मे खुदवाकर लगाया गया' का अर्थ स्पष्ट नही है। 'दीवाल मे खुदवाया' तो लगाया कहां, और 'दीवाल मे खुदवाया' तो 'दीवाल मे लगाया' क्यो ? वस्तुत यह क्रम की गलती है। ठीक क्रम होगा 'भवन-निर्माण मे सहायता करनेवालो के नामो का शिलालेख खुदवाकर दीवाल मे लगाया गया।' आधुनिक हिन्दी मे 'दीवाल मे' के स्थान पर 'दीवाल पर' प्रयोग अधिक मानक है। ऐसे ही एक वाक्य है—'यह दुर्भाग्य का विषय है कि इन लोगो को यह शुभ काम कर डालना चाहिए था, किंतु इन्होने किया नही।' ऐसा लगता है कि 'दुर्भाग्य का विषय' है 'शुभ काम कर डालना' किंतु वास्तविकता यह नही है। होना चाहिए —'इन लोगो को यह शुभ काम कर डालना चाहिए था, किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि इन्होने किया नही।'

कही पढा था 'कुत्ता दरवान की तरह दुम हिलाता हुआ दरवाजे पर खडा रहा' ऐसा लग रहा है जैसे कहा जा रहा है कि कुत्ता वैसे दुम हिला रहा था जैसे दरवान हिलाता है, जबकि ऐसा कहना उद्देश्य नही है। यह भ्रम केवल गलत क्रम के कारण हो रहा है। होना चाहिए—'कुत्ता दुम हिलाता हुआ, दरवान की तरह दरवाजे पर खडा रहा।'

क्रम का ध्यान एक और दृष्टि से भी रखना चाहिए। यदि कोई मर्द, औरत जैसा काम करे तो कहेगे 'यह मर्द है या औरत ?' न कि 'यह औरत है या मर्द ?' ऐसे ही 'तुम इसान हो या शैतान' न कि 'तुम शैतान हो या इसान'। इसका कारण यह है कि काम करनेवाला मूलत 'मर्द' या 'इसान' है। ऐसे ही 'तुम्हारा दिल है या पत्थर ?' न कि 'तुम्हारा पत्थर है या दिल ?'

कभी-कभी हरियाणा आदि कुछ क्षेत्रो के लोग बलार्थक प्रत्यय 'ही' को शब्द को तोड कर बीच मे ला देते है, जो नही करना चाहिए—मुझे कान ही पुर जाना है। होना चाहिए—'मुझे कानपुर ही जाना है।' ऐसे ही 'मै जाऊँ तो गा, किंतु

आज नही' भी गलत है। ठीक होगा 'मैं जाऊँगा तो, किंतु आज नही।'

कारक-चिह्नो के गलत क्रम के उदाहरण प्राय मिलते हैं। 'का' के इस प्रकार के प्रयोग (मूल सज्ञा शब्द से दूर) सबसे अधिक होते हैं। उदाहरणार्थ—'हमारी नई अर्थनीति, जो इस वर्ष से लागू हो रही है, का आधार बहुत स्पष्ट नही है।' ठीक होगा 'इस वर्ष से लागू हो रही हमारी नई अर्थनीति का आधार बहुत स्पष्ट नही है।' या 'हमारी जो नई अर्थनीति इस वर्ष से लागू हो रही है, उसका आधार बहुत स्पष्ट नही है।' ऐसे ही 'के बाहर' का उदाहरण लें—उसी गाँव के जो उन की कर्मभूमि था, बाहर उनका स्मारक बनेगा, ठीक होगा—उसी गाँव के बाहर, जो उनकी कर्मभूमि था, उनका स्मारक बनेगा।' या 'उनका स्मारक उसी गाँव के बाहर बनेगा, जो उनका कर्मभूमि था'। 'पर' का एक प्रयोग ले—'तुम्हारी छत, जो चू रही है, पर सीमेंट लगाने की जरूरत है।' होना चाहिए 'तुम्हारी छत पर सीमेंट लगाने की जरूरत है। वह चू रही है। या 'तुम्हारी छत चू रही है, अत उस पर सीमेंट लगाने की जरूरत है।' या फिर 'तुम्हारी छत पर, जो चू रही है, सीमेंट लगाने की जरूरत है।' इन वाक्यो मे पहला हिन्दी की प्रकृति के अधिक अनुकूल है। वस्तुत भाषा की प्रकृति के अनुकूल एक वाक्य को दो मे जोडने या दो को एक मे मिलाने मे भी भाषा-प्रयोक्ता को कभी सकोच नही करना चाहिए।

अग्रेजी मे ऐसा प्रयोग प्राय होता है जिसमे वाक्य के बीच मे (निसक्षिप्त पदबध या वाक्य आदि के रूप मे), स्पष्ट करने या उदाहृत करने के लिए उपवाक्य पदबध या वाक्याश रख देते हैं। अग्रेजी के प्रभाव से यह शैली हिन्दी मे भी काफी प्रयुक्त होने लगी है, हालांकि हिन्दी की प्रकृत शैली मे ऐसे प्रयोग अच्छे नही लगते, अत इनसे बचना चाहिए। उदाहरण के लिए 'भारत के नेताओ—गाधी, सुभाष, नेहरू आदि—ने, देश के लिए अनेक प्रकार के कष्ट झेले। 'या भारत के कुछ नगर—दिल्ली, कलकत्ता, बबई आदि—यूरोपीय नगरो की टक्कर के हैं।' हिन्दी की प्रकृत शैली मे ऐसे वाक्यो को इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है—'गाधी, सुभाष, नेहरू आदि अनेक भारतीय नेताओ ने देश के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहे।' तथा 'दिल्ली, कलकत्ता, बबई आदि कुछ भारतीय नगर यूरोपीय नगरो की टक्कर हैं।' अंग्रेजी प्रभाव निक्षिप्त क्रमवाले उपर्युक्त प्रकार के वाक्यो मे भी हिन्दी की दृष्टि से क्रम का अटपटापन ही माना जाएगा।

बल देने के लिए वाक्य मे कभी-कभी क्रम मे परिवर्तन कर देते हैं—गर्मी के कारण नल मे पानी गर्म आ रहा है।

गर्मियो मे हैंड पाइप से पानी बहुत ठंडा आता है।

लू बडी गर्म चल रही है।

हवा ठडी चल रही है।

पानी कैसा आ रहा है या आता है या लू कैसी चल रही है, के उत्तर मे जो वाक्य प्रयुक्त होता है उसमे विशेषण सज्ञा के बाद और क्रिया के पहले आता है

क्योकि उत्तर का केन्द्र वही होता है, ऐसे ही बल के अनुसार ·

अच्छा लडका है।

लडका अच्छा है ।

तेज़ हवा का एक झोका आया।

हवा का एक तेज झोका आया।

वाक्य मे एक और प्रकार के क्रम की बात भी उठाई जा सकती है। एक वाक्य ले—'मैंने तुमसे बीस बार कहा, दस बार कहा और तुम हो कि सुनते ही नही' स्पष्ट ही 'बीस बार' के बाद 'दस बार' का आना तर्कसगत नही लगता। पहले 'कम बार' आना चाहिए था, फिर 'अधिक बार'—'मैंने तुमसे दस बार कहा, बीस बार कहा, और तुम हो कि सुनते ही नही।' ऐसे ही 'यह पुस्तक खरीदने लायक तो है ही पढने लायक भी है' मे अपेक्षित क्रम का अभाव है। कहने वाला कहना चाहता है कि पुस्तक केवल पठनीय ही नही सग्रहणीय भी है, अत इस वाक्य को होना चाहिए था 'यह पुस्तक पढने लायक तो है ही खरीदने लायक भी है।'

लोप

वाक्य प्राय एकाधिक पदो के योग से बनता है, किंतु सर्वदा सभी पदो का प्रयोग नही करते। कुछ का लोप कर देते है। यह हर भाषा की अपनी परपरा के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए 'यह कानो से सुनी बात है', को प्राय 'यह कानो-सुनी बात है' कहते है, अर्थात् 'से' का लोप कर देते है। ऐसे ही 'यह आँखो देखी घटना है' (से-लोप)। क्रिया मे भी ऐसे लोप मिलते है। उदाहरण के लिए सामान्य हिन्दी मे वर्तमान तथा अपूर्ण वर्तमान का नकारात्मक रूप बनाने मे सहायक क्रिया 'है' 'हूँ', आदि का लोप कर देते है। पहले यह लोप नही होता था, किंतु अब होता है, और यदि लोप न करे तो वाक्य 25-30 वर्ष पहले का लिखा पुराना-सा लगता है

सामान्य वर्तमान

सकारात्मक वाक्य	—मोहन पढने जाता है।
नकारात्मक वाक्य	—मोहन पढने नही जाता है। (पुरानी शैली)
	—मोहन पढने नही जाता। (नई शैली)
ऐसे ही	—मैं नौकरी करता हूँ।
	—मैं नौकरी नही करता हूँ। (पुरानी शैली)
	—मैं नौकरी नही करता। (नई शैली)

अपूर्ण वर्तमान

मोहन अब पढने जा रहा है ।
मोहन अब पढने नही जा रहा है । (पुरानी शैली)
मोहन अब पढने नही जा रहा । (नई शैली)
मैं अब नौकरी कर रहा हूँ ।
मैं अब नौकरी नही कर रहा हूँ । (पुरानी शैली)
मैं अब नौकरी नही कर रहा (नई शैली)

यह ध्यान देने की बात है कि केवल वर्तमान काल के इन दो भेदो मे ही इस प्रकार का लोप होता है । भूत या भविष्य काल मे नही ।

यदि 'है' 'था' आदि क्रियाएँ किसी क्रिया के साथ न आकर अकेले आएँ तो उन्हे अस्तित्ववाची क्रिया कहते है । उदाहरण के लिए निम्नाकित वाक्यो मे ये अस्तित्ववाची क्रिया है 'साँप कमरे मे है ।' या 'साँप कमरे मे था ।'

यदि किसी वाक्य मे एक ही अस्तित्ववाची क्रिया दो बार आए तो एक का प्राय लोप कर देते है । 'वहाँ गायें हैं, और भैंसे भी हैं ।'

इसे प्राय दो रूपो मे कहते है 'वहाँ गायें हैं और भैंसे भी' अथवा 'वहाँ गाये और भैंसें हैं ।' ऐसे ही

'उन दिनो पिता जी गाँव मे थे और दादा जी भी थे ।' इसे भी दो रूपो मे कहते हैं 'उन दिनो पिताजी और दादाजी गाँव मे थे ।' अथवा 'उन दिनो पिताजी गाँव मे थे और दादाजी भी ।' हाँ जोर देने के लिए इसे यो भी कहते हैं—'उन दिनो पिताजी गाँव मे थे और दादाजी भी वही थे ।'

एक वाक्य मे एक ही कारकीय रूप भी प्राय एकाधिक बार नही प्रयुक्त होता 'मोहन गाँव मे है, और उसका भाई भी गाँव मे है ।' इसे तीन रूपो मे कहेगे (क) मोहन और उसका भाई गाँव मे है । (ख) मोहन गाँव मे है और उसका भाई भी । (ग) मोहन गाँव मे है, और उसका भाई भी वही है ।
अर्थात् पहले-दूसरे वाक्य से 'है' का लोप दिया गया है, साथ ही 'गाँव मे' अधिकरण रूप का भी । तीसरे वाक्य मे जोर देने के लिए क्रिया का लोप तो नही किया गया है किंतु सज्ञा के अधिकरण रूप 'गाँव मे' का लोप करके सार्वनामिक क्रियाविशेपण 'वही' का प्रयोग किया गया है ।

किंतु कही भी लोप ऐसा नही किया जाना चाहिए कि अर्थ समझने मे कठिनाई हो । उदाहरण के लिए 'आपके सारे रिश्ते हमसे अच्छे हैं ।' को 'आपके सारे रिश्ते हमारे रिश्तो से अच्छे हैं ।' कहना अधिक ठीक है । ऐसे ही 'उसके सभी काम आपसे (आपके कामो से) अच्छे होते हैं ।' 'मोहन के बग़ीचे के फूल तुमसे (तुम्हारे फूलो से, तुम्हारे बगीचे के फूलो से) बडे हैं ।' 'हाथी की कीमत घोडे (घोडे की कीमत) से अधिक होती है ।'

पडने पर इसे तोडा भी जा सकता है यदि वाक्य अटपटा न लगे तथा भ्रामक होने से बच सके। निष्कर्ष यह निकला कि अँग्रेज़ी के प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन से सबद्ध नियमो का आँखमूँद कर अनुसरण नही किया जाना चाहिए। हिन्दी के अच्छे लेखको मे मुझे तीनो ही प्रकार के प्रयोग मिले हैं (क) उसने कहा, 'मै जाऊँगा' (ख) उसने कहा कि 'मैं जाऊँगा', (ग) उसने कहा कि वह जाएगा।

असबद्ध कथन

प्रयुक्त शब्दो के सबधो की दृष्टि से भी कुछ वाक्य गलत होते है। मान ले कोई गुस्से मे कहे, 'मारे डडो के बोटी-वोटी कर दूँगा,' तो वाक्य मे साधन और क्रिया के उचित सबध का अभाव कहा जाएगा क्योकि 'डडो' से बोटी-बोटी नही किया जा सकता। 'मारे थप्पडो के खाल उधेड दूँगा' या 'मारे घूँसो के खाल खीच लूँगा' भी ऐसे ही अटपटे वाक्य है। सबधो की गडबडी और भी तरह की हो सकती है। उदाहरण के लिए गले मे तौक, हाथ मे हथकडी और पैर मे बेडियाँ होती है। यदि कोई कहे कि 'भारत के गले मे सैकडो वर्षो तक पराधीनता की बेडियाँ पडी रही।' तो यह ठीक नही माना जाएगा। इस प्रकार अपनी भाषा को अच्छी बनाने के लिए ऐसे असबद्ध कथनो तथा शब्दो के प्रयोग से भी बचना चाहिए।

विरोधी प्रयोग

कुछ लोगो के वाक्य मे विरोधी बाते होती हैं, अत वाक्य बडा अटपटा लगता है। उदाहरण के लिए 'तुम्हारा यह वाक्य काट देने के लायक तो है ही, इसमे सुधार की भी आवश्यकता है' वाक्य ले। यदि वाक्य काट देने लायक है तो फिर सुधार के लायक कैसे है, और सुधार के लायक है तो फिर सुधार होना चाहिए, न कि काटकर फेक दिया जाना चाहिए। किसी साहब को कहते सुना था 'वह मकान पूरा गिरा कर बनाने लायक है, उसकी मरम्मत की जानी चाहिए।' इसमे भी वही गडबडी है।

जटिलता

वाक्य की जटिलता भी भाषा का बहुत बडा दोष है। हिन्दी मे कभी-कभी बहुत अच्छे-अच्छे लेखको मे भी यह दोष मिलता है। मैंने इस दृष्टि से जहाँ तक विभिन्न लेखको की पुस्तके पढी है, अज्ञेय मे यह दोष सर्वाधिक है। उनके कई लेखो तथा पुस्तको मे ऐसे उदाहरण बडी सरलता से खोजे जा सकते है। उदाहरण के लिए उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'सहसा एक बूँद उछली' (पृ० 33) मे एक वाक्य आता हैं 'रोम के नए रेलवे स्टेशन का जो कि काँच का घर-सा मालूम होता है, उल्लेख वहाँ के लोग गर्वपूर्वक करते हैं।' आजकल के कई ऐसे प्रसिद्ध लेखको मे जो अँग्रेजी सामग्री पढकर, बिना उसे पचाए हिन्दी मे लिख मारने के आदि हैं, वाक्य की

जटिलताएँ खूब मिलती हैं। एक बार ऐसे ही लोगो की पुस्तको के विषय मे महावीर-प्रसाद द्विवेदी ने कहा था 'इन हिन्दी पुस्तको के हिन्दी मे अनुवाद की जरूरत है।' अन्य भाषाओ से हिन्दी मे हुए अनुवादो मे तो वाक्य की जटिलता बहुत ही आम बात है। वाक्य की बहुत अधिक लबाई, उसके अवयवो मे सुसबद्धता का अभाव तथा अटपटा शब्द-क्रम आदि वाक्य की जटिलता के मुख्य कारण होते है। हिन्दी मे कभी-कभी कुछ लोग एक उपवाक्य को तोडकर दूसरे उपवाक्य के दोनो ओर रख देते हैं, जिससे वाक्य की रचना कुछ जटिल हो जाती है। इस दोष से बचने का यत्न करना चाहिए। उदाहरणार्थ

(क) इस समिति मे, सामान्य स्तर के जो लोग बबई नगर मे रहते है, उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिला है।

(ख) सामान्य स्तर के जो लोग बबई नगर मे रहते है उनको इस समिति मे पूरा प्रतिनिधित्व मिला है।

(ग) बबई नगर के सामान्य लोगो को इस समिति मे पूरा प्रतिनिधित्व मिला है।

ध्यान से पढने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि 'क' वाक्य की रचना जटिल है, 'ख' उसका कुछ अच्छा रूप है, किंतु हिन्दी की अपनी सरचना के अनुसार 'ग' उसका सर्वोत्तम रूप है। ऐसे ही

(क) श्री के लेख मे, दसवी कक्षा तक के विद्यार्थियो से जो भूले होती हैं, उनका अच्छा विश्लेषण है।

(ख) दसवी कक्षा तक के विद्यार्थियो से जो भूले होती है, उनका श्री के लेख मे अच्छा विश्लेषण है।

(ग) दसवी कक्षा तक के विद्यार्थियो मे जो भूले होती है, श्री के लेख मे उनका अच्छा विश्लेषण है।

(घ) श्री के लेख मे उन भूलो का अच्छा विश्लेषण है, जो दसवी कक्षा तक के विद्यार्थियो से होती हैं।

यहाँ वाक्य के चार रूप दिए गए हैं। पहले मे जटिलता अधिक है। दूसरे, तीसरे मे वह दोष नही है, 'ख' और 'ग' मे उपवाक्य अलग-अलग रखे गए है अतः इनकी सरचना स्पष्ट है, किंतु इन दोनो मे भी 'ग' मे 'उनका' तथा 'अच्छा विश्लेषण' पास पास आ गए हैं, अत प्रवाह अधिक सहज हो गया है। 'ख' मे 'उनका' अलग है तथा 'अच्छा विश्लेषण' अलग, अत वह बात नही है। 'ग' और 'घ' मे रचना की दृष्टि से जटिलता नही है, किंतु दोनो मे अतर यह है कि 'ग' का प्रयोग तब ठीक होगा जब चर्चा दसवी कक्षा की अशुद्धियो से सबद्ध हो, इसके विपरीत 'घ' का प्रयोग तब ठीक होगा, जब चर्चा 'श्री के लेख' की हो रही हो। अर्थात् इन दोनो मे बल का अतर है। 'ग' मे बल एक पर है तो 'घ' मे दूसरे पर।

उपर्युक्त प्रकार के वाक्य तब और भी जटिल, अटपटे तथा हिन्दी की सहज

सरचना के विपरीत हो जाते है, जब कारक चिह्न को उस सज्ञा शब्द से अलग कर दिया जाता है, जिससे वह सबद्ध होता है। उदाहरणार्थ—'इस लेख मे, अहिन्दी भाषियो से जो भाषा-विषयक अशुद्धियाँ होती है, का अच्छा विवेचन है।' इस वाक्य मे 'अशुद्धियो का' को तोडकर, 'अशुद्धियो' को अलग तथा 'का' को अलग कर दिया गया है, अत वाक्य अटपटा हो गया है। इसका ठीक रूप होगा—'इस लेख मे उन भाषा विषयक अशुद्धियो का अच्छा विवेचन है, जो अहिन्दीभाषियो से होती है।' और यदि अशुद्धियो पर बल देना हो

'भाषा-विषयक जो अशुद्धियाँ अहिन्दीभाषियो से होती है, उनका अच्छा विवेचन इस लेख मे है।'

कारक-चिह्नो को सबद्ध शब्दो से अलग हटाने से वाक्य मे अटपटापन आ जाता है। पीछे 'सज्ञा' शीर्षक अध्याय मे 'कारक-चिह्नो' के प्रसग मे इसके काफी उदाहरण दिए जा चुके है।

मिश्र वाक्य

सरल और सयुक्त वाक्यो की तुलना मे, मिश्र वाक्यो की रचना मे अधिक सावधानी अपेक्षित होती है। इसका कारण यह है कि मिश्र वाक्य सरचना की दृष्टि से अधिक जटिल होता है। यहाँ कुछ मिश्र वाक्य उदाहरणस्वरूप लिए जा रहे है

लगभग एक वर्ष पूर्व 'नवभारत टाइम्स' मे पढा था–'विरोधी दलो के नेताओ को, जब वे वायदा करे कि किसी भी प्रकार की असवैधानिक बात नही कहेगे, रेडियो पर बोलने का अवसर दिया जा सकता है।' इसे दो रूपो मे कहा जा सकता है

(क) 'विरोधी दलो के नेताओ को, किसी भी प्रकार की असवैधानिक बात न कहने का वायदा करने के बाद ही, रेडियो पर बोलने का अवसर दिया जा सकता है।'

(ख) 'विरोधी दलो के नेताओ को तभी रेडियो पर बोलने का अवसर दिया जा सकता है जब वे इस बात का वायदा करें कि किसी भी प्रकार की असवैधानिक बात नही कहेगे।'

एक सग्रह मे 'विज्ञान' पर लिखे गए एक निबध का पहला वाक्य है—'विज्ञान ने ऐसे बहुत से काम, जो कभी सुने भी नही गए, किए जाने की तो बात ही क्या, कर दिखाए है।' स्पष्ट ही वाक्य बहुत स्पष्ट नही है। इसे होना चाहिए—'विज्ञान ने ऐसे बहुत से काम कर दिखाए हैं, जो कभी सुने भी नही गए, किए जाने की तो बात ही क्या?' ऐसे ही 'राजस्थान मे ऐसे बहुत से ग्रथो की पाडुलिपियाँ, जिनकी चर्चा किसी भी इतिहास मे नही है, मिली हैं।' को यो रखना अधिक अच्छा होगा—'राजस्थान मे ऐसे बहुत से ग्रथो की पाडुलिपियाँ मिली है, जिनकी

चर्चा किसी भी इतिहास मे नही है।'

'हिन्दुस्तान' मे पढा था 'श्री चद्रशेखर पार्टी के आगामी अधिवेशन, जो कुछ ही दिनो मे होने वाला है, उसके सभापति चुने गए हैं।' इसे कुछ लोग यो भी बोलते हैं—श्री चद्रशेखर पार्टी के आगामी अधिवेशन, जो कुछ ही दिनो मे होने वाला है, के सभापति चुने गए हैं।' ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाएगा कि पहले वाक्य मे 'उसके' निरर्थक है तथा दूसरे मे 'के' का क्रम गलत है, उसे अधिवेशन के साथ आना चाहिए—'श्री चद्रशेखर पार्टी के आगामी अधिवेशन के, जो कुछ ही दिनो मे होने वाला है, सभापति चुने गए हैं।' वस्तुत हिन्दी का सुगठित वाक्य होगा—'श्री चद्रशेखर पार्टी के कुछ ही दिनो मे होने वाले आगामी अधिवेशन के सभापति चुने गए है।' या यदि पार्टी पर बल देना हो तो—'पार्टी के कुछ ही दिनो मे होने वाले।'

अँग्रेज़ी से अनूदित एक पुस्तक का एक वाक्य है—'कुछ अवसरो पर ऐसी बात भी, जो कुछ अन्य अवसरो पर अनुचित होती है, उचित मानी जाती है।' यह वाक्य बहुत स्पष्ट नही है। इसे या तो सरल वाक्य 'अनुचित बात भी कुछ अवसरो पर उचित होती है।' मे बदल देना चाहिए या फिर कुछ परिवर्तित करके इस रूप मे रख देना चाहिए—'कुछ अवसरो पर ऐसी बात भी उचित होती है, जो कुछ अन्य अवसरो पर अनुचित मानी जाती है।'

किसी सस्मरण मे पढा था—'यह बात श्री नेहरू जब गाजीपुर आए थे उस समय की है।' इसका अटपटापन क्रम की गडबडी के कारण है। होना चाहिए—'यह बात उस समय की है, जब श्री नेहरू गाज़ीपुर आए थे।'

एक विज्ञापन मे देखा था—'एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो कपडे धोने वाला और नहाने का साबुन तैयार करने वाला हो।' वस्तुत विज्ञापक को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कपडे धोने और नहाने, अर्थात् दोनो प्रकार के साबुन तैयार कर सके, किंतु यह वाक्य ऐसा बन गया है कि अर्थ निकलता है—ऐसा व्यक्ति जो कपडे धो सके और नहाने का साबुन तैयार कर सके। असल मे 'वाला' प्रत्यय के कारण ही यह भ्रम हो रहा है। वाक्य होना चाहिए—'एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कपडे धोने और नहाने का साबुन तैयार कर सके।' इस तरह 'वाला' के स्थान पर 'का' रख देने मे वाक्य ठीक हो गया। और इस प्रकार के वाक्य तो प्राय मिलते हैं—'अच्छे कार्य का सबसे बडा पुरस्कार, उसे करने से जो सतोष प्राप्त होता है, वही है।' इसे इस रूप मे अधिक अच्छा वाक्य बनाया जा सकता है—'अच्छे कार्य का सबसे बडा पुरस्कार वह सतोष है, जो उसे करने से प्राप्त होता है।'

16

शब्द-निर्माण

शब्दो के निर्माण के लिए, समास बनाने, उपसर्ग और प्रत्यय जोडने तथा संधि करने मे हिन्दी मे प्रयुक्त नियमो का ध्यान रखना चाहिए। इन्हे व्याकरण की किसी भी अच्छी पुस्तक से देखा जा सकता है। यहाँ केवल उन कुछ बातो को ही लिया जा रहा है, जिनकी दृष्टि से प्राय अशुद्धियाँ होती है या अनेकरूपताएँ मिलती है, तथा जो व्याकरण की पुस्तको मे प्राय नही दिए होते ।

सबसे पहले समास की बात ले । यदि समास द्वारा दो शब्दो से किसी शब्द का निर्माण करना हो तो कुछ लोग बीच मे योजक-चिह्न लगाते है भाषा-विज्ञान, जीव-विज्ञान, शोक-मग्न, नीति-युक्त, देश-भक्ति, रसोई-घर, कुछ लोग दोनो को एक मे मिला देते है: भाषाविज्ञान, जीवविज्ञान, शोकमग्न, नीतियुक्त, देशभक्ति, रसोईघर, बहुत से लोग मनमाने ढग से, कभी तो योजक-चिह्न लगाते है (भाषा-विज्ञान, शोक-मग्न) और कभी मिलाकर (भाषाविज्ञान, शोकमग्न) लिखते है, तथा बहुत से लोग दोनो शब्दो को अलग-अलग रखते है (भाषा विज्ञान, रसोई घर, देश भक्ति) । पहली बात यह है कि दोनो शब्दो को अलग-अलग रखना गलत है, अत ऐसा कभी-भी नही किया जाना चाहिए। जहाँ तक मिलाकर लिखने और योजक-चिह्न से लिखने का प्रश्न है, हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल सामान्यत यदि दोनो शब्दो के मिलाने से शब्द बडा बन रहा हो तब तो योजक-चिह्न लगाना चाहिए, जैसे शस्य-श्यामला, अकाल-पीडित, योजक-चिह्न, भाषा-सर्वेक्षण, कपोल-कल्पित, चलता-पुरजा, ससद्-सदस्य, काग्रेस-अध्यक्ष, मकान-मालिक, आश्चर्य-चकित, धूल-धूसरित, दिल-बहलाव, वनस्पति-विज्ञान, राजनीति-विज्ञान, तथा रसायन-विज्ञान आदि, किंतु यदि शब्द छोटा बने तो उसे बिना योजक-चिह्न के एक शिरोरेखा से लिखना चाहिए, जैसे वायुयान, जलवायु, गिरहकट, नीलकठ, मुँहतोड, यथाशक्ति, तथा भाषा-आदि ।

यदि दो से अधिक शब्दो का समास बनाना हो तो योजक-चिह्न ही लगाते है : कोई-न-कोई, मन-ही-मन, तन-मन-धन, हो-न-हो, एक-न-एक, धूप-दीप-

नैवेद्य, माँ-बाप-भाई। यदि समास द्वंद्व हो तो योजक-चिह्न ही लगाते हैं गाय-बैल, माँ-बाप, धनी-गरीब, लाल-पीला, उलटा-सीधा, हरा-भरा, रात-दिन, तथा दाल-रोटी आदि।

यदि किसी भी प्रकार का संधि हो तो सहज ही शब्द मिला दिये जाते हैं : ज़िलाधीश, भोजनोपरांत, कथनानुसार, ग्रामोद्योग, नराधम, पुरुषोत्तम, घुड़दौड़, आज्ञानुसार, हथकड़ी, जन्मांध। किंतु यदि ऐसा करने से शब्द बहुत बड़ा बन रहा हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ लोग साहित्येतिहास, महाभारतानुसार, कांग्रेसाध्यक्ष जैसे प्रयोग करते हैं, किंतु ऐसे प्रयोग हिन्दी की प्रकृति से बहुत मेल नहीं खाते। संस्कृत में तो समास-संधि से बहुत बड़े-बड़े शब्द बनाने की परंपरा रही है, किंतु हिन्दी की वियोगात्मक प्रकृति से ऐसी शब्द-रचना मेल नहीं खाती। हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप उपर्युक्त शब्दों को 'साहित्य का इतिहास' 'महाभारत के अनुसार' तथा 'कांग्रेस-अध्यक्ष' लिखना अधिक समीचीन होगा। हाँ पारिभाषिक शब्द (जो सामान्य भाषा में प्रयुक्त नहीं होते) अवश्य बड़े भी चल जाते हैं।

कुछ समस्त शब्द आपस में मिलकर पूरी तरह एक शब्द बन गए हैं तथा उनमें अपेक्षित ध्वनि-परिवर्तन भी हो गए हैं अतः उन्हें उसी रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। जैसे घुड़दौड़, घुड़सवार, पनघट, पनचक्की, इकतारा, तथा लुहार आदि। इन्हें 'घोड़ादौड़', 'घोड़ासवार', 'पानीघाट', 'पानीचक्की' 'एकतारा' तथा 'लोहार' आदि कहना-लिखना गलत है। हाँ जो अभी एकीभूत नहीं हुए हैं, उन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं। जैसे घोड़ागाड़ी, पानीदेवा, एकजान, लोहामंडी आदि।

तत्सम समस्त शब्द, संस्कृत शब्द-रचना के नियमों से नियंत्रित होते है, अतः उन्हें उसी रूप में अपनाना चाहिए जैसे मंत्रिगण (न कि मंत्रीगण), उपर्युक्त (न कि उपरोक्त), यशोगान (न कि यशगान), मनोविज्ञान (न कि मनविज्ञान), तथा पक्षिवर्ग (न कि पक्षीवर्ग) आदि। हाँ, जो शब्द हिन्दी में चल चुके हैं, उन्हें फिर से बदलने की आवश्यकता नहीं। जैसे स्त्रियोपगी (संस्कृत में शुद्ध शब्द 'स्त्र्युपयोगी' बनेगा), अंतर्कथा (शुद्ध है 'अंतःकथा'), महानतम (संस्कृत में 'महत्तम' बनेगा, पर हिन्दी में महानतम व्यक्ति या कार्य आदि के लिए आता है तो महत्तम संख्या आदि के लिए और इस प्रकार दोनों में थोड़ा अर्थ-भेद हो गया है), महानता (शुद्ध शब्द महत्ता, इन दोनों में भी अर्थ का अंतर है), अंतर्राष्ट्रीय (शुद्ध शब्द 'अंताराष्ट्रीय' है) तथा राष्ट्रीय (शुद्ध शब्द 'राष्ट्रिय' है) आदि।

'इक' प्रत्यय जोड़कर संज्ञा से विशेषण बनाते समय पहला स्वर यदि 'अ' हो तो उसे 'आ' कर देते हैं (सामाजिक, व्यावहारिक, सामरिक), यदि 'इ' 'ई' अथवा 'ए' हो तो 'ऐ' कर देते हैं (ऐतिहासिक, नैतिक, वैदिक), तथा यदि 'उ' 'ऊ', 'ओ' हो तो 'औ' (पौराणिक, भौगोलिक, लौकिक) कर देते है। ऐसा न

करना गलत है। बहुत से लोग इतिहासिक, भूगोलिक, समाजिक जैसा प्रयोग करते है, जो अशुद्ध है। हाँ 'क्रम' से 'क्रमिक' अपवाद है। इसका 'क्रामिक' नही बनता। ऐसे ही कुछ और प्रत्ययो के जोडने पर भी परिवर्तन (सौंदर्य, साहाय्य) होते है, और उनका भी ध्यान रखना चाहिए।

'६' को 'छ' और 'छह' दो प्रकार से लिखते है। पहले का प्रयोग पूर्वी क्षेत्रो मे अधिक है तो दूसरे का पश्चिमी क्षेत्रों मे। इससे क्रमवाचक शब्द बनाने मे काफी अनेकरूपताएँ हैं। मुझे हिन्दी मे छवाँ, छठवाँ, छौवाँ, छटा आदि के प्रयोग मिले है। ठीक शब्द 'छठा' है। वाजपेयी जी 'छ' को इस आधार पर अशुद्ध मानते है कि विसर्ग तद्भव शब्द मे नही लगता, किंतु ऐसी बात है नही (छि)। हाँ एक प्रश्न उठता है कि 'छह' या 'छ' का बहुवचन क्या हो। प्राय लोग 'छहों' (पश्चिमी क्षेत्र) या 'छओ' (पूर्वी क्षेत्र) लिखते हैं। मेरे विचार मे इन दोनो को ही मानक मान लेना उचित होगा, क्योकि इन दोनो के ही प्रयोग काफी लोगो द्वारा किए जाते है।

पारिभाषिक शब्दो के निर्माण मे प्रत्ययो और उपसर्गों के अतर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए दो प्रत्यय 'क' और 'आत्मक' ले। पहले का प्रयोग प्राय प्राणियो के लिए (हिंसक जतु) होता है, तो दूसरे का अन्य प्रकार की सज्ञाओ के लिए (हिंसात्मक घटना, हिंसात्मक प्रवृत्ति), ऐसे ही 'आत्मक' तथा 'परक' मे भी अतर है। 'आत्मक' का अर्थ है 'से जनित' (हिंसात्मक घटना) तथा 'वाली' (हिंसात्मक प्रवृत्ति), जबकि 'परक' का अर्थ है 'से सबधित' (अर्थपरक अध्ययन) या 'पर आधारित' (वस्तुपरक दृष्टि)। ऐसे ही 'अप' उपसर्ग का अर्थ 'बुरा' (अपशब्द) या अनुचित' (अपव्यय) है तो 'अव' का घटकर (अवमूल्यन) या 'उल्टा' (अवगुण) आदि।

शब्द निर्माण मे कभी-कभी सामान्य नियमो का उल्लघन भी करना पडता है। उदाहरण के लिए मान ले 'एकीभूत' के विलोम शब्द की आवश्यकता है तो क्या करे ? इसके लिए 'अन्-एकीभूत' का प्रयोग करना पडेगा, जो सधि हो जाने पर 'अनेकीभूत' बन जाएगा, किंतु 'अनेकीभूत' का अर्थ होगा 'जो अनेक हो गया हो,' जबकि हमे आवश्यकता है ऐसे शब्द की जो 'एकीभूत न होने' का भाव व्यक्त करे। ऐसी स्थिति मे सिवा 'अ-एकीभूत' बनाने के और कोई रास्ता नही है, यद्यपि सामान्य नियम के अनुसार 'ए' स्वर के पूर्व 'अ' न आकर 'अन्' ही आना चाहिए। ऐसे ही 'सीता + इतर' से बना 'सीतेतर' बडा शब्द नही है, अतः बनाया जा सकता है, किंतु हिन्दी मे सामान्यत व्यक्तिवाचक सज्ञाओ से जो सधि बनाई जाए, ऐसी होनी चाहिए कि नाम बिगडे नही। यहाँ 'सीतेतर' मे नाम बिगड रहा है, अत. 'सीता-इतर' कहना अधिक उपयुक्त (जैसे मानस के सीता-इतर पात्र) होगा।

ऐसे ही 'सह + अनुभूति' का यदि 'साथ-साथ होने वाली अनुभूति' के अर्थ

मे प्रयोग करना हो तो उसे 'सहानुभूति' नही बना सकते क्योंकि इससे अर्थ बदल जाएगा। ऐसी स्थिति मे इसे 'सह-अनुभूति' रखना ही अधिक उचित होगा। 'राम का बाण' और 'रामबाण' या 'उप-अध्याय' और 'उपाध्याय' भी एक नही है। इसी प्रकार हिन्दी मे 'सहअस्तित्व' को 'सहास्तित्व' अथवा 'बहुउद्देशीय' को बहूद्देशीय (इसमे 'ऊ' की दीर्घता हिन्दी के अनुकूल नही है) नही किया जाना चाहिए, सस्कृत का अधानुकरण करने वाले ऐसे प्रयोगो से बाज़ नही आते।

अत मे कुछ ऐसे शब्दो को सूचीबद्ध किया जा रहा है जो प्राय अशुद्ध लिखे जाते है। कोष्ठक के बाहर शुद्ध रूप है तथा कोष्ठक के भीतर अशुद्ध रूप . जल्दबाजी (जल्दीबाज़ी), कालेवाला (काला वाला), अच्छेवाला (अच्छा वाला), वाद-विवाद (वादाविवाद), सिरदर्द (सिरदर्दी), आवश्यक (आवश्यकीय), बदरीनाथ (बद्रीनाथ), निरपराध (निरपराधी), ग्रस्त (ग्रसित), सपृक्त (सर्पकित), व्यवहृत (व्यवहारित), महत्त्व (महत्व), तत्त्व (तत्व), उज्ज्वल (उज्वल), सन्यासी (सन्यासी)। यो अशुद्ध होते हुए भी सृजन (शुद्ध रूप सर्जन है), अनुवादित (शुद्ध अनूदित), क्रोधित (शुद्ध क्रुद्ध), अनुमानित शुद्ध अनुमित), स्त्रियोपयोगी (शुद्ध स्त्र्योपयोगी), निर्दयी (शुद्ध निर्दय), अमानुषिक (शुद्ध अमानुष) आदि बहुत-से शब्द हिन्दी मे खूब चल गए है, अत उन्हे निकाला नही जा सकता।

17

सहप्रयोग

'सहप्रयोग' मेरा अपना बनाया हुआ शब्द है। हर भाषा मे सभी शब्दो का प्रयोग सभी शब्दो के साथ नही होता, अर्थात् कुछ शब्दो के साथ तो कुछ शब्दो का प्रयोग होता है, किंतु अन्य शब्दो के साथ उनका प्रयोग नही होता। उदाहरण के लिए 'खाना' सज्ञा का सहप्रयोग 'खाना' क्रिया के साथ (खाना खाना) होता है तो 'भोजन' का सहप्रयोग 'करना' (भोजन करना) के साथ। 'खाना करना' और 'भोजन खाना' प्रयोग हिंदी मे नही होता, अर्थात् इनका सहप्रयोग नही है। अच्छी भाषा के लिए शब्दो के सहप्रयोग का ध्यान रखना भी आवश्यक है। सहप्रयोग का उल्लघन काव्यभाषा[1] तो कर सकती है, किंतु सामान्य मानक भाषा नही। यहा हिंदी के कुछ सहप्रयोगो को उदाहृत किया जा रहा है—

(1) **उपसर्ग**—तत्सम शब्दो के साथ 'नही' अर्थ मे स्वर के पूर्व 'अन' (अनेक, अनास्था) आता है तो व्यजन के पूर्व अ (असमर्थ, अज्ञात), किंतु तद्भव शब्दो मे व्यजन के पूर्व 'अन' भी आ सकता है अनगिनत, अनजान, अनहोनी, अनदेखी, ऐसे ही **स** (अच्छे अर्थ)—पूत, **क** (बुरे अर्थ मे)—पूत किंतु सुपुत्र, कुपुत्र आदि।

(2) **प्रत्यय**—'पन' तद्भव के साथ (बचपन, ढीलापन), तो 'ता' केवल तत्सम के साथ (सुदरता, नीरसता, एकता)।

(3) **सज्ञा-क्रिया—मूल्य**—आँकना, किंतु 'नापना' या 'तौलना' नही, **धन्यवाद**—'देना', 'करना' (कम मानक), **आभार**—व्यक्त करना, किंतु 'देना' या 'करना' नही, **शुक्रिया**—अदा करना, 'देना' या 'करना' नही, **चित्र**—बनाना, अकित करना किंतु 'निर्माण करना', 'गढना' नही; **कार, टैक्सी आदि**—चलाना, 'हाँकना' नही, ताँगा, इक्का, बैलगाडी—चलाना, हाँकना, **परिभाषा**—देना, करना (कम मानक), **सूली**—पर चढना, चढाना, **सलीब**—पर टाँगना,

1 **विस्तार के लिए देखिए प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की दूसरी पुस्तक 'शैलीविज्ञान' का 'विचलन' शीर्षक अध्याय।**

फाँसी—पर लटकाना (फाँसी पर चढाना नही, फाँसी के तख्ते पर चढाना), **भाँग**—छानना, पीना (कम मुहावरेदार), शराब—पीना, 'छानना' नही 'चढाना' भी नही, किंतु केवल **चढ़ाना** (जैसे—लगता है कि आज उसने कुछ ज्यादा ही चढा ली है), **बोतल**—चढाना, 'पीना' या 'छानना' नही; **तकलीफ**—उठाना, झेलना, सहना, बर्दाश्त करना, **कष्ट**—भोगना, झेलना, सहना, उठाना, **असुविधा**—होना, खाना-खाना, 'लेना' या 'करना' नही, **भोजन**—करना, 'लेना' या 'खाना' नही, **जलपान**—करना, 'खाना', **नाश्ता**—करना, 'खाना' नही, अँग्रेजी प्रभाव से कुछ लोग लेना भी बोल जाते हैं, किंतु यह मानक नही है, **गौर**—करना, होना, **दिखाई**—पडना, देना, **सुनाई**—पडना, देना, **घिग्घी**—बँधना, थप्पड से—मुँह लाल करना, **बेंत से**—चमडी उधेडना, लाठी-डडा से—हड्डी-पसली एक करना, घूँसा **मुक्का से**—कचूमर निकालना, भुर्ता बनाना, केवल 'मार' के साथ भी, **प्रतीक्षा**—करना, होना, 'देखना' नही, **कविता**—कहना, पढना, सुनाना, 'बोलना' नही, पजाबी लोग 'कविता बोलना' कहते हैं जो अशुद्ध है, **प्रश्न**—पूछना, करना, 'बोलना' नही, मच्छर—काटना 'लडना' नही।

(4) **विशेषण-सज्ञा**—दर्शनी (हुडी), गँदला (पानी), बनैला (सुअर), झीना (कपडा, परदा, वस्त्र), टूटा-फूटा, ध्वस्त (किला, 'फूटा' नही), प्रति (दिन), हर (रोज), रँगारग (कार्यक्रम), भावभीनी (विदाई, श्रद्धाजलि)।

(5) **शब्द**—किस शब्द के पहले अजायब (घर, खाना), साँठ (गाँठ), आस (पास), ऐरा (ग़ैरा), टीम (टाम) आदि। किस शब्द के बाद धाम (काम), सुलफ (सौदा), बक्काल (बनिया), मेख (मीन), मुबाहिसा (वहम), गलौज (गाली), टाम (टीम) आदि। समासो मे प्राय तत्सम के साथ तत्सम (अश्वारोही, राजमत्री), तद्भव के साथ तद्भव (घुडदौड, पनचक्की), विदेशी के साथ विदेशी (जेब खर्च, आरामकुर्सी, मकान मालिक) का प्रयोग हिन्दी मे चलता है। हालाकि जिलाधीश दुमजिला जैसे अपवाद भी काफी है, किन्तु ये हैं अपवाद ही।

18

पुनरावृत्ति और निरर्थक शब्द

पुनरावृत्ति और निरर्थक शब्द भी भाषा के बहुत बड़े दोष हैं। पुनरावृत्ति में किसी व्याकरणिक इकाई (उपसर्ग या प्रत्यय), शब्द या अर्थ का दो बार प्रयोग (कृपया कल दर्शन देने की कृपा करें) होता है जिससे भाषा का सौन्दर्य बिगड़ता है तो निरर्थक शब्दों के प्रयोग से (वह रोज सवेरे के समय टहलने जाता है) भाषा में अपेक्षित कसाव नहीं रह जाता, वह शिथिल हो जाती है। यहाँ दोनों को अलग-अलग लिया जा रहा है।

पुनरावृत्ति—1

हिन्दी में पुनरावृत्ति मुख्यतः उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, रूप तथा अर्थ की होती है। प्रस्तुत पुस्तक के पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ उन कुछ मुख्य पुनरावृत्तियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है, जो हिन्दी में प्रायः (बोलचाल में या लेखन में) मिलती हैं।

प्रत्यय और उपसर्ग—प्रत्यय तथा उपसर्ग के स्तर पर पुनरावृत्ति शब्द-रचना तथा रूप-रचना दोनों में मिलती है। पांडित्यता, सौंदर्यता, कौशलता, सौजन्यता, पौरुषत्व, वैमनस्यता, तथा नैराश्यता जैसे शब्दों में शब्द-रचना के स्तर पर भाववाचक संज्ञा के दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है : पंडित्य→पांडित्य+ता सुंदर→सौंदर्य+ता, कुशल→कौशल+ता। यों इस प्रकार की गलती प्राचीन काल से होती आ रही है। मध्यकालीन साहित्य में 'कोमलताई' (तुलसी) तथा 'क्रूरताई' जैसे प्रयोग काफी मिलते हैं। लगता है कि यह अशुद्धि लोक-भाषा में हुई और लोकभाषा से शब्द लिए जाने के कारण वह तत्कालीन साहित्य में पहुँच गई। 'सरदर्दी' (सरदर्द काफी है) भी इसी प्रकार का शब्द है। विशेषणों में भी यह अशुद्धि मिलती है। जैसे सार्वभौमिक (सार्वभौम पर्याप्त है) हतोत्साहित (हतोत्साह काफी है) पूज्यनीय, मान्यनीय, गोप्यनीय, सौहार्द्रपूर्ण आदि। बहुवचन में प्रत्ययों की पुनरुक्ति भी कभी-कभी रूपरचना में मिलती

है कागज़+आत+ओ=कागज़ातो, ज़ेवर+आत+ओ=ज़ेवरातो, ख्यालातो। बामुहावरेदार भाषा, होना चाहिए 'मुहावरेदार भाषा'।

कभी-कभी एक अर्थ के उपसर्ग और प्रत्यय (अन्+एक+ओ=अनेको, बामुहावरेदार भाषा—होना चाहिए 'बा मुहावरा भाषा' या 'मुहावरेदार भाषा) तथा शब्द और कारक-चिह्न (दरअसल मे हकीकत मे, 'दर' का अर्थ 'मे' है, कानून को बालाए ताक पर रखकर तुमने यह सब किया है), या शब्द और प्रत्यय (सर्वोत्तम, स्वान्त सुखाय के लिए, सर्वश्रेष्ठ) के साथ-साथ प्रयोग से भी पुनरावृत्ति हो जाती है। इनमे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ तो अब हिन्दी मे प्रायः मानक मान लिए गए हैं, किंतु शेष के प्रयोग से बचना चाहिए।

शब्द और रूप—शब्दो और रूपो की पुनरावृत्ति असावधानी के कारण प्राय हो जाती है। जैसे **कृपया** आने की **कृपा** करें, **मेहरबानी** करके मेरे यहाँ तशरीफ लाने की **मेहरबानी** करें, इसका **वर्गीकरण करने** के लिए (इसके वर्गीकरण के लिए), उसका **वर्गीकरण करना** सरल नही है (उसका वर्गीकरण सरल नही है), हम **लोगों** मे जो **लोग** गरीब हैं (दूसरा 'लोग' अनावश्यक है), इसका **सरलीकरण करो** (इसे सरल करो), इसका स्पष्टी**करण करने** के लिए आपको वहाँ जाना पडेगा (इसमे 'करने' निरर्थक है), वह गा तो नही सकता, **गा-बजा** भी नही सकता, मुझे **केवल** दो रुपये **मात्र** चाहिए, वह हत्यारे को **मृत्युदड** की **सज़ा** मिली ('मौत की सज़ा' या मृत्युदड' होना चाहिए), मैं रोज़ प्रात **काल** के **समय** टहलने जाता हूँ, इसमे **केवल** पुरुष **ही** जा सकते हैं, सूर्य उदया**चल पर्वत** पर उदित होता है और अस्ता**चल पर्वत** पर अस्त होता है (दोनो पर्वत अनावश्यक हैं, क्योकि 'अचल' का अर्थ पर्वत है), **कृपया** आने का **अनुग्रह** करे, **अपनी स्वेच्छा** से, देवनागरी **लिपि** मे **लिप्यतरण** कीजिए (देवनागरी मे लिप्यतरण कीजिए), दो वर्गों मे **वर्गीकृत कीजिए**, **तुम्ही** ने **ही** वह पुस्तक चुराई है (या तो 'तुमने ही' या 'तुम्ही ने') कृपया करके ('कृपा करके' या 'कृपया'), आई०टी० ओ० आफिस' जा रहा हूँ (ओ०=आफिस), तथा 'सभव हो सकता है' (सभव है) आदि।

अर्थ—अर्थ के स्तर पर तो और भी अधिक पुनरावृत्तियाँ होती है। जैसे वह **एक आँख** का **काना** है (इसमे 'एक आँख का' पुनरावृत्ति है, 'काना' कहना पर्याप्त है), उसकी **एक आँख कानी** है (यहाँ भी 'एक आँख' व्यर्थ है। ठीक होगा 'वह काना है' या वह कानी है'), तुम कुछ ठीक तो हो गए किंतु अभी लगातार **अनवरत** रूप से दवा लेने की ज़रूरत है, तू इन्ही कामो के **करने मे दक्ष** है ('तू इन्ही कामो मे दक्ष है' कहना पर्याप्त है), **कृपया** आने की **मेहरबानी** करें, वे **सज्जन व्यक्ति** हैं ('सज्जन' पर्याप्त है। 'व्यक्ति' और 'जन' (सत्+जन (समानार्थी है), ऐसे ही **सज्जन पुरुष**, **सज्जन आदमी** मे भी, दुर्घटना मे घायल **बेहाल दशा** मे पडे थे, लगभग एक लाख के **जुलूस** ने **प्रदर्शन** किया

(लगभग एक लाख ने 'जुलूस निकाला' या 'प्रदर्शन किया'), **मादा कोकिला** का कठ मधुर नही होता, अपितु **नर कोकिल** का होता है, **नर मयूर** सुदर होता है, **मादा मयूरी** नही; **नर शेर** और **मादा शेरनी**, दोनो ही वहाँ देखे जा सकते है, वैसा **बेजोड** व्यक्ति जिसकी **बराबरी कोई नहीं कर सकता**, तुम्हे मुश्किल से मिलेगा, **आपका भवदीय** (पत्र के अत मे), मेरा काम तो नही होगा **परतु फिर भी** मैं आ जाऊँगा, मैंने उसे बुलाने को कहा था, **किंतु फिर** भी वह आया नही; **अपना आत्म-सम्मान** सभी को प्यारा होता है, कल होलिकोत्सव **समारोह** है, **जाने** कितने **बेशुमार** लोग वहाँ खडे है, **जाने कितनी बेशुमार** कीडियाँ उस पानी मे हैं, आज पुरानी **मर्यादा** की **सीमा** टूट चुकी है, बाढ का **भय** और **डर** बना हुआ है, मलेरिया के **डर** और **खतरे** से वे लोग चले गए हैं, उनके **बाहुबल** और **शक्ति** का क्या कहना, उनमे **शक्ति-बल** भी है और बुद्धिबल भी अब बुढापा आया, कुछ **चाहने** की **इच्छा** नही है, इस विश्व मे आए सभी, काल-**चक्र** के **पहिए** के नीचे पिस गए, तुमने **सोती नींद** से जगा दिया, मैं **गुनगुना नीमगरम** पानी पीऊँगा, वह **अत्यंत सुदर** और **बहुत खूबसूरत** है, यह घटना **अत्यत विस्मयकारी** और **परम आश्चर्यजनक** है। आपकी कविता बहुत **सरस** और **रसीली** है, आपके इस कार्य का **लक्ष्य** और **उद्देश्य** क्या है ? **आजीवन भर**, **आजीवन पर्यंत**, वह **सदैव ही** बीमार रहता है, **केवल** चाय **ही** लो, तुम **यहीं ही** रहना, यास्कादि **प्रभृति** आचार्यों ने, वसतोत्सव के **समारोह** मे, तथा **समस्त** **प्राणिमात्र** आदि, **'कालातर मे'** का प्रयोग यो तो खूब होने लगा है, किंतु वस्तुत 'कालातर' पर्याप्त है, इसमे 'मे' अनावश्यक है। 'कालातर' का अर्थ है 'काल के अतर से' या 'बाद मे'।

बहुवचन के चिह्नो की पुनरावृत्ति—हिन्दी मे कुछ प्रकार के वाक्यो मे तो क्रिया मे बहुवचन के चिह्न दो बार या तीन बार आते है, और वाक्य अशुद्ध नही होता, जैसे—'लडके जा रहे है।' यहाँ 'रहे' और 'है' दोनो ही बहुवचन है, इनमे क्रमश 'ए' तथा 'अनुनासिकता' बहुवचन के चिह्न हैं। ऐसे ही—'उनका काम बनता जा रहा है।' का बहु० 'उनके काम बनते जा रहे है।' यहाँ क्रिया मे बहुवचन के चार रूप आए है। किंतु सर्वत्र ऐसा नही होता। उदाहरण के लिए 'लडकी गई' का बहुवचन होगा 'लडकियाँ गईं' किंतु 'लडकी गई थी' का बहुवचन 'लडकियाँ गईं थीं' नही होगा। यहाँ दो बार बहुवचन के चिह्न नही आ सकते। शुद्ध होगा—'लडकियाँ गई थीं' अर्थात् केवल 'थीं' बहुवचन होगा, 'गईं' नही। ऐसे ही 'वे लोग आईं है।' या 'वे लोग आईं थी।' अशुद्ध है, शुद्ध होगा—'वे लोग आई है' तथा 'वे लोग आई थीं।' वस्तुत यह अतर पुल्लिग स्त्रीलिंग का है। पुल्लिग मे अधिक बहुवचन चिह्न आ सकते हैं, किंतु स्त्रीलिंग मे नही—कपडा बुनता जा रहा है—कपडे बनते जा रहे हैं। किंतु कमीज़ बनती जा रही है—कमीजें बनती जा रही है।' ऐसे ही 'लडका गया था।'—'लडके गए थे।'

किंतु 'लडकी गई थी।'—'लडकियाँ गई थी।' लडकियाँ गईं थी अशुद्ध होगा।

अपवाद

ऊपर करण-युक्त शब्दो के साथ 'कर' धातु के रूपो का आना पुनरावृत्ति, अत दोप माना गया है (इसका वर्गीकरण करने के लिए—इसके वर्गीकरण के लिए), किंतु इसका आशय यह नही कि करण-युक्त शब्दो के वाद 'कर' धातु के रूप कभी आ ही नही सकते। आ सकते हैं किंतु वहाँ नही, जहाँ अनावश्यक हैं। उदाहरण के लिए निम्नाकित वाक्य मे 'कर' के रूपो को निकाला नही जा सकता—'निम्नाकित सामग्री का वर्गीकरण कीजिए।' यो तो इसे यो भी कहा जा सकता है कि 'निम्नाकित सामग्री को वर्गों मे वाँटिए' और यह कहना भी ठीक है, किंतु 'वर्गीकरण कीजिए' अब इतना चल पडा है, कि उसे अमानक ठहराना कठिन है।

ऐसे ही वल देने के लिए भी कभी-कभी पुनरावृत्ति करनी पडती है। जैसे 'वे कल वापस लौट रहे हैं।' यहाँ 'लौटने' मे 'वापस' का भाव है, फिर भी 'लौटने' का प्रयोग करते हैं, और यह अशुद्ध नही माना जाता। मूलत यह अभिव्यक्ति अँग्रेज़ी He is returning back का अनुवाद है, किंतु हिन्दी मे इतनी चल पडी है, कि इसे निकाला नही जा सकता। पत की एक प्रसिद्ध पक्ति है 'मानव तुम सवसे सुदरतम।' इसमे 'सवसे और 'तम' मे पुनरावृत्ति है, किंतु यहाँ यह वल के लिए है, अत दोष न होकर शैलीय गुण माना जाएगा। नेहरूजी ने ऐसे ही एक स्थान पर most importantest का प्रयोग किया, जैसे हिन्दी मे 'सवसे महत्त्वपूर्णतम' कहा जाएगा।

पुनरावृत्ति—2

भापा मे एक दूसरे प्रकार की भी पुनरावृत्ति मिलती है, जो 'पुनरावृत्ति—1' से भिन्न होती है। इसमे पुन प्रयुक्त शब्द व्यर्थ या निरर्थक नही होता, किंतु एक ही वाक्य मे उसका दो वार आना खटकता है, अत अपनी भापा को आकर्षक वनाने के लिए उससे वचना चाहिए। ऐसी पुनरावृत्तियो के कुछ उदाहरण (हिन्दी पुस्तको और लेखो आदि से) दिए जा रहे हैं पहले पुनरावृत्ति-युक्त रचना है, फिर पुनरावृत्ति-रहित **न्याय** का **अतर्न्यायालय** (International court of Justice)—अतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मैं उनसे फैसला **करने के लिए** वात **करने के लिए** गया था—मैं उनसे फैसला करने के लिए वात करने गया था, पाकिस्तान को भारत के वरावर शक्तिशाली वनाने **के लिए**, हथियार देने **के**

लिए अमरीका ने समझौता किया—पाकिस्तान को भारत के बरावर शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से हथियार देने के लिए अमरीका ने समझौता किया, राम **को** मोहन **को** समझाना चाहिए—राम को चाहिए कि मोहन को समझाए (यहाँ कोई भी 'को' हटाना सभव नही था, अत उन्हे दूर-दूर करके वाक्य के पुनरावृत्तिक प्रभाव को कम किया जा सकता है), जो **व्यापारी व्यापारी**-सघ से सबद्ध थे—जिन व्यापारियो का संबध व्यापारिक सघ से था (यहाँ भी वही पद्धति अपनानी पडी है), निश्चित **रूप** से यह **रूप** अस्थायी है—निश्चितत यह रूप अस्थायी है, पिछले वर्षों के **बीच**, भारत और पाकिस्तान के **बीच** सबध सुधरे हैं—पिछले वर्षों मे भारत और पाकिस्तान के सवध सुधरे है, इस **प्रकार** वह कई **प्रकार** के बहाने बनाने लगा—इस प्रकार वह कई तरह के बहाने बनाने लगा, यही **वजह** है जिस **वजह** से वे बीमार रहते है—इसी वजह से वे बीमार रहते हैं, मई के **लिखे** पत्रो मे **लिखा है**—मई के पत्रो मे लिखा है, यह **जीवित जीव** (living organism) है—यह जीवित प्राणी है, अकालग्रस्त लोगो की सहायता **के लिए** धन एकत्र करने **के लिए**—अकालग्रस्त लोगो के सहायतार्थ धन एकत्र करने के लिए—अकालग्रस्त लोगो के वास्ते धन एकत्र करने के लिए, आदि।

निरर्थक शब्दादि

आगे व्यर्थ मे प्रयुक्त शब्दादि के उदाहरण हैं। ऐसे प्रयोगों को मोटे टाइप मे दिया गया है। जिनका निरर्थकता स्पष्ट है, अत उनके बारे मे कुछ कहा नही जा रहा है **सारे** विश्व **भर** मे (दोनो मे एक ही आवश्यक है), **यौवनावस्था** मे ('यौवन मे' अथवा 'युवावस्था मे', 'यौवन का अर्थ ही है 'युवावस्था'), उस वस्तु **को** उठाइए (वह वस्तु उठाइए), वे **एक** अच्छे आदमी है (अग्रेजी a good man का प्रभाव), यहाँ **निखालिस** दूध बिकता है; वह असमय **मे** मर गया, इन दोनो के सबध **को** स्पष्ट करो, सवेरे के **समय** सोना बुरा है, अपने घर **को** जाइए, क्या **बे**फ़जूल के काम करते रहते हो ?, इस पर **सम**ुचित रूप से ध्यान दो ('उचित' पर्याप्त है, 'सम' की क्या आवश्यकता ?); यह **गुप्त** रहस्य है, अब वे **पीछे लौट** रहे है, वे कुर्सी से **ऊपर** उठे, इसका **उत्तर**दायित्व आप पर है, इस पर उन्होने आपत्ति **प्रकट** की, हिन्दी समिति के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, उस कृति मे गरीबो का सुदर **चित्रण उपस्थित** किया गया है, इसकी सारी व्यवस्था अब आप पर निर्भर **करती** है, मैं वह नही मानता जो **कि** आप मानते हैं, उनका और हमारा वह सबध नही है जो **कि** दुनिया मानती है, वहाँ **घोर** निराशा**वाद** है, तुम जा रहे हो, **अत** जाओ, वे **अपने** कपडे बदल रहे हैं, उसकी आवाज़ मुझे **कानो में** सुनाई पडी; वहाँ प्रति व्यक्ति **के लिए** दो सौ

खर्च पड़ेगा, ज़रा आप अपने मन मे सोचें तो।

निरर्थक शब्दो के सबध मे कभी-कभी मतभेद की भी गुजाइश हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ लोग 'अपनी प्राचीन परपराओ का अनुसरण करो' जैसे वाक्यो मे 'परपरा' के साथ 'प्राचीन' या 'पुराना' शब्द अनावश्यक मानते हैं। मेरे विचार मे ऐसा नही है। 'परपरा' प्राचीन भी हो सकती है, नवीन भी। ऐसी स्थिति मे 'प्राचीन परपरा मे 'प्राचीन' शब्द अनावश्यक नही कहा जा सकता।

19

शब्द-चयन

अच्छी भाषा के लिए सटीक शब्दो का चयन बहुत आवश्यक है। यदि वक्ता या लेखक ऐसा न कर सके तो या तो भाषा अशुद्ध हो जाती है, या उसकी ठीक बात श्रोता या पाठक तक नही पहुँच पाती। उदाहरण के लिए प्राय लोग कहते है 'मैं निश्चय रूप से कुछ नही कह सकता।' ध्यान देने योग्य है कि 'निश्चय' सज्ञा है, जबकि यहाँ 'रूप' सज्ञा के पहले विशेषण आना चाहिए। अर्थात् इस वाक्य मे 'निश्चय' के स्थान पर 'निश्चित' का प्रयोग होना चाहिए मैं निश्चित रूप से कुछ नही कह सकता। इस तरह 'निश्चय रूप' वाला वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। ऐसे ही मान ले आपसे किसी ने पूछा, 'आपके पिता जी क्या कर रहे है ?' आपने कहा 'लेटे हैं।' किंतु वस्तुत वे 'लेटे' नही 'सोए' है। वहाँ आपने 'लेटना-सोना' मे ठीक चयन नही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आप जो कहना चाहते थे, गलत शब्द-चयन के कारण नही कह पाए, और कुछ और ही कह गए, जो आप वस्तुत नहीं कहना चाहते थे। यहाँ उदाहरण के रूप मे कुछ ऐसे शब्द लिए जा रहे है, जो प्राय समान लगते है, और जिनके प्रयोग मे चयन की गलती प्राय लोग कर जाते हैं।

अतिम, आखिरी, पिछला—'अतिम' या 'आखिरी' तो वह है जो अत या आखिर मे हो तथा फिर न हो। जैसे 'श्री सुमित्रानदन पत अतिम बार 1977 मे दिल्ली आए थे।' या 'नेहरू जी अतिम बार······मे इलाहाबाद गए थे।' 'अतिम एव 'आखिरी' मे शैलीय भेद ही है। पिछला मे अत या आखिर की कोई बात नही होती, आगे फिर उसकी सभावना हो सकती है 'पिछली बार मैं लखनऊ गया था तो कुर्ते लाया था, अगली बार जाऊँगा तो चिकन की साडी लाऊँगा।'

अनबन, खटपट—पहले का प्रयोग ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए होता है, जब दो (व्यक्ति या वर्ग) मे बनती न हो। जिनमे अनबन होती है वे प्राय एक-दूसरे से अलग रहते है, बोलते-चालते नही या सपर्क नही रखते। इसके विपरीत खटपट का प्रयोग यह व्यक्त करने के लिए होता है कि दोनो मे

मपर्क या वोलचाल है, किंतु थोडा-वहुत झगडा है, पटती नही। इम तरह झगडा खटपट से आगे की चीज़ है।

अस्त्र-शस्त्र—अम्त्र उन हथियारो को कहते है जिन्हे फेंककर (जैसे हथगोला), या चलाकर (जैसे वाण, वदूक) मारते हैं, किंतु शस्त्र उन्हें कहते हैं जिन्हे हाथ मे पकडे हुए (जैसे तलवार) मारते हैं।

अस्थिर, अस्थायी—जो एक स्थान पर टिके नही वह अस्थिर है, तथा जो सदा न रहे वह अम्थायी है। उदाहरण के लिए 'वह वडा ही अस्थिर आदमी है,' किंतु 'मेरी नौकरी अभी तो अम्थायी है, हाँ अगले वर्प स्थायी हो जाने की पूरी मभावना है।'

अपराध, जुर्म, पाप, दुष्कर्म—कानून तोडकर जो किया जाए वह अपराध या जुर्म है। धार्मिक या मामाजिक मान्यताओ की दृष्टि से अकरणीय कार्य करना पाप है। अपराध या जुर्म का दड शासन देता है। ऐसी मान्यता है कि पाप का दड भगवान देता है। 'पाप' की परिभापा विभिन्न धर्मों, सप्रदायो तथा कालो मे अलग-अलग रही है, किंतु अपराध या जुर्म की परिभापा, अपवादो को छोडकर प्राय अतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही है। दुष्कर्म मे कुछ अपराध, तथा पाप-पुण्य मे आम्था रखने वालो के लिए कुछ पाप, दोनो ही आते है, किंतु सभी नही। उदाहरण के लिए झूठ वोलना पाप है तथा भारत मे कुछ क्षेत्रो मे आजकल पेड काटना अपराध है, किंतु इन दोनो को ही दुष्कर्म नही कहा जा सकता।

अमूल्य, वहुमूल्य, वेशकीमत—'अमूल्य' का अर्थ है जिसे किसी भी मूल्य पर प्राप्त न किया जा सके। उदाहरण के लिए गाधी जी की अमूल्य सेवाओ को भारत कभी नही भूल सकता। 'वहुमूल्य' का अर्थ है जिसका मूल्य वहुत अधिक हो।' जैमे 'वहुमूल्य हार'। 'वहुमूल्य' तथा 'वेशकीमत' मे अर्थ का भेद नही है। इनमे मात्र शैलीय भेद है।

आत्मीय, आत्मिक—'आत्मीय' का अर्थ है जो अपना हो 'वे मेरे आत्मीय हैं।' किंतु 'आत्मिक' का अर्थ है 'आत्मा का' इस कार्य मे मुझे आत्मिक आनद की प्राप्ति होती है।

आहट, टोह—दोनो ही शव्दो का प्रयोग 'लेना' क्रिया के साथ प्राय होता है किंतु 'टोह लेना' का प्रयोग खुद आगे वढकर कुछ जानने के लिए होता है, जवकि 'आहट लेना' के प्रयोग के लिए खुद जाना या आगे वढना आवश्यक नही है।

इजाज़त, अनुमति, हुक्म, आज्ञा, आदेश—कोई व्यक्ति कुछ कहना, करना या कही जाना चाहता है तो इजाज़त या अनुमति लेता है। यह अपने मे वडे (पद, अधिकार) से ली जाती है, और वडा इजाज़त या अनुमति देता है। दूसरे देश मे या दूसरे के क्षेत्र मे प्रवेश के लिए भी अनुमति या इजाज़त लेते हैं। इसके

विपरीत बडा (पद, अधिकार, उम्र) अपने छोटे को किसी काम के लिए हुक्म या आज्ञा देता है अथवा छोटा बडे से कुछ करने आदि के लिए आज्ञा माँगता या लेता है, (किंतु हुक्म नही)। आदेश बडा अधिकारी या अपने से उम्र आदि मे बडा अपने से छोटे को देता है। आज्ञा माँगते है तो वह अनुमति के निकट आ जाती है और आज्ञा देते हैं तो वह आदेश का लगभग पर्याय हो जाती है यो आज्ञा या हुक्म देने मे कुछ करने, कहने या कही जाने के लिए बडे से छोटे की ओर दबाव होता है, अनुमति मे दबाव नही होता। कोई चाहे तो कर ले। 'आदेश' का प्रयोग प्रशासनिक भाषा मे प्राय अधिक होना है।

कारण, वजह—दोनो अर्थ की दृष्टि से एकार्थी है, किंतु प्रयोग मे थोडा अन्तर है। 'इसका कारण क्या है?' 'इसकी वजह क्या है?' दोनो प्रयोग ठीक है। किंतु 'आप किस कारण आए' प्रयोग कभी-कभी सुनाई पड जाता है, परन्तु 'आप किस वजह आए' प्रयोग नही मिलता। 'वजह' के बाद ऐसी रचना मे 'से' का आना आवश्यक है पर कारण के बाद 'से' आता भी है और नही भी आता। इन दोनो मे न आने का अनुपात कदाचित् अधिक है। यो 'किस कारण' के स्थान पर 'किस लिए' का प्रयोग अधिक चलता है।

कुछ, कोई—ये दोनो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 'कुछ' प्राय वस्तुओ (खाने को कुछ दो) तथा मानवेतर जीवो (इस झाडी मे कुछ बोल रहा है) के लिए आता है तथा 'कोई' मानव (कोई आया था, तुम्हे पूछ रहा था) के लिए। ये दोनो सर्वनाम, विशेषण के रूप मे भी आते हैं, और तब 'कुछ' मानव (कुछ लोग आए हैं) तथा वस्तु (बनारस से कुछ साडियाँ मँगानी हैं।) दोनो के पूर्व आता है। ऐसे ही 'कोई' भी मानव तथा वस्तु दोनो (कोई आदमी भेज दो, कोई चीज़ मेरे लायक है क्या?) के लिए आता है। 'कुछ' और 'कोई' मे एक बहुत स्पष्ट अतर है, जिसका ध्यान न रखने पर हमारी अभिव्यक्ति प्राय गलत हो जाती है। 'कुछ' अस्तित्वबोधक शब्द है तुम कुछ नही जानते।, तुम्हारे इस कहने का कुछ भी अर्थ नही है। इसके विपरीत 'कोई' महत्वबोधक शब्द है मैं कोई नही, मुझे क्यो निमत्रित करोगे? यदि यह कहा जाए कि 'मैं कुछ नही, मुझे क्यो निमन्त्रित करोगे?' तो इसका अर्थ होगा कि सगे-सबधी, दोस्त-मित्र को निमत्रित करते हैं किंतु मेरा अस्तित्व इनमे से किसी के भी रूप मे नही है, अत मुझे क्यो निमन्त्रित करोगे? इसी अतर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'इसका कोई अर्थ नही' जैसे वाक्य ठीक नही है। होना चाहिए 'इसका कुछ अर्थ नही।' हाँ यदि 'अर्थ या मायने' की दृष्टि से न कहा जाकर महत्व के लिए कहा जा रहा है कि अमुक स्थिति मे ऐमा करने का कोई महत्व नही, तो फिर 'कोई' का प्रयोग ही उचित है। 'वह भी कोई आदमी है' मे भी उसी महत्व की बात है। 'कोई' और 'कुछ' मे एक और भी महत्वपूर्ण अतर है। 'कुछ' मे नि(अश्चित) संख्याद्योतकता (कुछ आदमी आए हैं) तथा अनिश्चित परिमाण-

द्योतकता (कुछ दूध गिर गया, कुछ मैं पी गया, अब तो नहीं है) है, जबकि 'कोई' में केवल अनिश्चयद्योतकता (कोई आदमी आया है) है।

कृश, दुर्बल, निर्बल, कमजोर, दुबला, सींकिया—'कृश' उसे कहते हैं, जो मोटा न हो। 'दुर्बल' का अर्थ है जिसमें 'बल' रहा हो किंतु कम हो गया हो। इसी आधार पर 'स्वस्थ' आदमी जब दुबला हो जाय तो कहते हैं 'तुम दुर्बल हो गए हो।' 'निर्बल' का प्रयोग शारीरिक दृष्टि से न होकर 'मन', 'इरादा' आदि की दृष्टि से कमजोर के लिए होता है। 'कमजोर' शारीरिक शक्ति या मानसिक शक्ति दोनों ही के अभाव के लिए आता है। 'दुबला' का मूल अर्थ 'घटे बल का' है, किंतु अब इस शब्द का प्रयोग उसके लिए होता है जिसके शरीर का मांस घट गया हो। 'सींकिया' उसे कहते है जो प्रारंभ से ही बहुत दुबला-पतला सींक-जैसा हो।

क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध—'क्रोधी' और 'क्रोधित' दोनों ही शब्द 'क्रोध' के आधार पर बने हुए विशेषण हैं, किन्तु दोनों के प्रयोगों में अंतर है। 'क्रोधी' शब्द का प्रयोग किसी की आदत बतलाने के लिए किया जाता है, जबकि 'क्रोधित' का किसी विशिष्ट समय में किसी का 'गुस्से होने' के लिए। उदाहरणार्थ 'राम बहुत क्रोधी है।' 'राम बहुत क्रोधित है'। पहले में राम के स्वभाव का वर्णन है, तो दूसरे में उसकी वर्तमान मानसिक दशा का। 'क्रोधित' और 'क्रुद्ध' समानार्थी हैं।

गूंथना-गूंधना—बाल गूंथे जाते हैं, चोटी और माला गूंथी जाती है, किंतु गूंधा जाता है आटा। ध्वनि-साम्य के कारण काफी लोग एक अर्थ में दूसरे का प्रयोग गलती से कर जाते हैं।

घमंड, गर्व, अभिमान, अहंकार—घमंड निंदनीय है। व्यक्ति को घमंड अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं (स्वास्थ्य, सौंदर्य, शक्ति, धन, परिवार, संतान आदि) पर होता है, इसके विपरीत 'गर्व', 'घमंड' को अपने में समेटता हुआ, उससे कुछ अलग भी है। जैसे गर्व अच्छा भी होता है (हमें अपने देश पर गर्व है) तथा इसका आधार व्यक्तिगत विशेषताओं के अतिरिक्त सामूहिक विशेषता भी हो सकती है। इसीलिए अपने देश, अपनी संस्कृति या परम्परा आदि पर गर्व की बात की जाती है। 'अभिमान' घमंड का समानार्थी होते हुए भी कुछ-कुछ गर्व की सीमा में भी आता है—अर्थात् इसका प्रयोग अच्छे अर्थ (स्वाभिमान) में भी होता है, तथा यह वांछनीय भी होता है। 'अहंकार' में घमंड तथा अभिमान की अति है। साथ ही 'घमंड' कुछ बाह्य अधिक है तो 'अहंकार' आंतरिक और गहरा।

चिंतनीय, चिंताजनक, चिंत्य—'चिंतनीय' के दो अर्थ हैं (क) चिंतन अथवा चिंतन-मनन के योग्य। (ख) जिसके विषय में चिंतन अथवा सोच-विचार की

आवश्यकता हो। 'चिंतनीय' शब्द स्पष्ट ही 'चिंतन' से बना है, इसके विपरीत 'चिंताजनक' शब्द 'चिंता' से बना है और इसका अर्थ है 'जो चिंता उत्पन्न करे' या 'जिसे जान-सुनकर चिंता हो', इसीलिए 'उनका स्वास्थ्य चिंतनीय है' 'कहना गलत है। कहना चाहिए 'उनकी स्थिति या उनका स्वास्थ्य चिंताजनक है।' 'चिंत्य' का अर्थ है 'जो ठीक न हो', 'जिस पर और भी चिंतन-मनन की आवश्यकता हो'। जैसे 'हिन्दी मे 'मेरे को' का प्रयोग चिंत्य है।'

झूठा, जूठा—खाकर छोडी गई चीज़ जूठी होती है तथा कोई बात झूठी होती है। बहुत से लोग 'जूठा' अर्थ मे 'झूठा' या 'झूटा' का प्रयोग करते है, जो मानक हिन्दी मे मान्य नही है।

ठीक-सही—'ठीक' उचित या वाजिब के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु 'सही' गलत का उल्टा है। 'सवाल गलत है या ठीक' की तुलना मे 'सवाल गलत है या सही' अधिक अच्छा प्रयोग है।

तादाद, मिक़दार, सख्या, मात्रा—'तादाद' से सख्या का द्योतन होता है तथा मिकदार से मात्रा का। 'काफी तादात मे लोग मौजूद थे' कहना तो ठीक है, किंतु 'काफी मिकदार मे लोग मौजूद थे' कहना नही। ऐसे ही हकीम यह तो कह सकता है कि दवा की मिकदार बढा दो, किंतु यह नही कह सकता कि दवा की तादाद बढा दो। एक बार मैं एक हकीम के यहाँ बैठा हुआ था। एक मरीज़ आया और हकीम से बोला 'पेशाब की तादाद बढ गई है।' हकीम साहब बोले 'तादाद या मिकदार ?' मरीज़ की समझ मे नही आया। मरीज का प्रयोग तो ठीक नही था, किंतु हकीम का प्रश्न सार्थक था। वे जानना चाहते थे पेशाब दिन-रात मे जितनी बार होता था, उससे अधिक बार होने लगा है या एक बार मे किए जाने वाले पेशाब की मिकदार बढ गई है। 'सख्या' तथा 'मात्रा' क्रमश 'तादाद' और 'मिकदार' के समानार्थी है, तथा केवल शैलीय दृष्टि से ही अलग है।

दाता, दायक—इन दोनो का अर्थ है 'देने वाला'। किंतु पहले का प्रयोग व्यक्ति (मानव, ईश्वर) के लिए होता है तो दूसरे का 'वस्तु' आदि के लिए। सामंतीकाल मे राजा को 'अन्नदाता' कहते रहे हैं। प्रसिद्ध पंक्ति है 'हे प्रभो, आनददाता ज्ञान हमको दीजिए।' दूसरी ओर 'यह दवा बडी लाभदायक सिद्ध होगी।'

दौड़ना, भागना—'दौडना' का मुख्य अर्थ है 'तेज़ गति से चलना' मैं रोज़ प्रात दौडता हूँ। इसके स्थान पर 'मैं रोज़ प्रात भागता हूँ' कहना गलत है। इसके विपरीत 'भागना' निम्नाकित अर्थों मे आता है (क) डर आशका या शर्म आदि के कारण अपने बचाव के लिए दूर जाना वह तो मुझ से भागता फिरता है (दौडता फिरता नही), (ख) जी चुराना तुम तो हर परिश्रम के काम मे भागते हो (दौडते हो नही), उन्नति करोगे तो कैसे ? (ग) किसी को

पाने के लिए उसकी ओर जाना 'भौतिक सुखों के पीछे जितना भागोगे, वे तुमसे उतने ही दूर होते जाएँगे।' इस अर्थ में कुछ लोग 'दौड़ोगे' का प्रयोग करते हैं, किंतु ऐसा प्रयोग मानक नहीं है। कुछ वाक्यों में दोनों ही धातुएँ (दौड़, भाग) आ सकती हैं किंतु अर्थ में अंतर होता है। 'नौकर कपड़े लेकर··· ··मालिक के पास पहुँचा' वाक्य में 'भागता हुआ' के प्रयोग का अर्थ यह होगा कि उसे किसी प्रकार का भय है, किंतु 'दौड़ता हुआ' का प्रयोग करें तो अर्थ होगा 'तेज़ी से'। कुछ लोग दूसरे अर्थ में 'भागता हुआ' का प्रयोग करते हैं, किंतु वह प्रयोग शिथिल है।

निगलना, हड़पना—'निगलना' का अर्थ है 'गले के नीचे उतारना'। वैसे मुहावरेदार भाषा में कहते हैं 'यह न तो निगला जा रहा है, न उगला।' 'हड़पना' का अर्थ है बेइमानी से ले लेना या कब्ज़ा कर लेना। यों, कोई चीज़ या पैसा लेकर, देने का नाम न लेने पर भी लक्षणा से निगलना का प्रयोग करते हैं।

निश्चय, निश्चित—दोनों में अंतर स्पष्ट है। पहला संज्ञा है, दूसरा विशेषण। कभी-कभी लोग बोल जाते हैं 'अभी मैं निश्चय रूप से कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं हूँ।' ध्यान देने से स्पष्ट हो जाएगा कि होना चाहिए 'निश्चित रूप से'। 'रूप' संज्ञा के पूर्व 'निश्चित' विशेषण आएगा।

पठित, शिक्षित—पहले का अर्थ है जो पढ़ा हुआ (पुस्तक, लेख, ग्रंथ आदि) हो, किंतु दूसरे का अर्थ है, जिसने पढ़ा हो, शिक्षाप्राप्त। इसीलिए 'पठित व्यक्ति' या 'पठित समाज' जैसे प्रयोग गलत हैं। होना चाहिए 'शिक्षित व्यक्ति' 'शिक्षित समाज'।

पिछलग्गू, अनुयायी—'पिछलग्गू' तिरस्कार सूचक शब्द है। इसका प्रयोग किसी नेता, सत्ताधारी, बड़े आदमी या गुटबाज़ आदि का आँख मूँदकर साथ देने वाले के लिए होता है। 'अनुयायी' सम्मानसूचक शब्द है। किसी चिंतक, दार्शनिक, सम्मान्य नेता, धर्म, मत या संप्रदाय आदि में आस्था रखकर उसके अनुसार चलने वाला 'अनुयायी' कहलाता है।

प्राय, प्राय:, लगभग—'प्राय' तो शब्द के अंत में 'लगभग' के अर्थ में प्रत्यय की तरह जुड़ता है, और प्राय: 'क्रियाविशेषण है' 'वह मृतप्राय है' अर्थात् 'वह लगभग मृत है' तथा 'वे मेरे यहाँ प्राय: आते हैं'। बहुत से लोग इन दोनों का अंतर नहीं समझ पाने के कारण 'मृतप्राय:' 'समाप्तप्राय:' जैसे प्रयोग करते हैं, जो अशुद्ध हैं। दूसरे शब्दों में 'प्राय:' स्वतंत्र शब्द के रूप में आता है तथा शब्द के अंत में 'प्राय' आता है 'कार्य समाप्तप्राय है' भी ठीक है और 'कार्य प्राय: समाप्त है' भी, किंतु 'कार्य समाप्तप्राय: है' अशुद्ध है। प्राय: के दो अर्थ हैं अधिकतर (वे प्राय: बीमार रहते हैं) तथा 'लगभग' (वे प्राय: स्वस्थ हैं)। जबकि 'लगभग' का केवल एक अर्थ है करीब-करीब'। यहाँ मैंने 'प्राय:' का दूसरा अर्थ 'लगभग' तो कहा है किंतु किसी उपयुक्त शब्द के न

मिलने के कारण ऐसा कहना पडा है। तत्वत 'प्राय' और 'लगभग' मे कुछ अतर भी है। कुछ वाक्यो मे तो इन दोनो मे कोई भी आ सकता है (काम प्राय लगभग पूरा हो चला है, वे अब प्राय /लगभग स्वस्थ है, वहाँ अब लगभग/प्राय शाति है), किंतु कुछ वाक्यो मे 'लगभग' उपयुक्त है (दगे मे लगभग बीस व्यक्ति मारे गए, लगभग मन भर दूध चाहिए) किंतु प्राय नही। यो तो 'अधिक-तर'—वाले अर्थ की बात छोड दे तो लोग सभी सदर्भो मे 'प्राय' और 'लगभग' का पूर्ण पर्याय के रूप मे प्रयोग कर रहे है, किंतु 'सख्या' तथा 'परिमाण' के सदर्भ मे अभी तक 'प्राय' का प्रयोग पूरी तरह मानक नही हो पाया है।

बडा, बहुत, अधिक, ज्यादा, बहुत अधिक, अधिकतर, अधिकांश, ज्यादातर, अधिकाशतः—'बडे आदमी' जैसे विशेष प्रयोगो की बात छोड दे तो 'बडा' लबाई (बडा डडा, बडा साँप), लबाई-चौडाई (बडा खेत, बडा मैदान) तथा लबाई-चौडाई-ऊँचाई (बडा मकान) आदि का द्योतक है, तो 'बहुत' सख्या (बहुत आदमी हैं, बहुत दिन हुए), मात्रा या परिमाण (इस साल पानी बहुत बरसा है) आदि का। इस अतर का ध्यान कम लोग रखते हैं। कुछ लोग कहते है 'यह आदमी बडा बोलता है' किंतु होना चाहिए 'यह आदमी बहुत बोलता है'। ऐसे ही 'उनकी बडी बेइज्जती हुई' 'आज भी लोग गाधी जी का बडा सम्मान करते है' 'वह बडा धूर्त है' 'यह बडा अच्छा लेख है' 'वह बडा सुदर चित्र है' 'यह लडकी बडी भारी है' 'वे बडे अच्छे आदमी है' 'उसके पास बडा पैसा है' जैसे वाक्यो मे लोग प्रायः 'बडा' का प्रयोग करते है, किंतु इन सभी वाक्यो मे उपयुक्त शब्द 'बहुत' है, क्योकि इन सभी मे मात्रा की बात की जा रही है, लबाई-चौडाई आदि की नही।

'बहुत' मात्रा या सख्या के आधिक्य (very) को व्यक्त करता है वह बहुत धनी है, कल वहाँ बहुत-से लोग थे। 'अधिक' और 'ज्यादा' तुलनात्मक (more) हैं वह अधिक धनी है, वह ज्यादा गरीब है, कल वहाँ बहुत-से लोग थे, किंतु आज अधिक (ज्यादा) है। 'अधिक' और 'ज्यादा' मे तौलीय भेद है। 'बहुत' को और भी 'बहुत' बनाने के लिए 'बहुत अधिक' का प्रयोग करते है। जैसे 'बहुमूल्य वह है जिसका मूल्य बहुत अधिक हो'। बडा (बडी-बडी बातें) और 'बहुत' (बहुत-बहुत धन्यवाद) की पुनरुक्ति भी होती है किंतु अन्यो की नही। यो, 'से' के साथ कुछ अन्यो की पुनरुक्ति सभव है बहुत-से-बहुत, अधिक-से-अधिक, ज्यादा-से-ज्यादा। शेष की पुनरुक्ति नही होती।

'अधिकाश' (अधिक+अश) सज्ञा है तो 'अधिक' (अधिक, अधिकतर, अधिकतम) विशेषण। हिन्दी मे बहुप्रयुक्त वाक्य 'आपकी अधिकाश बाते ठीक हैं' को यदि गहराई से देखे तो यह गलत है। 'बातें' विशेष्य के पूर्व विशेषण (अधिकतर) आना चाहिए सज्ञा (अधिकाश) नही। इसीलिए इसका शुद्ध रूप होगा 'आपकी अधिकतर बातें ठीक है' या फिर 'आपकी बातो का अधिकाश

ठीक है।' 'अधिकाश लोग चले गए' भी ठीक नही है। इसे 'अधिकतर लोग चले गए' कहना चाहिए। 'ज्यादातर' भी अधिकतर का समानार्थी है अतर केवल शैली का है . प्रेमचन्द ने अपनी ज्यादातर कहानियाँ हिन्दी मे लिखी हैं। 'ज्यादा' 'अधिक' तो समानार्थी हैं ही। 'ज्यादातर' 'ज्यादा' से अधिक है तो 'अधिकतर' अधिक से। 'अधिकतर' और 'ज्यादातर' क्रियाविशेषण (वे अधिकतर यही रहते हैं, वे ज्यादातर बाहर ही रहते हैं) भी है, किंतु 'अधिकाश' नही। 'अधिकाश' का क्रियाविशेषण 'अधिकांशत' है: अधिकाशत ऐसा ही होता है, अधिकतर ऐसा ही होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है।

बनना, हो जाना—'बना' स्वेच्छा से जाता है, 'हो जाना' मे स्वेच्छा नही होती। 'भारत-विभाजन के समय हजारो हिंदू-मुसलमान बेघरबार बन गए' जैसे प्रयोग गलत हैं। वे स्वेच्छा 'बेघरबार' बने नही, हो गए। नियति ने उन्हें बना दिया।

सकल्प करना, संकल्प लेना—पहले का अर्थ है किसी काम को करने का दृढ निश्चय करना। दूसरे का प्रयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानो के सकल्प लेने के लिए होता है। इसीलिए 'हमने भारत से जातिवाद हटाने का सकल्प लिया है' कहना गलत है, ठीक है 'हमने ·· ··का सकल्प किया है।'

सरल, सुगम—पहला 'आसान' है और दूसरा 'सरलता से जाने योग्य'। इसीलिए कार्य को 'सरल' तथा 'मार्ग' को 'सुगम' कहना अच्छा प्रयोग है। यो सरल मार्ग भी चल जाता है, किन्तु 'सुगम कार्य' नही चल सकता।

होशियार, चालाक—'होशियार' का प्रयोग कुशलता व्यक्त करने के लिए होता है किन्तु 'चालाक' के प्रयोग मे धूर्तता की गंध है। कुछ लोगो के प्रयोगो मे 'होशियार' मे भी कुछ धूर्तता का भाव मिलता है, किन्तु उनके प्रयोगो मे भी 'चालाक' अपेक्षाकृत अधिक धूर्त है। सामान्यत किसी का होशियार होना अच्छा माना जाता है किन्तु चालाक होना बुरा। रोगी होशियार डाक्टर के यहाँ जाना और चालाक डाक्टर से बचना चाहता है।

20

मुहावरे

एकाधिक पदो की उस इकाई को मुहावरा कहते हैं, जिनका विशिष्ट अर्थ होता है। ये मुख्यत दो प्रकार के होते हैं। प्रथम तो वे जिनका एक तो सामान्य अर्थ होता है तथा दूसरा विशिष्ट। उदाहरण के लिए 'नौ-दो ग्यारह होना' ले। 'चार-दो छ और नौ-दो ग्यारह होते हैं।' वाक्य मे 'नौ-दो ग्यारह होना' का सामान्य अर्थ है और यह मुहावरा नही है। किंतु 'सिपाही को देखते ही चोर नौ-दो ग्यारह हो गया।' वाक्य मे 'नौ-दो ग्यारह होना' का सामान्य अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ 'भाग जाना है' और इसीलिए यहाँ यह सामान्य कथन न होकर 'मुहावरा' है। दूसरे वे मुहावरे होते हैं जिनका सामान्य अर्थ कुछ होता ही नही, केवल विशिष्ट अर्थ ही होता है। जैसे 'दिन दूना रात चौगुना बढना' उसकी उन्नति के क्या कहने ? वह तो आजकल दिन दूना रात चौगुना बढ रहा है। कुछ और उदाहरण लेना चाहे तो 'कान काटना', 'पापड बेलना', 'आग लगाना', काँटो मे घसीटना' तथा 'गला घोटना' आदि प्रथम वर्ग के है तो 'छठी का दूध याद आना', 'नाको चने चबवाना', 'कलेजा बाँसो उछलना', 'उँगलियो पर नचाना' तथा 'तिल का ताड बनाना' आदि दूसरे वर्ग के।

सामान्य अभिव्यक्ति की तुलना मे मुहावरेदार अभिव्यक्ति अधिक प्रभावशाली होती है। 'उससे हमारी नही निभ सकती, वह तो अपने को बहुत बडा समझता है' की तुलना मे 'उससे हमारी नही निभ सकती, उसका दिमाग तो सातवें आसमान पर रहता है' की प्रभावशालिता का राज यही है। यही कारण है कि कबीर, सूर, तुलसी जैसे बडे कवियो तथा प्रेमचद जैसे बडे लेखको ने मुहावरो का भरपूर प्रयोग किया है। उर्दू शायरी का बहुत बडा आकर्षण उसकी मुहावरेदानी है। निष्कर्पत अच्छी हिन्दी के लिए यह आवश्यक है कि हम सहज रूप मे अधिकाधिक मुहावरो को अपनी अभिव्यक्ति का अग बनाएँ। इस दृष्टि से निम्नाकित बातो पर ध्यान देना आवश्यक है —

(क) पहली बात तो यह है कि मुहावरो का अपनी भापा मे सहज प्रयोग करना चाहिए। जबर्दस्ती के ठूँसे हुए मुहावरो से भापा मे वह आकर्पण नही

आ पाता, जो उसके सहज प्रयोग से आता है। उदाहरण के लिए प्रेमचद ने अपने पूरे साहित्य मे मुहावरो का सहज रूप मे प्रयोग किया है, इसीलिए, मुहावरो ने उनकी अभिव्यक्ति मे चार चाँद लगा दिए है, किंतु इसके विपरीत अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने 'बोलचाल' मे मुहावरो का इतना अधिक प्रयोग कर दिया है कि अनेक स्थलो पर मुहावरो की सार्थकता समाप्त हो गई है।

(ख) दूसरी बात ध्यान मे रखने की यह है कि मुहावरे के शब्द बदले नही जा सके। उदाहरण के लिए 'पानी-पानी होना' को 'जल-जल होना' नही कहा जा सकता और न 'आँखो मे धूल झोकना, को' चक्षुओ मे धूल झोकना'। मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी रचनाओ मे कही-कही मुहावरो मे कुछ शब्दो के पर्याय रख दिए हैं, जिनसे मुहावरे का सहज सौन्दर्य नष्ट हो गया है। उदाहरण के लिए उन्होने प्रयोग किया है 'इसको ही कहते हैं उँगली पकड प्रकोष्ठ पकड लेना' स्पष्ट ही यहाँ 'पहुँचा' के स्थान पर प्रकोष्ठ का प्रयोग किया गया है। सच पूछा जाए तो मुहावरो मे प्राय तद्भव और विदेशी शब्दो का ही प्रयोग होता है, तत्सम का बहुत कम। तो, मुहावरे मे जिन शब्दो का प्रयोग है, उन्ही का करना चाहिए, न कि उनके पर्यायो का।

(ग) मुहावरो के प्रयोग मे अर्थ की दृष्टि से सावधान रहना चाहिए। कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो सामान्यत देखने मे समानार्थी लगते हैं, किंतु वस्तुत ऐसा नही होता। उदाहरण के लिए 'सोने में सुगध होना' तथा 'सोने मे सुहागा होना' का प्रयोग बहुत से लोग एक अर्थ मे करते हैं, किंतु वस्तुत दोनो मे अतर है। ऐसे ही 'सर पर पैर रखकर भागना'—'नौ दो ग्यारह होना' 'घडो पानी पडना'—'चुल्लू भर पानी मे डूब मरना', 'जान के लाले पडना'—'जान हथेली पर रखना' तथा 'दूर की कौडी लाना'—'दूर की हाँकना' एक नही हैं।

21

विराम-चिह्न

लिखित भाषा अपने कथ्य को तभी पूरी सफलता से व्यक्त कर सकती है, जब उसमे विराम-चिह्नो का समुचित प्रयोग हो ।

'विराम' का अर्थ है 'रुकना'। जो चिह्न बोलते या पढते समय रुकने का वस्तुत सकेत देते हैं, उन्हे विराम-चिह्न कहते हैं। विराम-चिह्नो मे अब अनेक चिह्न सम्मिलित कर लिए गए हैं, और सभी का काम रुकने का सकेत देना ही नही है, किन्तु प्रारम्भ के विराम-चिह्न रुकने का ही सकेत देते थे, तथा आज भी प्रमुख विराम-चिह्न रुकने या विराम का ही सकेत देते हैं इसीलिए इन्हे विराम-चिह्न कहा जाता है ।

विराम-चिह्नो की उपयोगिता अर्थद्योतन, उच्चारण, व्याकरणिक कार्य आदि कई दृष्टियो से है

(1) **अर्थ का स्पष्टीकरण**—कभी-कभी विराम-चिह्न के बिना अर्थ स्पष्ट नही होता। उदाहरण के लिए 'जाओ मत बैठो' बिना किसी विराम-चिह्न के निरर्थक है। यदि विराम 'जाओ' के बाद लगाएँ तो यह होगा 'जाओ, मत बैठो', और यदि 'मत' के बाद दें तो यह होगा 'जाओ मत, बैठो', और तब दूसरा अर्थ ठीक उलटा हो जाएगा। इसी प्रकार एक दृष्टि से 'राम गया' का निश्चित अर्थ लेना कठिन है। विराम-चिह्न के बाद इसके तीन अर्थ अलग-अलग अर्थ हो जाएँगे, (क) **राम गया ?**—क्या राम चला गया ? (ख) **राम गया !**—अरे आश्चर्य है, राम चला गया ! (ग) राम गया। यह सामान्य सूचना देने वाला वाक्य है। ऐसे ही 'सुन्दर पुस्तकें और कापियाँ' मे 'सुन्दर' दोनो सज्ञाओ का विशेषण है, किंतु 'सुन्दर पुस्तकें, और कापियाँ' मे 'सुन्दर' केवल 'पुस्तके' का विश्लेषण है। इस प्रकार विराम-चिह्न अर्थ-भेदक होते हैं।

(2) **साँस लेना**—पढने मे साँस लेने के लिए हमे रुकना पडता है। मुख्यत. लम्बे वाक्यो मे यह वहुत आवश्यक है। पूर्णविराम, अर्धविराम, अल्पविराम प्राय रुकने के लिए या साँस लेने के लिए सकेत का कार्य करते हैं। आगे विराम-विवेचन के अनेक उदाहरणो मे यह वात मिलेगी ।

(3) सरचना अवयव-सकेत—पैराग्राफ के मुख्य अवयवो का भी पता विराम-चिह्नो मे चलता है। उदाहरण के लिए पैराग्राफ के वाक्य पूर्णविराम मे अलगाए रहते हैं। इसी प्रकार वाक्य के उपवाक्य (प्रधान और आश्रित) भी प्राय अल्पविराम मे अलग किए जाते हैं।

(4) सामासिक पद-सकेत—योजक-चिह्न सामासिक पदत्व को सूचित करते है, अर्थात् योजक शब्द के स्थान पर आते हैं दुख-सुख=दुख और सुख। यहाँ योजक-चिह्न और 'के स्थान' पर आया है। 'घोडा गाडी' तथा 'घोडा-गाडी' मे अन्तर है, जो योजक-चिह्न से ही प्रकट होता है। ऐसे ही 'आज-कल', 'आज कल', 'भाषा विज्ञान', 'भाषा-विज्ञान' आदि।

(5) शेषाश सकेत—स्थान की कमी से यदि किसी पक्ति के अन्त मे किसी शब्द का एक अश ही लिखा जा सके तो योजक-चिह्न लगाकर शेष अश दूसरी पक्ति मे लिखते हैं

यह मेरी आवश्यक-
ता है।

(6) अनुतान-सकेत—वाक्य को बोलने या पढने मे लहजे या अनुतान (Intonation) का सकेत करने की दृष्टि मे भी विराम-चिह्न सहायक होते हैं 'लडका गया।' 'लडका गया ?' तथा 'लडका गया !' को तीन लहजो मे बोला या पढा जाएगा।

(7) इत्यादि सकेत— इत्यादि, या उसी प्रकार का, जैसे भावो को व्यक्त करता है मोहन सोचता गया सोचता गया ... ।

हिन्दी मे विराम-चिह्न के रूप मे मुख्यत निम्नाकित चिह्नो का प्रयोग होता है

नाम	चिह्न
1 अल्पविराम (कॉमा)	,
2 अर्धविराम	;
3 पूर्णविराम	।
4 प्रश्नसूचक चिह्न	?
5 आश्चर्यसूचक चिह्न	!

इनके अतिरिक्त निम्नांकित विराम-चिह्न भी प्राय गिनाए जाते हैं, यद्यपि वास्तविक रूप मे इन्हे विराम-चिह्न न कहकर 'चिह्न' कहना अधिक उपयुक्त होगा। यो इनकी जानकारी भी शुद्ध लेखन और पठन की दृष्टि मे अपेक्षित है

नाम	चिह्न
1 कोलन	
2. डैश	—

3. कोलन तथा डैश, अथवा वितरण-चिह्न :—
4 योजक चिह्न (हाइफ़न) -
5 उद्धरण-चिह्न " " अथवा ' '
6 कोष्ठक ( )
7. सक्षेपसूचक चिह्न ० अथवा .
8 काकपद अथवा हसपद ^
9 इत्यादि-चिह्न ....

इन्हे क्रमश लिया जा रहा है :

अल्पविराम—जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि, इस विराम-चिह्न का प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ बोलने या पढने मे 'अल्प' या बहुत थोडी देर के लिए रुकना पडता है। इसका प्रयोग प्रमुखत निम्नाकित स्थितियो मे होता है.

(1) जहाँ एक ही प्रकार के पद, शब्द, पदबध या वाक्याश आएँ, किंतु उनके बीच मे 'और', 'तथा' आदि समुच्चयबोधक शब्द न हो। जैसे—

(अ) श्याम, कृष्ण, मधुकर और सुरेन्द्र पढ रहे हैं।
(आ) वह गोरा, स्वस्थ, सुन्दर, सुशील, मिलनसार और योग्य है।
(इ) अभी मुझे नहाना, खाना, आराम करना और पत्र लिखना है।
(ई) मोहन की टैक्सी का चालक, प्रेस का चौकीदार, उस बैंक का चपरासी तथा नेता बना फिरने वाला धूर्त, चारो ही उस मुकदमे मे पकड लिए गए हैं।

विशेष—कुछ लोग अंग्रेज़ी की शैली पर 'और' के पहले भी अल्पविराम लगाते है. मुझे अभी पुस्तकें, कापियाँ, फाइलें, तथा पेंसिल खरीदनी है। किंतु सामान्यत जहाँ 'और' तथा 'व' आदि आते हैं, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग नही किया जाता।

(2) वाक्य मे जहाँ, वह, तो, तब, सो, वैसा आदि का लोप हो—

(अ) जो चीज़ चोरी गई थी, मिल गई है ('वह' का लोप)
(आ) चलना है, अभी चलो। ('तो' का लोप)
(इ) जब चाहो, आ जाना ('तब' का लोप)
(ई) जो करेगा, भरेगा ('सो' का लोप)
(उ) जैसा चाहो, ले लेना ('वैसा' का लोप)

(3) समानाधिकरण शब्दो के बीच मे ' अयोध्या के राजा, दशरथ पुत्र-शोक से मरे। कुछ लोग ऐसी स्थिति मे अल्पविराम नही लगाते है। यहाँ यह विराम-चिह्न से अधिक वाक्यावयवसूचक चिह्न है।

(4) वाक्य मे सम्बोधन के पद के बाद—बेटे, ज़रा सुनना तो। ऐसे स्थानो पर बहुत से लोग ! चिह्न भी लगाते हैं, किंतु अब अल्पविराम लगाने की प्रथा बढती जा रही है।

(5) मगर, लेकिन, पर, परतु, किंतु, तो भी, फिर भी आदि के पूर्व मैं जाऊँगा, किंतु आज नही।

(6) वाक्य के प्रारम्भ मे हाँ, नही, क्यो नही, अवश्य, जरूर आदि के बाद हाँ, चलूँगा, अवश्य, क्यो नही करूँगा, जरूर, मगर जल्दी आना। ये अभिव्यक्तियाँ प्राय प्रश्न का उत्तर होती हैं, तथा अल्पविराम के बाद का अश स्पष्टीकरण के लिए या पूरक रूप मे होता है।

(7) उपवाक्यो के पहले, बाद मे अथवा दोनो ओर (i) वह चोरी करता है, मैं जानता हूँ। (ii) वह घडी, जो तुमने दी थी, टूट गई।

(8) छद मे पाद या चरण के अत मे या कभी-कभी बीच मे भी।

(9) अलगाने के लिए अपवादत कभी-कभी दो वाक्यो के बीच मे. 'राम गया।', 'राम गया ?' और 'राम गया !' एक नही हैं।

(10) उद्धरण के पूर्व सिपाही ने पूछा, 'और तुम ?' कुछ लोग इसके स्थान पर डैश भी लगाते हैं सिपाही ने पूछा—और तुम ?

(11) क्रियाविशेषण पदबध को अलग करने के लिए तुम्हारा भाई, इतना कहने पर भी, नही आया।

(12) तारीख देने मे महीना और सन् के बीच मे 2 जुलाई, 1975

(13) पत्रो अथवा प्रार्थनापत्रो मे सबोधन आदि के बाद प्रिय भाई, श्रीमन्, महोदय, अल्पविराम न लगाने से कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है 'मत्स्यरूपधारी दानवो के शत्रु विष्णु ने' से लगता है कि दानवो ने मत्स्यरूप धारण किया था। होना चाहिए मत्स्यरूपधारी, दानवो के शत्रु, विष्णु ने ।

अर्धविराम—इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक किंतु पूर्णविराम से कुछ कम रुकना अपेक्षित होता है। सामान्यत इसके स्थान पर लोग या तो अल्पविराम का प्रयोग करते है या वाक्य को तोडकर कई वाक्य बना लेते है, अत पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं। इस तरह इसका प्रयोग बहुत कम होता है। बहुत से लोग तो इसका प्रयोग बिल्कुल करते ही नही तथा अल्प और पूर्ण से ही काम चला लेते हैं। अर्धविराम का प्रयोग निम्नाकित स्थितियो मे होता है

(1) जहाँ कई वर्गों की बात की जा रही हो, प्रत्येक के बाद अल्पविराम तथा वर्ग के बाद अर्धविराम लगाते है मैं कल तीन महीने के लिए बाहर जा रहा हू। मेरे लिए कुछ पैंट, कोट और कमीजें, जूते, चप्पल और सैंडिल, साबुन, तेल और कघी, तथा किताबें, फाइल और कोरे कागज आदि निकालकर रख दो।

(2) यदि किसी वाक्य के उपवाक्य आपस मे बहुत सबद्ध न हो तो उनके बीच भी अर्धविराम देते हैं वह फिर आएगा, सबको परेशान करेगा, किसी

का भी कहना नही मानेगा, लगता है फिर वही पूरी कहानी दुहराई जाएगी।

(3) यदि उपवाक्यो के भीतर अल्पविराम हो, तो भ्राति से बचने के लिए आरम्भिक तथा मध्यवर्ती उपवाक्यो के अन्य मे अर्धविराम लगाते हैं मोहन का लडका श्याम, आना चाहे तो आ जाए; बस शर्त यह है, कि परिश्रम से अपना काम करे।

(4) कोशो मे अलग-अलग अर्थों को अलगाने के लिए।

वस्तुत अर्धविराम का प्रयोग बहुत ही व्यक्तिपरक-सा है, और इसकी सीमारेखा स्पष्ट रूप से अल्पविराम से बहुत अलग नही है। सदर्भ पर आश्रित सुविधा और स्पष्टता के लिए ही इसका प्रयोग प्राय किया जाता है।

पूर्णविराम—रुकने की मात्रा की दृष्टि से पूर्णविराम सबसे दीर्घ होता है। इसका प्रयोग अन्य विरामो से बहुत अधिक होता है। पूर्णविराम निम्नाकित स्थानो पर प्रयुक्त होता है ·

(1) प्रत्येक वाक्य के अत मे यह आता है।

(2) छदो मे यदि पादो के भीतर अल्पविराम आता है तो पादात मे पूर्णविराम और यदि चार पादो का छद है तो कुछ लोग तो दूसरे और चौथे के अत मे पूर्णविराम लगाते हैं, कुछ लोग चारो के अत मे, कुछ लोग पहले और तीसरे के अत मे अल्पविराम, दूसरे के अत मे पूर्णविराम तथा चौथे के अत मे दो पूर्णविराम (।।)। मुक्त छदो मे भी आवश्यकतानुसार पूर्णविराम का प्रयोग मध्य मे या अत मे कही भी किया जाता है।

अब हिन्दी की कई पत्र-पत्रिकाएँ तथा लेखक हिन्दी के परम्परागत पूर्ण विराम (।) के स्थान पर अग्रेज़ी के पूर्णविराम ( ) का प्रयोग करने लगी हैं। वाक्य के अत का पूर्णविराम वाक्य के बोलने के लहजे या अनुतान को भी व्यक्त करता है। पूर्णविराम-युक्त वाक्य के बोलने मे अत मे अनुतान मे थोडा उतार आ जाता है राम घर चला गया। तत्त्वत ? और ! भी एक प्रकार के पूर्णविराम ही हैं।

प्रश्नसूचक चिह्न—अपवादो की बात छोड दें तो यह भी एक प्रकार का पूर्णविराम ही है। इसका प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यो के अन्त मे होता है। प्रश्न—तुम कहाँ जा रहे हो ? उत्तर—घर। यह भी ध्यान देने की बात है कि पूरा वाक्य न हो, किंतु प्रश्न हो तब भी यह चिह्न लगाते है। जैसे—

प्रश्न—तुम्हारा नाम ? उत्तर—शैलेन्द्र। और तुम्हारा ? उत्तर—कौशल।

प्रश्नसूचक चिह्न सभी प्रकार के प्रश्नसूचक वाक्यो के अत मे नही आते। उदाहरण के लिए एक छात्र से पूछा गया—विश्व का सबसे ऊँचा पहाड कौन-सा है ? उसने उत्तर नही दिया या गलत दिया। दूसरे से पूछा गया—अच्छा, तुम बताओ। ऐसे आज्ञा वाले प्रश्नसूचक वाक्यो मे प्रश्न का चिह्न न लगाकर पूर्णविराम लगाते हैं। ऐसे ही कभी-कभी प्रश्नवाचक वाक्यो का प्रयोग यो ही

डांटने के लिए (क्या बकते हो, चुप रहो) करते हैं तब भी इस चिह्न का प्रयोग नही होना। अप्रत्यक्ष प्रश्नो के वाक्य मे भी यह चिह्न नही लगाते 'वह क्या करना है, मैं नही जानता।' या 'राम ने पूछा कि श्याम कहाँ है।'

प्रश्नसूचक चिह्न वाले वाक्य के बोलने मे अनुतान थोडा ऊपर चढता है राम गया ?

आश्चर्यसूचक चिह्न—यह भी एक प्रकार का पूर्णविराम ही है जो आश्चर्य घृणा आदि का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके प्रयोग की मुख्य स्थितियाँ निम्नाकित हैं

(1) आश्चर्यसूचक वाक्य के अत मे—वह मर गया !

(2) आश्चर्यसूचक शब्दो के बाद—हैं ! वह मर गया !, अरे ! तुम और फेल हो गए ! अब ऐसे शब्दो के साथ अल्पविराम भी लगाते है।

(3) सम्बोधन के लिए भी इस चिह्न का प्रयोग होता है मोहन ! ज़रा सुनना। इस स्थिति मे भी अब प्राय अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है।

(4) घृणासूचक शब्दो और वाक्यो के बाद—छि छि ! ऐसी गन्दगी !!

(5) क्षोभसूचक शब्दो और वाक्यो के बाद—उफ ! तुम इतने घृणित हो !

(6) हर्षसूचक शब्दो और वाक्यो के बाद—वाह ! कमाल कर दिया !

कभी-कभी दो-दो या तीन-तीन चिह्नो का भी प्रयोग आधिक्य दिखाने के लिए किया जाता है अरे ! वह नही रहा ! शोक !! महाशोक !!! ऐसे प्रयोगो मे 'वह नही रहा' मे अनुतान ऊपर जाती है, 'शोक' मे और ऊपर तथा 'महाशोक' मे बहुत ही ऊपर।

बहुत से लोग पूर्णविराम के स्थान पर आश्चर्यसूचक चिह्न का प्रयोग करते हैं। किंतु ऐसा करना ठीक नही है।

कोलन (:), डैश (—) कोलन और डैश (:—)—इन तीनो का प्रयोग विकल्प से आगे आने वाली बातें, तथा उदाहरण आदि के लिए होता है

मुख्य बातें ये हैं

मुख्य बातें ये है—

मुख्य बातें ये हैं :—

उपर्युक्त तीनो प्रयोगो मे कोई अन्तर नही है। किंतु अन्य प्रयोगो की दृष्टि से इनमे कुछ अतर हैं। उल्लेख्य बातें हैं

(1) कोलन का प्रयोग कुछ लोग कथन के लिए (नाटक मे या अन्यत्र) करते है। शीला मैं जा रही हूँ। मोहिनी और मैं भी। पहले ऐसे स्थलो पर डैश का प्रयोग होता रहा है। आज भी अधिकाश लोग प्राय डैश का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ 'कोलन और डैश' का प्रयोग नही होता।

(2) डैश निक्षिप्त वाक्य, उपवाक्य, वाक्यांश, पदबंध तथा शब्द के दोनो

ओर होता है बड़े नगरो—जैसे टोकियो, मास्को, कलकत्ता आदि—की समस्याएँ लगभग एक-सी हैं। मोहन—मुझे खूब पता है—अत मे पछताएगा। ऐसे स्थलो पर प्राय एक विचार दो मे विभक्त हो जाता है, और कुछ अन्य बाते बीच मे आ जाती हैं। ऐसी स्थिति मे कोलन या 'कोलन और डैश' का प्रयोग नही होता।

(3) 'जैसे' के बाद कुछ लोग डैश का प्रयोग करते हैं जैसे—भारत।

(4) दिनाक मे डैश का प्रयोग करते हैं ४—१२—७४। यहाँ अन्यों का प्रयोग नही होता। इस प्रकार के स्फुट प्रयोग और भी होते हैं और हो सकते हैं।

योजक चिह्न—दो या अधिक शब्दो को जोडने के लिए प्राय समस्त पदो मे इसका प्रयोग होता है दौड-धूप, आस-पास, तीन-तीन मील पर, तन-मन-धन से, कवि-कुल-कमल-प्रभाकर। इसी प्रकार शेषाश-सकेत के लिए भी यह प्रयुक्त होता है, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है।

उद्धरण अथवा अवतरण चिह्न—यह एक (नगर') अथवा युग्म ("नगर") होता है। प्रयोग के सबध मे निम्नाकित बातें याद रखने की हैं

(1) किसी व्यक्ति का कथन अथवा लिखित सामग्री का अश ज्यो-का-त्यो उद्धृत करने के लिए इनका प्रयोग होता है कबीर कहते हैं 'दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाय'। इसे इस रूप मे भी कहा जा सकता है "दुनिया ऐसी बावरी···।" अर्थात् ऐसी स्थिति मे दोनो मे किसी का भी प्रयोग हो सकता है। यो अब दो चिह्नो के स्थान पर एक का प्रयोग बढता जा रहा है।

(2) इकहरे चिह्न का प्रयोग किसी नाम, शब्द, वाक्याश, वाक्य आदि को औरो से अलगाने या बल देने आदि के लिए भी होता है। जैसे—'कवयित्री' कवि का स्त्रीलिंग है। 'गमला' एक पुर्तगाली शब्द है। 'गीता' विश्व-प्रसिद्ध है। 'स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है' पर एक निबन्ध लिखिए।

(3) उपनामो के दोनो ओर भी इसे लगाते हैं रामधारी सिंह 'दिनकर', सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'।

कोष्ठक—जैसा कि पीछे दिखाया गया है, यह तीन प्रकार का होता है। सामान्यत लेखन मे प्राय ( ) का ही प्रयोग अधिक चलता है। शेष मुख्यत गणित मे प्रयुक्त होते हैं। यदि एक कोष्ठक के भीतर दूसरा देना हो तो दो का भी प्रयोग कर देते हैं वह तस्वीर [जिसे हुसेन (भारत के प्रसिद्ध चित्रकार) ने बनाया था] सभी को बहुत पसन्द आ गई। कोष्ठक के कुछ प्रयोग हैं

(1) टडन (जो बाद मे डॉ० टडन हो गए थे) का वह लेख बडा ही उत्तेजक था। (2) शर्मा जी की वह दुर्घटना (जिसमे दूसरे ही दिन उनकी मृत्यु भी हो गई थी) देखकर मेरा जी इतना खिन्न हुआ कि मैंने बहुत दिनो तक वह रास्ता ही छोड दिया। (3) नेता जी के भाषण सयुक्त प्रात (जिसे अब

उत्तर प्रदेश कहते हैं) मे स्थान-स्थान पर हुए। (4) 'परसर्ग' (Postposition) शब्द का प्रयोग हिन्दी मे कारक-चिह्न के लिए होता है। (5) तुलसी ने 'अवधी' (पूर्वी हिन्दी की एक वोली) मे मानस की रचना की।

संक्षेपसूचक चिह्न—संक्षेप सूचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है : कृ० पृ० उ०=कृपया पृष्ठ उलटिए, डॉ०=डॉक्टर, ई० पू०=ईसवी पूर्व। ऐसे ही बी० ए०, एम० ए०, पी-एच० डी०, एम० डी०। ० के स्थान पर कुछ लोग ( ) का प्रयोग भी करते हैं।

काकपद अथवा हंसपद—कौआ या हंस जब चलता है तो भूमि पर ऐसे ही निशान बन जाते हैं। इसी आधार पर यह नाम पड़ा है। लिखने मे कुछ छूट गया हो तो इसके द्वारा उसे जोड़ते हैं

में
मेरी परीक्षा अप्रैल ∧ है।

इत्यादिसूचक—इसके लिए ' देते हैं। आधुनिक कथा और नाट्यसाहित्य मे इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ कुछ करने के बाद शेष बातें, शब्द या वाक्य पाठक की कल्पना के लिए छोड दिए जाएँ। जैसे वह धूर्त है, मक्कार है, दगाबाज है और है······, चिंतन-प्रक्रिया का धुंधला संकेत देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है शेखर सोच रहा था ' रेखा परीक्षा पहाड़'' परीक्षा रेखा '।

22

परिशिष्ट

ये शुद्ध हैं या नहीं ?

नीचे 'क' के अंतर्गत दिए गए वाक्य तथा वाक्याश शुद्ध हैं या अशुद्ध ? जो अशुद्ध हो, उन्हे ठीक कीजिए तथा अशुद्धि का कारण बताइए। नीचे 'ख' मे अशुद्ध वाक्यो तथा वाक्याशो के शुद्ध रूप दिए गए हैं। वहाँ से मिलाकर देखिए कि आपकी बात ठीक है या नही ?

क

1 वे अभी ही आए हैं।
2. कान ही पुर जाना है।
3. आप मेरे पर कृपा करें।
4 जाऊँ तो गा लेकिन आज नही।
5. लडका गाता हुआ जा रहा है।
6 गाधी जी वडी लगन के साथ देश की सेवा करते रहे।
7. दिन भर मे दो जगह गोलियाँ चली।
8. लडकियाँ गाती हुई जा रही हैं।
9. मेरी सौभाग्यवती कन्या का शुभ विवाह कल है।
10 इस तूफान से अप्रतिम क्षति हुई है।
11. आपके चलते यह काम हो गया।
12. इतनी तेज़ी से लडका दौडकर आ रहा है।
13. तुमने तो मुझे वडी निराशा दी।
14 अधिकाश लोहे की चीज़ें काली पड गईं।
15. पिताजी अपनी आवश्यकताओ को पूरी कर लेंगे।
16 मुझे एक चिट्ठी लिखना है।
17 चमचमाती चाँदी के वर्तन वडे आकर्षक थे।
18. अव तो मैंने इन लोगो का विरोध करने का सकल्प ले रखा है।
19. उसने तुम्हे उस दिन घंटों झिडका।